अष्टम माला, खंड 5, अंक 40

गुरुवार, 9 मई, 1985
19 वैशाख 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य । चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 9 मई, 1985/19 वैशाख, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 8, "722" के स्थान पर "772" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 17, "कमर्शियल तथा अन्य" के स्थान पर 'कामर्शियल बैंक तथा दो अन्य" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 21, "श्री के0आर0आदियोडो" के स्थान पर "श्री के0जो0आदियोडो" पढ़िये।

विषय सूची पृष्ठ (ii), पंक्ति 2 व 3, "आगरा के जिला" के स्थान पर "आगरा जिले के" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 5, "सतेन्द्र" के स्थान पर "सत्येन्द्र" पढ़िये

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 11, "श्री" के स्थान पर "डा०" पढ़िये।

पृष्ठ 84, पंक्ति 11, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 8, "बारम्बारता फ्रिक्वेन्सी" के स्थान पर "बारम्बारता (फ्रिक्वेन्सी)" पढ़िये।

पृष्ठ 166, पंक्ति 18, "एच0आर0डोरा" के स्थान पर "एच0ए0डोरा" पढ़िये।

पृष्ठ 168, पंक्ति 7, "चण्डोगढ़ का" के स्थान पर "चण्डोगढ़ के" पढ़िये।

पृष्ठ 192, पंक्ति 4, के नीचे बाईं ओर "(अनुवाद)" अंत:स्थापित करिये।

صفحہ 252 لائن 5 کے آخر میں "جاتا ہے" جوڑیے۔

صفحہ 255 لائن 8 "کر رہی" کی جگہ "کردی" پڑھیے۔

[उ
सम्मिलित
प्रमाणिक

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 40, गुरुवार, 9 मई, 1985/19 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 771, 773, 775, 777, 779, 782, 783, 787, 790, 774	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 722, 776, 778, 780, 781, 784, 786, 788, 789	23—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5779 से 5835, 5837 से 5841, 5843 से 5897, 5899-5904 और 5906 से 5963	31—161
द्वितीय विश्व युद्ध में फासिज्म के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए व्यक्तियों के लिए श्रद्धांजलि	162—167
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	167—171
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	171—188
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी कमर्शियल तथा अन्य बैंकों के लिए अधिस्थगन की अचानक घोषणा	
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	171
श्री जनार्दन पुजारी	172
डा० के० आर० आदियोडी	175
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	177
प्रो० पी० जे० कुरियन	178
श्री इन्द्रजीत गुप्त	181

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(1) मध्य प्रदेश के मुरैना जिला और उत्तर प्रदेश के आगरा के जिला डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों का समेकित विकास करने की आवश्यकता

श्री गंगाराम 188

(2) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग

श्री हरीश रावत 189

(3) केरल तीव्र गति से औद्योगिकीकरण के लिए राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० कुन्जम्बु 190

(4) टांडा ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन 190

(5) साम्प्रदायिकता और संकीर्ण क्षेत्रीयता की भावना पर अमल करने वाले राजनैतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

श्री हुसैन दलवाई 191

(6) "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार" को निकट भविष्य में बन्द होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बालकवि बैरागी 191

(7) अध्यात्मिक विषयों के लिए पृथक सरकारी विभाग की आवश्यकता

श्री कमलनाथ 192

(8) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रेल सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम 192

(9) उत्तर प्रदेश स्थित एटा को दिल्ली और कलकत्ता के साथ सीधी रेल सेवा द्वारा जोड़ने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 193

वित्त विधेयक, 1985 194—273

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० मधु दण्डवते 194

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 203

श्री सतेन्द्र नारायण सिंह 205

श्री डाल चन्द जैन 209

श्री इन्द्रजीत गुप्त 211

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि 220

श्री अजीज कुरेशी 221

डा० गौरी शंकर राजहंस 223

श्री दत्ता सामन्त 224

श्री के० एन० प्रधान 230

श्री जैनुल बशर 233

प्रो० पी० जे० कुरियन 237

श्री एम० महालिंगम 240

श्री के० एस० राव 242

श्री आनन्द सिंह 243

श्री ब्रह्मदत्त 245

श्री अब्दुल रशीद काबुली 247

श्री पी० नामग्याल 252

श्री स्वामी प्रसाद सिंह 259

श्री चिरंजी लाल शर्मा 261

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर 263

श्री शांति धारीवाल 264

श्री भरत सिंह 266

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 268

श्री राम प्यारे पनिका 269

श्री राम नगीना मिश्र 271

कार्य मंत्रणा समिति 273

सातवां प्रतिवेदन

लोक सभा

गुरुवार, 9 मई, 1985/19 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेलवे उपक्रम

*771. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कोई बड़ा रेलवे उपक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में एक बड़ा रेलवे उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). जी नहीं । रेलवे संस्थापनाओं/सुविधाओं की व्यवस्था राज्य अथवा क्षेत्रीय आधार पर नहीं की जाती है । इनकी व्यवस्था रेलों के दिन-प्रतिदिन के परिचालन को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है । उड़ीसा में विद्यमान सुविधाएं राज्य में रेलवे की सुचारू और कुशल सेवा के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

श्री चिन्तामणि जेना : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के भाग (क) से (ग) का उत्तर "जी नहीं" दिया है । क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि राज्य में इस समय कौन-कौन से बड़े रेलवे उपक्रम हैं जिनमें निर्माण कार्य हो रहा है ? क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने यहां रेलवे उपक्रम स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो वे प्रस्ताव कौन-कौन से हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बंसी लाल : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं रेलवे स्थापनाओं/सुविधाओं की व्यवस्था क्षेत्रीय या राज्य आधार पर नहीं की जाती । परन्तु उड़ीसा में मंचेश्वर में हम 18 करोड़ रुपए की लागत से सवारी डिब्बों की मरम्मत करने का कारखाना लगा रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि जेना : और मेरे उस प्रश्न का उत्तर क्या है कि क्या राज्य सरकार ने वहां रेलवे उपक्रम स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि भेजे हैं, तो उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री बंसी लाल : राज्य सरकारें जब भी हमें प्रस्ताव भेजती हैं हम उस पर विचार करते हैं ।

लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सुविधाएं राज्य या क्षेत्रीय आधार पर उपलब्ध नहीं कराई जातीं।

श्री चिन्तामणि जेना : दक्षिण पूर्व रेलवे में जितनी किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं उसकी $\frac{1}{3}$ कि०मी० लाइनें उड़ीसा में हैं, लेकिन दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डेन रीच, कलकत्ता में है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार के साथ-साथ जनता के प्रतिनिधि भी यह मांग करते रहे हैं कि इस मुख्यालय की एक शाखा भुवनेश्वर में खोली जाए। यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? माननीय मंत्री ने बताया है कि रेलवे विभाग मंचेश्वर में एक सवारी-डिब्बों की मरम्मत करने का कारखाना खोल रहा है। मुख्य इंजीनियर का कार्यालय तो कलकत्ता में है अतः यह काम यहां कैसे होगा? क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार तथा जनता सरकार से मुख्य इंजीनियर के कार्यालय को भुवनेश्वर में स्थापित करने का अनुरोध कर रहे हैं। यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री बंसी लाल : दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय का कार्यालय कलकत्ता में है और वह सार्वजनिक उपक्रम नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री कम्मोदी लाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चम्बल नदी के पास लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर रेलवे कोच फैक्टरी लगाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री माधव राव सिन्धिया : हम दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं, सदन के बाहर चर्चा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाहर बुला लेना और चाय भी पिला देना।

[**अनुवाद**]

श्री नारायण चौबे : दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच् कलकत्ता में है तथा मुख्य इंजीनियर का कार्यालय भी वहीं है। लेकिन क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन को न केवल मंचेश्वर बल्कि खड़गपुर-रायपुर स्थित अन्य फैक्टरियों तथा अन्य कर्मशालाओं और लोको-शेड को चलाने में कठिनाई महसूस होती है?

श्री बंसी लाल : हमें कोई कठिनाई नहीं होती।

श्री बृजमोहन महंती : मैं जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे के संसाधनों तथा, निवेश का विभिन्न राज्यों में समान वितरण करने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। यह क्षेत्रवार नहीं किया जाता।

श्री बृजमोहन महंती : क्षेत्रीय आधार पर किए जाने में मेरी रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी किसमें रुचि है?

श्री बृजमोहन महंती : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या संसाधनों का विभिन्न राज्यों में समान वितरण करने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह संगत नहीं है।

सन्तति निग्रह के लिए उन्नत टीका

*773. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ इम्यूनोलाजी ने हाल ही में संतति-निग्रह हेतु एक उन्नत टीके का विकास किया है;

(ख) क्या इस टीके का नैदानिक परीक्षण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) उपर्युक्त टीके का उपयोग कब तक प्रारम्भ हो जाएगा और यह किस सीमा तक जन्म दर नियंत्रण में सहायक होगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ). जन्म नियंत्रण के के लिए वैक्सीन तैयार करने का काम नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ इम्यूनोलाजी मे चल रहा है। आशा है कि इस साल क्लीनिकी परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे। इस वैक्सीन का इस्तेमाल इन परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, इन्स्टीच्यूट के डायरेक्टर साहब जो हैं, उन्होंने एक महीना पहले भाषण देते हुए कहा कि वैक्सीन तैयार हैं, केवल क्लीनिक टैस्ट बाकी है। मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि अभी बनेंगे, उसमें एक साल लगेगा। इसमें डायरेक्टर साहब ने एक महीना पहले जो भाषण दिया, उससे फर्क है। ऐसा क्यों है ?

दूसरा बर्थ कंट्रोल के संबंध में आप ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिसमें हैजे और टाइफाइड की भी रुकावट होगी। इसमें क्या-क्या रिसर्च होगा और कितनी प्रगति हो गई है, इसकी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने में और साइंटिस्ट ने जो कहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि जिस डाक्टर ने तैयार किया है, उसको डेवलप किया, उसमें डेवलप करने के बाद कई ट्रायल लेने पड़ते हैं। ट्रायल में सक्सेसफुल होने के बाद उसको मॉस लेवल पर किया जाता है और लेबोट्री में तैयार किया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व भर में छः केन्द्रों में हम परीक्षण कर रहे हैं तथा वे कारगर सिद्ध हुए हैं।

[हिन्दी]

लेकिन जितना एफेक्टिव होना चाहिए उतना नहीं है। कई केसिस में परैगनेंसी हुई, इसलिए उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा क्योंकि जो एंटी बॉडी क्रियेट करते हैं।

[अनुवाद]

गर्भ धारण को रोकने के लिए इसे और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

वह ट्रायल चलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में हैजे की रुकावट होगी। इसके लिए वैक्सीन डेवलप हुआ, जिस पर रिसर्च चल रहा है। दूसरा क्या टाइफाइड के लिए भी वैक्सीन तैयार हो रहा है ? इन दोनों के सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहूंगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, उनमें यह जो वैक्सीन डेवलप किया जाता है वह टीटनेंस आक्साइड के साथ हारमोन्स मिलाकर तैयार किया जाता है। उससे दो एफेक्ट होंगे, एक तो परैगनेंसी रुकेगी और साथ ही टीटनेंस भी नहीं होगा।

दूसरी बात जो हैजे टाइफाइड के सम्बन्ध में कही, उसका उससे कोई निस्बत नहीं है क्योंकि हम एंटी परैगनेंसी की बात करते हैं तो उसमें टाइफाइड कहां आयेगा।

श्री सी० पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, कोई भी ड्रग ट्रायल दो स्टेजिस में होता है, एक तो एनीमल पर ट्रायल होता है, उसके बाद ह्यूमन बीग्स पर प्रयोग किया जाता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एनीमल ट्रायल में जो टौक्सीसिटी होता है, टौक्सीक फीचर इस वैक्सीन का मिलता है या नहीं। जो क्लीनिक ट्रायल है, उसमें कई फेजिज होते हैं, लेकिन फेज ऑफ क्लीनिकल ट्रायल में क्या यह वैक्सीन है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा मैंने पहले बतलाया था—मेडिकल-इथिक्स के मुताबिक पहले ह्यूमन-बींग्ज पर ट्रायल नहीं किया जाता है, एनीमल्ज पर ट्रायल किया जाता है। मंकीज पर किया गया, रेबिट्स पर किया गया, उसके बाद मालूम हुआ कि वह सक्सेसफुल है। इसके बाद क्लीनिकल ट्रायल शुरू हुए, हमने वर्ल्ड में 6 सेण्टर्स पसन्द किये जहां पर अभी ट्रायल चल रहा है। इसमें किसी जगह ऐसा मालूम हुआ है कि प्रेगनेंसी हुई भी है। इससे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

जहां तक जानवरों पर इनके जहरीले प्रभाव का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 774—श्री अनन्त प्रसाद सेठी उपस्थित नहीं हैं। प्रो० पी० जे० कुरियन—प्रश्न 775।

कैलोरी खपत

*775. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां की औसत कैलोरी खपत आवश्यकता से कम है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हम गरीब लोगों द्वारा कैलोरी की खपत को बढ़ाने के लिए कोई ठोस और समय-बद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रतिदिन औसतन 2400 के० कैलोरी लेने की सिफारिश की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषण मॉनिटरिंग ब्यूरो तथा खाद्य विभाग के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार राज्यवार कैलोरी खपत इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कैलोरी (के० कैलोरी)
1.	आंध्र प्रदेश	2011
2.	बिहार	1858
3.	गुजरात	2306
4.	हरियाणा	2420
5.	हिमाचल प्रदेश	2474
6.	जम्मू व कश्मीर	1988
7.	कर्नाटक	2711
8.	केरल	2203
9.	मध्य प्रदेश	2205
10.	महाराष्ट्र	2120
11.	उड़ीसा	2156
12.	पंजाब	2429
13.	राजस्थान	1861
14.	सिक्किम	1805
15.	तमिलनाडु	1964
16.	त्रिपुरा	2122
17.	उत्तर प्रदेश	2193
18.	पश्चिम बंगाल	2477
19.	दादरा और नगर हवेली	2060
20.	गोवा दमण और दीव	2129

टिप्पणी और स्रोत :

1. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के आंकड़े राष्ट्रीय पोषण मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वर्ष 1981-82 के रिपोर्ट से लिए गए हैं।

2. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण और दीव तथा दादर और नगर हवेली के आंकड़े खाद्य और पोषण बोर्ड, खाद्य विभाग, भारत सरकार की 1973-80 अवधि की रिपोर्ट से लिए गए हैं।

3. बिहार के आंकड़े "डाइट एटलस आफ इंडिया, 1971" से लिए गए हैं।

निम्नलिखित राज्यों में कैलोरी लेने की रोजाना औसत संस्तुत किए गए स्तर से कम पाई गई :—

(i) आन्ध्र प्रदेश

(ii) बिहार

(iii) गुजरात

(iv) जम्मू व कश्मीर

(v) केरल

(vi) मध्य प्रदेश

(vii) महाराष्ट्र

(viii) राजस्थान

(ix) सिक्किम

(x) उड़ीसा

(xi) तमिलनाडु

(xii) त्रिपुरा

(xiii) उत्तर प्रदेश

(xiv) संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण और द्वीव और दादरा और नगर हवेली।

जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों अर्थात् बच्चों और गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं की पोषण समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई पोषण कार्यक्रम चलाए हैं जो इस प्रकार हैं :—

पौषणिक कमी से होने वाले विशिष्ट रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रम
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन)

1. विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम।

2. आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम ।

समग्र पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार किए गए पूरक आहार कार्यक्रम
(समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन)

3. विशेष पोषण कार्यक्रम

4. बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम

5. एकीकृत बाल विकास सेवाएं
(शिक्षा मंत्रालय के अधीन)

6. **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम**
(खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के अधीन)

7. पूरक आहार के लिए कम लागत के खाद्य तैयार करना ।

8. शिक्षा, प्रसार और प्रचार

इनके अतिरिक्त सरकार ने कई समाजार्थिक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं जिनका उद्देश्य गरीबी दूर करना और रहन-सहन के स्तरों में सुधार करना है । इनसे कैलोरी खपत में वृद्धि होगी । ये कार्यक्रम हैं—आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, टी० आर० वाई० एस० ई० एम०, आर० एल० ई० जी० पी० ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने एक अध्ययन करने के बाद सिफारिश की है कि भारतीय को प्रतिदिन 34 ग्राम वसा लेनी चाहिए अर्थात् ली जाने वाली कुल कैलोरी को 15 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए जबकि राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार औसत भारतीय आहार में केवल 8 से 10 ग्राम तक वसा होती है अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सिफारिश की गई अपेक्षित मात्रा से कम होती है । देश में हर व्यक्ति को वसा तथा परम्परागत तेल की जितनी मात्रा अपेक्षित तौर पर लेनी चाहिए उसका 50 प्रतिशत ही उसे उपलब्ध है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं कि वसा तथा पारम्परिक तेलों के माध्यम से कैलोरी की प्रति व्यक्ति खपत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा सिफारिश की गई अपेक्षित न्यूनतम मात्रा तक बढ़ा दी जाए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं जो कि लोगों द्वारा ली जाने वाली कैलोरी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक हैं । प्रो० कुरियन का कहना है कि लोगों को वसा तथा तेल उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अनेक योजनाएं चल रही हैं । इनके अन्तर्गत ग्रामीण जनता को खास-कर गांवों में रहने वाले गरीबों को पौष्टिक आहार दिया जाता है । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, खाद्य तथा पूर्ति मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनेक योजनाएं हैं । बहुत सी योजनाएं हैं । यदि वह चाहें तो मैं उन्हें इन योजनाओं के नाम बता सकता हूं और अगर वह चाहें तो किसी योजना विशेष के बारे में भी बता सकता हूं । इन

सभी योजनाओं के अन्तर्गत सरकार जनता को आहार में उपयुक्त कैलोरी उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि तेरह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में कैलोरी की खपत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सिफारिश की गयी मात्रा से कम है। माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किए गए कार्यक्रम, अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम और समाज कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन 13 राज्यों और गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों के बावजूद ये अपेक्षित मात्रा में कैलोरी लेने के मामले में पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम लोगों को कैलोरी लेने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही हैं ? इन तेरह राज्यों में क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी चलाया जायेगा जिससे इन राज्यों में ली जाने वाली कैलोरी, खासकर कमजोर वर्गों, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, आदि द्वारा ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा, अन्य राज्यों में ली जा रही कैलोरी की खपत के बराबर हो सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सवाल एक या दो राज्यों का नहीं है। मैंने राज्यों तथा वहां ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा की सूची दी है। हम सभी जानते हैं कि योजना आयोग ने छठी योजना के दस्तावेजों में उल्लेख किया है कि 50% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में—कैलोरी की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरी क्षेत्रों में 2100—पर्याप्त नहीं है। लेकिन छठी योजना के मध्य में किए गए मूल्यांकन के अनुसार लभगग 8 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर आ गई है, इसका अर्थ है कि 42 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। यह जनसंख्या किसी एक राज्य में नहीं रहती बल्कि सारे देश देश में फैली हुई है। मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे एक राज्य विशेष के औसत पर आधारित हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो राज्य इस सूची में शामिल नहीं हैं वहां के लोगों को कैलोरी की पर्याप्त मात्रा मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज का यह वर्ग, समाज का यह नाजुक वर्ग, विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, तथा गरीब लोग समूचे देश में रह रहे हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाए तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिले। इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति जैसे नाजुक वर्गों के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, तथा खेतिहर मजदूरों और गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए अनेक योजनाएं हैं। हम इन योजनाओं पर ही जोर नहीं दे रहे हैं, उक्त वर्गों को केवल पैसा देने से कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं कि उनकी खरीद क्षमता बढ़े, ताकि वे वस्तुएं खरीद सकें। उनकी खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए 'ट्रायसेम' तथा आय कमाने जैसी अन्य योजनायें हैं जिनसे उनकी आय बढ़ सकती है। अतः भारत सरकार यह सब प्रयास कर रही है और यह सब राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक ही हैं।

श्री एम० एम० भट्टम : प्रश्न का भाग "ग" यह है कि "क्या कोई ठोस और समयबद्ध योजना आदि है।" प्रश्न के इस पहलू का, जी नही जवाब देकर चुप्पी साध ली गई है। उन्होंने इस समय चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सूची दी है। इन कार्यक्रमों को लागू कब किया जाएगा ? इनको

लागू करने से इन राज्यों में कैलोरी की कमी की पूर्ति तथा अपेक्षित मात्रा में इसे लिए जाने के स्तर तक पहुंचने की माननीय मंत्री को कब तक आशा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : चलिए उन्हें कटु सत्य से वाकिफ करार देते हैं। इसके लिए माननीय सदस्य हो नहीं बल्कि हम सभी उत्तरदायी हैं। भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों में 1947 से ही अनेक योजनायें बनाई गई हैं। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमने यह किया है कि हम इन कार्यक्रमों को सरकार से जनता तक लायें और यह देखें कि इनका ठीक से कार्यान्वयन किया जाए।

मैं यह कह सकता हूं कि सभी राज्यों में कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है अर्थात् इसे उस गति से लागू नहीं किया जा रहा है जिस गति से किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में, देश भर में खामियां हैं तथा भारत सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए जो धनराशि उपलब्ध करा रही हैं वह जब निचले स्तर पर अर्थात् जिनको इसका फायदा मिलना चाहिए, पहुंचती है तो उसे उपयुक्त ढंग से व्यय नहीं किया जाता। यही हमारा अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे देखें कि इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू किया जाए। हम इसके भागीदार बनें। परन्तु दुर्भाग्य से, यहां बात करना एक बात है और व्यावहारिक क्षेत्र में काम करना दूसरी बात। हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तभी तो इस समस्या को ठीक से हल नहीं किया जा रहा है और अनेक योजनाओं तथा इस योजना के अन्तर्गत आबंटित विशाल धनराशि के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में और कुछ पूछना बाकी नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : अगर सरकार उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

श्री एस० एम० भट्टम : मैंने समयावधि के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : समयावधि इस तरह निर्धारित नहीं की जा सकती। यह तो प्रयास मात्र होगा।

श्रीमती किशोरी सिंह

नौवहन कम्पनियों का विलय

+

777. **श्रीमती किशोरी सिंह** :

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन कम्पनियों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए उनका विलय करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके परिणामों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो नौवहन कम्पनियों सातवीं योजना के दौरान नौवहन के विकास के लिए किस सीमा तक संसाधन पैदा कर सकेंगी; और

(घ) यदि ये संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं तो क्या सरकार नौवहन कम्पनियों को धनराशि प्रदान करने पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नौवहन उद्योग के पुनर्गठन के लिए सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं जिसमें उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए नौवहन कम्पनियों के विलय का भी सुझाव शामिल है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि विलय के लिए सरकार ने कब सुझाव प्राप्त किए थे और सरकार इस पर कम तक निर्णय लेगी तथा क्या सरकार यह अनुभव करती है कि निर्णय के विलंब होने के कारण राष्ट्रीय हानि बहुत अधिक हो रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, वास्तव में विलय का प्रश्न ऐसा मामला है जिस पर कम्पनियों को निर्णय लेना है, क्या दोनों कम्पनियां एक दूसरे के साथ विलय करने पर सहमत है या नहीं। इसका निर्णय उन्हें करना है। निजी क्षेत्र की दो निजी कम्पनियां सुरेन्द्र और सागर एक दूसरे के साथ विलय करना चाहती हैं इसके अलावा इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारी जानकारी में नहीं है। कम्पनी कार्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। जहां तक हमारा संबंध है, दो कम्पनियों के बीच विलय का प्रश्न हमारे सामने नहीं आता है। इस मामलों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा देखा जा रहा है और यदि दोनों कम्पनियां आपस में विलय के लिए तैयार हैं तो प्रस्ताव को वहां भेजा जाता है तथा कम्पनी कार्य विभाग की स्वीकृति के बाद विलय हो जाता है।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय वस्तुओं के विदेशी खरीददार तथा भारत में विदेशी वस्तुओं की सप्लाई करने वाले अपने राष्ट्र के माल वाहकों का उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं और उन्हें ऐसा करने में सफलता मिल रही है। यदि ऐसा है, तो भारतीय वस्तुओं का निर्यात करने वाले भारतीय अपने राष्ट्रीय माल वाहकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वर्तमान प्रश्न से यह बात नहीं उठती है क्योंकि यह प्रश्न नौवहन कम्पनियों के विलय से सम्बन्धित है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री के० राममूर्ति : मर्चेण्ट शिपिंग की पूरे विश्व में स्थिति अच्छी नहीं है। यह विश्व व्यापी बात है। लेकिन स्पष्ट रूप से कम्पनियों का विलय जापान जैसे देशों में होता है जहां कम्पनियां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है। कभी-कभी यहां भी कुछ कम्पनियां आपस में विलय करती है और आर्थिक रूप से सक्षम बन जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नौवहन मंत्रालय कम्पनियों की बैठक बुलाने के लिए कोई कदम उठा रही है और उनकी आर्थिक रूप से सक्षमता का मूल्यांकन

कर रही है तथा उनका विलय करने में सहायता कर रही है। मैं नौवहन मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक हमारा सम्बन्ध है विलय के प्रश्न पर कम्पनियों को अपने आप ही निर्णय लेना होता है।

श्री के० राममूर्ति : यह कम्पनियों की स्वतंत्रता है कि वे विलय करे। मैं आपसे उनकी स्वतंत्रता में दखल डालने के लिए नहीं कह रहा हूं। कम-से-कम मंत्रालय इन्हें सलाह दे सकता है क्योंकि पूरे संसार में कम्पनियां घाटे का सामना कर रही हैं। वे उनको सलाह दे सकते हैं और कभी-कभी वे उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी दबाव डाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनावश्यक सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम उन्हें केवल आपकी कम्पनियों के सुप्रबंध की सलाह कैसे दे सकते हैं? आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं, इसका निर्णय करना उनका काम है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि विलय के बारे में सरकार के सामने मामला अनिर्णीत पड़ा हुआ है और अपने परवर्ती उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह कम्पनियों के बीच स्वैच्छिक कार्य है। सरकार के सामने विलय के लिए कौन-सा निर्णय पड़ा हुआ है?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : विलय का प्रश्न सरकार के सामने नहीं है। वरन मंत्रालय नौवहन कम्पनियों के पुनर्गठन के व्यापक प्रश्न पर जिसमें इन नौवहन कम्पनियों के विलय के लिए प्राप्त कुछ सामान्य सुझाव भी शामिल हैं, विचार कर रहा है।

"एन" टाइप बाक्स माल डिब्बों में पूरी क्षमता में माल भरना

*779. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एन" टाइप बाक्स माल डिब्बों की भारवहन क्षमता 54 टन के लगभग बनायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन डिब्बों में औसतन 48 से 50 टन तक ही कोयला लादा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इन डिब्बों पर इनकी पूरी क्षमता के बराबर लदान न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बी० ओ० एक्स० "एन" माल डिब्बे लगभग 58.0 टन अंकित क्षमता के बनाए जाते हैं।

(ख) जी नहीं। कोयले का लदान कोयला खानों द्वारा किया जाता है कुछ कोयला खानों में बी० ओ० एक्स० "एन" माल डिब्बों का लदान अंकित वहन क्षमता तक किया जाता है लेकिन कुछ अन्य कोयला खान में अंकित वहन क्षमता से कम लदान होता है।

(ग) कुछ कोयला खानो द्वारा बी० ओ० एक्स० "एन" माल डिब्बे कभी-कभार उनकी पूरी वहन क्षमता तक न लादे जाने के कारण ये हैं कि अब कभी कोयला हल्के भार का होता है तो उन्हें लदान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बात सर्वविदित है कि माल डिब्बों की कमी और फिर उन स्थानों पर कोयले की कमी है जहां कोयला डाला जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 58 टन क्षमता के स्थान पर लगभग 50 टन तक कोयला लादने वाले माल डिब्बों का कुल प्रतिशत क्या है? क्या इसके लिए प्रेषिती कम माल भाड़ा और कोयले का कम मूल्य देता है क्योंकि वह कम सप्लाई प्राप्त कर रहा है?

श्री माधवराव सिंधिया : कोयले की चार किस्में हैं—धुला हुआ कोयला, साधरण कोयला, स्लैक कोयला और भाप कोयला। स्लैक और भाप श्रेणी के कोयले की अधिकतम मात्रा भेजी जाती है। कई शिकायतें प्राप्त होने के कारण कई संयुक्त भारक्षमता का संचालन किया गया था यह निर्णय किया गया है कि वास्तविक रूप से किसी माल-डिब्बे में 58.0 टन तक लदान नहीं किया जाता है जो कि बी० ओ० एक्स० "एन" माल डिब्बे की अंकित क्षमता है। स्लैक कोयले का 55 टन तथा भाप कोयला का 54 टन तक का लदान किया जाता है। और इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत सामान्य: सभी प्रकार के कोयले का 80 प्रतिशत तक लदान किया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : अधिकतम क्षमता से कम कोयला लाने के लिए क्या प्रेषिती को कम माल भाड़ा देना पड़ता है क्योंकि वह कम कोयला प्राप्त करता है? क्या यह कोयले के लिए भी कम भुगतान करना है?

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि प्रेषिती को एक श्रेणी लिए 55 टन और दूसरे श्रेणी के लिए 54 टन का भुगतान करना पड़ता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह हमारा अनुभव है कि सब्जियों का काफी लदान होता है और माल डिब्बों की कमी है। इस तथ्य को देखते हुए तथा इस तथ्य के कारण भी कि पश्चिम बंगाल में हमारा माल डिब्बा उद्योग बहुत खराब हालत में है, क्या रेल मंत्रालय माल डिब्बा उद्योग को अधिक क्रयादेश देकर माल डिब्बे की स्थिति में सुधार करने का विचार कर रही है?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदया, यह प्रश्न किसी भी तरह इस विशेष प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह गृहिणी है।

श्री माधवराव सिंधिया : लेकिन यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

श्री थम्पन थामस : अध्यक्ष महोदय, माल डिब्बों के निर्माण के लिए अधिक धनराशि के आबंटन के बारे में रेल मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है, विशेष कर पश्चिम बंगाल की तीन या चार कम्पनियों अर्थात मेसर्स बर्न स्टेंडर्ड लिमिटेड, मेसर्स जेसोफ एन्ड कम्पनी, मेसर्स ब्रेथवेट एन्ड कम्पनी आदि के बारे में। इस समय इनके पास 5000 माल डिब्बों के आर्डर हैं जबकि पहले 15,000 माल डिब्बों के आर्डर थे। इसके परिणामस्वरूप उस उद्योग में काम करने वाले कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसे रेल मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि यदि अधिक आर्डर देने के उपाय नहीं दिए जाएंगे जैसा कि पहले किया गया था तो इन श्रमिकों की फैक्ट्रियों में छटनी कर दी जाएगी। एक तरफ तो देश में कोयला और सब्जियां आदि ले जाने के लिए माल-डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं तथा दूसरी ओर योजना आयोग द्वारा आबंटन में धनराशि की कमी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिए गए आर्डरों की तुलना में माल-डिब्बों का आर्डर बहुत कम कर दिया है। यह एक

तिहाई है। जब तक इस बारे में तुरंत कदम नहीं उठाए जायेंगे कुछ सुधार नहीं होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस बात पर ध्यान दिया है ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इसी प्रश्न का जवाब दिया था। माल डिब्बों में कमी और कम आर्डर देने के इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर दिया गया था।

श्री थम्पन थामस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय आर्डर बढ़ाने तथा और अधिक आर्डर देने का विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, उसका उत्तर पहले ही दे दिया गया था···

(**व्यवधान**)

श्री थम्पन थामस : इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी प्रभाव पड़ रहा है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया था। यह उसी प्रकार का प्रश्न है। जी हां, श्री स्वैल।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, यह प्रश्न कोयले के लदान से सम्बन्धित है और कोयले के मामलों में कई गैर-कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। कोयला बेल्ट में कोयला माफिया अब गैर-कानूनी खानों से विशेषकर ट्रकों पर कोयले का गैर-कानूनी लदान करते हैं। उपभोक्ताओं, खरीद-दारों को परमिट जारी किए जाते हैं लेकिन ये माफिया इन परमिटों को ग्राहकों से जबरन छीन लेते हैं और कोयले का लदान अपने आप करते हैं। कभी-कभी घटिया कोयले की जगह बढ़िया कोयला लादा जाता है और कभी-कभी परमिट में बनाए गए कोयले से अधिक कोयला लादा जाता है। इसके बाद माफिया की इच्छा के अनुसार इन ट्रकों को विभिन्न दिशाओं में भेज दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य अब भी चालू है और क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं, और यदि हां, तो वह इस बारे में क्या कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : इन तथा कथित दुराचारों पर मंत्रालय सख्त निगरानी रखता है और मंत्रालय की सूचना में जब कभी इस प्रकार की रिपोर्ट आती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाती है। जब कभी उनके ध्यान में इस तरह की बातें आए तो मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूंगा यदि वह मुझे बताते रहें।···(**व्यवधान**)

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। मंत्रालय को इन बातों से अवगत होना चाहिए। उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। यदि वे अवगत नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा जब कभी इस प्रकार की सूचना मंत्रालय के ध्यान में आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाती है और···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, बिहार में यह रोज की बात है। हजारों टन कोयले की चोरी की जा रही है। और यह प्रतिदिन हो रहा है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे इसको देख रहे हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह रोज हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे पहले से ही इस पर कार्यवाही कर रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : प्रश्न को टालने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। जिसकी मुझे श्री सिंधिया जैसे युवा और प्रतिभासम्पन्न मंत्री से आशा नहीं थी।

श्री माधवराव सिंधिया : यदि मैं माननीय सदस्य को उत्तर दूं तो विषयान्तर हो जाएगा क्योंकि माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो इससे सम्बद्ध नहीं···**(व्यवधान)** यदि मैं बात पूरी कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। वह असंगत बातें कैसे कह सकते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने कभी भी असंगत बात नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : यह कोयले के लदान से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। इस पर निर्णय लेगें कि असंगत है या नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं वहीं तक सीमित हूं कि यह पूछा गया प्रश्न विशेष इस प्रश्न से बिल्कुल सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह प्रश्न···**(व्यवधान)**

श्री जी० जी० स्वैल : कोयले का लदान।

श्री माधवराव सिंधिया : यदि मैं बिना व्यवधान के जारी रखूं तो यह कोयले के लदान से सम्बन्धित है···**(व्यवधान)**

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय आप इस पर निर्णय करें ··**(व्यवधान)** ट्रक है या माल डिब्बे, इनका सम्बन्ध कोयले के लदान से है।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको इस तरह तंग क्यों कर रहे हैं? कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। मैं स्वयं इस पर निर्णय कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि वह क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : ट्रक और माल डिब्बों की लदान क्षमता से यह प्रश्न सम्बन्धित है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में मैं अभी भी यह कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्टों पर सख्त निगरानी रखी जाती है, और जैसाकि प्रो० तिवारी ने कहा ये कदाचार घटना हो रहे हैं, मंत्रालय की ओर से कड़ी कार्रवाई और सख्त निगरानी भी लगातार जारी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक कोयले के लदान का सम्बन्ध है यह कोयलाखानों की पूरी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : कोयला खानें?

श्री माधवराव सिंधिया : जी हां, महोदय।

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : कोयला खानें और राज्य सरकारें।

प्रो० के० के० तिवारी : इस बारे में आधे घण्टें की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि पिछले दिन श्री बंसी लाल जी ने मुझे बताया था कि इन कदाचारों को रोकने के लिए वे कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : कोयले का मामला बहुत संवेदनशील है।

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए वह ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कहीं गिरोह बाजी विद्यमान है उसे रोका जाएगा और खतम किया जाएगा और मैं समझता हूं कि श्री बंसी लाल जी इस मामले को देखेंगे।

श्री के० के० तिवारी : कोयला और रेल दोनों मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों को एक समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यह खतरा कई वर्षों से बराबर बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वे इसको करेंगे।

श्री अरूण नेहरू : कृपया विद्युत मंत्रालय को मत छोड़िए।

(व्यवधान)

बोरीवली, बम्बई में उपरि पुल

*782. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरीवली, बम्बई (दौलत नगर के पास) में एक उपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि लोगों को भारी परेशानी हो रही है और उन्हें वाहनों द्वारा रेल लाइन पार करने हेतु काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार लागत में भागीदारी के आधार पर इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के लिए बम्बई नगर निगम/राज्य सरकार से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह : अध्यक्ष महोदय, बंबई में जो वेस्टर्न सबरबन रेलवे चल रही है, इसमें कितने ओवर-ब्रिज अण्डर कांस्ट्रक्शन हैं और कितने नए प्रपोजल आपके पास हैं। बोरीवली की जो साइट मैंने आपको दिखाई, अगर उसका प्रपोजल नहीं है तो बोरोवली और कांदीवली के बीच में क्या कोई प्रपोजल आप के पास है?

[अनुवाद]

श्री बंसी लाल : यह प्रश्न केवल बोरीवाली उपरि पुल के बारे में है। इस विशेष रेलफाटक संख्या 33 ई के बारे में बम्बई नगर निगम समझती है कि वहां इसका निर्माण करने के लिए घने बसे इलाके में भूमि का अर्जन करना कठिन और महंगा है। इसने यह बताया है कि इस समय वे इस प्रस्ताव को मानने की स्थिति में नहीं हैं परन्तु बंबई के बहुत से उपनगरीय क्षेत्रों में पुल बनाए गए हैं तथा रेल मंत्रालय, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठकें कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि वेस्टर्न सबरबन रेलवे के अन्तर्गत कितने ब्रिज अण्डर कांस्ट्रक्शन हैं और कितने प्रपोजल आपके पास हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी अभी मंत्री महोदय नहीं दे सकते, अगर आप चाहते हैं तो बाद में दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री अनूप चन्द शाह : मेरा अन्तिम अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम अनुपूरक प्रश्न से आपका क्या मतलब है। केवल दो अनुपूरक प्रश्न होते हैं जो कि आप पूछ चुके हैं। आप तीसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं।

श्री अनूप चन्द शाह : एक और है।

[हिन्दी]

महोदय, इससे लिखा है कि फर्म प्रपोजल नहीं है कोई दूसरा प्रपोजल आपके पास है।

श्री बंसी लाल : कोई प्रपोजल नहीं है।

500 मेगावाट की क्षमता के पश्चात् और अधिक क्षमता वाले विद्युत उपकरण बनाना

*783. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है कि 500 मेगावाट की क्षमता के पश्चात् कितनी और अधिक क्षमता के विद्युत उपकरण बनाए जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी यूनिट का साइज 500 मेगावाट इस समय इष्टतम समझा जाता है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार केवल 500 मेगावाट के जनरेटर रखे जाने में सन्तुष्ट क्यों है। अन्य देशों में उन्होंने 1300 मेगावाट के जनरेटर विकसित किये हैं। अत: यह खेद की बात है कि सहयोग पाने के बावजूद हम 1,000 मेगावाट के जनरेटर नहीं बना पाये हैं। अत: इसका विशेष कारण क्या है कि आपने अधिक क्षमता के एकक रखने का प्रयास क्यों नहीं किया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ठीक ही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश अत्यन्त विकासशील देशों के समकक्ष हो सकेगा। परन्तु जहां तक हमारे देश के अनुभव का प्रश्न है हमने अभी तक 200 मेगावाट तक स्थिर रखा है और पहली बार ट्राम्बे में 500 मेगावाट का एकक

अभी शुरू किया है जो कि अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है उसे स्थिर करने तथा अनुभव प्राप्त करने में समय लगता है तथा उसके बाद ही हम इस दिशा में निर्णय लेंगे। माननीय सदस्य ने जिन पहलुओं के बारे में पूछा है उनके बारे में एक समिति पहले ही गठित की गई है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, इस उद्देश्य से कि 500 मेगावाट के जनरेटर में भी पारेषण लाइनों में सघनता की कमी के कारण विद्युतक्षरण न हो, क्या हम उच्च सघनता की पारेषण लाइनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं? (**व्यवधान**) इसका अर्थ है उच्च वोल्टता क्योंकि पारेषण में बहुत हानि होती है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, इस देश में सी० बी० सी० लाइनें लगाने का कार्यक्रम हमने पहले ही हाथ में लिया हुआ है तथा मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कि काफी वरिष्ठ हैं, जानते हैं कि इसमें प्रगति हो रही है।

श्री भानु प्रताप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह वास्तव में प्रशंसनीय बात है कि हमने अपने देश में 500 मेगावाट के टरबाइनों का निर्माण शुरू कर दिया है। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि बी० एच० ई० एल० ने शुरू किया है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। मैं जानना चाहता हूं, कि जैसा कि मुझे पता है, कि हमने अपने देश में 500 मेगावाट के टरबाइनों का उत्पादन शुरू किया है, तथा क्या हम इन टरबाइनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। दूसरे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि सातवीं योजना के दौरान एन० टी० पी० सी० को 500 मेगावाट की क्षमता के कितने यूनिटों की आवश्यकता होगी।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, बी० एच० ई० एल० ने पहले ही 500 मेगावाट के टरबाइन बनाने शुरू कर दिये हैं और सरकार ने 500 मेगावाट के 17 केन्द्र—2 सिंगरौली में, 3 कोरबा में, 3 रामगुंडम में, 2 फरक्का में, 2 रिहन्द में, तथा 2 अनपारा में, 2 चन्द्रपुर में और 1 ट्रांम्बे में स्थापित करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 784—श्री वेंकटेश—अनुपस्थित। श्री पेंचालैया—अनुपस्थित।

[**हिन्दी**]

क्या हो रहा है आज—मेरे ख्याल में मैम्बर्स थक गए हैं।

[**अनुवाद**]

प्रश्न संख्या 786—श्री श्रीनिवास प्रसाद—अनुपस्थित। डा० सी० एस० वर्मा—अनुपस्थित।

प्रो० मधु दण्डवते : आप स्थगन प्रस्ताव क्यों पेश नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ऐसा सोचता हूं। इससे मुझे संकेत लेना चाहिए।

(**व्यवधान**)

प्रश्न संख्या 787—श्री अरुणाचलम।

पश्चिमी घाटों में कीरियार परियोजना

*787. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पश्चिमी घाटों (तमिलनाडु-केरल) में कीरियार परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान इसके पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दस्तावेज में ऐसी कोई परियोजना शामिल नहीं की गई है।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, इस महत्वपूर्ण कीरियार परियोजना के कार्यान्वयन से तिरुनेलवेली और रामनद जिलों में लगभग 20,000 एकड़ बंजर भूमि सिंचित हो सकेगी। इस समय पश्चिम की तरफ बहने वाली यह नदी अरब सागर में गिरती है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या भारत सरकार इसे सातवीं योजना में सम्मिलित करेगी, क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय मामला है?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं परियोजना के बारे में विस्तृत विवरण दे सकता था—परंतु हम नहीं जानते और न ही हमें राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है, अतः मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकता। राज्य सरकार ने इस परियोजना को राज्य की योजना में सम्मिलित नहीं किया है।

श्री एम० अरुणाचलम : क्या भारत सरकार पहल करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार स्वतः ही कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री एम० अरुणाचलम : अरब सागर में जाने वाले अप्रयुक्त जल के बहाव को रोका जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु के लोगों की चिरकाल की इच्छा तथा मांग के अनुसार इस पानी को सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। अतः क्या भारत सरकार पश्चिम में बहने वाली नदी के जल को इन पुराने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए पहल करेगी। जिससे तमिलनाडु के लोगों की इच्छा पूरी की जा सके।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार पानी को सागर में जाने की अपेक्षा उसका पूरा उपयोग करने में ही रुचि रखती है।

श्री कुलन्दईवेलु : महोदय, जब जनता सरकार सत्ता में थी, तब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बहाव को पूर्व की तरफ लाने की बात का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनी थी। समिति अभी तक मौन है। गठन के बाद से ही यह मौन है। क्या मैं अब मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि पश्चिम की तरफ बहने वाले जल को पूर्व की तरफ मोड़े जाने के सम्बन्ध में योजना कार्यान्वित करने या सम्बन्धित राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के बीच बातचीत करने के लिए कौन से कदम इस सरकार ने उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मौन रहना ही समिति का निर्णय था।

प्रो० मधु दण्डवते : जनता सरकार के साथ समिति भी नहीं रही है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रो० साहब से पूछें।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं जनता सरकार अथवा गठित की गई किसी समिति का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु मैं वास्तव में मेरी उस समिति में रुचि है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के बहाव को मोड़ने की समस्याओं पर विचार कर रही है। हम कह सकते हैं कि माननीय सदस्य की रुचि हमारी रुचि भी है तथा हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सागर में जाने वाले पानी का उपयोग कैसे किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, मैं बिहार के मुतल्लिक मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिहार में हमारे यहां दो बड़ी योजनाएं हैं—पहली योजना कोयलकारो प्रोजेक्ट है और···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से सम्बन्धित यदि आप कोई बात पूछना चाहें तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा।

श्री रामस्वरूप राम : मैं इसी प्रश्न से सम्बद्ध बात पूछ रहा हूं सर। हमारे बिहार में दो महत्वपूर्ण प्रोजैक्टस हैं—कोयलकारो प्रोजैक्ट और सुवर्णरेखा प्रोजैक्ट—जिनमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन उनमें अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन महत्वपूर्ण प्रोजैक्टस का कार्य शुरु करने के लिए क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा, या नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : बहुत ध्यान दे रहे हैं, साहब।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रसन्न हो गए।

श्री राम स्वरुप राम : जिन प्रोजेक्टस में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, उनका काम हो नहीं रहा है और यहां मंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के० मोहनदास—अनुपस्थित

श्री एस० जी० घोलप—अनुपस्थित

श्री गिरिधर गोमांगो—अन्तिम हैं।

परियोजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के सम्बन्ध में पुनर्वास नीति

*790. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मध्यम और बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास नीति तैयार करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्होंने तदनुसार कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुरोध किया है कि परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते समय, विस्थापितों के हितों की सुरक्षा के लिए संतोषजनक रक्षोपायों को ध्यान में रखना चाहिए।

चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है अतः सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसीलिए किसी परियोजना में निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की प्रकति को देखते हुए यथावश्यक पुनर्वास संबंधी उपाय राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ तथा क्रियान्वित किए जाते हैं।

श्री गिरीधर गोमांगो : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि क्या गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को परियोजना से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए योजनाएं लागू करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत बनाकर उनको जारी किया है। यदि हां, तो क्या उसी आधार पर उनके मंत्रालय ने परियोजना पर मंजूरी देते समय इस बात की जांच करने के लिए कोई मार्ग-दर्शन बनाए हैं, कि परियोजना प्रतिवेदन में पुनर्वास पर होने वाला व्यय भी एक अंग माना जाये तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली लगभग सभी परियोजनाओं में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाएगा।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य की उनके राज्य की कुछ परियोजनाओं के बारे में चिन्ता को समझ सकता हूं। जहां कुछ परियोजनाओं की क्रियान्विति न किए जाने से एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जिससे बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होते हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न पूछना उचित है।

इस प्रश्न के बारे में मेरा निवेदन है कि हमने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत तथा उपाय निश्चित किए हैं। जब राज्य हमें परियोजना प्रतिवेदन तकनीकी मंजूरी के लिए भेजते हैं तब हम उन्हें इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की जानकारी देते हैं। परियोजना प्राक्कलनों में पुनर्वास उपायों पर व्यय शामिल होता है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी महत्वपूर्ण उपायों पर निश्चय ही समुचित ध्यान दिया जाता है।

भूमि तथा मकानों के लिए मुआवजा देने, वैकल्पिक कृषि योग्य भूमि देने, परियोजना कार्यों में रोजगार अवसरों, वन उत्पाद का संग्रहण तथा विकास, मत्स्य उद्योग तथा इसी तरह की अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास, परिवहन तथा पुनर्वास अनुदानों के देने, मकानों के लिए आवास स्थलों, नई प्राथमिक स्कूल, पंचायत, औषधालय, बीज भंडार, पार्कों, पेय-जल पूर्ति, आदि सुविधाओं सहित पुनर्वास बस्तियों के विकास, ये सभी बातें पुनर्वास उपायों के अंग हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : उड़ीसा में एक विद्युत परियोजना के क्रियान्वित किये जाने तथा पीछे से जलमग्न होने के कारण लगभग 150 गांव द्वीप के समान बन गये और मुख्य भूमि से कट गए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय उड़ीसा सरकार से पृथक हुए क्षेत्र को उड़ीसा के साथ सड़क अथवा किसी अन्य साधनों से जोड़ने के लिए धनराशि निर्धारित करने के लिए कहेगी।

इस समय यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से नहीं। समस्या यह है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार को कुछ सुविधा देने को कहेगी।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं तथा इस संबंध में मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अरबिन्द नेताम : इस पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1980 से पहले कठिन नहीं था। परन्तु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद राज्य सरकार के लिए विस्थापितों का पुनर्वास करना कठिन कार्य बन गया है।

इस समस्या पर विचार करते हुए क्या सरकार समन्वय करेगी ताकि विशेष रूप से वन भूमि को गैर-वन कार्यों पुनर्वास के लिए दिया जा सके, क्योंकि मेरे बस्तर जिले पर इन्चामपेटा बांध, बोध घाट जलविद्युत परियोजना तथा भोपालीपटनम सिंचाई परियोजना पर प्रभाव पड़ेगा। पूरे दक्षिण बस्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बस्तर का पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र है। सरकार को विस्थापितों के पुनर्वास में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : इस तरह की किसी परियोजना के लिए राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे इस बात पर ध्यान देने के लिए कुछ भार वहन करें कि परियोजना पूरी की जाए तथा उसके लिए उन्हें कुछ कदम उठाने हैं अन्यथा बहुत से गांव एवं खेती योग्य भूमि तथा बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार को इसका भार वहन करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के सहयोग से बाण सागर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट है। इसमें मेरी कान्सटीटूऐंसी की पूरी की पूरी एक तहसील और लगभग 60 गांव डूब में आ रहे हैं। उनकी जमीन आज से लगभग दस साल पहले एक्वायर कर ली गई थी परन्तु आज तक न तो उन लोगों की रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में आपने कुछ किया है और न इसमें कुछ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भी हम उसके बारे में पूछते हैं, तो हमेशा यही कहा जाता है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन यह मेजर प्रोजेक्ट आपके माध्यम से वहां पर बनाया जा रहा है, क्या आप बतायेंगे कि लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए आप स्टेट को कैसी गाइडलाइन्स अथवा निर्देश जारी करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुनर्वास उपायों पर होने वाला व्यय परियोजना-प्राक्कलनों के ही अंग हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पर्याप्त है। इस प्रश्न पर पूछने के लिए और कुछ नहीं रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण

*774. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और गैर-पिछड़े राज्यों के सम्बन्ध में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए निर्धारित मापदण्डों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पिछड़े राज्यों की सरकारों ने उक्त परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिछड़े तथा कम विकसित क्षेत्रों के लिए बनाई गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में विशेष सहायता पहले ही दी जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है "पिछड़े तथा कम विकसित क्षेत्रों के लिए बनाई गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में विशेष सहायता पहले से ही दी जा रही है।" क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कौन से राज्य इस स्कीम के अन्तर्गत आ रहे हैं तथा अब तक कौन से राज्यों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि कौन से राज्यों ने सुविधाओं का लाभ उठाया है।

श्री बी० शंकरानन्द : ये सुविधाएं सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध हैं।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : हमारा उड़ीसा राज्य बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। 70 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा बिजली की कमी के कारण उसकी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में नई परियोजनायें की स्थापना में सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा उसकी क्रियान्विति के मामले में हमने उड़ीसा सरकार को कभी इंकार नहीं किया।

श्री महेन्द्र सिंह : इस बात पर ध्यान देते हुए कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम काफी लाभ कमा रहा है क्या मंत्री महोदय पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऋण पर ब्याज की दर में कमी करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दरों पर ऋण मिलते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जन-जातीय क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए अन्य क्षेत्रों विशेषकर अल्पविकसित क्षेत्रों की तुलना में ऋण सहायता शर्तें अधिक अनुकूल हैं। ब्याज की दर $6\frac{1}{4}$, $8\%\frac{1}{4}$ है। छूट की अवधि 7 वर्ष है तथा ऋण वापसी की अवधि 23 वर्ष है। (व्यवधान) हमने पर्याप्त रियायतें दी हैं।

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव : इस बात पर ध्यान देते हुए कि पम्पसेटों से की जाने वाली सिंचाई से बहुत लाभ मिलते हैं तथा यह कम से कम समय में लगाए जा सकते हैं क्या सरकार सातवीं योजना में पम्पसेटों के विद्युतीकरण के कार्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था, विशेष तौर पर इस

बात को ध्यान में रखते हुए करेगी कि छठी योजना में विशेषकर 1984-85 में उनका लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका और वास्तविक उपलब्धि लक्ष्यों से बहुत कम रही । क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पम्पों को बिजली देने के लिए अधिक धन देगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य तथा सभा की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने इस कार्यक्रम के लिए काफी धनराशि आबंटित की है, और कुछ हद तक धनराशि राज्यों द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां

*772. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल जोन ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जोनों से चलाई जाने वाली प्रस्तावित गाड़ियों की क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिण-पूर्व रेल जोन के विभिन्न मार्गों पर कितनी ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विशेष गाड़ियों का मार्ग	फेरे	अवधि	प्रत्येक विशेष गाड़ी में सवारी डिब्बों की कुल संख्या	प्रति गाड़ी अनुमानित वहन क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बम्बई वी०टी०-वाराणसी	सप्ताह में दो बार	6-4-85 से 13-6-85	16	1100
बम्बई वी०टी०-लखनऊ	सप्ताह में दो बार	14-4-85 से 11-6-85	16	1150
बम्बई वी० टी०-पुणे	दैनिक	21-4-85 से 12-6-85	11	800
बम्बई सेंट्रल-अहमदाबाद	दैनिक	13-4-85 से 30-6-85	15	1000
बम्बई-गांधी धाम	सप्ताह में तीन बार	16-4-85 से 30-6-85	15	1000
बम्बई-हापा	सप्ताह में चार बार	14-4-85 से 30-6-85	15	1000
महू-अजमेर	साप्ताहिक	25-4-85 से 28-6-85	13	600
हवड़ा-दिल्ली	सप्ताह में दो बार	1-5-85 से 28-6-85	15	950
हवड़ा-देहरादून	साप्ताहिक	2-5-85 से 29-6-85	15	950
बम्बई-तिरुवनन्तपुरम/कोच्चिन	साप्ताहिक	13-4-85 से 11-6-85	16	1100
बम्बई-जम्मू तवी	साप्ताहिक	16-4-85 से 26-6-85	15	1000

1	2	3	4	5
बम्बई-निजामुद्दीन	साप्ताहिक	19-4-85 से 29-6-85	15	1000
मद्रास-तिरुवनन्तपुरम	साप्ताहिक	21-4-85 से 9-6-85	14	925
तिरुवनन्तपुरम-बेंगलूर	साप्ताहिक	22-4-85 से 10-6-85	14	925
बेंगलूर-तिरुवनन्तपुरम	साप्ताहिक	23-4-85 से 11-8-85	14	925
तिरुवनन्तपुरम-मद्रास	साप्ताहिक	24-4-85 से 12-6-85	14	925
मद्रास-शेरूवण्णूर	साप्ताहिक	26-4-85 से 14-6-85	14	925
शेरूवण्णूर-मद्रास	साप्ताहिक	27-4-85 से 15-6-85	14	925
हैदराबाद-मद्रास	सप्ताह में तीन बार	23-3-85 से 28-4-85	14	700
लुधियाना-गोरखपुर	सप्ताह में दो बार	14-4-85	15	800
लुधियाना-वाराणसी	सप्ताह में दो बार	10-4-85	11	700
दक्षिण पूर्व रेलवे				
हवड़ा-पुरी	साप्ताहिक	11-5-85 से 16-6-85	16	1100
दुर्ग-वाराणसी	सप्ताह में दो बार	8-5-85 से 10-6-85	10	725

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कम्प्यूटरीकृत सेवाएं आरम्भ करना

*776. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अपने कुछ विभागों में छोटे पैमाने पर कम्प्यूटरीकृत सेवाएं आरम्भ करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कम्प्यूटराइजेशन के प्रश्न पर इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के नेशनल इन्फारमेटिक सेंटर से परामर्श लेते हुए विचार किया जा रहा है। नेशनल इन-फारमेटिक सेंटर से अनुरोध किया गया है कि वे इसकी व्यावहारिकता सम्बन्धी रिपोर्ट दें जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, समुचित टेक्नालाजी और वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगेगा। इस विषय पर अन्तिम निर्णय उस प्रस्ताव के विभिन्न आशयों की जांच करने के बाद ही लिया जाएगा। कम्प्यूटर लगाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रशासन में कुशलता बढ़ाना है।

डेंगु बुखार के उपचार हेतु अनुसंधान

*778. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से डेंगु बुखार से बचने के लिए टीके का विकास करने और 'वायरल हैपाटाइटिस' पर अनुसंधान कार्य को प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग के बारे में दक्षिण एशिया क्षेत्र के लोगों में चिन्ता बढ़ रही है;

(ग) क्या भारत में इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस रोग से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) सरकार ने इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या क़दम उठाए हैं जो देश के बहुत से भागों में मार्च/अप्रैल, 1985 के दौरान फैला ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) डेंगु के लिए वैक्सीन तैयार करने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वाय-रल हैपाटाइटिस पर अनुसंधान शुरू किया गया था। विभिन्न राज्यों में 9 राष्ट्रीय निगरानी केन्द्र छांटे गये हैं और उन्हें सशक्त बनाया गया है।

(ख) डेंगू बुखार दक्षिण पूर्व एशिया, ख़ासकर बर्मा, इण्डनेशिया और थाइलैंड में जन

स्वास्थ्य संबंधी समस्या बना हुआ है। सारे दक्षिण पूर्व एशिया में वायरल हेपाटाइटिस छुट-पुट, स्थानीय और महामारी के रूप में फैलता है।

(ग) भारत में डेंगु बुखार की घटनाओं में 1983 से कमी होती देखने में आई है। पिछले तीन वर्षों में राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से यह देखने में नहीं आता है कि कतिपय स्थानों को छोड़कर पीलिया के रोगियों में ज्यादा वृद्धि हुई हो।

(घ) जहां 1984 में डेंगु बुखार से किसी की मृत्यु की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है वहां पीलिया से 1984 में 1925 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बतलाई गई है।

(ङ) सेंटीनल सेंटरों से नियमित रूप में सूचना एकत्र करके राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान महामारी वैज्ञानिक संनिरीक्षण का कार्य करता आ रहा है। विभिन्न राज्यों में 9 राष्ट्रीय संनिरीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं।

जम्मू और काश्मीर में यूरी पन-बिजली परियोजना

*780. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरी पन-बिजली परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है और इस परियोजना के कब पूरा होने की आशा है; और

(ख) उक्त परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अभी तक यूरी परियोजना के लिए निवेश संबंधी निर्णय हो जाने के बाद ही सुनिश्चित हो सकेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

संक्रामक रोगों का उन्मूलन

*781. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में किन-किन संक्रामक रोगों का उन्मूलन कर दिया गया है;

(ख) वे संक्रामक रोग कौन-कौन से हैं जिनका उन्मूलन अभी किया जाना है; और

(ग) हर रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन न कर सकने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक ही रोग ऐसा है जिसका अब तक उन्मूलन हुआ है और वह है चेचक। यह कार्य 1977 में किया गया था।

(ख) और (ग). जिन प्रमुख संक्रामक रोगों का अभी उन्मूलन किया जाना है वे हैं--क्षय रोग, कुष्ठ रोग, अतिसार वाले रोग, अलर्क (रेबीज), यौन प्रसारित रोग, गिनी-कृमि रोग और आथ्रोपैड जनित रोग जैसे जापानी इन्सेफलाइटिस और डेंगू। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम, गिनी-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम और

यौन प्रसारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए इन रोगों के नियंत्रण तथा इनके फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इन क्षेत्रों में जहां अन्तिम लक्ष्य रोगों का उन्मूलन करना है, वहां एक निश्चित समय में कार्यक्रम का स्तर अनेक अन्य बातों पर निर्भर करता है जिनमें संसाधनों का उपलब्ध होना भी शामिल है।

[अनुवाद]

कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेलवे का विस्तार और विकास

*784. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री पी० पेंचालैया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेल लाइनों के विस्तार और विकास के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं;

(ख) इनमें से कौन-कौन से प्रस्तावों को वर्ष 1985-86 के दौरान कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक राज्य में छोटी लाइन, मीटर गेज और बड़ी लाइनों की कुल लम्बाई क्या है; और

(घ) कर्नाटक में छोटी लाइन को बदलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). इन राज्यों में रेलों के विस्तार और विकास के लिए नई लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन की कई परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित हैं और उन पर काम चल रहा है। इसका ब्यौरा 1985-86 के रेलवे बजट में "दक्षिण रेलवे" और "दक्षिण मध्य रेलवे" के अन्तर्गत दिया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्यों में रेल मार्ग किलोमीटर नीचे दिए गए हैं :-

	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	तमिलनाडु
बड़ी लाइन	3273	656	1006
मीटर लाइन	1610	2220	2887
छोटी लाइन	37	148	कुछ नहीं
जोड़	4920	3024	3893

(घ) फिलहाल, कर्नाटक में छोटी लाइन के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डी० टी० सी० बसों और भारी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

*786. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

डा० सी० एम० वर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क दुर्घटनाओं की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन

निगम की बसों के संचालन में इलैक्ट्रानिक उपकरण लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के अन्तर्गत चलने वाले सभी भारी वाहनों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए कोई नियम बनाने का है जैसाकि पहले तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों ने किया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) लगाये जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने वर्ष 1983 में प्रायोगिक उपाय के रूप में नगर के रूटों पर चल रही बसों पर इलेक्ट्रानिक गति नियंत्रक लगाया था । ये गति नियंत्रक जल्द ही बन्द हो गए ।

(ख) और (ग). जी नहीं । अभी गति नियंत्रक सहित किसी भी इलेक्ट्रानिक उपकरण से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने या उसे एकदम समाप्त करने की कुशलता के बारे में निर्णायक प्रमाण नहीं है ।

(घ) गति नियंत्रक के अलावा दुर्घटनाओं को समाप्त करने या कम करने के खास प्रयोजन के लिए जिस दूसरे इलेक्ट्रानिक उपकरण पर विचार किया जा रहा है वह स्वचालित डिपर है । इसमें रात्रि काल में विपरीत दिशा से आते हुए वाहन के तेज प्रकाश से ड्राइवरों के चौंधिया जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने का दावा किया गया है । तथापि इस उपकरण की सार्थकता अभी सिद्ध नहीं हुई है ।

केरल में परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के सुझाव

*788. **श्री के० मोहनदास** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने केरल में परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) से (ग). राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) की सिफारिशें आमतौर पर पूरे देश के परिवहन के विकास से सम्बन्धित हैं, इसलिए रिपोर्ट में राज्यवार स्थिति पर चर्चा नहीं की गई है । तथापि इनमें से कुछ सिफारिशों की स्थिति जहां सम्बन्धित पैरा ग्राफों में केरल राज्य के स्थानों और क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, नीचे दी गई हैं :—

सिफारिश	कार्रवाई
1. कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग	सम्बन्धित पैराग्राफ सं० 15.5.10 में समिति ने कुछ

घोषित किया जाए (अध्याय 15 में सिफारिश संख्या 5)

जलमार्गों जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सकता है, उसका सुझाव दिया है। परिश्चमी तट नहर (क्वीलन-कोचीन खण्ड) उनमें से एक है। इसे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर गठित कार्यदल की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिशों में शामिल किया गया है। सातवीं योजना तैयार की जा रही है।

2. पत्तनों पर उचित कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए (अध्याय 16 के तहत सिफारिश सं० 7)

सम्बन्धित पैराग्राफ से 16.14.6 में रिपोर्ट ने कोचीन सहित कुछ पत्तनों पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया है। कोचीन के लिए 604.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक स्कीम की मंजूरी दी गई है। यू० के० से आयातित दो फोर्कलिफ्ट ट्रक चालू हो गए हैं और कोचीन पोर्ट में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं लगाने के लिए दो यार्ड जेन्ट्री क्रेन स्थापित किए जा रहे हैं।

3. कुछ महापत्तनों पर अपर्याप्त रेल और सड़क परिवहन सम्पर्कों ने ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इन पत्तनों के लिए पर्याप्त बड़ी रेल लाइन और सड़क सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए (अध्याय 16 की सिफारिश सं० 11)

सम्बन्धित पैराग्राम 16.10.4 में समिति ने सड़क सुविधाओं की अपर्याप्तता के उदाहरण स्वरूप कोचीन में संकीर्ण सड़क पुलों का उल्लेख किया था। इस बारे में एक स्कीम की मंजूरी दी गई है और इस पर काम चल रहा है। सम्पर्क सड़क के कार्य क्षेत्र के थेवरा की ओर सुधार दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पुल के निर्माण के लिए कार्य आर्डर दे दिया गया है और इस पर 28-2-1985 को काम शुरू हो गया है। उसी प्रकार संपर्क सड़क के लिए विलिंगडन द्वीप की ओर परीक्षण बांध के लिए निकर्षण द्वारा भरने का कार्य आर्डर दे दिया गया है।

4. मौजूदा परिस्थितियों के अलावा सफर में कम समय लगने और दूरी काफी कम करने के लिए राज्य सड़कों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। 37 मिसिंग लिंकों और सीधे सम्पर्कों, जो 13000 कि० मी० हैं, को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में संभवतः शामिल करने के लिए पता लगाया गया है। (अध्याय 10 की सिफारिश सं० 5)

सम्बन्धित पैराग्राफ 10.3 में अनुबंध 10.3 में इस सिफारिश के संदर्भ में समिति की रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में कोचीन—मदुरै सड़क (280 कि० मी०) को शामिल किया गया है। धन की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए इस सड़क को (अनेक दूसरी सड़कों जिसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं है।

बम्बई और गोआ के बीच यात्री स्टीमर सेवाओं पर मुगल लाइन लिमिटेड को हुई हानि

*789. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई से गोवा तक यात्री स्टीमर सेवा का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान ऐसी सेवाएं संचालित करने पर कितनी हानि हुई; और

(ग) इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है और उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) मुगल लाइन को इन वर्षों में कोंकण यात्री सेवा पर हुई हानि का विवरण नीचे दिया गया है :—

1983-84	100.33 लाख रु०
1984-85 (अनुमानित)	135.37 लाख रु०

(ग) इस सेवा के ब्रेक इवन किराया लागू किए जाने तक हानि होती रहेगी, जिसे इस क्षेत्र के व्यक्तियों की कम आय होने के कारण लागू करना कठिन है। इस समय मुगल लाइन लिमिटेड को इस सेवा पर हो रही हानि की 80% राशि का भुगतान केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र तथा गोवा की सरकारों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण

5779. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा भारत तथा विदेशों में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना में संलग्न भारतीय जनबल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो निगम के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों और इन समुदायों से सम्बन्धित कितने श्रमिकों को विदेशों को भेजा गया ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रत्येक परियोजना में किए गए कार्य का स्वरूप	भारतीय जनशक्ति का ब्यौरा		
			नियमित	श्रमिक	जोड़
पूर्वी क्षेत्र					
पूर्वी क्षेत्र-1					
1.	दनकुनी हाउसिंग कम्पलेक्स, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में दनकुनी कोयला कम्पलेक्स के लिए टाउनशिप	25	28	53
2.	मैट्रो ट्यूब रेलवे उत्तरी क्षेत्र	कलकत्ता में मैट्रो ट्यूब रेलवे परियोजना के खंड-पांच के सिविल कार्य			
3.	मैट्रो ट्यूब रेलवे उत्तरी क्षेत्र	रोड़ी रहित ट्रेक सहित 13-क, 13-ख खंडों का सिविल कार्य, रोड़ी रहित ट्रेक सहित खण्ड 13-ग, रोड़ी रहित ट्रेक सहित खण्ड-14-क और 14-ख। कलकत्ता में मैट्रो ट्यूब रेलवे परियोजना का तीसरा रेल खण्ड 12 और 13-क के सिविल कार्य	68	166	234
4.	लोकतक जल विद्युत परियोजना के ढलान के बचाव कार्य	लोकतक जल विद्युत परियोजना के ढलान बचाव कार्य	22	111	133
5.	सीगड़ बांध परियोजना	सींगड़ा में कंक्रीट उमड़मार्ग तथा अन्तरवाह संरचना सहित मिट्टी बांध का निर्माण	19	341	360
6.	महारानी बराज परियोजना	त्रिपुरा में उडापुर में महारानी के समीप गुमती नदी पर बराज का निर्माण	29	45	74

1	2	3	4	5	6
7.	खोवाई बराज परियोजना	त्रिपुरा में खोवाई में बराज के सिविल निर्माण कार्य ।	4	9	13
	पूर्वी क्षेत्र-2				
8.	दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र	बिजली घर के भवनों के सिविल कार्यों का निर्माण, दा० घा० नि० के विद्युत केन्द्र के लिए संयंत्र, पम्प का डिमिनरलाइजेशन ।	21	169	190
9.	बोकारो ताप विद्युत केन्द्र	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-1, 2 और 3 के लिए सिविल इंजीनियरी कार्यों का निर्माण, जैसे नदी अन्तर्वाह, राखबन्ध आदि ।	48	65	113
10.	चन्द्रपुरा हाउसिंग निर्माण कार्य	दामोदर घाटी निगम के लिए हाउसिंग कालोनी के निर्माण कार्य ।	7	11	18
11.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र में दो चिमनियों और अन्य विविध कार्यों का निर्माण ।	36	34	70
12.	भीम बराज	बिहार में स्लूइस बे, गाद छांटने, विभाजन दीवार आदि सहित 17 बराज बे का निर्माण ।	46	82	128
13.	टेल पूल बांध	बिहार में दामोदर नदी पर मिट्टी बांध, बायां उमड़मार्ग तथा निस्सरण चैनल आदि का निर्माण ।	4	3	7
	फरक्का प्रभाग				
14.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए शीतलन जल प्रणाली भाग-1, फोरबे संरचना के सिविल कार्य, अन्तर्वाह पम्प हाउस, अन्तर्वाह और निस्सरण डक्ट का निर्माण ।			
15.	राख हैंडलिंग तथा राख बन्ध सुपर ताप विद्युत परियोजना	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए राख हैंडलिंग और राख बन्ध के सिविल कार्य ।	97	110	207
16.	खजूरियाघाट हाउसिंग काम्पलैक्स	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए हाउसिंग कालोनी और मनोरंजन सुविधाएं ।			

1	2	3	4	5	6
	उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्र				
17.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की संचारी जल प्रणाली के सिविल इंजीनियरी कार्यों का निर्माण, जैसे निस्सरण डक्ट, अन्तर्वाह डक्ट, आनुषंगिक टैंक, पम्प घर आदि।	29	127	156
18.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2				
19.	अनपारा ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	अनपारा ताप विद्युत परियोजना के लिए संचारी जल प्रणाली के लिए पहुंचमार्ग चैनल का निर्माण।	17	25	42
	सी० सी० एल० प्रभाग				
20.	जयन्त बेस वर्कशाप	परियोजना में हैवी इंजीनियरी मशीनरी उपस्कर के लिए जयन्त में बेस वर्कशाप कम्पलेक्स का निर्माण किया जाना है।	33	30	64
21.	जयन्त सी० एच० पी०	जयन्त में जयन्त कोयला हैंडलिंग संयंत्र के सिविल और संरचनात्मक कार्यों का निर्माण।			
22.	समेकित जल जल सप्लाई स्कीम परियोजना	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों को औद्योगिक तथा घरेलू जल सप्लाई के लिए समेकित जल सप्लाई स्कीम का निर्माण।	30	30	60
23.	केन्द्रीय वर्कशाप सिंगरौली	उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड के लिए केन्द्रीय वर्कशाप हेतु सिविल तथा संरचनात्मक कार्यों का निर्माण।	5	—	5
	रिहन्द प्रभाग				
24.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना	रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए मुख्य सिविल कार्यों का निर्माण, जैसे टर्बाइन हाउस, बायलर हाउस, कोयला मिल, चिमनी शीतलन जल, पुलिया आदि।	76	89	165
25.	रिहन्द पुल	रिहन्द जलाशय पर सड़क पुल के लिए उपसंरचना तथा सुपरसंरचना का निर्माण।	5	14	19

1	2	3	4	5	6
	दक्षिणी परियोजना				
26.	विजाग इस्पात संयंत्र यूनिट				
	(1) कोयला भट्टी संयंत्र	बैटरियों, चिमनियों, बंकरों गैलरियों, ड्राई क्वेंचिंग यूनिटों आदि जैसे सिविल इंजीनियरों कार्यों का निर्माण।			
	(2) सह उत्पाद यूनिट	अमोनिया सल्फेट अनुभाग एन-थ्रेसिन अनुभाग फैनोलिक अनुभाग आदि जैसे सिविल कार्यों का निर्माण।	162	401	563
	(3) सिंटर संयंत्र	चिमनियों, गैलरियों, सिंटर भवन, सामग्री मिश्रण और वितरण संयंत्र आदि जैसे सिविल कार्यों का निर्माण।			
	(4) संरचनात्मक इस्पात संयंत्र	कोयला भट्टी तथा सह उत्पाद संयंत्र में संरचनात्मक इस्पात कार्यों की गढाई और ढलाई।			
	(5) जग्गमपेटा-क्वारी परियोजना	प्रशासनिक भवन, एब्लूशन ब्लाक साइकिल शैड, कार पार्क, कैन्टीन आदि जैसे सिविल कार्य।	11	14	25
	(6) माधराम माइन परियोजना	प्रशासनिक भवन, एब्लूशन ब्लाक, साइकिल शैड, कार पार्क, कैन्टीन आदि जैसे सिविल कार्य।	8	2	10
	रामागुंडम प्रभाग				
27.	रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना	आंध्र प्रदेश में रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 के लिए स्थल को समतल करना और श्रेणीकरण करना तथा नींव पैकेज जैसे कि बायलर नींव, टर्बो जेनरेटर।	22	46	68
28.	गोदावरी बराज तथा पुल	आंध्र प्रदेश में दोलाइश्वरम में प्रवलित कंक्रीट सड़क पुल के निर्माण सहित गोदावरी नदी पर बराज के सिविल कार्यों का निर्माण।	22	88	110
	उत्तरी क्षेत्र				
29.	टिहरी जल विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध के समीप भागीरथी नदी के समीप भूमिगत	39	225	264

1	2	3	4	5	6
		बिजलीघर के लिए चार पहुंच मार्गों का निर्माण ।			
30.	मानेरीभाली जल विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश में भागीरथी नदी पर मानेरीभाली जल विद्युत परियोजना के लिए हैड रेस सुरंग, सर्च शाफ्ट विस्तार चैम्बर का निर्माण जल कपाटों की खुदाई आदि ।	44	346	390
31.	सलाल बिजलीघर	जम्मू और कश्मीर में सलाल बिजली घर के चरण-एक के लिए ई० एल० 380/383 से ई० एल० 428 तक उप संरचना का निर्माण तथा चरण-दो के लिए आर० एल० 408.5 तक खुदाई और कंक्रीट कार्य तथा सर्विस बे को घेरने के लिए सुरक्षा ब्लाकों और प्रवलित सीमेंट कंक्रीट ब्लाकों में जलकपाट लाइनरों (3) की गढ़ाई और उत्थापन ।	54	394	449
32.	कंगन जल विद्युत परियोजना	जम्मू और कश्मीर में कंगन में अपर सिंध जल विद्युत परियोजना के लिए बिजली घर काम्पलेक्स नामशः फोरबे, जल कपाट, बिजली घर संरचना, टेल रेस पूल, तथा आर० डी० 640 एम० से 3060 एम० तक सबमल लिंक पर चैनल तथा सुरंग का निर्माण ।	28	25	53
33.	राजघाट परियोजना	राजघाट परियोजना की बकिटस, रिटेमिंग वाल और डिवाईड बाल सहित ओवर फ्लो न होने वाले भाग के 1 से 28 तक ब्लाकों का निर्माण ।	28	36	64
34.	बाण सागर बांध	की वाल सहित बाणसागर चिनाई बांध के ब्लाक 27 से 31 तक के ओवर फ्लो वाले दाएं भाग का निर्माण ।	14	23	37

1	2	3	4	5	6
35.	बांसवाड़ा बिजलीघर	राजस्थान में बांसवाड़ा में माही जल विद्युत परियोजना के बिजली घर नं० 1 में सिविल कार्यों का निर्माण ।	12	28	40
36.	टोटलाडोह परियोजना	चिनाई बांध (23 ब्लाक) और मुख्य तथा गौण स्टिलिंग बेसिनों तथा गाइडवाल का निर्माण ।	65	424	489
37.	पी० टी० आई० काम्पलेक्स नागपुर	नागपुर में विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान के लिए संस्थान के भवन, फ्लेटों और वर्कशाप काम्पलैक्स का निर्माण ।	11	11	22
38.	मी० ई० सी० एल० काम्पलैक्स नागपुर	नागपुर में खनिज अनुसंधान निगम लि० के लिए 42 अधिकारियों के क्वार्टर, 90 कार्मिकों के क्वार्टर तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण ।			
39.	चपोरा पुल	गोवा में एन० एच०-17 पर कोलवेल में चपोरा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ।	14	29	43
	विदेशी परियोजनाएं				
40.	चुखा जल विद्युत परियोजना	भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना के लिए हेड रेस सुरंग, व्यपवर्तन सुरंग (केवल कंक्रीट लाइनिंग) तथा सर्ज शाफ्ट का निर्माण ।	65	416	481
41.	अल-इडावीयाह परियोजना	इराक में मजार अल कबीर पर सिंचाई नहर तथा सिंचाई प्रणाली, नहर का लाइनिंग संबंधी कार्य तथा सम्बद्ध संरचना समेत निर्माण कार्य ।	38	253	291
	नई परियोजनाएं				
42.	कोरबा (बालको) कैप्टिव विद्युत संयंत्र	मध्य प्रदेश, कोरबा में भारत अल्युमीनियम कम्पनी लि० के 4 × 67.5 मेगावाट के कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए वातानुकूल प्रणालियां	35	14	49

1	2	3	4	5	6
		समेत सभी सिविल कार्य, संरचनात्मक गढ़ाई कार्य तथा उत्थापन और सप्लाई करना तथा गर्म करने के लिए उपस्कर के उत्थापन संबंधी कार्य ।			
43.	कोरबा शीतलन टावर	मध्य प्रदेश में कोरबा में कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए 2 शीतलन टावरों का निर्माण ।	3	—	3
44.	नौसंचालन लौक परियोजना	जम्मू व कश्मीर में सौपोर में नौका चालन बांध परियोजना के लिए एक नौसंचालन बांध संरचना, दो अण्डर स्लुइस बेज तथा 6 उमड़-मार्ग बेज का निर्माण ।	14	6	20
45.	चमेरा जल विद्युत परियोजना	हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना के लिए 550 मीटर लम्बी तथा 10.7 मीटर व्यास की घोड़े की नाल के आकार जैसे व्यपवर्तन सुरंग तथा इसके प्रवेशिका तथा निकासी द्वार और प्रवेश मार्ग का निर्माण ।	14	1	15
46.	भारतीय खाद्य निगम के गोदाम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के 37 केन्द्रों के लिए गोदामों का निर्माण ।	49	28	77
47.	कोसी बराज की सुरक्षा के कार्य	बिहार में कोसी बराज के सुरक्षा संबंधी कार्य ।	3	4	7
48.	अन्य—		4	—	4
	गंगा बराज क्षेत्रीय भंडारों और मरम्मत सम्बन्धी कार्यशाला, फरीदाबाद		7	8	15

1	2	3	4	5	6
	बसार पुल		3	14	17
	भारी उपस्कर मरम्मत कार्यशाला बैरास्यूल		2	1	3
			11	34	15
49.	पूरे किए गए कार्य (जलढाका, सुबर्नरेखा, व्हील एवं एक्सल संयंत्र)		11	50	61

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदोन्नति

5780. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने वर्ष 1984-85 के दौरान उसके किसी भी जोन में (रेल बोर्ड के कार्यालय सहित) किसी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बिना पारी के पदोन्नति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न जोनों के रेल प्रबन्धकों के पास इस संबंध में पदोन्नति के लिए कुछ मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, जोनवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय किस तारीख तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणियों के लिए कोई प्रतिशत कोटा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण-एक संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) विवरण-दो संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण—I

1984-85 के दौरान रेलों पर स्वीकृत की गयीं बिना पारी की पदोन्नतियों की क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	संख्या
मध्य	1
पूर्व	14

रेलवे	संख्या
उत्तर	11
पूर्वोत्तर	4
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	14
दक्षिण मध्य	6
दक्षिण पूर्व	1
पश्चिम	7
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	कोई नहीं
डीजल रेल इंजन कारखाना	1
सवारी डिब्बा कारखाना	6
रेलवे बोर्ड	कोई नहीं
जोड़	65

विवरण—II

इस समय रेलों के विभिन्न प्राधिकारियों के पास खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिना पारी पदोन्नतियों के कुल 22 मामले बकाया पड़े हैं। क्षेत्र-वार आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

रेलवे	संख्या
मध्य	4
पूर्व	कोई नहीं
उत्तर	6
पूर्वोत्तर	2
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	कोई नहीं
दक्षिण मध्य	1
दक्षिण पूर्व	6
पश्चिम	2
डीजल रेल इंजन कारखाना	1
जोड़	22

चूंकि ये मामले प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं, अतः इन मामलों को अन्तिम रूप से निपटारे के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है।

1984 के दौरान रद्द की गई रेलगाड़ियां

5781. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक जोन में खासतौर पर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गईं;

(ख) उन रेलगाड़ियों को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन रेलगाड़ियों को रद्द किये जाने के कारण लोगों ने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सर्वाधिक परेशानी उठाई और इससे उनके दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार रेलगाड़ियां रद्द किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सड़कों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव

5782. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार से कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) कलकत्ता चितरंजन मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) माननीय सदस्य शायद कलकत्ता-दुर्गापुर मार्ग का हवाला दे रहे हैं। इस मार्ग के कलकत्ता-पालसित खंड, जो एक नया मार्ग है, को सितम्बर, 1975 में पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है और इसे विकसित करने का प्रस्ताव विधाराधीन है।

प्रादेशिक भाषाओं के संवर्द्धन के लिए खर्च की गयी धनराशि

5783. **श्री एन० डेनिस** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रादेशिक भाषाओं के संवर्धन के लिए, प्रमुख लेखकों को दिए गए पुरस्कारों सहित कितनी धनराशि भाषावार खर्च की गई; और

(ख) खर्च की गयी धनराशि में अहिन्दी भाषी राज्यों का हिस्सा कितना कितना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान निष्पादित आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति सम्बन्धी योजनाओं पर होने वाला व्यय 852.30 लाख रु० (520.12 लाख रु० योजनेत्तर तथा 332.18 लाख रु० योजनागत) होने की सम्भावना है । जहां तक विख्यात लेखकों को पुरस्कार देने का सम्बन्ध है, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत साहित्य अकादमी नामक संगठन अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किन्ही 22 भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक महत्व की बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। छठी पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान इन वार्षिक पुरस्कारों में खर्च की गयी राशि 7.40 लाख रु० है ।

(ख) जबकि अधिकांश योजनाएं शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है जिनमें अखिल भारतीय स्तर के लेखकों को शामिल किया जाता है तथा इनमें से कुछ योजनाएं उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यान्वित की जा रही है । गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से विशेष रूप सम्बन्धित योजनाओं पर होने वाला पूर्वानुमानित व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से विशेष रूप से सम्बन्धित योजनाओं पर छठी योजना अवधि के दौरान किया गया व्यय

योजना का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
आधुनिक भारतीय भाषाएं	
(i) विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने की योजना ।	97.76
(ii) हिन्दी के अलावा भारतीय भाषाओं की प्रौन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ।	14.96
(iii) सुलेखन केन्द्र (उर्दू)	19.64
(iv) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर मूल कृतियों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ।	1.50
कुल :	133.86

[हिन्दी]

जोधपुर में बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी के छूटने के समय में परिवर्तन का प्रस्ताव

5784. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जोधपुर सुपरफास्ट गाड़ी सुबह 5.55 पर जोधपुर पहुंचती है और बाड़मेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस सवेरे 6.05 पर जोधपुर से चलती है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रबन्ध करने का विचार है कि बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी जोधपुर से सवेरे 6.15 पर चले जिससे कि दिल्ली से जोधपुर जाने वाले यात्री जोधपुर में इस सेवा का लाभ उठा सकें ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दिल्ली-जोधपुर सुपरफास्ट गाड़ी सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर जोधपुर पहुंचती है और बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 15 मिनट के अन्तराल के बाद जोधपुर से सुबह 6 बजकर 05 मिनट पर छूटती है।

(ख) बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का जोधपुर से छूटने का समय बदलकर सुबह 6 बजकर 15 मिनट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल गाड़ियों में शीतल पेय "रसिका" आरम्भ करना

5785. **श्री राम समुझावन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों से चलने वाली गाड़ियों और भोजन यानों में सरकारी क्षेत्र का उत्पाद, शीतल पेय "रसिका" आरम्भ करने का है;

(ख) क्या गाड़ियों में शीतल पेय की मांग रही है; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों में शीतल पेय तत्काल आरम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नई दिल्ली तथा दिल्ली रेलवे स्टेशनों से प्रारम्भ होने वाली गाड़ियों में लगी विभागीय तौर पर प्रचलित भोजन यान/पैन्ट्री कारों में 17-12-1982 से ही "रसिका" ब्रांड पेय की बिक्री की जा रही है।

(ख) और (ग). शीतल पेयों की मांग, विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान, बहुत हद तक स्थैतिक खान पान/बेडिंग यूनिटों एवं विभिन्न गाड़ियों में पैन्ट्री कारों से पूरी की जा रही है।

खामगांव-जालना और शिखेडराजा को जोड़ने वाली रेल लाइन

5786. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खामगांव-जालना और शिखेडराजा के बीच एक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस रेल लाइन के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) इस लाइन के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि के आबंटन हेतु दिशा निर्देश/मानदंड

5787. **श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय सड़क निधि से विभिन्न राज्यों को धनराशि आबंटित करने के दिशानिर्देश/मानदंड क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुए भिन्न-भिन्न राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से धन का आबंटन किया जा रहा है :—

(i) स्कीम/स्कीमों की अनुमोदित लागत,

(ii) पहले से दिया गया धन,

(iii) चालू स्कीम/स्कीमों का शेष अंश,

(iv) राज्य सरकार की व्यय क्षमता, और

(v) इन कार्य के लिए किया गया कुल बजट प्रावधान ।

ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर अधिकतम बल देने के लिए उड़ीसा का प्रस्ताव

5788. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण लोगों, और विशेष रूप से निर्धन व्यक्यिों पर स्वास्थ्य पर अधिकतम जोर देने हेतु कोई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय अथवा प्रौद्योगिकीय सहायता के बारे में क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मदुरै जिले में बिलांगुडी में फातिमा कालेज प्राधिकारियों से भूमि का अर्जन

5789. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में अधिकारियों का करुर-डिंडिगुल-तूतीकोरिन लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना के अन्तर्गत कुडाल नगर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित नए स्थान से प्रस्तावित उपरि सड़क पुल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण करने के लिए मुदुरै जिले के बिलांगडी में फातिमा कालेज के प्राधिकारियों से कालेज प्राधिकारियों और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद अधिक मुआवजा देकर भूमि अर्जित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फातिमा महिला कालेज से भूमि का अर्जन

करने के प्रस्ताव को रद्द करके सम्पर्क सड़क का निर्माण और कम-से-कम खर्चे पर अधिक से अधिक लाभ और सुविधाओं के आधार पर सम्पर्क सड़क का निर्माण और अन्य सुविधाएं प्रदान करके लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के निदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) स्टेशन तक पहुंच मार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है ।

(ख) अधिकतम लाभ और न्यूनतम खर्च पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में पहले से अनुदेश मौजूद हैं । ऐसा संभव नहीं है कि फातिमा लेडीज कालेज की भूमि का बिल्कुल भी अधिग्रहण न किया जाये । तथापि भूमि अधिग्रहण की सीमा को जहां तक संभव था बिल्कुल न्यूनतम कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की

5790. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने जिनकी स्थापना 1978 में की गई थी अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरा करने के बाद भी अनुसंधान गतिविधियों में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अभिनिर्धारित प्राथमिकता के क्षेत्रों में लाभप्रद अनुसंधान कार्य कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाल भवन सोसायटी

5791. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा के लिए देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में बाल भवन सोसायटी की शाखाएं खोलने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). देश के सभी भागों में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा विकसित करने के लिये संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है । सरकार ऐसी संस्थाएं स्थापित तथा संचालित करने के लिए स्वैच्छिक ऐजेन्सियों को प्रोत्साहित करती है । बाल भवन सोसायटी (भारत) प्रशिक्षण सुविधाएं तथा आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध करके स्वैच्छिक एजेन्सियों के ऐसे प्रयासों में सहायता करेगी ।

पश्चिमी कोसी नदी योजना

5792. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1983 के शुरू में भूतही बालान के पूर्वी क्षेत्र में, जून 1986 तक कमला नदी के पश्चिम क्षेत्रों और जून, 1986 के शुरू में, और धान्नस बागमती के क्षेत्रों में जून, 1987 के शुरू में सिंचाई शुरू हो जाएगी और इस प्रकार पश्चिम कोसी नदी परियोजना का पूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा और पूरे क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं; पश्चिमी कोसी नहर के पूरा किए जाने के पूर्व-परिकल्पित कार्यक्रम से इसके पिछड़ने के कारणों में भूमि-अधिग्रहण की समस्याएं तथा वित्तीय कठिनाइयां शामिल हैं ।

(ख) कोसी नियंत्रण बोर्ड को अभी संशोधित लक्ष्य नियत करने हैं ।

आयुर्वेदिक/यूनानी एककों को एलोपैथिक की भांति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भिन्न-भिन्न जोनों में बांटना

5793. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय प्रशासकीय नियंत्रण की दृष्टि से इस समय भिन्न-भिन्न जोनों के अन्तर्गत है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यूनानी/आयुर्वेदिक औषधालयों/एककों को प्रशासकीय नियंत्रण के लिए भिन्न-भिन्न जोनों के अन्तर्गत नहीं रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों/एककों को प्रशासकीय नियंत्रण की दृष्टि से निकट भविष्य के भिन्न-भिन्न जोनों में रखने का है, और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ). एलोपैथिक पद्धति के औषधालय/यूनिट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के विभिन्न जोनों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं । ब्यौरेवार विवरण संलग्न है ।

प्रशासनिक सुविधा के कारण एक यूनानी औषधालय और दो यूनानी यूनिट केन्द्रीय जोन के औषधालय तथा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धति के अधीन कार्य कर रहे हैं और इस समय उन्हें विभिन्न जोनों के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

विभिन्न जोनों के अन्तर्गत आने वाले सी० जी० एच० एस० औषधालयों/यूनिटों की सूची

एलोपैथिक औषधालय

क्र० सं०	केन्द्रीय जोन	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय सचिवालय	रजौरी गार्डन	एन्ड्रूज गंज

1	2	3	4
2.	चाणक्यपुरी	शकूर बस्ती	हौजखास
3.	कन्स्टीट्यूशन हाऊस	राजपुर रोड	जंगपुरा
4.	निर्माण भवन	देवनगर	कालकाजी-1
5.	गुड़गांव	पटेल नगर-1	कालकाजी-2
6.	फरीदाबाद	पटेल नगर-2	कस्तूरबा नगर-1
7.	गाजियाबाद	इन्द्रपुरी	कस्तूरबा नगर-2
8.	नार्थ एवेन्यू	नरैना	किदवाई नगर
9.	पंडारा रोड	हरिनगर	लक्ष्मीबाई नगर
10.	पार्लियामेंट हाऊस	नांगल राय	नौरोजी नगर
11.	पार्लियामेंट हाऊस अनैक्सी	दिल्ली कैंट	मोती बाग-1
12.	राष्ट्रपति एस्टेट	पालम कालोनी	एम० बी० रोड
13.	साऊथ एवेन्यू	जनकपुरी-I	मुनिरका
14.	टेलीग्राफ लेन	जनकपुरी-II	नानकपुरा
15.	विट्ठल भाई पटेल हाऊस	तिलक नगर	नेताजी नगर
16.	वेलजली रोड	मोती नगर	आर० के० पुरम-1
17.	गोलमार्कीट-1	त्रिनगर	आर० के० पुरम-2
18.	गोलमार्कीट-2	करोल बाग	आर० के० पुरम-3
		अशोक बिहार	
19.	पहाड़गंज	न्यू राजेन्द्र नगर	आर० के० पुरम-4
20.	चित्रगुप्ता रोड	पुलबंगस	आर० के० पुरम-5
21.	मिन्टो रोड	सब्जी मण्डी	आर० के० पुरम-6
22.	लोधी रोड-1	किंग्जवेकैंप	सरोजिनी नगर-1
23.	लोधी रोड-2	तिमार पुर	सरोजिनी नगर-2
		चांदनी चौक	सरोजिनी नगर मार्कीट
		दरियागंज	श्री निवास पुरी
		शाहदरा	सादिक नगर
		जी० के० जी०	लाजपत नगर
		लक्ष्मीनगर	मालवीय नगर
		मयूर बिहार	
		पूसा रोड	

1	2	3	4
आयुर्वेदिक औषधालय/यूनिट			
1. **औषधालय**	गोल मार्कीट	देव नगर	किदवाई नगर
	नार्थ एवेन्यू		आर० के० पुरम
एकक	गुड़गांव	हरिनगर	जंगपुरा
		दिल्ली कैंट	
		किंग्जवे कैंप	एम० बी० रोड
		लक्ष्मी नगर	
होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट			
1. औषधालय	गोलमार्कीट	देवनगर	आर० के० पुरम
यूनिट			
	साऊथ एवेन्यू	दरियागंज	कस्तूरबा नगर
		रजौरी गार्डन	
		हरि नगर	कालका जी
		तिमार पुर	
		शाहदरा	
यूनानी औषधालय/यूनिट			
1. **औषधालय**	सरोजिनी नगर		
यूनिट			
	दरिया गंज		
	नरैना		

[हिन्दी]

सफेदाबाद में रेल फाटक

5794. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद में नहर की ओर रेल फाटल न होने के कारण वहां प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सफेदाबाद में रेल फाटक बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। नहर प्राधिकारियों के इस्तेमाल के लिए सफेदाबाद नहर के किनारे 1073/11-12 कि० मी० पर बिना चौकीदार वाला एक समपार सं०

180-ए है। जनता के इस्तेमाल के लिए चौकीदार वाले दो समपार अर्थात् 1073/3 कि० मी० पर समपार सं० 180 तथा 1074/2-3 कि० मि० पर समपार सं० 181 हैं।

(ख) और (ग). वर्तमान नियमों के अनुसार किसी नए समपार का प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसकी मूल आवर्ती लागत वहन करने के वचन के साथ प्रायोजित किया जाना अपेक्षित होता है। रेलों को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कलकत्ता बन्दरगाह पर चोरी और उठाईगिरी

5795. **श्री विमल कांति घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह पर वर्ष 1984-85 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में चोरी और उठाईगिरी की समस्या में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस द्वारा पिछले वर्ष बरामद की कई चोरी की सम्पत्ति की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने मूल्य की चोरी की सम्पत्ति बरामद की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान कलकत्ता पत्तन में चोरी और टिकिया चोरी की घटनाओं में काफी कमी आयी है। चोरी की घटनाओं और चोरी गयी बरामद की गई सम्पत्ति के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	मामलों की सं०	चोरी गयी सम्पत्ति का मूल्य	बरामद की गयी सम्पत्ति का मूल्य
1983-84	391	15.7	15.4
1984-65	227	3.2	2.6

[हिन्दी]

मुजफ्फर नगर रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल का निर्माण

5796. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले शहर, मुजफ्फर नगर के यात्रियों को मुजफ्फर नगर रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन को पार करते समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है;

(ख) क्या लोक हित को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार मुजफ्फर नगर रेलवे स्टेशन पर एक पैदल पुल का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) स्टेशन पर यात्रियों के उपयोग के लिए प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले एक ऊपरी पैदल पुल और रेल लाइनें पार करने के लिए जनता के उपयोग हेतु स्टेशन के उत्तरी छोर पर एक ऊपरी सड़क पुल और दक्षिण छोर पर एक समपार की व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग). वर्तमान नियमों के अनुसार, जनता को रेलवे यार्ड के पार जाने के लिए ऊपरी पैदल पुल की यदि किसी नई सुविधाकी आवश्यकता होती है तो उसकी लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन करनी पड़ती है। 1982 में राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर रेलवे ने नयी मंडी को जोड़ते हुए जनता के उपयोग के लिए 5.21 लाख रुपये की लागत से विशेष शर्तों पर एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था। राज्य सरकार ने अभी तक इस योजना का अनुमोदन नहीं किया है और न ही लागत जमा की है।

[अनुवाद]

चेचक के मामले

5797. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चेचक के कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं;

(ख) ऐसे मामलों की कब और कहां से सूचना मिली है; और

(ग) क्या हम यह कहने की स्थिति में हैं कि चेचक का भारत से पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

नागालैंड का विद्युतीकरण

5798. **श्री चिंगवांग कोनयाक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और एम० डब्ल्यू० पी० के अन्तर्गत 1985-86 के लिए नागालैंड को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) मार्च, 1985 के अन्त तक नागालैंड के कुल गांवों में से लगभग 67 प्रतिशत विद्युतीकृत किए जा चुके थे।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नागालैंड के ग्रामीण

विद्युतीकरण के लिए योजना आयोग ने मोटे तौर पर 77 लाख रुपए के परिव्यय का निर्धारण किया है।

भागीरथी एक्सप्रेस की बारम्बारता को कम करने का प्रस्ताव

5799. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह और बरहामपुर के बीच चलने वाली भागीरथी एक्सप्रेस की बारम्बारता को सप्ताह में सात दिन की बजाए तीन दिन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यमुना-पार की कालोनियों में गलियों में रोशनी की व्यवस्था

5800. **श्री लाला राम केन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुनापार की अनेक ऐसी कालोनियों में जो कई वर्ष पहले मंजूर की जा चुकी हैं अन्दर की सड़कों पर गलियों/सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसी कालोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शाहदरा में लोनी रोड पर पश्चिम ज्योति नगर, पूर्व ज्योति नगर तथा आस-पास की अन्य ऐसी मंजूर शुदा कालोनियों में हालत सबसे खराब है तथा रात को यहां बिल्कुल अन्धेरा रहता है; और

(घ) यदि हां, तो इन कालोनियों में अन्दर की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान डाकघर कश्मीरी गेट (दिल्ली) के निकट लोथियान पुल को चौड़ा करना

5801. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान डाकघर कश्मीरी गेट दिल्ली के निकट लोथियान पुल को चौड़ा किया जाना था;

(ख) क्या उस स्थान का चौराहा प्रदूषण संकट बन गया है जहां पर सभी दिशाओं से सैकड़ों वाहन जमा हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो लोथियान पुल को चौड़ा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) यह एक व्यस्त निचला सड़क पुल है।

(ग) और (घ). विस्तृत योजनाओं एवं प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। उन इमारतों के बदले में निर्माण का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है जिनको वहां से हटाया जाना है। मुख्य निर्माण-कार्य हेतु पूर्व-अर्हता निविदाएं मांगी जा चुकी हैं।

उर्दू तथा इसके प्रकाशनों को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो

5802. **श्री के० जे० अब्बासी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्दू को बढ़ावा संबंधी ब्यूरो में प्रकाशन के लिए कितनी पांडुलिपियां प्राप्त हुई;

(ख) अब तक कितनी पांडुलिपियां प्रकाशित की गई हैं;

(ग) कितनी पांडुलिपियां अभी प्रकाशित होनी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अभी भी पांडुलिपियां इसलिए प्रकाशित नहीं की जा सकीं क्योंकि वह खो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पांडुलिपियों को ढूंढ़ने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1 82-83, 1983-84 और 1984-85 की अवधि के दौरान तरक्की उर्दू ब्यूरो में 243 पांडुलिपियां प्राप्त हुई थीं।

(ख) 171 पांडुलिपियां मुद्रित हो चुकी हैं जिनमें से 139 पहले संस्करण और 32 दूसरे संस्करण की थी।

(ग) 23 पांडुलिपियां प्रैस में हैं और 49 तैयार करने के अर्थात् सुलेखन, प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त करना आदि के विभिन्न स्तरों में है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गर्मियों के दौरान बम्बई और नई दिल्ली से केरल को जाने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

5803. **श्री के० मोहनदास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और दिल्ली से केरल को जाने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या में कम-से-कम अधिक भीड़-भाड़ वाले गर्मियों के मौसम में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उन्हें इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). 13-4-85 से 11-6-85 की अवधि के दौरान बम्बई और कोचीन/तिरुवनन्तपुरम के बीच सप्ताह में एक दिन, एक विशेष गाड़ी चलाने की योजना बनायी गयी है। दिल्ली और केरल के बीच कोई विशेष गाड़ी चलाने की योजना नहीं बनायी गयी है।

रेल हाल्ट स्टेशन

5804. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में क्षेत्र-वार रेल हाल्ट स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेल हाल्ट स्टेशन समाप्त करने हेतु कोई नीति तैयार की गयी है;

(ग) केरल में रेल हाल्ट स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(घ) उनमें से कितने स्टेशनों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) क्षेत्र-वार गाड़ी हाल्ट स्टेशनों (यात्री हाल्ट) की संख्या नीचे दी गयी :—

मध्य	86
पूर्व	107
उत्तर	234
पूर्वोत्तर	143
पूर्वोत्तर सीमा	44
दक्षिण	188
दक्षिण मध्य	124
दक्षिण पूर्व	135
पश्चिम	330

(ख) जी नहीं। तथापि, यदि कोई गाड़ी हाल्ट स्टेशन अलाभप्रद पाया जाए और यात्री सुविधा की दृष्टि से औचित्यपूर्ण न हो, तो उसे बन्द कर दिया जाता है।

(ग) 28

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्य समय में परिवर्तन

5805. **श्री एम० महालिंगम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को अपना कार्य समय बदल कर प्रतिदिन प्रात 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक करने का निदेश दिया गया है और यदि हां, तो क्या यह निदेश किन्हीं सरकारी आदेशों अथवा प्रशासनिक आदेशों पर आधारित हैं; और

(ख) यदि कार्य समय में परिवर्तन करने के आदेश जारी किये गये हैं, तो उनका औचित्य क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उनके विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

5806. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय के तत्वाधान में प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उनके विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला अप्रैल, 1985 में के चौथे सप्ताह में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और विशेष रूप से सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गये प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उनके विकास के लिए अपनाये जाने वाले मानदंडों और तत्संबंधी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) "समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिभासम्पन्न बच्चों की प्रतिभा का पता लगाने और उनके विकास के लिए कार्यक्रमों की विकासशील कार्य प्रणाली" पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में 24-26 अप्रैल, 1985 की अवधि में समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) कार्यशाला के परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) कलाकृतियों और नेतृत्व तथा विचार शक्ति के क्षेत्र में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए पैरा-व्यावसाइयों द्वारा प्रयुक्त नान-टेस्ट उपायों का कुछ हद तक पता लग गया है। इन उपायों में सादा, बोधगम्य व्यवहार संबंधी मद शामिल हैं।

(2) स्कूल-पूर्व प्रतिभासम्पन्न बच्चों की विशेष योग्यता के विकास के लिए अभिभावकों और बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य-कलापों का सुझाव दिया गया है। इस सुझावों में संस्कृति संबंधी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना और परम्परागत कला-कृतियों का प्रयोग, बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों और अभिभावकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम और घर, स्कूल-पूर्व और प्राथमिक विद्यालयों के बीच संबंधों का विकास करना शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पुलों का निर्माण

5807. **श्री कम्मोदीलाल जाटव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों पर नदियों पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है तथा कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदियों/नालों पर बन रहे 76 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है ।

ये पुल जिस स्थानों पर बन रहे हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	पुल का नाम/स्थान	रा० रा० सं०
1	2	3
1.	180/8 कि० मी० पर पुल	43
2.	सेंधवा के निकट 148/10 कि०मी० पर गोइ नदी पर ओवर ब्रिज	3
3.	360 कि०मी० पर पार्वती नदी पर ओवर ब्रिज	12
4.	जगदालपुर के पास इन्द्रावती नदी पर ओबर ब्रिज	43
5.	छपरा के पास बेनगंगा पर ओवर ब्रिज	7
6.	228/2 कि०मी० पर पुल	6
7.	339/4 कि०मी० पर पुल	12
8.	221/8 कि०मी० पर कुरार नदी पर ओवर ब्रिज	6
9.	उरूगांव नाले पर ओवर ब्रिज	43
10.	328/8 कि०मी० पर पुल	7
11.	509/10 कि०मी० पर पुल	3
12.	197/6 कि०मी० पर पुल	3
13.	416/10 कि०मी० पर पुल	12
14.	147/2 कि०मी० पर टोंडी नाले पर ओवर ब्रिज	43
15.	167/4 कि०मी० पर खिरिया नाले पर ओवर ब्रिज	12
16.	647/4 कि०मी० पर पुल	7
17.	645/6 कि०मी० पर पुल	7
18.	642/10 कि०मी० पर पुल	7
19.	308/2 कि०मी० पर पुल	7
20.	364/6 कि०मी० पर पुल	12
21.	642/4 कि०मी० पर पुल	7
22.	121/10 कि०मी० पर पुल	3

1	2	3
23.	449/2 कि०मी० पर पुल	3
24.	जगदालपुर के पास गौरिया बाहर नाले पर ओवर ब्रिज	43
25.	80/8 कि०मी० पर पुल	3
26.	601/2 कि०मी० पर पुल	7
27.	536/2 कि०मी० पर पुल	3
28.	607/2 कि०मी० पर पुल	7
29.	115/8 कि०मी० पर पुल	3
30.	74/10 कि०मी० पर दूधी नाले पर ओवर ब्रिज	3
31.	446/2 कि०मी० पर पुल	3
32.	213/8 कि०मी० पर पुल	7
33.	609/4 कि०मी० पर पुल	7
34.	55/2 कि०मी० पर पुल	3
35.	59/2 कि०मी० पर पुल	3
36.	321/10 कि०मी० पर पुल	7
37.	168/6 कि०मी० पर पुल	6
38.	91/2 कि०मी० पर पुल	3
39.	90/4 कि०मी० पर पुल	3
40.	341/10 कि०मी० पर पुल	7
41.	243/8 कि०मी० पर पुल	3
42.	13/2 कि०मी० पर सिंचाई नहर पर पुल	6
43.	180/6 कि०मी० पर पुल	6
44.	325/6 कि०मी० पर पुल	12
45.	377/2 कि०मी० पर पुल	3
46.	40/4 कि०मी० पर पुल	3
47.	371/8 कि०मी० पर पुल	3
48.	329/8 कि०मी० पर पुल	312
49.	जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर तिलवाड़ाघाट पर ओवर ब्रिज	7
50.	381/8 कि०मी० पर पुल	3

1	2	3
51.	449/6 कि०मी० पर पुल	7
52.	2/4 कि०मी० पर रोड़ ओवर ब्रिज (रायपुर बाईपास)	6
53.	3/8 कि०मी० पर पुल (रायपुर बाईपास)	6
54.	61/4 कि०मी० पर पुल	3
55.	165/8 कि०मी० पर पुल	6
56.	233/10 कि०मी० पर पुल	6
57.	526/8 कि०मी० पर पुल	3
58.	224/4 कि०मी० पर पुल	3
59.	215/6 कि०मी० पर पुल	6
60.	123/4 कि०मी० पर पुल	6
61.	638/8 कि०मी० पर पुल	7
62.	613/6 कि०मी० पर पुल	7
63.	615/6 कि०मी० पर पुल	7
64.	319/10 कि०मी० पर पुल	26
65.	177/2 कि०मी० पर पुल	6
66.	464/6 कि०मी० पर पुल	3
67.	602/10 कि०मी० पर पुल	7
68.	652/4 कि०मी० पर पुल	7
69.	615/4 कि०मी० पर पुल	7
70.	464/10 कि०मी० पर पुल	3
71.	185/4 कि०मी० पर पुल	12
72.	57/10 कि०मी० पर पुल	25
73.	652/6 कि०मी० पर पुल	7
74.	318/8 कि०मी० पर पुल	26
75.	144/2 कि०मी० पर पुल	26
76.	136/2 कि०मी० पर पुल	26

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित रेल कर्मचारी

5808. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के कोई कर्मचारी भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको पुनः काम पर लगा लिया गया है; और

(घ) क्या इससे उनकी सेवा शर्तें कुप्रभावित होंगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) 2,300 कर्मचारी प्रभावित हुए थे जिनमें से 41 कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी और 222 गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।

(ग) सभी कर्मचारी, जो प्रभावित हुए थे, अपनी ड्यूटी पर वापस आ गये।

(घ) जी, नहीं।

बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टाल देना

5809. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी अन्य बुक स्टालों के ठेकों में भी वही पूर्ण बिक्री अधिकार खंड रखा है जैसा कि समूचे स्टेशन परिसर में पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करने के संबंध में ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के साथ करार में रखा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अन्धे लोगों के ठेकों की तरह ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के बुक स्टाल करार से भी संपूर्ण बिक्री अधिकार खंड को वापस लेने/उसमें कांट-छांट करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान नये प्लेट-फार्मों को छोड़कर उन स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर जहां बुक स्टालों का ठेका ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के पास हैं, कितने बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों को दिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). जी नहीं। पहले मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी को सम्पूर्ण रेलवे अथवा एक रेलवे के अधिकांश क्षेत्रों में बुक स्टालें चलाने के एक मात्र अधिकार प्राप्त थे। तथापि, संसद में इस मामले को कई बार उठाये जाने की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने इस मसले की विस्तृत जांच की और बातचीत के द्वारा सम्पूर्ण रेलवे अथवा उसके अधिकांश भाग पर एकमात्र अधिकारों को कम करके उस एक स्टेशन पर एक ही अधिकार तक सीमित कर दिया जहां वे पहले ही बुकस्टाल चला रहे थे। एकमात्र अधिकार धारा में आगे और आशोधन किया गया था और यह विनिश्चिय किया गया था कि किसी स्टेशन पर निर्मित और बढ़ाये गए नये प्लेटफार्मों (आमान परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं) पर बुक स्टालें बेरोजगार स्नातकों, उनके संघों इत्यादि को आबंटित की जा सकती हैं। इसके अलावा, मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी सहमत हो गये और उन्होंने रेलों के 25 ऐसे स्टेशनों पर अपनी बुक स्टालें अभ्यर्पित कर दी जहां उनका एकमात्र अधिकार था।

(ग) और (घ). जी हां। प्राप्त सुझावों की जांच की रही है।

(ङ) कोई नहीं।

राष्ट्रीय नौवहन नीति

5810. **श्री थम्पन थामस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई निश्चित राष्ट्रीय नौवहन नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वदेशी नौवहन उद्योग को कोई आर्थिक राजसहायता देने के लिए कोई उपबन्ध किया गया है;

(घ) क्या 1984-85 के दौरान कोचीन शिपयार्ड के विस्तार के लिए कोई आर्थिक राज-सहायता दी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय नौवहन का विकास करना राष्ट्रीय नौवहन नीति का स्वीकार्य लक्ष्य रहा है। इस नीति के अनुसरण में भारतीय नौवहन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) राष्ट्रीय नौवहन के लिए तटीय व्यापार का आरक्षण,

(ii) जहाज खरीदने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण देना,

(iii) सरकार द्वारा नियंत्रित कारगो देने के लिए भारतीय जहाजों को तरजीह देना,

(iv) सरकारी क्षेत्र में देशी जहाज निर्माण क्षमता का विकास करना,

(v) विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय नौवहन सेवाएं चलाना,

(vi) नौवहन कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना,

(vii) नौवहन उद्योग को कर में रियायत देना जैसे सम्पत्ति कर से छूट, उच्च प्रतिशतता पर विकास रिबेट निवेश भत्ता देना आदि।

(ग) जहाज खरीदने के लिए दिए गए रियायती ऋणों के अतिरिक्त नौवहन कंपनियों को सैफोन्स के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज सहायता दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिक-इन-मोशन वे ब्रिजिस

5811. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति** :

श्री राम समुझावन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कुछ देशी फर्मों से, जिन्होंने विदेशी निर्माताओं से सहयोग शुरू किया है, इलैक्ट्रानिक-इन-मोशन वे ब्रिजिस की सप्लाई के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि किसी देशी फर्म अथवा उसके साथ सहयोग करने वालों के पास अपने उत्पाद के विश्व व्यापी पेटेन्ट हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). कुछ देशी फर्मों से इलेक्ट्रानिक-इन-मोशन तुला चौकियों की सप्लाई करने के लिए रेल मंत्रालय के पास प्रस्ताव आये हैं जिनमें से ये चौकियां बनाने के लिए निम्नलिखित का सहयोग विदेशी निर्माताओं से है :—

(1) मेसर्स डायनाक्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का सहयोग मेसर्स तेलब ए० बी०, स्वेडन के साथ ।

(2) मेसर्स आटो मेजरमेटिक्स लिमिटेड, मद्रास का मैनगुड कार्पोरेशन, यू० एस० ए० के साथ ।

(3) मेसर्स वेमेटिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता का मेसर्स स्ट्रीटर अमेट, यू० एस० ए० के साथ ।

(ग) और (घ). जी नहीं ।

[हिन्दी]

अनपारा विद्युत केन्द्र के क्षेत्र के विस्तार के लिए वन भूमि का अर्जन

5812. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनपारा विद्युत केन्द्र (प्रथम) के राख क्षेत्र का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वन भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अब तक कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल-जबलपुर अनुभाग पर पुलों का निर्माण

5813. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल और जबलपुर अनुभाग के बीच मंझोले और छोटे पुलों का अभी भी निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के कितने पुल निर्माणाधीन हैं और वे कब पूरे हो जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के इस खंड पर दो पुल निर्माणाधीन हैं । इनमें से एक पुल के निर्माण कार्य में टेण्डर को अन्तिम रूप देने में काफी समय लगने तथा इसके निर्माण के दौरान नींव की स्थिति कमजोर होने के कारण देर हुई । अब पुल को मार्च 1986 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । दूसरे पुल की स्वीकृति हाल में ही दी गई है तथा इस पर कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाने की संभावना है । इस पुल को जून 1986 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

राज्य से बाहर के छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रविष्टि

5814. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि देश के सभी मेडिकल कालेजों में प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए राज्य से बाहर के कम से कम 30 प्रतिशत छात्रों को प्रदेश की अनुमति दी जानी चाहिए और भारतीय चिकित्सा परिषद् में उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद राज्य से बाहर के 35 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अन्य संकायों पर भी लागू होगा; और

(ग) क्या शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के छात्रों के लिए यह निर्णय बाधक होगा, और यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 50% ओपन सीटों तथा उच्च विशिष्टताओं की सभी सीटों को अखिल भारतीय आधार पर भरा जाए । भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस पर पुनर्विचार करने के बाद इन प्रतिशतताओं में कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है ।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की प्रतिशतता अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर पूर्णतया मेरिट के आधार पर भरी जायेगी । उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पालन करना अनिवार्य है ।

[हिन्दी]

चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण

5815. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस की गति तथा क्षमता बढ़ाने के लिए इसका डीजलीकरण करने हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका डीजलीकरण कर दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समय सारणी में उपयुक्त परिवर्तन करने का है ताकि चेतक एक्सप्रेस सुबह-सुबह ही दिल्ली पहुंचे सके ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क का सुधार

5816. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28-क एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर काठमांडु जाने और वहां से आने वाला यातायात चलता है;

(ख) क्या बिहार में इस राजमार्ग के 70 किलोमीटर खंड में निम्न स्तर, तीख मोड़ों और सड़क के चौड़ाई में कम पक्का होने से यातायात में बाधाएं आती हैं जिसके परिणामस्वरूप कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और यातायात रुक जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर बाधाओं को दूर करके इसे सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़क बनाना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ङ). जी हां। पीपड़ाकोठी से रक्सौल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28-क के 67 किलोमीटर लम्बे खंड में सड़क के सतह की चौड़ाई 7 मीटर है, अर्थात् इसमें से अधिकांश भाग दोहरी लेन की है और यातायात योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है और इनमें सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदा दशा, यातायात के परिणाम और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मंजूरी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के दावों का निपटान

5817. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** :

प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को अपने दावों के निपटान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में दावे निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के कितने दावे निपटान हेतु पिछले एक वर्ष,

दो वर्ष और तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और उनको न निपटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र निपटान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल प्रशासनों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय निपटान राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में पहले से ही अनुदेश मौजूद हैं। तथापि, हाल ही में सर्वोच्च स्तर पर इन्हें फिर से दुहराया गया है।

[हिन्दी]

बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मस्तिष्क ज्वर एनसेफ्लाइटिस और मेनिनजाइटिस का प्रकोप

5818. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मस्तिष्क ज्वर और मेनिनजाइटिस का भारी प्रकोप है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इस रोग से 100 से अधिक व्यक्ति मर चुके हैं;

(ग) इस रोग के कारण अन्य स्थानों पर हुई मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रोग के प्रसार तथा इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। वैसे मथुरा में मैनिनजाइटिस से 45 मौतें होने की सूचना मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिससे यह पता चलता हो कि मथुरा जिले में जापानी एनसेफ्लाइटिस से कोई मौत हुई है।

(ग) 1975 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	मौतें	
	जापानी एनसेफ्लाइटिस	मेनिनजाइटिस
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	13	—

1	2	3
बिहार	—	3
गुजरात	—	5
हरियाणा	—	3
कर्नाटक	7	—
केरल	—	14
मध्य प्रदेश	—	88
उड़ीसा	—	4
पंजाब	—	2
राजस्थान	—	46
सिक्किम	—	14
तमिलनाडु	12	—
उत्तर प्रदेश	—	74
पश्चिम बंगाल	—	109
दिल्ली	—	396

(घ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम/उपाय किए गए हैं :—

1. **जापानी एनसेफ्लाइटिस :**

1. केन्द्र और राज्य सरकारों के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में एक सेल खोला गया है।

2. स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपायों को तेज किया गया है। और जापानी एनसेफ्लाइटिस एक नोट छाप कर उसे जनता और चिकित्सा कार्मिकों में बांटने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

3. सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जहां कहीं इन रोग के किसी रोगी की सूचना मिले वहां उसके आस-पास के 2/3 किलोमीटर के इलाके में बी० एच० सी०/डी० डी० टी० का छिड़काव करवाया जाए।

4. जापानी एनसेफ्लाइटिस को रोकने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक औषधियां सप्लाई की गई हैं।

5. इस कार्यक्रम में रोगियों को सलाह देने और उनका निदान करने के लिए वाचलर अनुसंधान केन्द्र, पुणे, ट्रापिकल स्कूल आफ मेडिसिन, कलकत्ता, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली शामिल है।

6. राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की मांग पर उन्हें वैक्सीन सप्लाई की जाती है।

2. मेनिनजाइटिस :

1. खास तौर से इस रोग से प्रभावित और घनी आबादी वाली बस्तियों में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ।

2. संभावित क्लीनिकी निदान के आधार पर भी इस रोग का प्रारम्भ में ही निदान करके उपचार किया जा रहा है ।

3. इस रोग से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियों की सप्लाई की व्यवस्था की गई है । सभी अस्पतालों और औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित एण्टीबायोटिक और सहायक दवाइयां रखी गई हैं ।

4. आम जनता में इस रोग के प्रति जागरुकता पैदा करने और उन्हें इस रोग का प्रारम्भ में निदान और उपचार कराने की आवश्यकता पर बल देने हेतु आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों की सेवाओं का भी उपयोग किया गया है ।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने अपने सदस्यों को हिदायतें जारी की है कि वे रोगियों का उचित रूप से उपचार करें ।

6. शरीर के जिन अंगों में यह रोग हो जाता है उनके उचित टाइपिंग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे अनुरोध पर विमान द्वारा सीरा भेजा है ।

7. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस रोग के वाहकों और उनके नियंत्रण के लिए अध्ययन शुरू किए है ताकि इस रोग का कारगर नियंत्रण करने के लिए इसकी महामारी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हो सके ।

8. यह निर्णय लिया गया है कि पता लगाए गए अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जाए तथा इसके लिए प्रबन्ध कर लिए गए हैं ।

रुदौली रेलवे स्टेशन का विस्तार

5819. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में रुदौली रेलवे स्टेशन के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक आने-जाने की सुविधा के लिए एक उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). इस स्टेशन पर दो प्लेटफार्म हैं, एक ऊंचा है और दूसरा नीचा है । अप और डाउन दोनों दिशाओं की सभी गाड़ियां सामान्यतः ऊंचे प्लेटफार्म पर ली जाती हैं । दोनों प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

नर्मदा बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा

5820. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नर्मदा बांध के निर्माण के कारण कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या उन्हें पुनः बसा दिया गया है और उन्हें दिए गए मुआवजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वह सच है कि उन्हें दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है और इसके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है तथा उन्हें दी जा रही अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ). नर्मदा बांध के निर्माण से गुजरात में 1900 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। बांध स्थल के निकट 5 गांवों के 413 परिवारों को चिंदियापुर, खांडगाडा, सूका, थपात्री और तेनतलाव, ककरापार, वावियाल, गडकोई तथा इन्द्रवरना गांवों के निकट पहुंचाकर फिर से बसाया गया है। अधिग्रहीत भूमि और सम्पत्ति के लिए मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट में यथानिर्धारित मानदण्डों के अनुसार पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुआवजे के अपर्याप्त भुगतान के बारे में केन्द्र को उनसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एक्वायर्ड इम्यूनों डेफीसिएन्सी सिन्ड्रोम के सूचित मामले

5821. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक्वायर्ड इम्यूनों डेफीसिएन्सी सिन्ड्रोम जो एक खतरनाक वायरल रोग है, के अनेक मामलों के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां और ऐसे कितने मामलों के समाचार मिले हैं तथा इस रोग के उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). भारत में एक्वायर्ड इम्यूनों डेफीसिएन्सी सिन्ड्रोम का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। फिर भी, देश में इस रोग पर निगरानी रखी जा रही है। देश में राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशको, एस० टी० डी० क्लीनिकों के इंचार्जों, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों और रक्त बैंकों को बार-बार सतर्क कर दिया गया है कि वे इस रोग के चिन्हों और लक्षणों को ध्यान में रखें और जब कभी इस प्रकार के कोई संदिग्ध मामले उनके ध्यान में आयें तो उनकी सूचना भेजें। जनता को, विशेषकर होमोसैक्सुअल और रक्त-दाताओं जैसे अत्यधिक खतरे वाले व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों को अनुरोध किया गया है कि वे उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें जो एस०

टी० डी० क्लीनिकों, रक्त-बैंकों आदि में आते हैं। इस बारे में जो हिदायतें दी गई हैं, वे हैं— (i) चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिक टीका लगाने वाली सिरिंज को अच्छी तरह से जीवाणु-रहित कर लें (ii) रक्त तथा प्लाज्मा संगठन रक्त दान करने वाले व्यक्तियों को "एड्स" के बारे में जानकारी दें ताकि ऐसे लोगों को इस रोग से अपने को दूर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में टिटनेस के कारण होने वाली बाल मौतों के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण

5822. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष टिटनेस के कारण लगभग तीन लाख शिशु अपने जन्म के एक माह के भीतर मर जाते हैं जैसाकि दिनांक 6 अप्रैल, 1985 के पैट्रियेट में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में होनी वाली मौतों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। टेटनस से मरे नवजात शिशुओं की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, 1981 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से भारत सरकार ने नवजातों को होने वाले टेटनस के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण किया था।

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणामों से यह पता चला कि 1981 में भारत में नवजात बच्चों में टेटनस से होने वाली औसतन मृत्यु-दर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार जीवित जन्मों के पीछे 13.3 और शहरी क्षेत्रों में 3.2 थी। टेटनस के कारण नवजात बच्चों की इन मृत्यु दरों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि देश में इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष टेटनस के कारण जन्म के पहले महीने में लगभग 1,60,000 से 2,00,000 बच्चे मरे।

(ग) नवजात बच्चों में टेटनस से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं, वे हैं—गर्भवती माताओं का टी० टी० से बचाव करना, प्रशिक्षित दाइयों के जरिये प्रसव की साफ सुथरी सेवाएं प्रदान करना और समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाना। प्रस्ताव यह है कि 1990 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सब जगह रोग प्रति-क्षण कर लिया जाए।

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति

5823. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए सरकार और निजी संस्थाओं (राज्य-वार) ने देश में कितने अस्पताल और आश्रम स्थापित किये हैं, और उनमें कितने बिस्तर हैं; और

(ग) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त संस्थानों को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मार्च, 1985 तक पंजीकृत किए गए कुष्ठ रोगियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए 206 अस्पताल/संगठन काम कर रहे हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-II मे दिया गया है। इनमें कुल 32,200 पलंग हैं।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1985-86 के लिए 14.40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुष्ठ सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार कार्य में लगे संगठनों के लिए 25.00 लाख रुपये की राशि नियत की गई है।

विवरण—I

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च, 1985 तक पंजीकृत रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	485841
2.	असम	14269
3.	बिहार	291171
4.	गुजरात	82918
5.	हरियाणा	998
6.	हिमाचल प्रदेश	4731
7.	जम्मू व कश्मीर	5495
8.	कर्नाटक	165992
9.	केरल	626052
10.	महाराष्ट्र	404386
11.	मध्य प्रदेश	143602
12.	मणिपुर	1495
13.	मेघालय	5648
14.	नागालैंड	2171
15.	उड़ीसा	232661

1	2	3
16.	पंजाब	2930
17.	राजस्थान	138222
18.	सिक्किम	258
19.	तमिलनाडु	572168
20.	त्रिपुरा	2779
21.	उत्तर प्रदेश	431901
22.	पश्चिम बंगाल	201033
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	857
24.	अरुणाचल प्रदेश	1306
25.	चंडीगढ़	64
26.	दादर व नगर हवेली	318
27.	दिल्ली	7637
28.	गोवा, दमन व दीव	2409
29.	लक्षद्वीप	400
30.	मिजोरम	557
31.	पांडिचेरी	8287
	योग :	3242106

विवरण—II

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अस्पतालों/आश्रय गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	16
3.	बिहार	16
4.	गुजरात	6
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	2

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	5
9.	केरल	5
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	महाराष्ट्र	18
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	21
16.	पंजाब	7
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	20
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	29
22.	पश्चिमी बंगाल	16
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	3
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर व नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	5
28.	गोवा, दमन व दीव	1
29.	लक्षद्वीप	2
30.	मिजोरम	—
31.	पांडेचेरी	1
	योग	206

'भंगा पीठ' बनाने हेतु ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव

5824. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'भंगा पीठ' बनाने हेतु प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और अध्ययन कार्यक्रम शुरू किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय को उस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयले की ढुलाई रेलमार्ग की बजाये जलमार्ग से करना

5825. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलों पर पड़ रहे भार को कम करने की दृष्टि से पश्चिमी समुद्र तटीय जिलों को भेजी जाने वाली कोयले की ढुलाई समुद्री मार्ग से करने का है;

(ख) क्या कलकत्ता और हल्दिया जैसे पूर्वी पत्तनों को माल उतारने हेतु जाने वाली माल वाहक पोत अपनी वापसी यात्रा में भारत के पश्चिमी तटों के पत्तनों को कोयला ले जा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक कोयले की ढुलाई, समुद्री मार्ग से न कराने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) समुद्र मार्ग से पश्चिम तटीय जिलों को कोयला भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के बीच व्यापारिक जहाज नियमित रूप से नहीं चलाए जाते हैं । कलकत्ता और हल्दिया पर सामान्य कार्गो उतारने वाले अधिकांश जहाज विदेश व्यापार में लगे हैं और इसलिए वे जहाज तटीय व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) समुद्र मार्ग से कोयला ले जाना सामान्यतः आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा, बशर्ते कि माल ले जाने के स्थान से लदान-पत्तन तक और इनलोडिंग पत्तन से गंतव्य स्थान तक रेलवे आवागमन की दूरी अधिक लंबी न हो और सकल दूरी पूरे रेल मार्ग से ज्यादा अधिक न हो । एक या अधिक पारगमन के बीच में आने से भी रेल व समुद्र मार्ग से आवागमन की लागत में वृद्धि होती है । इस कारण से कोयले की तटीय मार्ग से आवागमन की मांग इस समय तट परस्थित तूतीकोरन में तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप बिजली घर तक सीमित है और मांग करने पर यह व्यवस्था हल्दिया परादीप और विशाखपत्तनम पत्तनों से की जाती है ।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच विद्युत ग्रिड

5826. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा को 200 किलोवाट के एक विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु केन्द्र से कितनी धनराशि मांगी गई थी;

(ग) उक्त दोनों राज्यों को विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी; और

(घ) इस विद्युत ग्रिड सम्पर्क के कार्य को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) डबल सर्किट टावरों पर रामगढ़ (मध्य प्रदेश)-बूजराज नगर (उड़ीसा) 220 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण के लिए 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 1.50 करोड़ रुपए की राशि के ऋण और उड़ीसा सरकार ने 4 करोड़ रु० के ऋण के लिए अनुरोध किया था।

(ग) उपर्युक्त अन्तर्राज्यीय लाइन के निर्माण के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 1.50 करोड़ रु० का ऋण और उड़ीसा सरकार को 3 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(घ) अन्तर्राज्यीय लाइन मार्च, 1985 में पूरी की गई थी और 132 के० वी० पर अर्जित कर दी गई है।

कर्नाटक में रेलवे वर्कशाप

5827. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितने रेलवे वर्कशाप हैं और किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या बंगलौर में एक रेलवे वर्कशाप स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कर्नाटक राज्य के हुबली और मैसूर में दो रेल कारखाने स्थित हैं जो चल स्टाक की मरम्मत करते हैं।

बेंगलूरु में पहियों और धुरों का निर्माण करने के लिए एक रेलवे उत्पादन यूनिट भी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

5828. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों को सीधे निधियां संस्वीकृत नहीं की जाती। ये निधियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशाननों को सौंपी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्हें संस्वीकृत की गई निधियों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1982-83 पिछले वर्षों से लाई गई राशि सहित संस्वीकृत राशि	1983-84 पिछले वर्षों से लाई गई राशि सहित संस्वीकृत राशि	1984-85 पिछले वर्षों से लाई गई राशि सहित संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
		(रुपए लाखों में)	(रुपए लाखों में)	(रुपए लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	57.35	52.35	15.35
2.	असम	10.95	18.25	13.00
3.	बिहार	87.14	141.39	229.43
4.	गुजरात	10.09	17.38	15.76
5.	हरियाणा	2.12	1.48	1.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.48	3.73	4.38
7.	जम्मू और कश्मीर	1.25	2.95	—
8.	कर्नाटक	—	39.00	40.44
9.	केरल	31.00	38.46	30.79
10.	मध्य प्रदेश	16.41	19.00	—
11.	महाराष्ट्र	40.81	48.00	50.00
12.	मणिपुर	—	.28	.56
13.	मेघालय	.75	.68	.52
14.	नागालैंड	.20	—	—

1	2	3	4	5
15.	उड़ीसा	5.60	5.50	5.23
16.	पंजाब	6.60	6.31	6.44
17.	राजस्थान	19.06	10.07	13.31
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	14.91	19.00	20.99
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	45.06	56.99	58.80
22.	पश्चिम बंगाल	15.78	18.60	35.19
23.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दादरा और नागर हवेली	.12	.09	.33
27.	दिल्ली	—	—	—
28.	गोआ दमन और द्वीव	2.17	—	2.50
29.	लक्ष्यद्वीप	·07	—	—
30.	मिजोरम	.28	—	—
31.	पाण्डिचेरी	.20	.22	.22
	जोड़ :	369.40	499.73	544.24

[हिन्दी]

विश्रामपुर-बरवाडीह रेल लाइन

5829. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामपुर-बरवाडीह रेल लाइन के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इस रेल लाइन का निर्माण सातवीं योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां । अम्बिकापुर और विश्रामपुर के रास्ते बरवाडीह

से करोंजी तक एक नयी रेल लाइन के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया जा चुका है । परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य में नहीं पाया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

बौध कियाकटा मार्ग में महानन्दा नदी पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव

5830. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व सम्बन्धी ऋण योजना के अन्तर्गत बौध-कियाकटा मार्ग में महानन्दा नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्तर पर है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, उड़ीसा सरकार ने आर्थिक अथवा अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता के लिए धन का प्रावधान करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 500.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बौध-कियाकटा सड़क पर महानन्दा नदी पर एक पुल का निर्माण भी शामिल है । तथापि, वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण उपरोक्त कार्यक्रम में इस पुल को शामिल नहीं किया जा सकता ।

दामोदर घाटी निगम प्रणाली जैसे और अधिक बांधों की आवश्यकता

5831. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बेहतर बाढ़ नियंत्रण, दामोदर घाटी निगम द्वारा सिंचाई और विद्युत प्रजनन के लिए दामोदर घाटी निगम प्रणाली जैसे और अधिक बांधों के निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बांधों के निर्माण के लिए कोई उपाय किए हैं जैसा कि दामोदर घाटी निगम परियोजना में प्रारम्भ में विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उनमें क्या प्रगति हुई है और क्या रुकावटें हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रुकावटों के कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ). दामोदर घाटी निगम की मूल योजना में तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथोन, अय्यर पंचेत, बोकारो और कोनार में 7 जलाशय बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी । दामोदर घाटी निगम ने अत्यधिक जरूरी बांधों का निर्माण कर लिया है जो कि तिलैया, मैथोन, कोनार और पंचेत में हैं। बिहार सरकार ने दामोदर घाटी पर

अय्यार के समीप तेनुघाट में एक बांध का निर्माण किया है। दामोदर घाटी निगम का यह विचार है बालपहाड़ी बांध के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी। तथापि नए बांधों के निर्माण के लिए भागीदार राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। जुलाई, 1978 में हुए एक समझौते के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि बालपहाड़ी में बांध के निर्माण को सिफारिश करना असामयिक होगा। नए बांधों के निर्माण की परिकल्पना तभी की जा सकती है जबकि उनकी आवश्यकता के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के बीच मतैक्य होगा।

उत्कल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग को उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता

5832. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग को उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस उच्च अध्ययन केन्द्र को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अध्ययन केन्द्र का दर्जा और आगे बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1980 में इसकी मान्यता के बाद, आयोग ने 1984-85 तक केन्द्र को निम्नलिखित सहायता संस्वीकृत की है :

(1) 3 रीडर, 3 लेक्चरार, 4 अनुसंधान सहचारी और एक प्रयोगशाला तकनीशियन।

(2) 4 वरिष्ठ अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां, 4 कनिष्ठ अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां, 6 अध्यापक अधिछात्रवृत्तियां और 8 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।

(3) प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ, पुस्तकें, क्षेत्रीय कार्य, प्रकाशन आदि के लिए 1,30,000/- रुपए का प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान।

(4) 7,05,000/- रुपए का अनावर्ती अनुदान।

(ग) जी, नहीं। उच्च अध्ययन केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त मान्यता का उच्च स्तर है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते। तथापि आयोग ने 4,01,600/- रुपये का और अनुदान तथा केन्द्र के कार्यकलापों में एक नये महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को शामिल करने के लिए 1985-86 में 2 और कनिष्ठ अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां संस्वीकृत करने का निर्णय किया है।

फतवा-मोकामा-टाल क्षेत्र विकास योजना

5833. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतवा-मोकामा-टाल क्षेत्र विकास योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :. (क) बिहार सरकार से अभी तक ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोगों का "एड्स" रोग से ग्रस्त होना

5834. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ लोगों के "एड्स" रोग से ग्रस्त होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). देश में एड्स रोग का कोई सूचित मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। वैसे, देश में इस रोग पर निगरानी रखी जा रही है। राज्यों में स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, रतिज रोग क्लीनिकों के प्रभारी अधिकारियों, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा देश के रक्त बैंकों को पर समय-समय सावधान किया जाता है कि वे इस रोग के चिन्हों और लक्षणों को ध्यान में रखें तथा जब कभी ऐसे किसी संदिग्ध मामले का पता लगे तो उसकी सूचना दें। लोगों, विशेषकर होमोसैक्सुअल व्यक्तियों और रक्त दाताओं जैसे अत्यधिक खतरे वाले समूहों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो से यह अनुरोध किया गया है कि वे रतिज रोग क्लीनिकों, रक्त बैंकों आदि मे आने वाले लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें। यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि (1) चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिक पर्याप्त रूप से बिसंक्रमित इंजेक्शन उपकरणों का प्रयोग करें और (2) रक्त तथा प्लाज्मा संगठन रक्त दान करने वाले व्यक्तियों को "एड्स" के बारे में जानकारी दें ताकि ऐसे लोगों को इस रोग से अपने को दूर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

रेल विभाग के डाक्टर और अस्पताल

5835. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग के कर्मचारियों/स्टाफ के लिए सभी कार्यस्थलों पर रेल विभाग के डाक्टर और अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग के कर्मचारियों को गैर सरकारी डाक्टरों के पास चिकित्सा उपचार और चिकित्सा परीक्षण कराने तथा गैर सरकारी तौर पर चिकित्सा-प्रमाण-पत्र के आधार पर चिकित्सा अवकाश लेने की अनुमति नहीं है;

(ग) क्या बीमारी के आधार पर अवकाश और चिकित्सा हेतु शुल्क और लागत की प्रतिपूर्ति की मंजूरी के लिए गैर सरकारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल कर्मियों और उनके परिवारों के लिए अस्पतालों और

स्वास्थ्य यूनिटों के जाल तंत्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, जो सभी छोटे-छोटे स्टेशनों को शामिल करते हुए व्यापक रूप से फैले हुए हैं।

(ख) से (घ). कुछ विशेष परिस्थितियों में रेल कर्मियों को निजी डाक्टरों द्वारा चिकित्सा जांच तथा उपचार की अनुमति दी जाती है। गम्भीर और आपात मामलों के लिए निजी संस्थाओं में उपचार करवाने पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों की यथा अनुमेय प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दी जाती है। रेलवे डाक्टर के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रहने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिकित्सा आधार पर छुट्टी की मंजूरी के लिए पंजीकत प्राइवेट डाक्टरों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जाता है।

यमुना पार की विभिन्न कालोनियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं की व्यवस्था

5837. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यमुना-पार क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 20 से 30 कालोनियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्रदान की जानी अभी बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलने में देरी क्यों की जा रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). यमुना-पार क्षेत्र में चार एलोपैथिक औषधालय हैं जो शाहदरा, जी० के० जी०, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार में स्थित हैं। एक होम्पोपैथिक एकक शाहदरा में तथा एक आयुर्वेदिक एकक लक्ष्मी नगर में भी कार्य कर रहा है। एक नया औषधालय समान्यतया एक ऐसे स्थान पर खोला जाता है जहां 3 किलोमीटर की परिधि में 2000-2500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हों और संसाधन उपलब्ध हों। तदनुसार विवेक विहार के लिए एक नया औषधालय मंजूर कर दिया गया है।

कोचीन मत्स्य बन्दरगाह क्षेत्र से निकाले गए लोगों के आश्रितों को रोजगार

5838. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और कोचीन मत्स्य बन्दरगाह क्षेत्र से वर्ष 1981 में निकाले गए लोगों के बीच, लोगों के आश्रितों को रोजगार देने के सम्बन्ध में समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। करार के अनुसार, करार की तारीख अर्थात् 20 जनवरी, 1981 तक कोचीन मत्स्य बन्दरगाह में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर वहां से निकाले गए लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। करार की तारीख तक कोचीन मत्स्य बन्दरगाह के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 58 पदों का सृजन किया गया था और इसलिए पत्तन को वहां से निकाले गए व्यक्तियों में से 29 को रोजगार उपलब्ध कराना था।

(ख) पत्तन न्यास के भिन्न-भिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में इस प्रकार के 20 व्यक्तियों को पहले ही रोजगार दे दिया गया है। शेष एक खाली पद को जो चतुर्थ श्रेणी में है, अदालती हस्तक्षेप के कारण नहीं भरा जा सका। पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि जैसे ही अदालत से अनुमति मिल जाएगी वैसे ही उपरोक्त श्रेणी के एक व्यक्ति की नियुक्ति कर खाली पद को भर दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप बिजलीघर परियोजना

5839. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में मेजिया में सुपर ताप बिजलीघर की मंजूरी दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). लगभग 566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मेजिया में 3 × 210 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 25 अप्रैल, 1985 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी है।

येरागुंटला से कुरनूल तक रेल लाइन बिछाना

5840. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोडटूर और नैदयाल में होकर कुड्डपाह जिले में येरागुनटला से कूरनूल तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्या प्राथमिकता रखी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा के पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को तत्काल बिछाने का है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में छठी योजना अवधि के दौरान बिछाई गई नई रेल लाइन की लम्बाई कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) येरागुंटला से कुरनूल तक नयी लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण न तो किया गया है या न पूरा किया गया है। येरागुंटला से नन्दयाल तक एक नयी बड़ी लाइन का सर्वेक्षण पूरा किया गया है। तथापि, द्रोणाचलम होकर गुंतकल से कुरनूल टाउन तक एक सामानान्तर बड़े आमान की लाइन सहित गुंटूर-द्रोणाचलम मीटर आमान खंड को बड़े आमान की लाइन में बदलने के लिए एक अन्य सर्वेक्षण का काम चल रहा है।

(ख) और (ग) इस लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) छठी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में 251 कि० मी० नयी रेल लाइन बिछाई गयी है।

मद्रास बीच ताम्बरम छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5841. **डा० पी० वल्ललपेरुमल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास शहर में यात्रियों के यातायात में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मद्रास बीच ताम्बरम छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त लाइन को कब तक बदल जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान मद्रास सिटी के यात्री यातायात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में यातायात में गिरावट आयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यात्री यातायात के स्तर से मीटर आमान को बड़े आमान में बदलने का औचित्य नहीं बनता।

शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृति के अध्ययन के लिए कार्यवाही

5843. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समूचे देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर हमारी संस्कृति तथा गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विशेष रूप से भाषाओं और इतिहास में I से XII तक की कक्षाओं के सभी स्तरों पर रा० शै० अनु० और प्र० परिषद् द्वारा तैयार की गई स्कूली पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में सांस्कृतिक घटक भी होता है। जबकि के० मा० शि० बो० से सम्बद्ध स्कूल रा० शै० अनु० और प्र० परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं, राज्य सरकारें पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें अपनाने/अनुकूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक घटक को आगे समृद्ध करने के लिए प्रयास कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स सीवा गेगी द्वारा मैक्साफार्म और एनटरोबाओफार्म औषधियों की बिक्री बन्द करना

5844. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि मैसर्स सीवा गेगी ने मैक्साफार्म

और एन्टरोबाओफार्म जैसी दो हानिकारण औषधियों का वितरण बन्द कर दिया है;

(ख) क्या ऐसा करने से भारत में इन दो औषधियों की बिक्री रोक दी गई है;

(ग) क्या निर्माताओं द्वारा थोक और खुदरा व्यापारियों मे मैक्साफार्म और एन्टरोबाओफार्म के बिना बिके भण्डारों को वापस ले लिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में बहुत से निर्माता इन्हीं हानिकारक औषधियों का विभिन्न ब्रांड नामों के अन्तर्गत उत्पादन जारी रखे हुए हैं और उन्हें बेच रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार लोगों की सूचना के लिए इन ब्रांड नामों का प्रकाशन करेगी और इन दो हानिकारक औषधियों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाएगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग). फर्म ने अपने मालिकों की विश्व नीति के एक अंग के रूप में भारतीय बाजार से तीन दवाओं अर्थात एन्टरो बायोफार्म, मेक्साफार्म और एन्टीबेक्स का निर्माण और बिक्री करना बन्द कर दिया है और इन्हें बाजार से वापिस लेने की कार्यवाही भी कर ली है । फर्म द्वारा की गई कार्यवाही स्वेच्छापूर्वक थी इसलिए भारत में इन दवाओं की बिक्री को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के परामर्श से मेक्साफार्म और एन्टरो बायोफार्म के एक सक्रिय घटक हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन डेरीवेटिव्स वाली दवाओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध न लगाने का निर्णय लिया है । अत: इन दवाओं के बांड के नाम छापने का प्रश्न नहीं उठता । ये दवाएं राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा दिए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत संगठित और लघु दोनों क्षेत्रों द्वारा विभिन्न बांड के नामों से बनाई और खरीदी-बेची जाती है ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति को स्थानान्तरित करना

5845. **श्री चित्त महाटा** :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैट्रो रेल सुरंग के निर्माण के दौरान उत्तर कलकत्ता में शामबाजार फाईव प्वाईंट क्रासिंग पर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति को अस्थायी रूप से स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार, सुरंग का निर्माण पूरा होने पर इस मूर्ति को अपने मूल स्थान पर फिर से लगा देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). निर्माण कार्य के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए इसका अस्थायी रूप से स्थान बदलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन मांगा गया है। राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) और (घ). प्रतिमा का पुनर्स्थापन राज्य सरकार के उन निदेशों के अनुसार जो वह अनुमोदन के समय देगी, किया जायेगा।

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन तथा हरियाणा सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन करने की परम्परा

5846. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के औषध-नियंत्रण ने राज्य में नई बल्क औषधों के निर्माण के लिए कोई अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (नार्थ जोन) के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण दलों के गठन की परम्परा बना ली है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा के औषध नियंत्रक द्वारा संयुक्त निरीक्षण दलों से निरीक्षण कराके अथवा कराए बिना बल्क औषधों के निर्माण के लिए कितने लाइसेंस प्रदान किए गए;

(ग) क्या संयुक्त निरीक्षण दलों की यह परम्परा अन्य राज्यों में इतनी अधिक बार अपनाई जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो हरियाणा में बार-बार संयुक्त निरीक्षण कराने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) औषध नियंत्रक हरियाणा ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान संयुक्त निरीक्षण दलों के साथ मिलकर और उनके बगैर निरीक्षण की गई फर्मों के निर्माण लाइसेंसों में उल्लिखित बल्क औषधियों की संख्या क्रमश: 14 और 13 है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र) और सम्बन्धित राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निर्माण एककों का संयुक्त निरीक्षण करने की प्रणाली दूसरे राज्यों में भी चलाई जा रही है।

ताप विद्युत परियोजनाओं से धुएं के साथ निकलने वाली राख के उपयोग के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी

5847. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से उनके मंत्रालय के अधीन बड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में ताप बिजलीघरों में से धुएं के साथ निकलने वाली बेकार जा रही राख की मात्रा का कभी किसी अवस्था में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सोवियत संघ ने भवन-निर्माण क्षेत्र में सिन्थेटिक पोरपोरू फिलर के रूप में प्रयोग करने के लिए ताप बिजलीघरों से धुएं के साथ निकलने वाली राख के उपयोग सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल करने का विचार है और क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना या परियोजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (च). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि इस समय देश में ताप विद्युत केन्द्रों से प्रतिवर्ष लगभग 18 से 20 मिलियन टन फ्लाई ऐश निकलती है। यद्यपि काफी बड़ा भाग बेकार जाता है फिर भी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन भवनों के निर्माण, भवन सामग्री बनाने और पोर्टलैण्ड पोजोलेना सीमेंट का उत्पादन करने के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन द्वारा ईंटें बनाने में भी फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण संगठन के अनुसार फ्लाई ऐश के सैम्पिल परीक्षण हेतु सोवियत रूस को भेजे गए हैं।

परीक्षण मूल्यांकन के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर समुचित प्रौद्योगिकी के आधार पर फ्लाई ऐश के उपयोग की योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

रम्मन चरण-II विद्युत परियोजना

5848. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रम्मन चरण-II विद्युत परियोजना के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के एक दल ने हाल ही में इस परियोजना का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उक्त दल ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ङ) यह परियोजना कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्यों में विलम्ब कठिन भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए ठेका देने में विलम्ब के कारण हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परियोजना की पहली यूनिट अब 1988-89 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और पुल बनाने के गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्ताव

5849. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के आदिवासी प्रभाग ने उनके मंत्रालय से वर्ष 1985-86 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और पुल बनाने के किसी प्रस्ताव की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों और पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है तथा प्रस्तावित सड़कों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उस प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उनका मंत्रालय इस प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान करेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ). जी, हां । 11 अप्रैल, 1985 को गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव प्रेषित किया है । इस प्रस्ताव में उड़ीसा में कोरापुट जिला में पदमपुर गुदरी-रामवीजी वारसता किनड़ी सड़क के सुधार का उल्लेख किया गया है । इस निर्माण कार्य पर 290.34 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है । इसके लिए धन की व्यवस्था आदिवासी क्षेत्रों में सड़क के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम से की जानी है । तथापि, इस पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

भाखड़ा व्यास काम्पलेक्स में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

5850. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा व्यास काम्पलेक्स में एक भागीदार राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1978 में लगाई गई यह शर्त कि गोविन्दसागर झील से 40 क्युसेक पानी लेने के लिए हिमाचल प्रदेश को भुगतान करना पड़ेगा अब रद्द कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसे किस तिथि से रद्द किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे किस तारीख तक रद्द किये जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 16 अगस्त, 1983 को भारत सरकार ने भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के समान व्यवहार करें ।

(ख) से (घ). जी, नहीं । भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को हिमाचल प्रदेश सरकार से जल के भुगतान से छूट देने के लिए अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

आनन्दपुर साहिब पन-बिजली चैनल से हिमाचल प्रदेश को जल की सप्लाई

5851. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** आनन्दपुर साहिब पन-बिजली परियोजना के निर्माण के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8355 के उत्तर में सम्बन्ध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और पीने के प्रयोजन के लिए 25 क्यूसेक पानी नियमित रूप से देने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के बीच 4 अगस्त, 1983 को हस्ताक्षर किए गए एक समझौते सहित आनन्दपुर साहिब पन-बिजली चैनल संबंधी संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सही तारीख क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नीलांचल एक्सप्रेस में खान-पान सेवा और समय की पाबन्दी में सुधार करना

5852. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीलांचल एक्सप्रेस, जो एक सुपर-फास्ट गाड़ी है, लगभग एक पैसेंजर गाड़ी बन गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह हमेशा देरी से चलती है, तथा इस गाड़ी में खान-पान सेवा बहुत खराब हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि नीलांचल एक्सप्रेस एक सवारी गाड़ी की तरह चल रही है ।

(ख) और (ग). यह भी सही नहीं है कि यह गाड़ी सदैव देरी से चलती है । कभी-कभार देर से चलती है । इस गाड़ी पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है ।

पिछले छः महीनों के दौरान नीलांचल एक्सप्रेस में खान-पान सेवा के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है । अपितु इस सम्बन्ध में 14 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से दो संसद सदस्यों से प्राप्त हुए हैं । तथापि, खान-पान सेवाओं के स्तर में और सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें एनोडाइज थालियों को स्टील की थालियों से बदलना, उन स्थलों से जहां से भोजन लिया जाता है व्यवस्थित करना और खान-पान सेवाओं की नियमित रूप से निगरानी करना शामिल है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य

5853. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या: **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जो कार्य पूरे हो गए हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जो कार्य अभी बकाया हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 27.38 करोड़ रुपए की लागत से 166 सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसमें से, अब 75 निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं और शेष 91 निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं।

ट्रैवल एजेंटों को लाइसेंस देने की योजना

5854. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राम समुझावन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रेलवे को निर्देश दिया है कि देश में प्रमुख नगरों में ट्रैवल एजेंटस को लाइसेंस देने की योजना कार्यान्वित की जाए;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उनके मंत्रालय ने उपयुक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ग) इस नई, योजना से रेल यात्रियों को किस सीमा तक बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी और इन ट्रैवल एजेंटों द्वारा फैलाई जाने वाली कुव्यवस्था और कदाचार किस सीमा तक दूर होगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सुप्रीप कोर्ट का निर्णय जिसमें "रेल यात्री सेवा एजेंटों को प्राधिकृत करने के नियम" समाविष्ट हैं, 29-4-85 को इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भाग के रूप में जो स्कीम बताई गई है, वह अपूर्ण है और इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद स्कीम को कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) स्कीम का अभिप्राय दूसरे दर्जे के यात्रियों को यात्रा के लिए अपनी यात्रा-टिकटें और आरक्षण प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार की अदायगी करने पर प्राधिकृत यात्री सेवा एजेंटों की सेवाएं प्राप्त कराना है ताकि वे इन कार्यों को व्यक्तिगत रूप से करवाने के लिए इन पर लगने वाले समय की बचत कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने वाले ट्रैवल एजेंटों द्वारा किये जाने वाले कदाचार को रोकने के लिए स्कीम में कुछ पूर्वापायों की व्यवस्था की गई है।

विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक लोकोशेड

5855. **श्री वी० सोभानाद्रीश्वरा राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा, जो कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, में एक इलैक्ट्रिक लोकोशेड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) विजयवाड़ा में 100 रेल इंजन की स्वीकृत क्षमता वाला एक बिजली रेल इंजन शेड पहले से ही मौजूद है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बीमा योजना की तुलना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सामूहिक बीमा योजना

5856. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की योजना को 1 जनवरी, 1983 से लागू करने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में यह 1 जनवरी, 1982 से लागू की गई है;

(ग) क्या चार श्रेणियों में बीमा की धनराशि 80,000/- रु०, 40,000/- रु०, 20,000/- रु० और 10,000/- रु० है जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के मामले में बीमा केवल 25,000/- रु०, 20,000/- रु० और 10,000/- रु० हैं;

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के विशेष रूप से ग और घ श्रेणियों का विलय करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए विभिन्न केन्द्रीय आदेशों और योजनाओं को अपनाने की सामान्य पद्धति के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालय संगठन योजना में आवश्यक परिवर्तन किए जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसे स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार कर्मचारी वर्ग बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते। केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी वर्ग बीमा योजना इस प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बताए गए माडल नियमों पर आधारित है। श्रेणीवार बीमा वर्ग 'ग' तथा 'घ' सहित विभिन्न वर्गों को शामिल करता है, अतः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए माडल नियमों पर आधारित है।

(ङ) जी, नहीं।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा कन्टेनर जहाजों के क्रयादेश दिया जाना

5857. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड ने पश्चिम जर्मनी स्थित एक शिपयार्ड को विभिन्न डी० डब्ल्यू० टी० के नए कन्टेनर जहाजों के निर्माण हेतु क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन जहाजों/कन्टेनर जहाजों के मूल्य के भुगतान की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम जर्मनी मूल के किसी अन्य शिपयार्ड ने भी क्रय मूल्य के निर्मित कुछ वित्तीय सहायता देने की पेशकश सहित 5000 से 7000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के छोटे कन्टेनर जहाज सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है/कि पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कन्टेनर यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार के कन्टेनर जहाज खरीदने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारतीय नौवहन निगम ने लगभग 1500 टी० ई० यू० के नए सेल्यूलर जहाजों की आपूर्ति के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स थिससेन शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दे दिये जाने के बाद ही प्रभावी होगा ।

(ख) यह समझौता ज्ञापन छह सेल्यूलर जहाजों की आपूर्ति के लिए है । प्रत्येक जहाज की कीमत 71.3 मिलियन डी० एम० है और कीमत की 10 प्रतिशत राशि का संविदा लागू होने पर भुगतान किया जाएगा तथा 90 प्रतिशत राशि जर्मन फइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण के रूप में होगी जिसकी अदायगी 3 वर्ष की छूट सहित 15 वर्षों में 5.375 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ की जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारतीय नौवहन निगम को 5000 से 7000 डी० डब्ल्यू० टी० के फीडर कन्टेनर जहाजों की आपूर्ति के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स हेनरिच ब्रान्ड के प्रस्ताव की भारतीय नौवहन निगम द्वारा जांच की गई और उसे उपयुक्त पाया गया । फिलहाल भारतीय नौवहन निगम का ऐसे फीडर जहाजों को भाड़े पर लेकर काम चलाने का विचार है । वे इस वर्ग के सेकेन्ड हैंड जहाज लेने की व्यवहार्यता की भी जांच कर रहे हैं । सातवीं पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और सेल्यूलर जहाज खरीदने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा ।

परिवार कल्याण के अन्तिम तरीके (नसबंदी और नलबंदी) अपनाने वालों को 'ग्रीन कार्ड' जारी करना

5858. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के अन्तिम तरीके अपनाने वालों को कुछ राज्यों द्वारा 'ग्रीन कार्ड' के माध्यम से प्राथमिकता देने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य राज्यों में भी इस योजना को शुरू करना चाहेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ). हरा कार्ड जारी करने सम्बन्धी योजना में यह व्यवस्था है कि दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन के अवसानक तरीके अपनाने वाले व्यक्तियों को मान्यता के तौर पर तथा जिन मामलों में प्राथमिकता देना व्यवहार्य हो उनमें प्राथमिकता देने के लिए उन्हें ऐसे कार्ड जारी किये जाएं। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है वे इस योजना को आरम्भ करें। बताया गया है कि यह योजना दादरा एवं नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और कर्नाटक में शुरू हो गई है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकस्टालों का आबंटन

5859. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बुकस्टालों के आबंटन के बारे में 16 अगस्त, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा गोहाटी स्टेशन पर नवनिर्मित प्लेटफार्म संख्या 6-7 पर बुकस्टाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित नहीं किए गए थे, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा गोहाटी स्टेशन पर नवनिर्मित प्लेटफार्म संख्या 6-7 पर उसी बुकस्टाल के ठेके को ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को आबंटित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) गोहाटी स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 6-7 सहित उन स्टेशनों और नवनिर्मित प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा बुकस्टालों के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगार स्नातकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में वर्ष 1982 से 1984 तक बेरोजगार स्नातकों को कितने स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर बुक-स्टाल आबंटित किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। चूंकि गुवाहाटी में कोई नया ठेका नहीं दिया गया था, इसलिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को उनकी होल्डिंग में वृद्धि किए बिना, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बड़ी लाइन के प्लेटफार्म सं० 6-7 पर जो आमान परिवर्तन के फलस्वरूप बने हैं, बुकस्टाल चलाने की अनुमति दी गयी है। इस स्टेशन पर जिसमें आमान-परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित प्लेटफार्म भी शामिल है एकमात्र मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कं० को बिक्री के अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) रेलवे केवल कामख्या स्टेशन के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करने जा रही है।

(घ) 1982 से 1984 तक की अवधि के दौरान दो बेरोजगार स्नातकों को दो बुक स्टालें दी गयी हैं।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह की कनवेयर बेल्ट प्रणाली के खराब कार्य निष्पादन के कारण खनिज एवं धातु व्यापार निगम को हानि

5860. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम बन्दरगाह की कन्वेयर वेल्ट प्रणाली के खराब कार्य निष्पादन के कारण सरकारी क्षेत्र खनिज एवं धातु व्यापार निगम को 1984 से 1985 के दौरान विलम्ब शुल्क के रूप में 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विस्तार से इस मामले में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने बताया है कि विशाखापत्तनम पत्तन से कच्चे लोहे के लदान में देरी होने के कारण उसे वर्ष 198 :-85 में 87 लाख रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा के बराबर विलम्ब शुल्क देना पडा है। एक साथ अधिक जहाजों के आगमन, कन्वेयर वेल्ट सहित मैकेनिकल और हैंडलिंग सिस्टम का कार्य निष्पादन, स्टाकयार्ड में उथल-पुथल आदि विलम्ब शुल्क के कारण हैं।

(ख) और (ग). कन्वेयर सिस्टम की सरकार द्वारा जांच की गई। और हैंडलिंग प्लांट 5.5 कि० मी० लम्बे सिंगल स्ट्रीम कन्वेयर सिस्टम का प्रयोग 1976 से किया जा रहा है। वेल्ट में खराबी का पता चलने के बावजूद भी इसे बदला नहीं जा सका क्योंकि ऐसा करने से निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूरा करने में बाधा पड़ती थी। इसलिए इसे बदलने के काम को अप्रैल, 1985 तक स्थगित कर दिया गया लेकिन 27 मार्च, 1985 को वेल्ट इतनी खराब हो गई कि उसे मरम्मत भी नहीं किया जा सका। जिसके कारण पत्तन में प्रतीक्षारत चार जहाजों के लदान पर असर पड़ा। इसकी मरम्मत का कार्य 4 अप्रैल, 1985 को पूरा हो गया।

मैसर्स होवे इंडिया जो इस ओर हैंडलिंग प्लांट कन्वेयर सिस्टम आदि के मूल डिजायनकर्ता थे, उन्हें ओर हैंडलिंग प्लांट के कार्य निष्पादन को निर्धारित क्षमता के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक संशोधन/सुधार/परिवर्धन का पता लगाने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन का कार्य सौंपा गया। परामर्शदाताओं ने इस प्लांट के प्रारम्भिक अध्ययन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

केरल में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना

5861. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संस्थान केरल में स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान कब से चालू होगा;

(ग) क्या शारीरिक शिक्षा के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). VII योजना के शारीरिक शिक्षा के प्रस्तावों में चार शारीरिक शिक्षा कालेजों की स्थापना के लिए प्रावधान भी सम्मिलित है। जब तक VII योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, यह कहना संभव नहीं है कि कब और कहां ऐसे कालेजों की स्थापना की जाएगी।

(ग) यह परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन

5862. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हम विद्युत (उत्पादन) प्रौद्योगिकी के बारे में अब भी विदेशों पर आश्रित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा निकट भविष्य में उठाए जाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ). पिछले अनेक वर्षों में विद्युत उत्पादन के लिए लगभग सभी प्रकार के उपस्करों का निर्माण करने के लिए देश में विशेषज्ञता तथा सुविधाओं का विकास किया गया है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का योजना तथा डिजाइन कार्य करने के लिए डिजाइन तथा परामर्शी विशेषज्ञता तैयार कर ली गई है। कुछ विशेषज्ञता चुने हुए क्षेत्रों में सुधारी हुई प्रौद्योगिकी के लिए समय-समय पर सहायता ली गई है।

दिल्ली में और अधिक ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना

5863. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी ग्रीष्म मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा राजधानी में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यहां और अधिक बिजली परियोजनायें स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का विचार किन स्थानों पर ताप बिजली परियोजनायें स्थापित करने का है; और

(ग) उक्त परियोजनायें कब तक कार्य करना शुरू कर देगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) आगामी गर्मी के मौसम में राजधानी की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोई नई ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजधानी की विद्युत की दीर्घकालिक मांग को पूरा करने के लिए मुरादनगर में राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत केन्द्र (चरण-क, 4 × 200 मेगावाट) स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत दे दी है। परियोजना की पहली यूनिट 1990-91 में चालू करने की परिकल्पना है।

हिमसागर एक्सप्रेस की बारम्बारता फ्रिक्वेन्सी में वृद्धि करना

5864. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-तवी और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बारम्बारता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) सवारी डिब्बों, रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी तथा मार्ग में लाइन क्षमता के अभाव के कारण इस समय इसके फेरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल की पनबिजली क्षमता

5865. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितनी पनबिजली क्षमता उपलब्ध है;

(ख) अब तक कितने प्रतिशत का इस्तेमाल किया गया है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग करने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). केरल की जल विद्युत क्षमता 60% भार अनुपात पर 2977 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से निर्माणाधीन स्कीमों के चालू हो जाने पर 40.5% क्षमता का उपयोग हो जाएगा।

(ग) और (घ). केरल के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में 2000 ईस्वी तक जल विद्युत क्षमता के विकास हेतु एक संदर्शी योजना तैयार की है। इस योजना में राज्य की समस्त उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

12वां विद्युत सर्वेक्षण

5866. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री देवी घोषाल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12वें विद्युत सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1985-86

से 1989-90 तक की अवधि के दौरान विद्युत की मांग में 13.5% वार्षिक की दर से वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के अनुसार मांग में भारी वृद्धि से योजना के समाप्ति के वर्ष तक 7600 मेगावाट विद्युत की कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में व्याप्त बिजली के भारी संकट को देखते हुए सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि विद्युत पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में नीति की समीक्षा की जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण में और क्या अन्य सुझाव दिए गए हैं;

(ङ) वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार द्वारा क्या विचार अन्य उपाय करने का है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान विद्युत की कमी को किस हद तक पूरा किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा उत्पादन क्षमता में संभावित वृद्धि और मांग में संभावित वृद्धि के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमानों के आधार पर 1989-90 तक विद्युत की अधिकतम कमी 7600 मेगावाट होगी।

(ग) समिति ने सुझाव दिया है कि उन राज्यों तथा क्षेत्रों में विद्युत सघन उद्योगों को स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए जहां पर अधिक साधन उपलब्ध हैं और स्थल को कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित उत्पादनों की ढुलाई की लागत के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक अध्ययन किए जाएं जहां पर थोक में सस्ती बिजली उत्पादन की जा सकती हों।

(घ) समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि विभिन्न खपत के क्षेत्रों में बिजली के संरक्षण के लिए सघन प्रयास किए जाने चाहिए और जिस सीमा तक मांग प्रबन्ध उपाय मित्तव्ययी हों उनको अपनाना चाहिए; इस प्रकार के कदमों के परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में काफी बचत होगी और संसाधनों का बेहतर समुपयोजन होगा।

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन और विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सतत रूप से अनेक उपाय किए जा रहे हैं ताकि नई उत्पादन क्षमता के चालू करने के कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके और ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार किया जा सके। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(3) स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फालतू पुर्जे उपलब्ध कराने और उनका प्रबन्ध करने में सहायता करना;

(4) अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले को अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध कराने में सहायता करना;

(5) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन एवं विद्युत अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; और

(6) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम का क्रियान्वयन करना।

(च) प्रतिष्ठापित क्षमता से लगभग 94 प्रतिशत विद्युत की आवश्यकताएं पूरी हो जाने की संभावना है।

औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित विद्युत संयंत्र

5867. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृहत औद्योगिक परियोजनाओं और उद्योग-समूहों के लिए 250 मेगावाट के समर्पित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या ये संयंत्र आरक्षित विद्युत संयंत्रों से भिन्न होंगे;

(ग) क्या इस्पात और एल्यूमिनियम संयंत्र जैसे विद्युत-प्रधान एककों को विद्युत के लिए ग्रिडज पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा बल्कि उन्हें विद्युत का एक सीधा स्रोत उपलब्ध होगा;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में ऐसे कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक विद्युत संयंत्र पर कुल कितना व्यय होगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय ग्रिड निगम का निर्माण

5868. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ पैनल ने बिजली के पारेषण और वितरण देखरेख के लिए एक अलग राष्ट्रीय ग्रिड निगम के निर्माण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कक्ष विद्युत विभाग ने सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों से इस मामले में उनके विचार आमंत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा;

(घ) विशेषज्ञ पैनल ने अन्य क्या मुद्दे सुझाए हैं; और

(ङ) विशेषज्ञ पैनल की सभी सिफारिशें कब तक क्रियान्वित होने की संभावनाएं हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) केन्द्रीय स्वामित्व वाले राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए विद्युत के पारेषण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और ब्यौरों तथा रूपात्मकताओं का हिसाब लगाने के लिए विद्युत विभाग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था। दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में दल ने विद्युत के पारेषण और वितरण की देख-रेख के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड निगम स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि अनेक जटिल मामलों को सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है अतः अन्तिम निर्णय लेने के लिए समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ). कार्यकारी दल की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में ये शामिल हैं : (1) पारेषण सुविधाओं तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत युटिलिटियों द्वारा बनाई गई परिसम्पत्तियां और दायित्व निगम को ले लेनी चाहिए; (2) विभिन्न राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के संचार और कम्प्यूटर खंडों की समस्त प्रणाली इंजीनियरी, क्रियान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण का दायित्व लेना चाहिए; (3) समस्त केन्द्रीय विद्युत उत्पादन का पूल बनाना तथा राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के जरिए इसे विभिन्न राज्यों को क्रय-विक्रय करना; और (4) प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विद्युत पूल का गठन करना।

चूंकि विभिन्ने सिफारिशों के प्रभावों को विस्तारपूर्वक जांच की जानी है, अतः सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

रेल इंजन और रेल डिब्बे बनाने के कारखाने

5869. **श्री मोहन भाई पटेल** :

श्री एम० महालिंगम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेल इंजन और रेल डिब्बों का निर्माण करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितने रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है;

(ख) वर्ष 1985-86 में रेल डिब्बों की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है तथा 1985-86 के दौरान देश में कितने रेल डिब्बों का निर्माण होने की सम्भावना है;

(ग) क्या रेल डिब्बों की मांग पूरी करने के लिए 1985-86 के दौरान उनका आयात करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश में रेल डिब्बे बनाने के और कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेल इंजनों का निर्माण रेलवे क्षेत्र में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) तथा डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में किया जा रहा है।

सवारी डिब्बों का निर्माण रेलवे क्षेत्र में सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर, मद्रास में किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी यथा—मै० जैसप्स एंड कंपनी, कलकत्ता तथा भारत अर्थ मूवर्स लि० बेंगलूरु द्वारा रेलवे के सवारी डिब्बे बनाए जा रहे हैं।

इन कारखानों में 1984-85 के दौरान निर्मित सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है :—

	स०डि०का०	मै० जेसप्स एण्ड कं०	बी०ई०एम०एल०	जोड़
1984-85	825	129	350	1304

(ख) सवारी डिब्बों की आवश्यकता का हिसाब पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लगाया जाता है और तब योजना आबंटन तथा उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक संप्राप्ति का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है।

1985-86 के दौरान भारत में निर्मित किये जाने वाले सवारी डिब्बों की सम्भावित संख्या इस प्रकार है :—

	स०डि०का०	मै० जेसप्स एंड कं०	बी०ई०एम०एल०	जोड़
1985-86	800	202	300	1302

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार ने पंजाब में 1000 सवारी डिब्बों की सम्भावित वार्षिक क्षमता वाला एक नया रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

परशुराम एक्सप्रेस में आवागमन हेतु परस्पर जुड़े हुए (वैस्टिब्यूल्ड) सवारी डिब्बे पुनः लगाना

5870. **श्री के० मोहनदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चलने वाली परशुराम एक्सप्रेस गाड़ी पूरी तरह से वैस्टिब्यूल्ड गाड़ी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अब कुछ वैस्टिब्यूल्ड सवारी डिब्बों के स्थान पर गैर-वैस्टिब्यूल्ड सवारी डिब्बे लगा दिए गए हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस गाड़ी में पुनः वैस्टिब्यूल्ड सवारी डिब्बे बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) जब कभी ऐसे अधिक सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे इस गाड़ी में लगा दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन

5871. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी रेल लाइन के निर्माण पर अब तक कितना खर्चा हुआ है;

(ख) इसके निर्माण-कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेल लाइन का कार्य किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 31-3-85 तक प्रत्याशित खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।

(ग) इस कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रेलवे में केटरिंग कर्मचारी

5872. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में केटरिंग यूनिट में कितने व्यक्ति काम कर रहे है और उनमें से कितने स्थायी हैं; और

(ख) रेलवे में स्थायी करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कर्मचारियों का स्थायीकरण उन स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिन पर कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है । जब कभी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, वरिष्ठता क्रम में पात्र कर्मचारी ऐसी रिक्तियों पर स्थायी कर दिए जाते हैं बशर्ते कि वे उपयुक्त हों ।

रेलवे कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

5873. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई दीर्घकालीन/अल्पकालीन योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां ।

(ख) आधुनिकीकरण योजना का चरण-I वर्ष 1979-80 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था । इसमें चार रेलवे मरम्मत करखाने यथा माटुंगा, कांचरापाड़ा, खड़गपुर तथा परेल महालक्ष्मी और एक उत्पादन कारखाना यथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना सम्मिलित हैं । इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 67 करोड़ रुपए है ।

आधुनिकीकरण योजना के चरण-II को 1984-85 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है । इसमें छः रेलवे मरम्मत कारखाने यथा परेल लोको, लिलुआ, जगाधरी, गोल्डनरॉक, खड़गपुर, अजमेर तथा एक उत्पादन कारखाना यथा सवारी डिब्बा कारखाना शामिल हैं । इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 165.00 करोड़ रुपए है । इसके अतिरिक्त, उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर वार्षिक मशीनरी एवं संयंत्र कार्यक्रम के द्वारा हर वर्ष विभिन्न रेल कारखानों में आवश्यकता के आधार पर आधुनिक मशीनरी और संयंत्रों की व्यवस्था की जाती है ।

सहायक एककों का विकास

5874. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा जोनल रेल और रेल उत्पादन एककों के आस-पास सहायक एककों के विकास को प्रोत्सहन देने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में व पूर्व रेलवे में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और दक्षिण पूर्व रेलवे के आस-पास कौन-कौन से सहायक एककों को विकास किया गया है अथवा विकास करने का विचार है; और

(घ) क्या सभी जोनल रेल उत्पादन एककों द्वारा सहायक एककों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का पालन किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ). रेलवे की यांत्रिक उत्पादन यूनिटों और मरम्मत कारखानों के लिए विशेष रूप से सम्बद्ध निजी स्वामित्व वाली कोई आनुषंगिक यूनिट नहीं है। चूंकि रेलें कच्ची, आधी-तैयार और तैयार सभी किस्म की सामग्री और भंडार इस्तेमाल करने वाली बड़ी उपयोगकर्ता हैं, अतः क्षेत्रीय रेलों और रेलवे उत्पादन यूनिटों के इर्द-गिर्द सहायक यूनिटों का विकास स्वतः हो जाता है। पिछले वर्षों में, देश-भर में क्षेत्रीय रेलों के बड़े मरम्मत कारखानों और वाराणसी, चित्तरंजन, मद्रास और बेंगलूरू में रेलवे की उत्पादन यूनिटों की स्थापना हो जाने पर निजी क्षेत्र के उद्योगों ने कुछ ऐसे मदों का निर्माण आरंभ कर दिया है जिनकी रेलों को आवश्यकता होती है और जिन्हें रलवे के मरम्मत कारखानों/उत्पादन यूनिटों में बनाए जाने की बजाय बाजार से लेना अधिक सुविधाजनक रहता है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों को सप्लाई करने के लिए उन क्षेत्रों में जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है में, विशेषकर कलकत्ता और उसके ईर्द-गिर्द अनेक उद्योग स्थापित हो गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पब्लिक एन्टरप्राइजेज ब्यूरो द्वारा जारी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर रेलों को, उन मदों के सम्बन्ध में, जो कि देश में सुलभ नहीं है अथवा जिन मदों के लिए उत्पाद क्षमता की कमी है और नए उत्पादन यूनिट स्थापित करते समय आनुषंगिक यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की देख-रेख

5875. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में किए गए कार्यों की गुणवत्ता की देख-रेख के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यों का स्तर तकनीकी स्तरों के अनुसार और संतोषजनक हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राज-मार्गों के लिए भारत सरकरार की ओर से राज्य लोक निर्माण विभाग कार्य निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। यही एजेन्सियां, राष्ट्रीय राज-मार्गों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस के विशेष प्रकाशन सं० 11 में निर्माण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता संबंधी उपायों का वर्णन किया गया है। इसके साथ-साथ समय-समय पर राज्य प्राधिकरणों

जिन्हें उसका पालन करना है, नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों/परिपत्रों में इसका उल्लेख मिलता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हो]

गैर सरकारी स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालयों में मिलाने का मानदण्ड

5876. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई गैर सरकारी स्कूल केन्द्रीय विद्यालय के साथ मिलाया जाता है तो उस स्कूल के अध्यापकों और कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खपाने संबंधी नियम और अर्हताएं क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : नीति के मामले के रूप में, केन्द्रीय विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लेता है लेकिन नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है।

लखनऊ और फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 28 के पुनर्निर्माण और मरम्मत पर व्यय की गई राशि

5877. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 28 के पुनर्निर्माण और मरम्मत पर छठी योजना के दौरान कितनी राशि व्यय की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लखनऊ फैजाबाद खंड पर लगभग 708.00 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

अनुवाद]

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बेकार पड़े खरीदे/आयातित चिकित्सा उपकरण

5878. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान डा० राम-मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रयोग हेतु खरीदे गए/आयात किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरण और मशीनरी बेकार पड़ी है और किसी उपयोग की नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों और मशीनों के कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जिम्मेदारी निश्चित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी शामिल है, करोड़ों रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरण और मशीनरी बेकार पड़ी है।

(ख) यह आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक स्टोर द्वारा मैसर्स झडु फार्मेसी, बम्बई से आयुर्वेदिक दवाइयां खरीदना

5879. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक स्टोर ने 1983-84, 1984-85 के दौरान मैसर्स झडु फार्मेसी, बम्बई से भारी मात्रा में स्वर्णयुक्त आयुर्वेदिक दवाइयां खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो स्वर्णयुक्त दवाइयों का मूल्य कितना था;

(ग) क्या स्वर्णयुक्त दवाइयों को औषधालयों में प्रयोग करने से पहले प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त दवाइयों का परीक्षण किन प्रयोगशालाओं में कराया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो दवाइयों में स्वर्ण की शुद्धता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). मैसर्स झंडू फार्मा, बम्बई से खरीदी गई स्वर्णयुक्त आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य इस प्रकार है :—

1983-84	1984-85
3,34,653.28 रुपये	1,48,505.76 रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) औषधियों में स्वर्ण की शुद्धता की सुनिश्चितता विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति में निर्धारित मानकों के अनुसार उनके भौतिक परीक्षणों द्वारा की जाती है।

दिल्ली में राहत निधि से मुआवजा

5880. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में 1983 और 1984 के दौरान "हिट एंड रन" मोटर दुर्घटनाओं के कितने मामले हुए;

(ख) इस प्रकार के कितने मामलों में मुआवजा राहत निधि से इस प्रकार की दुर्घटना के

को, जिन्हें उसका पालन करना है, नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों/परिपत्रों में भी उसका उल्लेख मिलता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर सरकारी स्कूलों को केन्द्रीय विद्यालयों में मिलाने का मानदण्ड

5876. **श्री निर्मल खत्री : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई गैर सरकारी स्कूल केन्द्रीय विद्यालय के साथ मिलाया जाता है तो उस स्कूल के अध्यापकों और कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खपाने संबंधी नियम और अर्हताएं क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : नीति के मामले के रूप में, केन्द्रीय विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लेता है लेकिन नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है।

लखनऊ और फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 28 के पुनर्निर्माण और मरम्मत पर व्यय की गई राशि

5877. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और फैजाबाद के बीच राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 28 के पुनर्निर्माण और मरम्मत पर छठी योजना के दौरान कितनी राशि व्यय की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लखनऊ फैजाबाद खंड पर लगभग 708.00 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई।

[अनुवाद]

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बेकार पड़े खरीदे/आयातित चिकित्सा उपकरण

5878. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान डा० राम-मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रयोग हेतु खरीदे गए/आयात किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरण और मशीनरी बेकार पड़ी है और किसी उपयोग की नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों और मशीनों के कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जिम्मेदारी निश्चित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इतनी ही दूरी के लिए दिए जाने वाले किराए की तुलना में 0.33 प्रतिशत अधिक किराया देना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सैक्शन पर यात्रा करने वाले यात्री इस मार्ग पर भी अन्य सैक्शनों के बराबर किराया वसूल किए जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) खंडवा-पूर्णा लाइन के खंडवा-हिंगोली भाग पर यात्री किराए वास्तविक दूरी को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत बढ़ाकर लिए जा रहे हैं।

(ख) खंडवा-हिंगोली खंड पर प्रभार के लिए इस दूरी में वृद्धि को बरकरार रखने के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) यह वृद्धि बरकरार रखी जा रही है क्योंकि वर्तमान वृद्धि के बावजूद भी यह लाइन घाटे में चल रही है।

मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

5882. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र को ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं भेजी गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है जिनकी मंजूरी अभी तक लम्बित है; और

(ख) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राजस्थान सरकार ने स्वीकृति के लिए 7 बृहद एवं 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 6 आधुनिकीकरण स्कीमें भेजी हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 1 बृहद स्कीम, 2 मध्यम स्कीमों तथा 2 आधुनिकीकरण स्कीमों पर विचार किया गया और राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियां अनुपालनार्थ सूचित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 2 मध्यम स्कीमों की जांच की गई है और वह योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचारार्थ तैयार है। अन्य स्कीमों पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	अनुमानित लागत लाख रु०	सिंचाई लाभ हजार हैक्टे०	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क)	**बृहद स्कीमें**				
1.	नर्मदा नहर	जैलोर एवं बाड़मेड	34772.00	73.16	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से परीक्षणाधीन।

1	2	3	4	5	6
2.	राजस्थान फीडर गंगा नहर लिंक चैनल का निर्माण	श्री गंगा नगर	1706.00	कोई सीधा लाभ नहीं	वही
3.	बिसलपुर (बानस)	टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी	9160.00	60.00	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।
4.	पिपालदा लिफ्ट सिंचाई	सवाई माधोपुर	610.00	14.87	वही
5.	सिधमुख सिंचाई	श्री गंगा नगर और चुरू	4913.00	43.97	वही
6.	नोहर सिंचाई	श्री गंगा नगर	1651.30	17.73	वही
7.	माऊंट आबू बहुप्रयोजनी	सिरोही	1546.55	1.71 2 × 1.25 मे० वाट जलविद्युत	वही
(ख) मध्यम स्कीमें					
1.	बांदी सांदरा सिंचाई	जैलोर	330.20	1.78	सलाहकार समिति की 3-9-84 की बैठक में विचार किया गया था। राज्य सरकार को उठाईगई टिप्पणियों को अनुपालना करनी है।
2.	चौली सिंचाई	झालावाड़	773.50	5.83	जांच पूरी हो गई है तथा सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्ताव भेजा गया है।
3.	पिपलायट लिफ्ट सिंचाई	सवाई माधोपुर	417.60	9.60	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।

1	2	3	4	5	6
4.	चकन सिंचाई	बूंदी	405.00	2.88	जांच पूरी हो गई है तथा सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्ताव भेजे गए हैं।
5.	ओलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई	सवाई माधोपुर	443.00	4.68	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।
6.	हमीर सागर परियोजना	वही	339.11	2.23	वही
7.	करेली सिंचाई	वही	578.00	3.62	वही
8.	पिपलाद सिंचाई	झालावाड़	498.00	3.75	सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया है। राज्य सरकार को टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
9.	गुलेंदी सिंचाई	झालावाड़	364.04	2.31	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में परिक्षणाधीन है।
वर्तमान परियोजनाओं का आधुनिकीकरण					
1.	जायसमंद टैंक का आधुनिकीकरण	उदयपुर	625.00	17.00	वही
2.	गुधा सिंचाई का आधुनिकीकरण	बूंदी	496.00	10.71	वही
3.	मेजा नहर और मेजा फीडर नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	भीलवाड़ा	2797.34	9.43	वही
4.	कोटा बराज को ऊंचा करना	बूंदी कोटा और सवाई माधोपुर	91.00	चम्बल चरण-एक और दो के अन्तर्गत	कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन 6-1-83 को सलाहकार समितिद्वारा स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6
				स्थिर तथा लाभ	राज्य से इनकी अनुपालन अभी होनी है।
5.	अलनिया सिंचाई आधुनिकीकरण	कोटा	125.78	1.82	परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।
6.	गंभीर नहरी प्रणाली का आधुनिकीकरण	चित्तोड़गढ़	449.82	9.29	सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया है। राज्य सरकार को टिप्पणियों को स्पष्ट करना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेत्रहीन "नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइन्ड" द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

5883. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइन्ड ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन मांगों के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्य मांगों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	मुख्य मांग	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	विकलांगों के लिए विधान बनाना।	सरकार ने इस सम्बन्ध में कानूनी और प्रशासनिक कारणों से विधान बनाना सम्भव नहीं पाया है।

1	2	3
	2. ग्रुप "क" और "ख" पदों में विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण।	यह मामला समाज और महिला कल्याण मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विचाराधीन है।
	3. राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रोजगार कार्यालयों में दर्ज हुए नेत्रहीनों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।	मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को अधिक रोजगार देने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है। बिहार, केरल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने विकलांगों के लिए राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन पदों में आरक्षण किया हुआ है।
	4. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना चाहिए।	यह संस्थान पहले से ही सरकार के नियंत्रणाधीन है और पूर्णतया सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता और स्वायत्ता देने के लिए एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
	5. प्रत्येक राज्य में एक ब्रेल प्रैस स्थापित की जानी चाहिए।	यह सुझाव सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। पांच राज्यों ने स्वयं अपनी ब्रेल प्रैस स्थापित कर ली हैं और अन्य दो राज्यों में ब्रेल प्रैस स्थापित की जा रही है।
	6. डी० आर० आई स्कीम की समीक्षा करनी चाहिए।	यह मंत्रालय इस मामले पर आर्थिक कार्य विभाग से विचार-विमर्श कर रहा है जो इस योजना की समीक्षा कर रहा है।
	7. प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को स्थायी पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए।	कुछ राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही ऐसे पहचान-पत्र जारी कर दिए हैं। केन्द्रीय सरकार एक सर्व सामान्य पहचान-पत्र जारी करने पर विचार कर रही है जो कि पूरे देश में मान्य होगा।
	8. छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् संशोधन किया जाना चाहिए।	छात्रवृत्ति योजना 1982-83 में संशोधित की गई थी। वर्तमान दरें वही हैं जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सामान्य छात्रों को दी जाती हैं।

सहजनवा से बलरामपुर तक रेल लाइन

5884. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहजनवा से बलरामपुर तक बरास्ता बांसी एक रेल लाइन के लिए 1977-78 में एक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेल लाइन के निर्माण का कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो यह रेल लाइन कब तक पूरी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराय सिंधिया) : (क) बंसी के रास्ते खलीलाबाद से सहजनवा के निकट बलरामपुर तक एक नयी बड़ी रेल लाइन के लिए 1979 में एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) से (घ). सर्वेक्षण से पता चलता था कि परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभकर नहीं होगी। संसाधनों की बेहद तंगी तथा पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत पूर्ति में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश का अनुरोध

5885. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य को विद्युत की पूर्ति में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समस्त उत्तरी क्षेत्र इस विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए किसी सहायता की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश अपने 35% हिस्से के स्थान पर सिंगरौली में कुल उत्पादन का 70 से 75% प्राप्त कर रहा है।

बस्ती और गोंडा डिविजनों में रेलवे क्वार्टर

5886. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के बस्ती और गोंडा डिविजनों में कितने रेलवे क्वार्टर हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बस्ती और गोंडा स्टेशनों पर रेलवे क्वार्टरों की संख्या नीचे दी गई है :—

बस्ती — 132

गोंडा — 1142

इसके अतिरिक्त गोंडा में 222 आउट हाउस हैं।

[अनुवाद]

एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक के दैनिक यात्रियों के लिए रियायती टिकटें

5887. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में दैनिक यात्रियों को रियायती टिकटें देने के लिए अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को रियायती टिकट देने की मांग पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). कुछ विशिष्ट खण्डों, जहां ऐतिहासिक कारणों से सीजन टिकट जारी रखने की अनुमति दी गयी है, को छोड़कर, रेल दर जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित अब 150 कि० मी० अधिकतम दूरी की सीमा तक सीजन टिकट जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि एर्नाकुलम और तिरूवनन्तपुरम के बीच की दूरी-221 कि० मी० है, इसलिए प्रश्न गत, यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान

5888. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1984-85 में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ख) बरहामपुर विश्वविद्यालय ने 1985-86 में कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) विश्वविद्यलय अनुदान आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष में इस विश्वविद्यालय को कितना अनुदान आंबटित किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1984-85 में विभिन्न विश्वविद्यालयों की वि० अ० आ० द्वारा प्रदान किया गया विकासात्मक अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). बरहामपुर विश्वविद्यालय ने कभी कोई अनुदान नहीं मांगा है और न ही उसे 1985-86 में अभी तक वि० अ० आ० द्वारा कोई अनुदान दिया गया है। वि० अ० आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को वार्षिक आधार पर कोई अनुदान का आंबटन नहीं करता है। तथापि, अनुमोदित विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुए व्यय की प्रगति के आधार पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं।

विवरण

(रुपए लाखों में)

	1984-85
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
1. अलीगढ़	340.21
2. बनारस	341.87
3. दिल्ली	617.68
4. हैदराबाद	217.23
5. जवाहर लाल नेहरू	329.97

6. उ० पू० प० वि०	468.18
7. विश्व-भारती	45.37

विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाएं

1. बी० आई० टी० एस०, पिलानी	37.07
2. सी० आई० ई० एफ० एल०, हैदराबाद	41.28
3. गांधी ग्रामीण संस्थान	6.92
4. गुजरात विद्यापीठ	50.94
5. आई० आई० एस० सी०, बंगलौर	317.71
6. आई० एस० एम०, धनबाद	7.85
7. जे० एम० आई०, नई दिल्ली	114.14
8. टी० आई० सामाजिक विज्ञान	16.03
9. गुरुकुल कांगड़ी	15.84
10. बनस्थली विद्यापीठ, पो० बा० बनस्थली, विद्यापीठ (राज०)	7.22
11. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	31.89
12. श्री सथ्या साई उच्च शैक्षिक संस्थान प्रसंथी, नीलयम-515134	13.37

राज्य विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश

आंध्र	85.51
जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी	43.96
ककटीया	18.43
नागार्जुन	23.83
उस्मानिया	84.17
श्री कृष्ण देवराय	17.42
श्री वेंकटेश्वर	56.29

असम

दीबरूगढ़	10.17

गोहाटी	17.07
बिहार	
भागलपुर	18.41
बिहार	26.91
के० एस० दरभंगा संस्कृत	5.20
मगध	12·75
एल० एन० मिथिला	0.93
पटना	10.20
रांची	37.13
गुजरात	
भावनगर	0.80
गुजरात	17.31
एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	52.50
सरदार पटेल	22.97
सौराष्ट्र	10.40
दक्षिण गुजरात	9.47
हरियाणा	
कुरुक्षेत्र	19.81
महर्षि दयानन्द	53.61
हिमाचल प्रदेश	
हिमाचल प्रदेश	10.69
जम्मू और काश्मीर	
जम्मू	25.34
कश्मीर	35.89
कर्नाटक	
बंगलौर	34.63

कर्नाटक	24.82
मैसूर	22.07
	0.02
केरल	
कालीकट	13.68
कोचीन	55.62
केरल	23.05
मणिपुर	
मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	34.80
मध्य प्रदेश	
अवधेश प्रताप सिंह	20.86
भोपाल	8.60
इंदिरा कला संगीत	1.26
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	10.25
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.44
जिवाजी	6.76
रवि शंकर	10.53
डा० एच० एस० गौर, सागर	29.59
विक्रम	25.45
महाराष्ट्र	
बम्बई	117.47
मराठवाडा	10.43
नागपुर	16.85
पूना	59.15
एस० एन० डी० टी० महिला	60.71
शिवाजी	21.74

उड़ीसा	
बरहमपुर	21.26
सम्बलपुर	10.16
उत्कल	27.59
पंजाब	
गुरू नानकदेव	18.24
पंजाब	76.64
पंजाबी	15.68
राजस्थान	
जोधपुर	53.83
राजस्थान	71.31
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	41.27
तमिलनाडु	
अन्नामलाई	16.26
मद्रास	141.73
मदुरई कामराज	21.13
अन्ना	115.63
उत्तर प्रदेश	
आगरा	28.98
इलाहाबाद	66.18
अवध	5.57
बुन्देलखंड	0.17
गढ़वाल	21.41
गोरखपुर	52.94
कानपुर	8.17
काशी विद्यापीठ	4.01
कुमाऊं	56.66

लखनऊ	27.51
मेरठ	34.17
रूड़की	164.51
सम्पूर्णानन्द	7.06
पश्चिम बंगाल	
बर्दवान	25.09
कलकत्ता	80.08
जादवपुर	40.67
कल्याणी	18.86
उत्तर बंगाल	6.53
रवीन्द्र भारती	25.51

वोहरा समिति की राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एजेंसी प्रणाली सम्बन्धी सिफारिशों का कार्यान्वयन

5889. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्रीमती फूलरेणु गुहा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित की गई वोहरा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एजेंसी प्रणाली पर गठित समिति ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित 43 सिफारिशें की हैं। सरकार ने इन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राज्यों से सम्बन्धित 15 सिफारिशों को पहले ही उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए भेज दिया है। केन्द्रीय सरकार से संबंधित 28 सिफारिशों में से 15 सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। शेष 13 सिफारिशों से क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

परसिया-छिंदवाड़ा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5890. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परसिया-छिन्दवाड़ा की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस रेल लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग). परसिया-छिन्दवाड़ा छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 1981-82 में सर्वेक्षण कराया गया था। योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

बच्चों में अन्धता को रोकने के लिए कदम

5891. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हर वर्ष 1 लाख से अधिक बच्चों की आंखों की रोशनी खत्म होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बच्चों में अन्धता को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में प्रत्येक वर्ष जिन बच्चों के आंखों की रोशनी खत्म हो रही है उनकी संख्या निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट (1972-73) के अनुसार, देश में कुल 90 लाख अन्धे-लोगों में 2 प्रतिशत लोग विटामिन "ए" की कमी के कारण अन्धे हुए हैं। जो बच्चों में अन्धे होने का एक मुख्य कारण है।

(ग) बच्चों में अन्धेपन की रोकथाम करने के लिए, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन एक योजना चलाई गयी है। इस योजना के अधीन 1-5 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों को 6-6 महीने बाद विटामिन "ए" घोल की दो लाख अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयां पिलाने की व्यवस्था है। आदिवासी खंडों, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों, अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों आई० सी० डी० एस० ब्लाकों और शहरी गंदी बस्तियों आदि में रहने वाले बच्चों को विशेष तरजीह देते हुए विटामिन "ए" घोल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के जरिए बांटा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के

लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

	1982-83	1982-84	1984-85
लक्ष्य	25.00	25.00	27.00*
उपलब्धियां	19.09	16.94	21.00 (फरवरी, 1985 तक)

*(आंकड़े मिलियन में)

इसके अतिरिक्त, लोगों को उनके नियमित आहार के साथ विटामिन "ए" से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने के बारे में शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

5892. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड पटना (बिहार) में अपने मुख्यालय के साथ कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं और खासतौर पर बिहार राज्य में गंगा-दियारा क्षेत्र में लोगों के लाभ के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड मुख्य नीतियों को निर्धारित करता है तथा गंगा बेसिन में विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के क्रियान्वयन में प्राथमिकताओं का निर्णय करता है।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने बिहार में मुंगेर सदर के दियारा क्षेत्रों तथा जमालपुर ब्लाकों में समेकित कृषि क्षेत्र विकास पर एक अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट 1980 में राज्य सरकार को और आगे कार्रवाई हेतु भेज दी थी। तौफीर तिकरामपुर दियारा तथा मुंगेर जिले में निकटवर्ती क्षेत्रों की समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल 1984 में बिहार सरकार द्वारा अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट जनवरी 1985 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है।

अहमदपुर स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग काउंटर

5893. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अहमदपुर स्टेशन पर 3 जनवरी, 1985 से अतिरिक्त बुकिंग काउंटर को अचानक बंद कर देने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या जनता/यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बुकिंग काउंटर को को बन्द करने और उसके कारण पैदा हुई परिस्थितियों की जांच की रिपोर्ट के आधार पर इस काउंटर को खोलने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). स्टेशन पर बुकिंग सुविधाओं की व्यवस्था यातायात की मात्रा को देखते हुए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जाती है। बुकिंग काउंटरों की व्यवस्था के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अहमदपुर में वर्तमान यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बुकिंग काउंटर को पर्याप्त समझा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पहले से चल रहे अतिरिक्त काउंटर को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया और इसलिए बन्द कर दिया गया।

खाना से सैंथिया तक रेल लाइन को दोहरा बनाना

5894. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवाओं के सुधार के लिए खाना जंक्शन के सैंथिया तक रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, खाना और सैंथिया के बीच खंडीय क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है और यह प्रगति पर है।

भुवनेश्वर और बम्बई के बीच रेलगाड़ी सुविधाएं

5895. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर और बम्बई के बीच वर्तमान रेलगाड़ी सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मन्त्रालय को भुवनेश्वर और बम्बई के बीच बेहतर यात्रा सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण सेवाओं को बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है।

1984 के दौरान कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

5896. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष, खासतौर पर,(पीक सीजन) अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो 1984 के दौरान कोयले की कमी के कारण जोनवार कितनी रेल सेवाएं रद्द की गईं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने ने लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि कोयले की कमी के कारण भविष्य में कोई रेलगाड़ी रद्द न हो ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग). जी नहीं । कोयले की कमी के कारण दिसम्बर, 1982 से कोई सवारी गाड़ी रद्द नहीं की गयी है ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा सुझाए गए यातायात नियंत्रण उपाय

5897. **श्री विजय एल० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने यातायात नियंत्रण के कोई उपाय सुझाए हैं;

(ख) क्या उसने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सड़क अनुसंधान सस्थान ने सड़क पर मार्किंग पेन्ट के बदले रोड स्टड विकसित करने का सुझाव दिया है । सुझाये गये अन्य उपायों में शहरी क्षेत्रों में सुधरे किस्म की सड़क रोशनी की व्यवस्था, पार्किंग नियंत्रण, बस-वेज का डिजायन, बस स्टॉप्स का स्थान, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए विशेष सुविधा, एकतरफा स्कीम, टाइडल फ्लो स्कीम आदि शामिल हैं ।

(ख) संस्थान ने भारतीय सड़क कांग्रेस के इस्तेमाल के लिए एक राजमार्ग सुरक्षा संहिता तैयार की है जो राजमार्गों के लिए मानक और विशिष्टियां तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकल्प है ।

(ग) राज्य सरकारों से यातायात इंजीनियरिंग सेलों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अलावा, इन सेलों के कार्मिकों के के लिए भी विशेष पाठ्यक्रम चलाता है ।

बिजली और डीजल से चलने वाले इंजनों के लिए आयातित पुर्जों की लागत

5899. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 में बनाए गए बिजली से चलने वाले इंजनों, डीजल से चलने वाले इंजनों और डिब्बों के लिए आयातित पुर्जों की लागत की तुलना में रेलवे उत्पादन एककों में बनाई गई उक्त प्रत्येक वस्तु के लिए आयातित पुर्जों की वर्तमान लागत कितनी है;

(ख) ऐसे प्रमुख पुर्जों, जिनका अभी भी आयात किया जाता है को अपने ही देश में बनाने की क्षमता के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मामले में कितनी सफलता मिली है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्ष 1979-80 और 1983-84 के दौरान बिजली रेल इंजनों, डीजल रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के लिए आयातित

पुर्जों की एफ० ओ० बी० लागत (लाख रुपयों में) नीचे दी गयी है :—

	1979-80	1983-84
(i) बिजली रेल इंजन	4.78	3.56
(ii) डीजल रेल इंजन		
1. डब्ल्यू डी० एम-2 ब० ला० डीजल बिजली रेल इंजन	2.51	2.55
2. वाई० डी० एम-4 मी० ला० डीजल बिजली रेल इंजन	2.33	2.53
3. डब्ल्यू डी० एस-4 ब० ला० डीजल हाइड्रालिक शंटर	4.43	4.93
(iii) यात्री सवारी डिब्बे		
1. ब०ला० गैर-वातानुकूल दूसरा दर्जा यात्री सवारी डिब्बा	0.65	0.77
2. मी० ला० गैर-वातानुकूल दूसरा दर्जा यात्री सवारी डिब्बा	0.36	निर्माण नहीं किया गया ।
3. ब० ला० वातानुकूल बिजली गाड़ी मोटर कोच	0.94	1.48
4. ब० ला० वातानुकूलन बिजली गाड़ी ट्रेलर कोच	0.68	निर्माण नहीं किया गया ।

(क) दुःसाध्य और परिष्कृत मदों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, रेलों द्वारा निर्माताओं को कुल खरीद की गारंटी, क्षति के परिसमापन, मूल्यवृद्धि आदि की स्वीकृति जैसे विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की जाती है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्पादन और अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए अपेक्षित डीजल रेल इंजनों, बिजली रेल इंजनों और बिजली गाड़ियों की 413 मदें आयात सूची से निकाल दी गयी हैं । इन मदों का वार्षिक अनुमानित मूल्य 5.37 करोड़ रुपये है ।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार

5900. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सारे देश की तुलना में संपूर्ण बिहार, उत्तरी बिहार,

छोटा नागपुर और बिहार के शेष भागों में वर्षवार बिजली के प्रति व्यक्ति उपयोग के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या बिहार में बिजली की आनुपातिक प्रजनन क्षमता और प्रति व्यक्ति उपलब्धता सबसे कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिहार में विद्युत प्रजनन के स्तर को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार बिहार विद्युत बोर्ड को कुछ वर्षों के लिए अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

रेलवे अस्पताल, गुन्ताकल में आपरेशन थियेटर में वातानुकूलन की व्यवस्था

5901. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पताल, गुन्ताकल में आपरेशन थियेटर में वातानुकूलन की व्यवस्था करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सातवी पंचवर्षीय योजना में कितने रेलवे अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जायेगा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने नये अस्पताल खोले जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं । अस्पताल का आपरेशन थियेटर पिछले पांच वर्ष पहले से ही वातानुकूलित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). रेल मन्त्रालय द्वारा तैयार की गयी और योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी सातवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा विभाग के लिए निम्नलिखित मदों का प्रस्ताव किया गया है :

1. 100 अतिरिक्त स्वास्थ्य यूनिटें बनाना ।

2. रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध 11,800 बिस्तरों की वर्तमान क्षमता में लगभग 1000 अतिरिक्त बिस्तरों की वृद्धि करना ।

3. भारतीय रेलों की निम्नलिखित किन्हीं भी शाखाओं में 2 अतिरिक्त विशिष्ट यूनिटें खोलना :

(क) गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी

(ख) नेफ्रोलोजी

(ग) न्यूरोलोजी

(घ) न्यूरोसर्जरी

(ङ) इन्ड्रोसिन्लोजी, और

(च) रिस्पाइरेट्री डीजीजिस।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

5902. **डा० पी० वल्लल पेरुमन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय को 1783-85 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वर्ष-वार (वित्तीय वर्ष) कुल कितना अनुदान मिला ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान अन्नामलाई विश्वविद्यालय को क्रमश: 97.15 लाख और 16.26 लाख रुपए का विकास अनुदान दिया है।

बम्बई बन्दरगाह पर मालवाहक जहाजों को घाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा का समय

5903. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाले मालवाहक जहाजों को रुकने का स्थान देने के सम्बन्ध में बम्बई बन्दरगाह की कितनी क्षमता है;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह पर माल वाहक जहाजों को माल उतारने की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपनी बारी के लिए पंक्ति में प्रतीक्षा करनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान बम्बई बन्दरगाह पर माल उतारने के लिए अपनी बारी के लिए मालवाहक जहाजों को लगभग कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) आने वाले माल वाहक जहाजों को रुकने की जगह देने के लिए बम्बई पत्तन की क्षमता, पत्तन पर आने जाने वाले जहाजों के आकार पर निर्भर करती है। जहाज प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन होने के कारण, बम्बई पत्तन पर कार्गो परिचालन के लिए आने वाले जहाजों के आकार तथा प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जबकि बर्थों के आकार और इन बर्थों पर उपलब्ध सुविधाओं में न्यूनाधिक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इस समय आने वाले मालवाहक जहाजों की दर 6 जहाज प्रतिदिन है।

(ख) सामान्य स्थिति में, मालवाहक जहाजों को अपना माल उतारने की सुविधा प्राप्त करने के लिए पंक्ति में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तथापि, भारी बरसात होने या पत्तन-कार्य से संबद्ध कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने या एक साथ काफी संख्या में जहाज आने आदि के कारण यदि कार्य रुक जाता है तो मालवाहक जहाजों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) अक्तूबर 1985 से मार्च, 1985 तक पिछले छः महीनों के दौरान मालवाहक जहाजों ने बम्बई पत्तन पर माल उतारने के लिए अपनी बारी के लिए जितने दिनों तक प्रतीक्षा की, उसकी

औसत संख्या नीचे दी गई है :—

महीना	बर्थ प्राप्त जहाजों की संख्या	प्रति जहाज औसत प्रतीक्षा (दिनों में)
अक्तूबर, 1984	158	3.36
नवम्बर, 1984	167	2.91
दिसम्बर, 1984	181	2.07
जनवरी, 1985	180	1.38
फरवरी, 1985	163	1.44
मार्च, 1985	175	0.86

महाराष्ट्र में तिलारी पन-बिजली परियोजना

5904. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तिलारी पन-बिजली परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस समय यह परियोजना निर्माण के किस चरण तक पहुंच चुकी है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इसके कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) इस परियोजना के चालू हो जाने पर इससे बिजली का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र में तिल्लारी जल विद्युत परियोजना में 60 मेगावाट के एक यूनिट को जोड़े जाने का कार्यक्रम है तथा इसको दिसम्बर, 1985 तक चालू किए जाने की संभावना है। बांध और जल संवाहक प्रणाली लगभग तैयार हैं। फोरबे बांध सहित अन्तर्वाह संरचना द्वारों और हो-इस्ट जून, 1985 तक तैयार हो जाने की आशा है। 31-3-1985 तक इस परियोजना पर 51.91 करोड़ रुपए (अनन्तिम) व्यय किये जा चुके हैं। इस परियोजना के चालू होने पर इससे प्रतिवर्ष 132 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होने की सम्भावना है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेज

5906. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने मेडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कालेज केन्द्र सरकार के सीधे नियन्त्रण में चल रहे हैं और इनके राज्यवार आंकड़ें क्या हैं;

(ग) उनमें से कितने कालेज विभिन्न राज्य सरकारों के सीधे नियन्त्रण में चल रहे हैं; और

(घ) कितने कालेज निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं और इस प्रकार के मेडिकल कालेजों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि भारत में इस समय चल रहे 106 मेडिकल कालेज परिषद् द्वारा मंजूर किए गए हैं और पिछले कुछ वर्षों के दौरान 10 और मेडिकल कालेज (9 गैर-सरकारी प्रबन्धकों के अधीन और एक केरल राज्य सरकार के अधीन) केन्द्रीय सरकार तथा परिषद की पूर्वानुमति के बिना चलाए गए हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त 106 मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) तीन मेडिकल कालेज केन्द्र सरकार से सीधे नियन्त्रण में चलाए जा रहे हैं तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

दिल्ली	—	1
तमिलनाडु	—	1
महाराष्ट्र	—	1

(ii) 86 मेडिकल कालेज विभिन्न राज्य सरकारों के सीधे नियन्त्रण में चलाए जा रहे हैं।

(iii) 9 मेडिकल कालेज प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

कर्नाटक	—	5
महाराष्ट्र	—	1
तमिलनाडु	—	1
पंजाब	—	2

(iv) 4 मेडिकल कालेज नगर निगमों (बम्बई में 3 तथा अहमदाबाद में 1) और 3 मेडिकल कालेज विश्वविद्यालयों (2 उत्तर प्रदेश में तथा 1 दिल्ली में) के नियन्त्रण में चलाये जा रहे हैं। दिल्ली में 1 मेडिकल कालेज स्वायत संस्था द्वारा चलाया जा रहा है जिसका सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए स्वीडन के साथ समझौता

5907. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए सहायता देने हेतु हाल ही में स्वीडन के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीडन द्वारा दी जाने वाली सहायता किस प्रकार उपयोग की जाएगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 24 अप्रैल, 1985 को हस्ताक्षर किये गये करार के अनुसार स्वीडन सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को अपनी सहायता देती रहेगी। स्वीडिश सहायता, जो अनुदान के रूप में है, वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि के लिए 1.80 करोड़ स्वीडिश क्रोन लगभग 2.56 करोड़ रुपए) होगी और धनराशि का इस्तेमाल सात जिलो में चल रही बहु-औषध विधान परियोजनाओं को पूरा करने तथा उन पांच जिलों में निम्नलिखित कामों पर किया जाएगा जिनमें अब इन्हें शुरू करने की तैयारी की जा रही है :—

— रिफैम्पीसिन तथा क्लोफजिमाइन औषधियों की सप्लाई;

— गाड़ियों, सूक्ष्म-दर्शी यंत्रों तथा कार्यालय उपकरणों की सप्लाई;

— जिंक ओक्साइड रेसिन और गोंद वाली अडहेसिव, वाटर प्रूफ एंड अक्लूसिव टेप;

— स्थानीय लागत पर नकद सहायता और अध्ययन; स्वास्थ्य शिक्षा;

— कार्यक्रम की मानीटरिंग, सलाह मशविरा और अनुसंधान संस्थाओं का योगदान;

— पुनरीक्षा और मूल्यांकन।

भुवनेश्वर में केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय का कार्य-करण

5908. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका तथा उनके मंत्रालय का ध्यान दिनांक 28-3-85 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो अधिशासी अभियन्ता कार्यालय ईस्टर्न गांजिग डिवीजन, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर (उड़ीसा) में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है;

(ख) क्या उक्त मामले की जांच करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच रिपोर्ट से क्या पता लगता है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के यद्यपि तीन मंडलाधिकारी हैं और वहां पर कोई सर्किल आफिस नहीं है जो कि उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के मंडलों के काम का निरीक्षण सही समय पर और ठीक ढंग से नहीं हो रहा है जिससे भ्रष्टाचार और अकुशलता में वृद्धि हो रही है; और

(घ) क्या सरकार इस राज्य में, जो कि प्रायः बाढ़ तूफानों जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित रहता है, प्रभावी पर्यवेक्षण और केन्द्रीय जल आयोग के कार्य का विस्तार करने के लिए उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग का एक सर्किल आफिस खोलेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). 28 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे उक्त समाचार के बारे में सरकार को जानकारी है। केन्द्रीय जल आयोग यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जल आयोग का उड़ीसा में कोई सर्किल कार्यालय नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग का उड़ीसा में एक नया सर्किल खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जल-विज्ञान प्रेक्षण तक बाढ़ पूर्वानुमान के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की जिम्मेदारियां हैदराबाद स्थित सर्किल द्वारा पूरा की जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में उड़ीसा स्थित तीन डिवीजन कार्य कर रहे हैं।

रानीपेट में भेल संयंत्र से एक रेलवे साइडिंग का निर्माण

5909. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रानीपेट स्थान पर "भेल" संयंत्र के निकटतम रेलवे स्टेशन तक एक रेलवे साइडिंग के निर्माण में काफी देरी हुई है;

(ख) क्या रानीपेट स्थित "भेल" संयंत्र द्वारा सम्पूर्ण निर्माण लागत जमा कराए जाने के बावजूद भी इस प्रकार की देरी हुई है;

(ग) उक्त देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेलवे साइडिंग के कब तक पूरा होने और कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भा० है० इ० लि० कम्पलेक्स के बाहर निजी साइडिंग का काम पूरा होने वाला है और विद्युतीकरण सहित यह अक्तूबर, 85 तक परिचालनिक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। तथापि, भा० है० इ० लि० कम्पलेक्स के भीतर का काम भा० है० इ० लि० प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले और पूरा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों की वजह से रुक गया है :—

(1) तल्प में मिट्टी डालने का काम।

(2) 1.5 कि० मी० लम्बाई के लिए रेलपथ सामग्री की सप्लाई।

(3) साइडिंग के संरेखण में कच्ची सामग्रियों के ढेर के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करना।

(घ) रेलवे भा० है० इ० लि० कम्पलेक्स के भीतर की साइडिंग का काम भा० है० इ० लि० के प्राधिकारियों द्वारा अपने हिस्से का काम पूरा कर दिए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर पूरा कर देगी।

नई दिल्ली के पश्चिम विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोला जाना

5910. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के पश्चिम विहार के निवासियों को, उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय न होने के कारण भारी असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में एक नया औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पश्चिम बिहार में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक एलोपैथिक औषधालय पहले ही मंजूर कर दिया गया है और इस औषधालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रखे गए फ्लैटों का आबंटन होते ही यह औषधालय कार्य करना शुरू कर देगा ।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई

5911. **श्री सोभनाद्रीश्वरा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि नई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान न करने के कारण इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी लम्बे अर्से से विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश से अब तक ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और केन्द्र सरकार ने कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). वन तथा वन्य जीव विभाग ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश से 1980 से प्राप्त हुए 30 प्रस्तावों में से अब तक 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं । अन्य अधिकांश मामलों में राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

पत्तन मजदूरों के सभी वर्गों का एकीकृत नियंत्रण के अन्तर्गत एकत्रीकरण

5912. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के सभी वर्गों को चाहे वह पत्तन न्यासों के हों या गोदी श्रमिक बोर्ड के हों, एक श्रमिक बल के अन्तर्गत एकत्र करने और उन्हें एक एकीकृत नियंत्रण के अन्तर्गत लाने का कोई विचार है; '

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने मई, 1975 में अन्य बातों के साथ-साथ "पारगमन शेडों से जहाजों में तथा जहाजों से पारगमन शेडों तक कारगो लाने ले जाने के काम को या तो एक पद्धति या एकीकृत प्रचालन समझने की जरूरत के संदर्भ में पत्तन और गोदी श्रमिकों को लगाने और उनके समन्वित कार्य का अध्ययन करने और उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए समिति का गठन किया । समिति ने डाक लेबर बोर्डों को समाप्त करने और कारगो हैंडलिंग को पोर्ट ट्रस्टों के अधीन लाने की सिफारिश की । सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया । यह समझा गया कि प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में इन दोनों संगठनों अर्थात् पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों में लगे श्रमिकों जिनके रोजगार की शर्तें और वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं को समेकित करने और पूरे प्रचालन कार्य को पोर्ट ट्रस्टों को सौंपने में

काफी कठिनाई होगी। इसलिए यह निर्णय किया गया था कि इस बारे में पोर्ट के कार्य में काफी जानकारी प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा आगे और अध्ययन किया जाए। अधिकारी ने यह सिफारिश की कि मौजूदा डाक लेबर बोर्ड, जहाजों और तट पर सभी प्रकार के श्रमिक के लिए एक मात्र श्रमिक सप्लाई करने वाली और श्रमिक लगाने वाली "एजेंसी" के रूप में कार्य करें हालांकि विभिन्न नियोजकों के अधीन भिन्न-भिन्न सेवा शर्तों के विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक रहेंगे। इस सिफारिश को व्यावहारिक नहीं पाया गया।

तथापि परादीप, टूटीकोरिन और न्यू मंगलोर पत्तनों तथा हल्दिया डाक काम्पलेक्स में समेकित कारगो हैंडलिंग श्रमिक पद्धति लागू करने के बारे में शुरूआत करने का निर्णय किया गया। इन स्थानों पर डाक लेबर बोर्ड नहीं हैं। इन पत्तनों पर प्रयोगिक आधार पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इसी बीच पत्तन और गोदी श्रमिकों के फेडरेशनों के साथ 11-4-84 को हुए नए वेतन समझौते में इन पत्तनों पर डाक लेबर बोर्डों या त्रिपक्षीय निकायों या पोर्ट ट्रस्ट के प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में कारगो हैंडलिंग श्रमिकों के संस्थागत करने/स्थायी बनाने के लिए मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का उपबन्ध भी शामिल था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है किन्तु इस बारे में अब तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

हल्दिया में आधारभूत सुविधाओं में सुधार

5913. **श्री विमल कांति घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य आधारभूत सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त सड़कें और रेल संपर्क के कारण नौवहन गतिविधियों को केन्द्र के रूप में हल्दिया के विकास में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो हल्दिया को माल प्रेषकों के लिए आकर्षक बनाने हेतु आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। हल्दिया राष्ट्रीय राज्य दोनों राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। यह पूर्णतया: विद्युतीकृत इकहरी लाइन द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्य लाइन से भी जुड़ा हुआ है और यह मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने आवास सम्बन्धी समस्याओं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, पर काबू पाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :—

(i) भारी संख्या में पोर्ट उपयोगकर्ताओं को आवास आबंटित किए गए हैं।

(ii) इच्छुक पोर्ट उपयोगकर्ताओं को, विशेषकर जो हल्दिया में बस गए हैं और पोर्ट क्वार्टर ले लिए हैं, को भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) सातवीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में पोर्ट उपयोगकर्ता होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है।

(iv) हल्दिया डाक कम्पलेक्स परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए हल्दिया में बस सेवाएं चलाने और हल्दिया के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना हेतु अंशदान करता है।

(v) दूरस्थ स्थानों से चलने वाले ट्रैफिक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निर्यात कार्गो का जहाज में लादने से पहले नाममात्र का किराया लेकर भण्डारण करने जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

पोर्ट अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ मिल कर मौजूदा आधारभूत सुविधाओं की निरंतर समीक्षा भी कर रहा है ताकि उनमें सुधार लाया जा सके।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इंगित पश्चिम बंगाल के विद्युत संयंत्रों की कमियां

5914. **श्री विमल कान्ति घोष** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक दल ने पश्चिम बंगाल के विद्युत संयंत्रों और उपकरणों के कार्य निष्पादन और वहां पर रखरखाव के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं की खामियों से पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों को बतायी गयी उक्त कमियों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए तदर्थ क्या सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं; और

(ग) इस बारे में राज्य के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का इरादा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) जिन क्षेत्रों/उपस्करों में प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण की आवश्यकता है वे निम्नलिखित है :—

(1) कोयला हैंडलिंग प्रणाली (2) बायलर और बर्नर प्रणाली (3) टर्बो जेनरेटर (4) फीड जल प्रणाली (5) शीतलन प्रणाली, और (6) राख हैंडलिंग प्रणाली।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बंडेल और संथालडीह ताप विद्युत केन्द्रों के लिए नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है। योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद स्कीमें पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।

कलकत्ता पत्तन का कार्य-निष्पादन

5915. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन की कार्यकुशलता में सभी प्रकार से गिरावट आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कलकत्ता पत्तन के घटिया कार्यनिष्पादन के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) कलकत्ता पत्तन के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन न्यास में पिछले तीन वर्षों में कुछ मदों में प्रति हुक प्रति पाली के रूप में उत्पादन में कमी आयी है जबकि अन्य कुछ मदों में उत्पादकता करीब-करीब पहले के स्तर पर ही रही है। कलकत्ता और हल्दिया दोनों में ही पिछले तीन वर्षों में प्रति हुक प्रति पाली औसत उत्पादन निम्नलिखित था :—

(टन में)

वस्तु	1982-83	83-84	84-85
कलकत्ता			
खाद्य पदार्थ	103.2	93.1	93.6
उर्वरक	91.4	81.3	66.6
उर्वरक-कच्चा पदार्थ	115.9	105.0	115.2
सीमेंट	144.2	127.5	116.3
चीनी	—	110.2	154.9
सामान्य कारगो	76.0	71.5	76.8
हल्दिया			
खाद्य सामग्री	—	57.1	—
उर्वरक और उर्वरक पदार्थ	54.7	63.4	64.6
सीमेंट	—	105.7	108.5
चीनी	57.4	98.7	84.1
पीग आयन	97.0	81.8	—
ईंधन कोयला	310.3	440.3	343.3
सामान्य कारगो	92.4	69.0	85.1

(ग) कलकत्ता पत्तन में उत्पादकता में कमी का मुख्य कारण कारगो हैंडलिंग कर्मचारियों की अधिक उम्र का होना है। पिछले दो दशकों में एक भी कारगो हैंडलिंग कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों के क्लीयरिन्स की गति धीमी होने के कारण इसके डिस्चार्ज की गति धीमी हो गयी और उत्पादकता प्रभावित हुई। वर्ष 1984-85 में लम्बे समय तक वर्षा और आधुनिक कारगो हैंडलिंग उपकरणों की कमी के कारण वर्ष 1984-85 में उत्पादकता कम हुई।

(घ) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अपनाए गए उपायों में समय की पाबन्दी को लागू करना, कारगो हैंडलिंग उपकरण का आधुनिकीकरण/वृद्धि करना, कारगो हैंडलिंग परिचालन का बेहतर पर्यवेक्षण करना, मौजूदा कारगो हैंडलिंग उपकरण की अधिकतम उपलब्धता, प्रोत्साहन स्कीम शुरू करना आदि शामिल हैं ।

कलकत्ता पत्तन में पारेषण शेडों का रखरखाव

5916. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कलकत्ता पत्तन पर पारेषण शेडों का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा और शेडों में बिजली की व्यवस्था बुरी हालत में है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं कि कलकत्ता पत्तन पर आवश्यक मरम्मतों में उपेक्षा न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). किद्दरपुर गोदी और नेताजी सुभाष गोदी में शेड और गोदाम काफी पुराने हैं । पर्याप्त धन की कमी के कारण, कलकत्ता पत्तन के लिए यह संभव नहीं है कि वह इनकी देखभाल के लिए समुचित सुरक्षात्मक अनुरक्षण करे । वर्ष 1982 से गोदी में रोशनी के प्रबन्ध में काफी सुधार हुआ है । गोदी के परिचालन क्षेत्र में फ्लड लाइट टावर भी लगाए गए हैं ।

(ग) वर्ष 1980 से सामान्य अनुरक्षण मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं जिसमें विशेष मरम्मत कार्य भी शामिल हैं । अब तक कलकत्ता पत्तन न्यास ने शेडों के मरम्मत और अनुरक्षण पर 1,37,15,908.97 रुपए व्यय किए हैं ।

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण प्रतिष्ठान और हरियाणा सरकार के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण

5917. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण प्रतिष्ठान (उत्तर क्षेत्र) और हरियाणा सरकार के कितने अधिकारियों को उन संयुक्त निरीक्षण दलों में शामिल किया गया है जो हरियाणा राज्य में समय-समय पर मूल औषधियों के उत्पादन विक्रिय हेतु लाइसेंस देने के आदेश पत्रों पर विचार करते हैं; और उनके लिए शैक्षिक योग्यता तथा मूल औषधियों के उत्पादन सम्बन्धी क्या-क्या योग्यतायें तथा अनुभव निर्धारित किये गये हैं;

(ख) उपरोक्त दलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त अधिकारियों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की

जाती है हालांकि हरियाणा के औषधि नियंत्रक बल्क औषधियों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कानूनन स्वरूप सक्षम है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो हरियाणा राज्य में केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र) के अधिकारियों और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के दल संयुक्त निरीक्षण करते हैं। औषध निरीक्षक औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत निधारित अर्हताएं रखते हैं।

(ख) निरीक्षकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुबन्ध)।

(ग) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र) के अधिकारियों पर होने वाले खर्च में केवल सामान्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ही शामिल है। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों ने औषध नियंत्रक, हरियाणा के अनुरोध पर संयुक्त निरीक्षणों में भाग लिया।

विवरण

औषध निर्माण एककों तथा उन एककों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	औषध निर्माण एकक का नाम	केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के नाम जो इस निरीक्षण-दल में शामिल थे निरीक्षण की तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स सफिम लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कुण्डली, जिला-सोनीपत	श्री के० विजय राज श्री ए० के० ओंगल श्री ओ० पी० अग्रवाल 16 अक्तूबर, 1981
2.	मैसर्स इन्ट्राकैमिकल्स एण्ड ड्रग्स (प्राइवेट) लिमिटेड, गुड़गांव	श्री के० विजय राज श्री ए० के० ओंगल श्री ओ० पी० अग्रवाल 15 अक्तूबर, 1981
3.	मैसर्स सफिम लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कुण्डली, जिला-सोनीपत	श्री के० विजय राज श्री आई० जे० सहगल श्री ओ० पी० अग्रवाल 18 अप्रैल, 1983
4.	मैसर्स सीमा फर्मा, एम० आई० ई०, बहादुरगढ़	श्री बी० आर० बाधवां श्री ओ० पी० अग्रवाल 6 जुलाई, 1981

1	2	3
5.	मैसर्स जगसोनपाल एण्ड कम्पनी, पी० ओ० अमर नगर, फरीदाबाद	डा० पी० दास गुप्ता श्री आई० जे० सहगल श्री एम० मित्रा श्री एम० एल० गर्ग श्री ओ० पी० अग्रवाल 5 मई, 1983
6.	मैसर्स फार्माकम एम० आई० ई०, बहादुरगढ़	श्री आई० जे० सहगल श्री ओ० पी० अग्रवाल 3 अप्रैल, 1984

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी

5918. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में वर्ष 1961 में शुरू की गई राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी में कुप्रबन्ध के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संस्थान और देश के अन्य संस्थानों की सुरक्षा के लिए इस मामले की जांच कराने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के बारे में छपा कुप्रबन्ध सम्बन्धी समाचार सही नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

मद्रास-तिरुचि-चोलन एक्सप्रेस में अतिरिक्त वातानुकूलित डिब्बों की व्यवस्था

5919. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे का विचार मद्रास-तिरुचि-चोलन एक्सप्रेस में अतिरिक्त वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वातानुकूल सवारी डिब्बों की अनुपलब्धता।

नागपुर और बड़नेरा के बीच शटल रेल गाड़ी चलाना

5920. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1985-86 के दौरान आरम्भ की जाने वाली नई रेल गाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जिले के लोग नागपुर और बड़नेरा के बीच नई शटल रेल-गाड़ी चलाने की निरन्तर मांग करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नागपुर और बड़नेरा के बीच नई शटल रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1-5-85 से चलायी गयी नयी गाड़ियां मई, 1985 में प्रकाशित समय-सारणी में पहले ही शामिल कर दी गयी हैं। चलायी जाने वाली अन्य गाड़ियों के बारे में अंतिम निर्णय अक्टूबर, 1985 की समय सारणी जारी होने से पूर्व लिया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कार्य की नई मदों को शामिल करना और महाराष्ट्र के लिए आबंटन

5921. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्य की नई मदें शामिल की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ग) नई योजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आबंटन करने का विचार है; और

(घ) कार्य की नई मदों के लिए वर्ष 1985-86 में महाराष्ट्र के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की कोई मद शामिल नहीं की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कार्यनीति को ही सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

दक्षिण-पूर्व रेलवे में चारेगांव रेलवे स्टेशन के समीप 16-8-1984 को हुई रेल दुर्घटना

5922. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में छोटी लाइन पर चारेगांव रेलवे स्टेशन के समीप 16 अगस्त, 1984 को एक दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारणों का ब्यौरा क्या था;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए और रेल विभाग द्वारा कितनी और किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने दुर्घटना स्थल का स्वयं दौरा किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने क्या टिप्पणियां की थीं तथा उनके द्वारा लोगों को दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। 16 अगस्त, 1984 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन खंड पर चरेगांव तथा समनापुर स्टेशनों के बीच पुल सं० 62 पर 4 जी० जे० जबलपुर-गोंदिया सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी।

(ख) दक्षिण-पूर्व सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त के, जिन्होंने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना मूलतः निकटवर्ती क्षेत्र में भारी वर्षा से अचानक आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण पुल सं० 62 के बह जाने तथा पुल के पहुंच मार्ग के रेलवे पुश्ता में दरार पड़ जाने के कारण हुई थी।

(ग) इस दुर्घटना में 112 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा 39 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें और 37 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं। मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को 1000 रुपये, गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को 750 रुपये और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 250 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को अब तक 33 लाख रुपये तथा घायल व्यक्तियों को 2.57 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) 18-8-84 को तत्कालीन रेल मंत्री ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया था और निम्नलिखित घोषणाएं की थीं :—

1. एक विशेष मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा सभी पुलों, पुलियाओं, समपारों का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाय और डीजल इंजनों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाय।
2. भाप इंजन के डीजल इंजन से बदलने तथा सवारी डिब्बा स्टाक के सम्पूर्ण नवीकरण/बंदलाव के लिए एक अभियान चलाया जाए।
3. तदर्थ दावा आयुक्त की तत्काल नियुक्ति की जाए।

4. नयनपुर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय नियंत्रण कार्यालयों की स्थापना तथा बालाघाट में आपतकालीन नियंत्रण कार्यालय की स्थापना की जाए।

5. दक्षिण-पूर्व रेलवे पर छोटे आमान की सभी लाइनों का महाप्रबन्धक द्वारा तत्काल निरीक्षण किया जाए।

6. मौसमी हालात में सुधार होने तक छोटे आमान के सभी परिचालनों को तत्काल बन्द किया जाए। मौसमी हालत अच्छे न होने के समय गाड़ी सेवाएं बन्द करने के लिए रेलों द्वारा मौसम विज्ञान विभाग से सम्पर्क बनाए रखा जाना चाहिए।

7. अभिज्ञेय मृतक के निकट सम्बन्धी को मुआवजे के एक भाग के रूप तत्काल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाए।

8. पुलों तथा रेल पथ की मरम्मत युद्ध-स्तर पर की जाए।

9. घायल व्यक्तियों तथा उनकी हालत के बारे में सूचना देने के लिए नागपुर तथा जबलपुर में आपतकालीन नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

5923. **श्री मानेवेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है;

(ख) क्या प्रवेश के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार इन जातियों के छात्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यलयों का ब्यौरा क्या है जहां गत वर्ष के दौरान उक्त समुदायों के पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध नहीं थे; और

(ङ) चालू शिक्षा वर्ष 1985-86 के दौरान इन जातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित पात्र वर्गों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाते हैं। यद्यपि एक स्कूल में स्थिति भिन्न-भिन्न है अत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उपलब्धता तक भरा जाता है। 1984-85 के दौरान दिल्ली क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों के दाखिले से सम्बन्धित ब्यौरेवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्रत्येग केन्द्रीय विद्यालय में अपेक्षित प्रतिशतता तक यदि आवश्यक हो तो अर्हंक स्तर में छूट देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दाखिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	कक्षा 1 में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ०जा०/अ० ज० जा० की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	तुगलकाबाद	107	27	—	27.1
2.	रामकृष्ण पुरम सेक्टर-II	70	11	06	24.3
3.	ए०जी०सी०आर० कालोनी	90	20	01	23.6
4.	सैनिक विहार	60	12	02	23.3
5.	वी०के०वी० गाजियाबाद	60	13	01	23.3
6.	रामकृष्ण पुरम सेक्टर-I/III	105	16	08	23.0
7.	गोल मार्किट	105	16	08	23.0
8.	लारेंस रोड	70	15	01	23.0
9.	टैगोर गार्डन	105	21	03	23.0
10.	हिन्डन नं० 1	105	23	01	22.9
11.	केन्द्रीय विद्यालय नं० 2 फरीदाबाद	80	17	01	22.5
12.	पुष्प विहार	67	12	03	22.4
13.	केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 फरीदाबाद	112	19	06	22.3
14.	ऐन्ड्रूज गंज	105	15	08	21.9
15.	आई०एन०ए० कालोनी	105	21	02	21.9
16.	न्यू फ्रैन्डस सेन्टर	60	12	01	21.7
17.	हिन्डन नं 2	105	20	02	20.9
18.	जे०एन०यू० नई महरौली रोड	239	43	05	20.1
19.	दिल्ली कैन्ट नं० III	105	21	01	21.0
20.	मस्जिद मोठ	95	13	07	21.0
21.	शालीमार बाग	60	10	02	20.0

1	2	3	4	5	6
22.	प्रगति विहार	57	09	02	19.3
23.	जनकपुरी	90	12	04	17.7
24.	गुड़गांव	90	15	01	17.8
25.	दिल्ली कैन्ट नं० II	138	18	05	16.7
26.	एन०टी०पी०सी० बदरपुर	110	17	01	16.3
27.	रामकृष्ण पुरम, सेक्टर I	105	15	02	15.7
28.	अर्जुनगढ़	70	09	02	15.7
29.	डोगरा लाईन्स मेरठ	138	20	02	15.9
30.	के०वी० सिख लाईन्स मेरठ	104	13	—	12.5
31.	दिल्ली कैन्ट नं० 1	175	11	08	11.0
32.	मुरादनगर	101	10	—	9.9
33.	झड़ौदा कला	105	09	01	9.5
34.	झज्जर	29	02	—	6.9
35.	पंजाब लाईन्स मेरठ	131	07	—	5.33

प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति

5924. **श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सहायता की एक योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार अलग-अलग कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई और चालू वर्ष 1985-86 के दौरान कितने अध्यापक नियुक्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) योजना पर होने वाले व्यय के राज्यों और केन्द्र के बीच बंटवारे का आधार क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1983-84 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है जिसके अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए सहायता दी जाती है।

(ख) एक वितरण संलग्न है, जिसमें अध्यापिकाओं के पदों की संख्या दर्शाई गई है, जिनके लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों को अनुदान दिया गया था। राज्यों द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापकों की वास्तविक संख्या अभी तक उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1985-86 के दौरान नियुक्त किए जाने वाले संभावित अध्यापकों की संख्या की इस समय जानकारी नहीं है।

(घ) केन्द्र राज्य हिस्सा 80 : 20 है।

विवरण

उन अध्यापिकाओं की संख्या जिनके लिए 1983-84 और 1984-85 के दौरान अनुदान संस्वीकृत किए गए थे

क्रम सं०	राज्य का नाम	अध्यापिकाओं की संख्या	
		1983-84	1984-85*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	200	750
2.	असम	200	750
3.	बिहार	200	750
4.	जम्मू और काश्मीर	—	400
5.	मध्य प्रदेश	300	1150
6.	उड़ीसा	200	750
7.	राजस्थान	300	1150
8.	उत्तर प्रदेश	400	1550
9.	पश्चिम बंगाल	200	750
	कुल :	2000	8000

*1984-85 के आंकड़ों में वर्ष 1983-84 के अध्यापकों की संख्या भी शामिल है।

मेट्रो रेलवे, कलकत्ता द्वारा रेल डिब्बों का आयात

5925. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो रेलवे कलकत्ता का 86 रेल डिब्बे आयात करने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इनका आयात आवश्यक समझा गया जबकि इंटेग्रेल कोच फ़ैक्टरी, मद्रास में रेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) क्या इंटेग्रेल कोच फैक्टरी, मद्रास 20 रेल डिब्बों का निर्माण कर चुका है और उन्हें प्रयोग किया जा रहा है तथा उसे मेट्रो अधिकारियों से 144 रेल डिब्बे और बनाने का क्यादेश प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेल डिब्बों के आयात को रद्द करने तथा देश में उनके निर्माण को तेज करने का है; और

(ङ) क्या मेट्रो रेलवे कलकत्ता की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं है और इसमें देरी होने के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि हुई है; और व्यय में इस प्रकार हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के लिए सवारी डिब्बों की जरूरत का कुछ अंश आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ख) मेट्रो सवारी डिब्बों के आयात की आवश्यकता मूलत: निर्माण-क्षमता की कमी के कारण महसूस हुई है, क्योंकि सातवीं योजना अवधि के लिए मेट्रो सवारी डिब्बों सहित कोचिंग स्टाक की आवश्यकता से देश में उपलब्ध कुल देशीय उत्पादन क्षमता कम है।

(ग) सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास ने कुल 144 मेट्रो सवारी डिब्बों के आदेश में से अभी तक 28 सवारी डिब्बों का निर्माण किया है ।

(घ) सवारी डिब्बों के आयात के लिए अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है । देशीय उत्पादन को ध्यान में रखने के बाद ही सवारी डिब्बों का आयात करने का हिसाब लगाया गया है ।

(ङ) 1972 में स्वीकृत इस परियोजना की लागत का अनुमान 140 करोड़ रुपये लगाया गया था और परियोजना रिपोर्ट में इसको 1978 में पूरा करने का उल्लेख किया गया था । धन की अत्यधिक तंगी तथा अन्य विभिन्न समस्याओं के कारण इस परियोजना को पूरा करने के लिए पुन: कार्यक्रम बनाना पड़ा । इस समय काम संतोषजनक रूप से प्रगति पर है और आशा है कि लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना 1989 के अन्त तक पूरी हो जायेगी, बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो ।

[हिन्दी]

इन्दौर-बम्बई के बीच बरास्ता भोपाल रेल सेवा आरम्भ करना

5926. **श्री सत्यनारायण पवार** :

श्री बाल कवि बैरागी :

श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दौर-बम्बई के बीच बरास्ता भोपाल रेल सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : फिलहाल, भोपाल के रास्ते इन्दौर और बम्बई के बीच एक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"बालकेन्द्रों" को अनुदान और उनमें अनियमिततायें

5927. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बाल केन्द्रों को अनुदान आबंटित किया जाता है, और यदि हां, तो राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है और कितने बाल केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुल जिलों में कल्पित बाल केन्द्रों के नाम में आबंटित धनराशि का दुरुपयोग करने के प्रयास किए गए हैं, और यदि हां, तो कितने राज्यों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शिशु शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अनुदान नौ शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक एजेन्सियों को दिए जाते हैं अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल । राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते । एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यवार केन्द्रों की संख्या और उन्हें दिया गया अनुदान दर्शाया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

शिशु शिक्षा की योजना के अन्तर्गत 1982-83, 1984-85, और 1984-85 के दौरान दिए गए अनुदान और केन्द्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	1982-83		1983-84		1984-85	
		केन्द्रों की संख्या	अनुदान की राशि	केन्द्रों की संख्या	अनुदान की राशि	केन्द्रों की संख्या	अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6,930	81	2,82,510	170	8,11,050
2.	असम	2	6,930	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	10	36,510	10	83,350
4.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मध्य प्रदेश	15	51,975	15	53,000	35	1,85,175
6.	उड़ीसा	44	1,52,460	97	4,54,860	96	4,36,305
7.	राजस्थान	22	76,230	31	1,40,100	74	3,30,650
8.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	71	3,18,630
9.	पश्चिम बंगाल	1	3,465	69	3,41,910	148	6,27,382
	कुल :	86	2,97,990	303	13,08,890	604	27,92,542

[अनुवाद]

हिन्दी का प्रचार करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता मंजूर करने के लिए मानदण्ड

5928. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार/प्रसारण/हिन्दी शिक्षा देने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं, मानदण्ड और नियम आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक के बीदर जिले में भालकी में सत्य निकेतन हिन्दी प्राथमिक स्कूल/विद्यालय को ऐसी सहायता देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शिक्षा मंत्रालय स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को हिन्दी के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है । इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को अहिन्दी भाषी राज्यों सहित देश के सभी भागों में हिन्दी के प्रसार और विकास के क्षेत्र में अपने कार्यकलाप जारी रखने और/अथवा उन्हें विस्तृत करने या नये कार्य आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । अपेक्षित विवरण और दस्तावेजों के साथ सहायता-अनुदान के आवेदन-पत्र राज्य सरकारों/निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली/केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के मद्रास हैदराबाद/कलकत्ता और गोहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों पर भेजने अपेक्षित होते हैं । विकासात्मक योजनाओं के लिए कुल अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत अनुदान और कुल अनुमोदित व्यय का 60 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये, जो भी कम हों भवन के प्रयोजनार्थ दिए जाते हैं । अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों के लिए अनुदान स्कूलों को चलाने के लिए बजट में किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ आधार पर दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि बाद वाले सहायता अनुदान सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सामान्य रूप से अनुमत्य अनुदान के बदले में कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा । घाटा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

(ख) और (ग). उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984-85 के दौरान सहायता अनुदान के लिए मुख्याध्यापक, सत्य निकेतन हायर प्राइमरी स्कूल, भालकी, बिदार, (कर्नाटक) से क्षेत्र अधिकारी,

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 959, खैराताबाद, हैदराबाद के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र इस मंत्रालय की अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी बैठक 23-11-84 को हुई थी। अनुदान समिति ने भवन निर्माण और वर्ष 1983-84 के लिए शिक्षकों को वेतन की अदायगी से सम्बन्धित घाटे को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान हेतु संगठन के प्रस्ताव की जांच की थी। समिति ने वर्ष 1984-85 के लिए संगठन को अनुदान देने की सिफारिश निम्नलिखित कारणों से नहीं की :—

(i) योजना के अन्तर्गत अनुदान पिछली जिम्मेदारियों अथवा ऋणों को वहन करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान हुए घाटे को पिछले उत्तरदायित्व के रूप में समझा गया।

(ii) क्योंकि हिन्दी प्रसार योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठन को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया अतः भवन के निर्माण के लिए कोई अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं था।

(iii) स्कूल को चलाने से सम्बन्धित बजट में घाटा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था जैसाकि योजना में इसकी व्यवस्था है।

(iv) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लेखों के परीक्षित विवरण की प्रतियां और पिछले तुलन-पत्र की प्रति सहायता अनुदान के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी थी जो योजना के नियमों के अन्तर्गत जरूरी है।

(v) संगठन द्वारा संचालित हिन्दी पाठ्यक्रमों की मान्यता और परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रासंगिक दस्तावेज तथा शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की अर्हताओं और अनुभव से सम्बन्धित विवरण भी संलग्न नहीं किये गये थे।

संस्थान को उन कारणों से अवगत करा दिया गया है जिनकी वजह से मंत्रालय उनको वर्ष 1984-85 के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर पाया है।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर काकतियाल नहर परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

5929. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

डा० जी० विजय रामाराव :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर काकतियाल परियोजना, जिसे "चरण-1 के अन्तर्गत" 235 कि० मी० से 284 कि० मी० तक बढ़ा दिया गया है, को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह विश्व बक की सहायता के लिए केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग). योजना आयोग ने श्रीराम सागर परियोजना के चरण-एक को अगस्त 1984 में अनुमोदित कर दिया था । तदुपरान्त परियोजना के कार्यक्षेत्र में संशोधन कर दिया गया । आशोधित श्रीराम सागर परियोजना चरण-एक, जिसके साथ काकतिया नहर को 284 किलोमोटर तक बढ़ाना शामिल है, की परियोजना रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को जनवरी 1985 में प्राप्त हुई है और यह परीक्षणाधीन है । इसके साथ-साथ परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रस्तुत किया गया है ।

पोचमपद परियोजना से उठाऊ सिंचाई सुविधाएं

5930. **श्री जो० भूपति** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारांगल जिले के करीमनगर जिले के लिए पोचमपद परियोजना से उठाऊ सिंचाई सुविधाओं का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो परियोजना इस समय किस अवस्था में है;

(ख) क्या कोई परियोजना अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी क्योंकि इससे अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई परियोजना अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बायोमैग्नेटिज्म से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्था

5931. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बायोमेग्नेटिज्म से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो कहां;

(ग) क्या सरकार इस चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में अन्य देशों से सम्पर्क कर रही है; और

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं और उनकी सफलताओं के सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को बायोमैग्नेटिज्म जैसी किसी बीमारी की जानकारी नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिलाओं के कल्याण के बारे में वर्कशाप और इसकी सिफारिशें

5932. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला विकास फोरम द्वारा महिलाओं विशेषत: लड़कियों, के कल्याण के सम्बन्ध में अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था;

(ख) इस वर्कशाप में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) क्या इसमें भाग लेने वालों ने देश के प्रत्येक विभाग/कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं/लड़कियों का स्तर सुधारने के सुझाव दिए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित की गई वर्कशाप के बारे में सरकार की कोई जानकारी नहीं है ?

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

वैगन फैक्टरियों में वार्षिक उत्पादन

5933. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वैगन फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सह सच है कि सरकार ने राजस्थान की एकमात्र वैगन फैक्टरी के आर्डरों को कम करके अन्य फैक्टरियों को आर्डर दे दिए हैं जो उनकी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश में माल-डिब्बा निर्माण यूनिटों की वार्षिक संस्थापित क्षमता का उल्लेख किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(आंकड़े चौपहियों में)

क्र० सं०	फर्म का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता
1	2	3
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1.	भारत वैगन, मुजफ्फरपुर	1000

1	2	3
2.	भारत वैगन, मोकामा	1500
3.	ब्रेथवेट, कलकत्ता	3000
4.	बर्न-स्टेन्डर्ड, बर्नपुर	3911
5.	बर्न-स्टेन्डर्ड, हावड़ा	4750
6.	जेसप्स, कलकत्ता	3279
	निजी क्षेत्र	
7.	सिमको, भरतपुर	2000
8.	हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई	1000
9.	माडर्न इंडस्ट्री, साहिबाबाद	2000
10.	टेक्समेको, कलकत्ता	3600
	जोड़	26040

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा गलत बिल बनाए जाना

5934. **श्री राम समुझावन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विभिन्न कार्यालयों में बिजली की खपत (घरेलू) के लिए समय-समय पर बनाए जाने वाले बिलों को उपभोक्ताओं को भेजे जाने से पहले उनकी किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा जांच या प्रति जांच नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रामाकृष्णापुरम जैसे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ कार्यालयों में बिल बनाने की व्यवस्था बहुत खराब है और जिन बिलों की धनराशि जमा करवा दी जाती है उनकी धनराशि को भी आगे आने वाले बिलों में बकाया धनराशि के रूप में जोड़ दिया जाता है और उसी क्षेत्र में रहने वाले किसी—उपभोक्ता की धनराशि अन्य उपभोक्ता के बिल में जोड़ दी जाती है जिससे परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को ही गलती ठीक करवाने के लिए दिल्ली विद्युत संस्थान के कार्यालयों के चक्कर लगाने और गलती से ठीक करने में काफी असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). घरेलू/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर बही में रिकार्ड की गई खपत के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिनकी जांच दर जांच बिल क्लर्कों द्वारा की जाती है और राशि का जोड़ कम्प्यूटरों द्वारा किया

किया जाता है तथा भेजने से पूर्व खाता बही में की गई प्रविष्टियों के साथ मिलान किया जाता है। चूंकि इस प्रकार तैयार किए गए बिलों को पुन: जांच नहीं की जाती है, अत: जटिल बिलों, जिनमें खपत का निर्धारण करना होता है, अधिक दर/प्रभार के आवेदनों, विवादास्पद/अन्तिम बिलों की पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, रामाकृष्णापुरम सहित-जहां बिल हाथ से बनाए जाते हैं, सभी जिलों में उपभोक्ताओं के बिल बनाने के काम की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि जिन मामलों में या तो पहले बिल का भुगतान नहीं किया गया है अथवा चालू बिल की गणना की तारीख के बाद भुगतान प्राप्त हुआ है, ऐसे मामलों में बाद के बिलों में बकाया राशि दिखाए जाने की सम्भावना है। जब कभी इस प्रकार की या अन्य किसी प्रकार की विसंगति ध्यान में आती है तो उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। बिल बनाने वाले स्टाफ को यह अनुदेश हैं कि बिल बनाते समय उचित ध्यान रखें और सावधानी बरतें।

मिलावट के विरुद्ध कानून तथा स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

5935. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पानी और खून को भी मिलावट विरोधी कानून के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी अनुमोदन कर दिया गया था जिन्होंने औषधियों और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में उक्त कानून के कार्यान्वयन की समस्याओं और विसंगतियों का जिक्र किया था :

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में कानून में किस सीमा तक संशोधन किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (ख), और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 (ख) (i) में दी गई परिभाषा के अनुसार "रक्त" को पहले ही औषध समझा जाता है। 1-9-1984 को हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार पेय जल को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन लाने की व्यवहार्यता पर विचार करें। लेकिन जल को खाद्य की परिभाषा में शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि पेय जल की पूर्ति के विनियमन के लिए अन्य विधान उपलब्ध हैं।

(ग) औषध नियंत्रण और खाद्य अपमिश्रण निवारण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

औषध नियंत्रण और खाद्य अपमिश्रण निवारण के विषय पर हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि :—

1. राज्य सरकारें औषध नियंत्रण और खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए उत्तरदायी

राज्य की मशीनरी को विशेषकर, निरीक्षण, परीक्षण, आसूचना और विधि विभागों को विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुदृढ़ करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय यो ना के राज्य क्षेत्र में उपयुक्त प्रस्ताव शामिल करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करें।

2. केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह पीने वाले पानी, बर्फ और तम्बाकू (सभी रूपों में) को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत लाने की व्यवाहार्यता पर विचार करें। सरकार संक्षिप्त कार्यवाही और न्यूनतम कड़ी सजा देने के लिए एनफोर्समेंट की प्रक्रियाओं को भी सरल करने पर विचार करें। औषध और खाद्य सामग्री अधिनियमकों के अन्तर्गत किए जाने वाले अपराधों का निर्णय करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए और खाद्य अपमिश्रण की पहचान करने के लिए उन्हें पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए।

3. राज्यों को चाहिए कि वे नकली दवाइयों सम्बन्धी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए एक विशेष मशीनरी स्थापित करें।

4. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों को, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, लागू करने के लिए राज्य बाकायदा कार्यवाही शुरू करें।

5. खाद्य पदार्थ की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए जनशिक्षा कार्यक्रमों, विज्ञापनों, लघुचित्रों, आकाशवाणी प्रसारणों, दूरदर्शन शृंखलाओं तथा विज्ञापन के ऐसे ही अन्य उपकरणों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

6. खाद्य पदार्थों के क्वालिटी नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, विशेषकर महिला संगठनों को, प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाए।

7. खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रमों को मार्गदर्शन, मानिटर और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर परामर्शदात्री समितियां स्थापित की जाएं।

8. राज्यों द्वारा मिलावटरोधी तथा दण्ड की कार्यवाही में तालमेल बिठाने के लिए एक तन्त्र की स्थापना की जाए ताकि अन्तर्राज्यीय समस्याएं हल की जा सकें।

9. केन्द्रीय सरकार को सभी स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

10. सोचे गए उपायों को सख्ती से लागू करने लिए राज्य के तन्त्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों को सहायता देने की एक योजना केन्द्र सरकार तैयार करें।

11. योजना आयोग से सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य पक्ष में इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने के लिए अनुरोध किया जाए।

होमियोपैथी को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता

5936. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि प्रत्येक राज्य को वर्ष 1985-86 के दौरान होमियोपैथी को बढ़ावा देने हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्यों को होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती हो।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों को आबंटित स्थान

5937. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों को कितने स्थान आबंटित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कालेजों में एम० बी० बी० एस० में अब तक दाखिल किए गए छात्रों का राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक विदेशी छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उनके लिए आबंटित स्थानों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न मेडिकल कालेजों के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रकों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का कुल मिलाकर कोई विशेष आबंटन नहीं किया जाता है। शैक्षिक सत्र 1985-86 के लिए विदेशी छात्रों को केन्द्रीय पूल से एम० बी० बी० एस० सीटों का आबंटन करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ). विदेशी छात्र देश के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में सीधे तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के अन्तर्गत कोलम्बो योजना, शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने खर्च पर पढ़ने वाले छात्रों के रूप में आदि जैसे कार्यक्रमों के जरिए दाखिला लेते हैं। विदेशी छात्रों के बारे में वास्तविक दाखिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये छात्र कई माध्यमों से दाखिला लेते हैं। विभिन्न मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमताएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालयों के विनियमों के अनुसार तय की जाती हैं।

दामोदर घाटी निगम से पश्चिम बंगाल को विद्युत की सप्लाई

5938. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड दामोदर घाटी निगम से पैदा और सप्लाई की जाने वाली बिजली की अदायगी तुरन्त करता है;

(ख) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1983, 1984 और 1985 वर्ष के प्रथम दिवस पर कुल कितनी अदायगी दी जानी थी;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड द्वारा अनियमित अदायगी के कारण दामोदर घाटी निगम से पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1 जनवरी 1983, 1984 और 1985 को कुल बकाया राशि क्रमश: 4.79 करोड़ रु०, 8.44 करोड़ रु० और 11.02 करोड़ रु० थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दामोदर घाटी निगम और भारत सरकार बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड/पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कार्यवाही कर रही है ।

नर्मदा नहर

5939. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना से नर्मदा नहर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो नहर की, लम्बाई कितनी होगी और कितना क्षेत्र इस नहर की परिधि में आ जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस नहर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है; और

(ग) नर्मदा परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या यह प्रगति संतोषजनक है तथा इसे कब तक पूरा किया जाना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरदार सरोवर परियोजना की नर्मदा मुख्य नहर की लम्बाई राजस्थान सीमा तक 439 किलोमीटर है । नहर का कृषि योग्य कमान क्षेत्र गुजरात में 21.24 लाख हैक्टेयर है ।

(ख) नहर के प्रारम्भिक पहुंचों पर निर्माण कार्य 1980 में शुरू किया गया था । राजस्थान सीमा तक नहर को 1996 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) बांध की नीव एवं बायां तट मोनोलिथ पर कार्य चल रहा है । एजेन्सी को निश्चित करने के लिए मुख्य बांध के वास्ते टेन्डर आमंत्रित किए गए हैं । परियोजना के निर्माण की समय-अनुसूची में कुछ विसर्पण हुआ है । सरदार सरोवर परियोजना के 2006 तक पूर्ण रूप से पूरा किए जाने का कार्यक्रम है ।

गुजरात में नए रेलवे स्टेशन खोलने का प्रस्ताव

5940. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान नए रेलवे स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर पश्चिम क्षेत्र में कितने नए रेलवे स्टेशन खोले जाने की सम्भावना है; और

(ख) गुजरात में आगामी तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों का निर्माण करने और नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नये रेलवे स्टेशन वर्तमान तथा नयी दोनों रेल लाइनों पर खोले जाते हैं। ऐसे प्रस्तावों पर यातायात और विकास की आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष आधार पर अथवा परिचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से विचार किया जाता है। यह रेलों की एक सतत प्रक्रिया है और जब भी ऐसी कोई आवश्यकता होती है, इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। इस सम्बन्ध में आगामी तीन वर्षों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) भुज-नालिया नयी मीटर लाइन परियोजना को प्राथमिकता दी गयी है और इसके तीन वर्ष में पूरे हो जाने और चालू कर दिए जाने की आशा है, बशर्ते कि समग्र तौर पर संसाधन उपलब्ध हों। इस लाइन पर यातायात के विकास के आधार पर चरणबद्ध रूप में स्टेशन खोले जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित स्थान

5941. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अगस्त, 1978 में सभी केन्द्रीय विद्यालयों को यह निदेश जारी किए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को जहां तक संभव हो, भरा जाए तथा उक्त संगठन ने इस प्रयोजन के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा इन निदेशों, दिशानिर्देशों तथा अन्य निर्णयों का कहां तक पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के सम्बन्ध में अगस्त, 1978 में कोई हिदायतें जारी नहीं की गई थीं। तथापि, वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं मार्च/अप्रैल, 1979 में जारी की गई थी जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में व्यवस्था निहित है। इसी प्रकार की रूपरेखाएं हर वर्ष प्रिन्सिपलों को जारी की जाती हैं। दाखिले करते समय केन्द्रीय विद्यालय के प्रिन्सिपलों द्वारा मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पालन किया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा और राज्यों को धनराशि प्रदान करने के मानदंड

5942. **प्रो० बिमल कान्ति घोष** :

श्री देवी घोषाल :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक शिक्षा योजना पर 1984-85 के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और विभिन्न राज्यों में क्या प्रगति हुई;

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा के लिए धनराशि प्रदान करने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान गैर-औपचारिक शिक्षा पर व्यय के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 11.96 करोड़ रुपए की कुल राशि दी गई थी जिसमें 34 लाख बच्चों को अनुमानित रूप से शामिल करने के साथ 1.62 लाख केन्द्रों का व्यय शामिल है।

(ख) योजना को कार्यान्वित करने के लिए पिछड़े हुए 9 राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती हैं जिसमें 50:50 हिस्से के आधार पर केन्द्र खोलना तथा विशेष रूप से लड़कियों के लिए 90 : 10 हिस्से के आधार पर केन्द्र खोलना भी शामिल है।

(ग) (i) राज्यों को दिए गए अनुदानों के अतिरिक्त इन राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है।

(ii) शैक्षिक संस्थाएं चलाने वाले और/अथवा शैक्षिक अनुसंधान में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों तथा देश के किसी भी भाग मे इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगी सरकारी एजेन्सियों की गैर-औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी प्रायोगिक/नवीन परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है।

(iii) गैर-औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत लड़कियों के दाखिलों में निष्पादन की उत्कृष्टता के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

(iv) गैर-औपचारिक शिक्षा में प्रयोग के लिए शिक्षण-अध्ययन सामग्रियों के निर्माण के लिए अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में वस्तु सहायता दी जाती है।

तमिलनाडु में नई रेल लाइनें और रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

5943. **श्री एम० महालिंगम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में नई रेल लाइनें बिछाने और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना अनुमोदित है और करूर से डिंडिगुल तक नयी बड़ी लाइन, डिंडिगुल से मदुरै तक समानान्तर बड़ी लाइन, मदुरै से मणियाच्ची तक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन और तिरुनेल्लवेल्ली से तुत्तिकोरिन तक एक सामानान्तर बड़ी लाइन के लिए विभिन्न खण्डों पर काम चल रहा है। इसमें से तिरुनेल्लवेल्ली से मिल्लीवत्तन तक बड़ी लाइन को साइडिंग के रूप में हाल ही में पूरा किया गया है।

(ग) इस परियोजना के लिए आबंटित राशि ज्ञात नहीं है क्योंकि सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

नई दिल्ली नगर पालिका के सीनियर नवयुग स्कूलों में प्रवेश के लिए अभ्यावेदन

5944. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के जूनियर नवयुम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार जूनियर केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को जूनियर केन्द्रीय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सीनियर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दे दिया जाता है उसी प्रकार जूनियर नवयुग स्कूल की परोक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके बच्चों को भी सीनियर नवयुग स्कूलों में प्रवेश दिया जाए;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जूनियर नवयुग स्कूल के बच्चों को सीनियर नवयुग स्कूल में सीटों के अभाव और कुछ अन्य कारणों से पिछले अनेक वर्षों से प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार जूनियर स्कूलों के छात्रों को प्रवेश सुविधाएं देने के लिए और अधिक सीनियर स्कूल खोलने या जूनियर स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में भी जूनियर और सीनियर नवयुग खोलने का है क्योंकि यह सुविधा इस समय केवल नई दिल्ली के लिए ही सीमित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सीनियर नवयुग स्कूल में प्रवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जो छात्र जूनियर नवयुग स्कूल की कक्षा V में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें अपने आप ही सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिला मिल सकता है । बाकी के छात्र सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिले के लिए अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं । विकल्पतः, वे न० दि० न० पा०/दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अन्य सैकण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं ।

(ग) से (ङ). जैसाकि नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि निधियों तथा स्थान के अभाव में दिल्ली अथवा नई दिल्ली में कोई नया सीनियर नवयुग स्कूल खोलने अथवा जूनियर नवयुग स्कूल को सीनियर नवयुग स्कूल में स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण

5945. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की माही बजाज सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अथवा सीमा क्षेत्र में निर्माणाधीन है और इसके बारे में कोई समझौता नहीं है, के निर्माण से मध्य प्रदेश की भूमि जलमग्न हो गई है अथवा होने की संभावना है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न होने वाली भूमि का क्षेत्रफल और वर्गीकरण क्या है; और

(ग) क्या राजस्थान राज्य द्वारा प्रत्येक मामले में पर्याप्त मुआवजा दे दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार द्वारा 1978 में तैयार की गई माही वजाज सागर यूनिट-एक की संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जलमग्न होने वाला क्षेत्र 622.43 हैक्टे० है जिसमें निजी एवं राजकीय कृषि योग्य और गैर-कृषि योग्य भूमि व वन क्षेत्र शामिल है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच सहमत हुई मुआवजे की 32.20 लाख रुपए की कुल राशि में से राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 27.75 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा बम्बई के निकट फ्लोटिंग होटलों का निर्माण

5946. **श्री एम० जी० घोलप** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास बम्बई के निकट अरब सागर में फ्लोटिंग होटलों के निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी गई है;

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नलकूपों को बिजली देना

5947. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल कितने सिंचाई नलकूपों को बिजली दी गयी है और कितने नलकूपों को अभी बिजली दी जानी है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इन शेष नलकूपों को भी बिजली देने के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पम्प सैटों को बिजली देना एक सतत कार्य है। यह अनुमान है कि छठी योजना के अन्त तक संभावित बिजली प्राप्त करने वाले पम्प सेटों की संख्या 37 लाख है। तकनीकी सर्वेक्षणों तथा राज्यों के प्रस्तावों के अभाव में पम्पसेटों की सही संख्या, जिनको अभी बिजली दी जानी है, बता पाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए लघु सिंचाई पर कार्यकारी दल ने सातवीं योजना के दौरान 30 लाख पम्पसेटों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

जनवरी, 1985 से अब तक हुई रेल दुर्घटनायें

5948. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन स्थानों पर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में मरने वाले और रेल सम्पत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं; और

(ङ) मृतकों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को अब तक किस प्रकार का मुआवजा दिया गया है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख). जनवरी, 1985 से 30 अप्रैल, 1985 तक हुई गाड़ी दुर्घटनाओं का रेलवेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या			
	टक्कर	पटरी से उतरना	समपार पर दुर्घटना	गाड़ी में आग लगना
मध्य	3	28	4	7
पूर्व	2	21	4	2
उत्तर	3	27	8	1
पूर्वोत्तर	—	7	3	3
पूर्वोत्तर सीमा	3	58	5	—
दक्षिण	—	19	2	—
दक्षिण मध्य	1	17	4	—
दक्षिण पूर्व	2	25	2	1
पश्चिम	1	23	1	5

ये दुर्घटनाएं भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय रेलों पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुई थीं।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 113 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और 384 घायल हुए थे। रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत अनुमानतः 3.48 करोड़ रुपये है।

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण जिसमें प्रथमदृष्टया कारण भी शामिल हैं, नीचे बताये गये हैं :—

1. रेल कर्मचारियों की गलती	—	105
2. रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	—	29
3. उपस्कर की खराबी :—		
चल स्टॉक	—	42
रेल पथ	—	12
सिगनल और दूर संचार	—	1
4. मिले जुले कारण	—	4
5. संयोगवश	—	13
6. जिनके कारणों का पता नहीं लग सका	—	4
7. कारण जिनकी छानबीन की जा रही है	—	82

(ङ) जनवरी, 1985 से हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति का अभी कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

सिंगरौली ताप बिजली घर में राजस्थान का हिस्सा

5949. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थित ताप बिजली घरों में से प्रत्येक में राजस्थान का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या इन संयंत्रों द्वारा पैदा की गई बिजली में से राजस्थान को उसका पूरा उचित हिस्सा मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 1000 मेगावाट की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा 12.35% है । इस हिस्से की तुलना में, राजस्थान इस समय सिंगरौली से लगभग 10 प्रतिशत प्राप्त कर रहा है । यह कमी उत्तर प्रदेश द्वारा अधिक बिजली लेने के कारण है ।

उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आबंटित धनराशि

5950. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1984-85 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी थी; और

(ख) प्रौढ़ शिक्षा पर उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्र एवं राज्य दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत 1984-85 में उड़ीसा को प्रौढ़ शिक्षा के लिये 196.89 लाख रु० की कुल राशि आबंटित की गई थी। राज्य सरकार ने 1984-85 के दौरान वहन किये गये खर्च के सम्बन्ध में अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

तपेदिक में औषध प्रतिरोध शक्ति

5951. **श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख औषधियां निष्प्रभावी साबित हुई हैं;

(ख) कितने बड़े अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तपेदिक में औषधि प्रतिरोध का परीक्षण करने की सुविधायें हैं; और

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक तपेदिक रोधी औषधियों की उपलब्धता की स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) क्षय रोग रोधी औषधियों को जीवाणुओं पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है इस बात को देखते हुए उन्हें तकनीकी तौर पर जीवाणुनाशी या जीवाणुस्तम्भक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो जीवाणुओं पर उनके जो क्षयरोग-रोधी औषधियां क्षयरोगियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं और राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केन्द्र के हिस्से (प्लान स्कीम) के रूप में सप्लाई की जा रही है वे बहुत प्रभावकारी हैं बशर्ते कि उनका चिकित्सक की सलाह के अनुसार निर्धारित अवधि नियमित रूप से सही खुराक में सेवन किया जाये। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 18 जिलों में किए जा रहे अल्पावधि रसायन चिकित्सा औषधि विधान की प्रभावकारिता पर पायलट अध्ययन के एक अंग के रूप में क्षयरोगियों, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज करवा रहे क्षयरोगी भी शामिल हैं, के इलाज के लिए अब रिफेरपिसिन और पीरेजिनामाईड जैसी आधुनिक क्षय-रोधी औषधों की भी सप्लाई की जा रही है। औषध प्रतिरोधी सम्बन्धी परीक्षणों, जिसमें "कल्चर" जांच तथा अतिसंवेदनशील परीक्षण भी शामिल हैं, के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा स्टाफ और उपकरणों से पूर्णतया लैस जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला जरूरी होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में इस प्रकार की उपकरणों से पूर्णतया लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय यह सुविधाएं मेडिकल कालेजों/बड़े अस्पतालों/आरोग्याश्रमों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछेक क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों में आमतौर पर उपलब्ध हैं।

देश में और उड़ीसा में क्षय रोगियों की संख्या

5952. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्षय रोगियों के उपचार के लिए अब तक कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनायें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में, केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50 : 50 खर्च के आधार पर, क्षयरोग-रोधी औषधियां, सामग्री तथा उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं ।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को केन्द्र के हिस्से के रूप में सप्लाई की गई क्षयरोग-रोधी औषधियों तथा सामग्री और उपकरणों की लागत तथा वर्ष 1985-86 के लिए किए गए बजट प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए लाखों में)
1980-81	7.20
1981-82	5.60
1982-83	5.36
1983-84	19.98
1984-85	27.05
1985-86 (बजट अनुमान)	30.00

[हिन्दी]

माही परियोजना

5953. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्माणाधीन माही परियोजना से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना के कारण कितना भू-क्षेत्र जलमग्न होगा तथा इसमें से कितने भू-भागो में खेती होती है तथा इससे इन राज्यों की कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित होने की सम्भावना है;

(ग) योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए 1985-86 की वार्षिक योजना तैयार कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान तथा गुजरात के राज्य लाभान्वित होते हैं ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा 1978 में तैयार की गई माही बजाज सागर परियोजना की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14377 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इसमें से 13454.49 हैक्टेयर राजस्थान में तथा 622.43 हैक्टेयर मध्य प्रदेश में होगा। राजस्थान की 7791.5 हैक्टेयर कृषि योग्य निजी भूमि जलमग्न हो जाएगी और राजस्थान के लगभग 28000 व्यक्ति प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के 48 परिवार भी प्रभावित होंगे। तथा मध्य प्रदेश की लगभग 36 हैक्टेयर (181 बीघा) कृषि योग्य निजी भूमि जलमग्न हो जाएगी।

(ग) से (ङ) योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इस परियोजना के लिए 10,000 हैक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के अनुरूपी भौतिक लक्ष्य सहित राजस्थान के 7वीं योजना में 31.63 करोड़ रुपए के परिव्यय तथा वार्षिक योजना 1985-86 में 14.97 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

गुजरात सरकार द्वारा तैयार किए गए सातवीं योजना दस्तावेज में इस परियोजना के लिए सातवीं योजनावधि में 8.08 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1985-86 के लिए 1.00 करोड़ की व्यवस्था की है।

[अनुवाद]

पेशेवर रक्तदानकर्ताओं द्वारा रक्त दान करने पर प्रतिबन्ध

5954. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में पेशेवर रक्तदानकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से रक्तदान-व्यापार किया जा रहा है और ये रक्तदानकर्ता वे लोग हैं जो जीविका के लिए पूर्ण रूप से इस पेशे पर आश्रित हैं और वे बड़ी भयानक जिन्दगी जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेशे के रूप में रक्त दान करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए रक्तदान के पेशे पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा पेशेवर रक्तदानकर्ताओं को लाइसेंस देने के प्रश्न पर कभी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से और (ग) समाचार पत्रों में समय-समय पर उन व्यक्तियों के बारे में खबरें छपी हैं जो धन लाभ के लिए बार-बार रक्त-दान करते हैं। तथाकथित पेशेवर व्यक्तियों द्वारा रक्त-दान किए जाने को विनयमित करना सम्भव नहीं है। वैसे, सरकार स्वैच्छा से रक्त-दान करने की आदत डालने की जरूरत पर बार-बार बल देती आ रही है क्योंकि यही एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा भारी मात्रा में रक्त एकत्र किया जा सकता है और वह रक्त सुरक्षित, स्वच्छ और रोग-मुक्त होगा। स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को तैयार करने की क्षमता देश में स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की गति पर निर्भर करेगी।

सरकार द्वारा संचालित पालिटेक्निकों की संख्या

5955. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने पालिटेकनिक हैं;

(ख) कितने पालिटेकनिक सरकार द्वारा संचालित हैं; और

(ग) गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित कितने पालिटेकनिक हैं और क्या इनमें सरकारी पालिटेकनिक के पाठ्यक्रमों के अनुरूप शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पालिटेकनिक कालेज

5956. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने पालिटेकनिक कालेज खोले हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों में पालिटेकनिक कालेज खोलने सम्बन्धी मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं आता है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें पालिटेकनिक कालेज खोले गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े जिले मांडला को विकसित करने की दृष्टि से वहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में पालिटेकनिक कालेज खोलने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) पालिटेकनिकों की स्थापना करना सम्बन्धित सरकारों की जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में कोई पालिटेकनिक नहीं खोला है, न ही मांडला जिला में कोई पालिटेकनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

[अनुवाद]

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का अध्ययन

5957. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रायोगिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए गए साफ्टवेयर मुख्यत: ब्रिटेन के अनुभव पर आधारित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन को शुरू करने की प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत यू० के० सरकार द्वारा द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया था । परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बीस साफ्टवेयर पैकेजों का चयन किया गया था । यह सुनिश्चित करने के लिए काफी सावधानी की गई थी कि ये पैकेज जहां तक सम्भव हो सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र हों तथा भारतीय स्थिति के अनुकूल हो ।

यहां स्कूलों में प्रयोग के लिए भारत में शैक्षिक साफ्टवेयर विकसित करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षा मंत्रालय को जानकारी है। यह कार्य शुरू कर दिया गया है तथा भारत में ही तैयार किए गए कुछ साफ्टवेयर को 1985-86 में स्कूलों में प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

अनाथों की देखभाल और विकास के कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठन

5958. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनाथों की देखभाल और विकास के कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जाती है तथा ऐसे कितने संगठन हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) 1979-80 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान "सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेवा योजना" के अन्तर्गत 814 संगठनों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को, केन्द्रीय हिस्से के रूप में 690.86 लाख रुपए की कुल धनराशि सहायक अनुदान के रूप में दी गई।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में स्वच्छता की स्थिति

5959. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में स्वच्छता स्थिति सन्तोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में अपेक्षित स्तर की सफाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध किया गया है। रोगियों की अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण इन अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर आमतौर पर अधिक दबाव रहता है जिसके कारण इनमें अनकूलतम स्तर की सफाई नहीं रखी जा सकती। शाहदरा और हरिनगर में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पताल तथा दिल्ली के परिधीय क्षेत्र मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर और जफ्फरपुर में 100-100 पलंगों वाले तीन अस्पताल खोल दिए जाने पर यह दबाव काफी कम हो जाने की सम्भावना है।

गर्मियों में स्टेशनों पर ठंडे पानी की व्यवस्था

5960. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मियों में स्टेशनों पर ठंडे पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है हालांकि गर्मियां आ गई हैं; और

(ख) स्टेशनों पर पर्याप्त मात्रा में ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) स्टेशनों पर गर्मी के दिनों में पीने का ठंडा पानी सप्लाई करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें पीने योग्य पानी से भरे मटकों, पर्याप्त संख्या में पानी के नलों और हैंडपंपों की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा बड़े स्टेशनों पर जल शीतकों और पानी की ट्रालियों की व्यवस्था की गयी है और स्टेशनों पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए अस्थायी ग्रीष्मकालीन पानी वाले भी तैनात किए गए हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका के नवयुग स्कूलों के छात्रों का केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

5961. **श्री आर० एम० भोये** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा नई दिल्ली में नवयुग स्कूल में अभी हाल ही में शुरू की गई पद्धति केन्द्रीय विद्यालयों की पद्धति के समान है;

(ख) क्या प्राइमरी कक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद नवयुग स्कूल के छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार नवयुग स्कूलों जिनकी संख्या सीमित है और जो केवल नई दिल्ली में ही हैं, की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नवयुग स्कूल जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हैं, प्रगतिशील स्कूलों की पद्धति पर चलाए जाते हैं, जबकि केन्द्रीय विद्यालय जो केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं, सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षा के माध्यम द्वारा अविच्छिन शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाए जाते हैं।

(ख) और (ग) सामन्यत: केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-II तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में नए दाखिलों के अवसर बहुत कम होते हैं। तथापि, स्थान उपलब्ध होने पर, निर्धारित दाखिला नियमों के अनुसार नए दाखिले किए जाते हैं। इस प्रकार के दाखिले प्राथमिकता, श्रेणियों के क्रम में तथा स्थानान्तरणीय मानदंडों के अनुसरण में कड़ाई से किए जाते हैं।

(घ) सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिले के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार, ऐसे छात्र, जो जूनियर नवयुग स्कूलों की कक्षा-V में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, को सीनियर नवयुग स्कूल में अपने आप दाखिला मिल सकता है। शेष छात्र अन्य स्कूलों छात्रों के साथ सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिले के लिए प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। विकल्पत: वे नई दिल्ली नगर पालिका/ दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अन्य माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।

एल्यूमीना की ढुलाई के लिए मछलीगुड़ा रामगढ़ रेल लाइन

5962. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मछली-गुड़ा से रामगढ़ तक रेल लाइन की प्रगति, तत्सम्बन्धी निष्कर्षों और निर्माण के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) कोरापुट-रायगडा रेल संपर्क का प्रथम चरण अर्थात् कोरापुट और मछलीगुडा (19.65 कि० मी०) के बीच का कार्य समाप्ति पर है तथा जून 1985 तक साइडिंग के रूप में इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है । मछलीगुडा से रायगडा तक रेल लाइन का निर्माण आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनाए गए नियम

5963. **श्री विभाघोष गोस्वामी** :

श्री राज कुमार राय :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसका वित्तपोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित इस प्रकार के संगठनों को अपने कर्मचारियों का अधिशासन करने के लिए वर्तमान सरकारी नियमों का अपनाना होता है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी वर्तमान सरकारी नियमों को अपनाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन नियमों का ब्यौरा क्या है जो इस विषय में सरकार के नियमों से भिन्न हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। विभिन्न सरकारी नियम केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर स्वतः लागू नहीं होते हैं। इसके शासी निकाय को संगठन के प्रशासन तथा प्रबन्ध कार्यों के लिए नियम बनाने के अधिकार हैं। तथापि यह कुछ मामलों में तदनुरूपी सरकारी नियमों को आवश्यक परिवर्तन करके अपना सकता है।

12.00 मध्याह्न

द्वितीय विश्व युद्ध में फासिज्म के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं ने, एक मत होकर उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कही है—और ऐसा होना भी चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में फ़ासिज्म के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस युद्ध में लगभग 4 करोड़ 20 लाख व्यक्ति शहीद हुए थे और लगभग 8 करोड़ व्यक्ति विकलांग अथवा घायल हुए थे और अगिनत व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा था। आकड़ों के लिए ऐसे व्यक्तियों की संख्या पता लगाने का कोई लाभ नहीं है, उनके कष्टों की कहानी कल्पनातीत है। मेरे विचार से पूरी सभा इस बात से सहमत है तथा इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्त्तव्य समझती है।

किन्तु यह श्रद्धांजलि उस बात का भी ध्यान दिलाती हैं कि फासिज्म ताकतों की जड़ें निर्मूल नहीं हैं : ये ताकतें बार-बार अपना सिर उठाने की कोशिश करती रहती हैं। मैं समझता हूं हमें इस कटु वास्तविकता के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारे इस महान देश के एक महान राजनेता और नेता तथा भविष्यदृष्टा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस खतरे के प्रति तब अगाह किया था जब उन्होंने तनकर जर्मन और इटली के फाजिस्ट शासन के बिरुद्ध आवाज उठाई थी और मेरे विचार से वह पहले भारतीय और राजनेता थे जिन्होंने यह बताया कि सब होने जा रहा है। हम भारतीय, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, और जिन्होंने उस शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई अहिंसात्मक ढंग से लड़ी, इस बात को अवश्य ही महसूस करेंगे कि हमने जो स्वतन्त्रता प्राप्त की है, वही एक शक्ति है जो हमारे भविष्य का निर्माण कर सकती है और हमारे भाग्य को बदल सकती है। समय-समय पर भारतवासी निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि हम लोग अपने देश के हित की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं और हम लोग ऐसा मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं जिसका समस्त विश्व अनुयायी रहा है। किन्तु आज भी कुछ लोगों का यह विचार बना हुआ है कि यदि वे लोकतांत्रिक माध्यम से सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अन्य साधनों से शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। किन्तु जो शक्ति ताकत के जोर पर प्राप्त होती है, उसके प्राप्तकर्त्ता की आमतौर पर हत्या ही होती रही है। आपने फासिस्ट जर्मनी का इतिहास पढ़ा होगा—हिटलर की तूफानी सेना का नेतृत्व रोमेल ने किया था और स्वयं रोमेल का और उसकी सेना का रातों रात कत्ल कर दिया गया था क्योंकि हिटलर अब उससे सहमत नहीं था।

यही परम्परा सर्वोत्तम परम्परा रही है कि जनता के अहरणीय अधिकार जनता के हाथ में ही सुरक्षित रहें। हम लोगों को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हमारे देश में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, जिनसे हमें लड़ना होड़ा और इस बात का अहसास करना होगा कि यदि हमारे हाथ से मत देने का अधिकार और अपने भविष्य का निर्माण करने का अधिकार छिन गया तो भविष्य में कोई किसी की भी किसी भी स्थान पर रक्षा नहीं कर पायेगा। इसीलिए मैंने अभी-अभी कहा था कि यह अवसर, हम सभी को इस बात को याद दिलाने का है कि हम सभी

को हर समय जागरूक रहना चाहिए क्योंकि यह अधिकार किसी भी हालत में वापस नहीं मिलता है। बन्दूक की ताकत से प्राप्त अधिकार बन्दूक की ताकत वाले के पास ही रहता है।

[हिन्दी]

जिसकी लाठी उसकी भैंस।

[अनुवाद]

इसके बाद कोई व्यक्ति किसी के बारे में दुबारा नहीं सोचेगा। यही परम्परा रही है। आप जो चाहे कर सकते हैं, किन्तु आप ऐसा तभी तक कर सकते हैं; जब आपके पास वह शक्ति होगी, जिसके लिए हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया था। इसीलिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे विचार से पूरी सभा मेरे इस प्रस्ताव से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं एक मामले को सम्पूर्ण सभा के समक्ष रखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सभा मुझसे सहमत होगी···

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न उठा रहा हूं। राजनैतिक प्रणाली के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना देनी होगी। व्यवस्था बनाए रखने में मेरी सहायता कीजिए···

प्रो० के० के० तिवारी : कल और परसों जनता पार्टी के तत्वावधान में कुछ बुद्धिजीवियों की एक गुप्त सभा आयोजित की गई थी। जनता पार्टी में एक शीर्षस्थ नेता श्री बीजू पटनायक ने कहा था·····(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। नहीं। यह किस नियम के अन्तर्गत है। श्री तिवारी, आप मेरी बात मानेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप सभा के बाहर यह बात उठा सकते हैं। इस समय आप मेरे साथ सहयोग करें। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातें बाहर कीजिए ? यहां इसकी इजाजत नहीं है। श्री तिवारी, यह बहुत बुरी बात है। कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। इस बात को गम्भीरता से लिखा जा सकता है। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। महोदय, क्या मैं आपके लिए नियमों की अवहेलना कर सकता हूं। यह सब आप बाहर कर सकते हैं। इतना ही बहुत है किसी भी बात की सीमा होती है।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया आप अपना विनिर्णय दीजिए।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जो नियमानुसार न हो ? मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं ।

[अनुवाद]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, कुछ डाक्टरों ने मौलाना आजाद मैडिकल कालेज और तीन अन्य सम्बद्ध अस्पतालों को किसी गैर-सरकारी समिति को सौंपे जाने का षड़यन्त्र रचा है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए । इस तरह कोई बात नहीं होगी ।

श्री ललित माकन : मैंने सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । अनुमति नहीं दी जाती है । सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती है । कोई चर्चा नहीं । अनुमति नहीं है । श्री माकन, आप उस बात को महसूस करें कि आप क्या कर रहे हैं । यह सब बेकार की बातें हैं । आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं । मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए नियम 193 के अन्तर्गत एक सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज 3.30 म० प० होगी । आपका स्वागत है । आप वहां रहे हैं । इसके बारे में हम वहां चर्चा कर सकते हैं ।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : एक और भी महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सा भी महत्वपूर्ण मामला क्यों न हो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं । आप आयें और मेरे साथ विचार-विमर्श करें ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रीलंका में मन्दिरों तक की सुरक्षा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके मैं आ जाऊंगा । राममूर्ति जी, मैं आपकी बात भी सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने उसके लिए आपको सूचना भी दी है···

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। यदि सभा सहमत हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे विश्वास है कि सभी मुझसे सहमत होंगे···

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इन विषयों को विभाजित भी कर सकता हूं। मैं एक विषय पर ध्यानाकर्षण आज ले सकता हूं और दूसरे विषय के बारे में निर्णय लेने के लिए आप कार्य मंत्रणा समिति में आमंत्रित है।

श्री पुजारी, एक ध्यानाकर्षण है। मैं उसे विभाजित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात है। मैं बैंकों में धोखा-धड़ी के मामलों पर विचार-विमर्श करना चाहता हूं। हम लोग इसे स्पष्ट कर सकते हैं, मेरे विचार से यही ठीक रहेगा। इसके बारे में हम लोग कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं और जैसा चाहे कर सकते हैं। इस समय एक बात को ले सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, अधिस्थगन की चर्चा ध्यानाकर्षण के रूप में की जाएगी, बैंक में धोखा-धड़ी की चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत की जानी चाहिए। उन्हें एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। इन्हें मिलाया नहीं जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपने क्या कहा है, वह नहीं समझे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैंकों में अधिस्थगन और धोखा-धडी दोनों विषयों को पृथक-पृथक किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : क्या इस धोखा-धड़ी के मामले को हम लोग आज ले सकते हैं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैंक धोखा-धड़ी के मामले के समेत एक विस्तृत वक्तव्य दे चुके हैं। अब आप किसी दिन अधिस्थगन का मामला ले सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसी के बारे में मैंने आपको लिखा था। मैंने श्री राम निवास मिर्धा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के मामले की सूचना भी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों का पता लगाने के लिए उन्हें लिखा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, इसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वाशिंगटन गए थे और वहां से लौट आए हैं, उन्होंने सम्वाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया है; सभा एक नियमित कार्य बन गया है जबकि सभा का सत्र चालू होता है, यह सब पूर्व दृष्टांत के विरुद्ध है,

यह आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा किए गए विचारों के सर्वथा विपरीत है। इधर सभा का सत्र चल रहा है और वे लोग संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में बार-बार कह चुका हूं और मेरे विचार से···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह रहा हूं। अधीर न हों। समस्या केवल इस बात की है कि सत्र के चालू रहने की स्थिति में, मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय सदन से बाहर कोई वक्तव्य दें। वे सभा के अन्दर वक्तव्य दे सकते हैं और उन्हें उतनी लोक प्रियता प्राप्त हो जाएगी और उत्तम भी यही होगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

एक माननीय सदस्य : इसे कल लिया जा रहा है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : गेहूं पर दिए जाने वाला बोनस धान की फसल पर नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक कर बोलिए। बेहतर यह होगा कि खड़े होकर बोलें। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।

श्री एच०आर० डोरा (श्री काकुलम) : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि पाकिस्तान एटमबम बना रहा है। मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। इस विषय में मैंने विदेश मंत्री से पूछा है।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : कल मैंने पानी के बारे में बात की थी और आज मैं यात्रा सुविधाओं के बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं। संसद सदस्यों और उनके रिश्तेदारों अथवा अतिथियों के लिए न कोई आरक्षण है, न हवाई जहाज का टिकट प्राप्त होता है। गर्मियों में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जायें।

अध्यक्ष महोदय : आजकल बहुत से लोग छुट्टियों पर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को क्यों नहीं बोलने देते ?

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि श्रीलंका सरकार···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, ऐसा व्यवहार न करें। माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री के० राममूर्ति : श्रीलंका की सरकार ने पी० टी० आई० के संवाददाता पर मुकदमा चलाने का निश्चय कर लिया है और श्रीलंका की सरकार ने उसके आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। महोदय, क्या भारत सरकार इस मामले को उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को मुझे दीजिए। मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भयंकर मच्छरों का प्रकोप हो गया है। महीनों से दवा नहीं छिड़की जा रही है, नतीजा यह हो रहा है कि दिन पर दिन मच्छरों की बढ़ोत्तरी की वजह से मलेरिया भयंकर रूप से फैल रहा है। सरकार इसके बारे में बयान दे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : रोशनी हल्की होती जा रही है। ऊर्जा मंत्री, कृपया इस ओर ध्यान दें। रोशनी कभी कम और कभी ज्यादा होती है। ऊर्जा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा-पटल पर रखे जाएं।

12.15 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

[अनुवाद]

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(2) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 885/85]

रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखे

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 886/85]

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चण्डीगढ़ का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा समीक्षा

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 887/85]

(2) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान, परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 888/85]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना, कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, पैप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विलम्ब से सभा पटल पर रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण, पैप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर देरी से रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 304 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकशाशित हुई थी तथा जिसमें 7 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 599 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 889/85]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 890/85]

(4) पैप्सू सड़क परिहवन निगम, पटियाला, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) पैप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 891/85]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय नौवहन निगम सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नौवहन निगम सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां ।

(7) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 892/85]

पावर इंजिनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पावर इंजिनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) पावर इंजिनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 893/85]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति ।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 894/85]

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, दूसरी मद ली जाएगी—ध्यानाकर्षण—श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, आप समझ गए होंगे कि आप बैंक अधिस्थगन के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, यदि कोई असुविधा न हो, तो अब हम धोखा-धड़ी का मामला ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंक अधिस्थगन का मामला कल लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं ।

श्री के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, सारी बातों पर फिर विचार किया जाय ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर बाद में करना है तो बाद में कर लो ।

[अनुवाद]

किन्तु इस मामले में निर्णय हम लोग पहले ही ले चुके हैं ।

12.16 प० म०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक तथा दो अन्य बैंकों के लिए अधिस्थगन की अचानक घोषणा

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूँ तथा उनसे उस पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ :—

"भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक तथा दो अन्य बैंकों के लिए अधिस्थगन की अचानक घोषणा किया जाना जिसके कारण जमाकर्ताओं को कठिनाई अनुभव हो रही है तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०, बैंक आफ कोचीन लि० और मिराज स्टेट बैंक लि० के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1975 से कारोबार बन्द किये जाने के समय से मिराज स्टेट बैंक के मामले में 29 जुलाई, 1985 तथा अन्य दो बैंकों के बारे में 28 अगस्त, 1985 तक, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के उपबंधों के अंतर्गत अधिस्थगन प्रदान किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक उपर्युक्त बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के काम पर भी कड़ी नजर रखता है। इन तीनों बैंकों के कार्यों और कार्य निष्पादन के असंतोषजनक पाये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें संदिग्ध अग्रिमों की रकमें वसूली के लिए ठोस कदम उठाने का परामर्श दिया गया था। इन बैंकों से एक क्रमबद्ध रीति से अपने पूंजी आधार को मजबूत करने और अपनी धनराशियों तथा जमा राशियों के अनुदेशों में सुधार करने के लिए, विशेषकर इनकी जमा राशियों में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए, प्रारक्षित निधियों को बढ़ाने के लिए कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के बोर्डों में व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता-प्राप्त और अनुभवी व्यक्तियों को अतिरिक्त निदेशकों के रूप में भी नियुक्त किया था।

इन उपायों और अनुदेशों के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारे जाने लायक नहीं रह गयी थी और यह आशंका हो गयी थी कि नकारात्क यानी खराब कार्यचालन परिणामों के साथ इन बैंकों के वार्षिक लेखाओं को प्रकाशित किये जाने का जमाकर्त्ताओं के विश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इन बैंकों पर पैसा निकलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। इन सब बातों का सामान्य रूप से अर्थ-व्यवस्था पर और विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग पर बुरा असर पड़ सकता था। यह सब विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये बैंक स्वतन्त्र रूप से अर्थक्षम बैंकों के रूप अब आगे काम नहीं कर सकते। ये वे परिस्थितियां थीं जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत था कि इन बैंकों की गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जानी चाहिए और रिजर्व बैंक में सरकार को इस आशय का एक आवेदन दिया। अंतरणकर्त्ता बैंकों में जमाकर्त्ताओं के सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए अधिस्थगन की घोषणा की गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के विलय के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

अधिस्थगन प्रदान किए जाने से जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा अंतरण-कर्त्ता बैंकों के पुनर्निर्माण और विलयन में भी सहायता मिलेगी। अधिस्थगन की अवधि के दौरान बैंकों को अधिस्थगन की अधिसूचना में निर्दिष्ट रीति के अनुसार कतिपय भुगतान करने की, जिनमें बैंकों के देनदार जमाकर्त्ताओं को छोड़कर अन्य जमाकर्त्ताओं को किए जाने वाले 2500 रुपये तक की राशि के भुगतान शामिल हैं, अनुमति दे दी गयी है। जब तक इन बैंकों के सम्बन्ध में योजनाओं पर विचार किया जा रहा है तब तक इन बैंकों के ग्राहकों और जनता को होने वाली असुविधाओं को कम से कम करने के लिए ऐसा किया गया है। अंतरणकर्त्ता बैंकों के पास जमा राशियां निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम की प्रति खाता 30 हजार रु० तक के भुगतान की गारंटी द्वारा सुरक्षित है। सभी बैंकों को रिजर्व बैंकों उपलब्ध सहायता के अलावा, अन्य बैंकों के पास जमा राशियों के बारे में भी इसी प्रकार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा सुरक्षा प्राप्त है।

12.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैंक आफ कोचीन के मामले का उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी बैंक के बारे में ही सूचना दी है। लगभग तीन वर्ष पूर्व इस बैंक की दशा बड़ी शोचनीय थी। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया था और उसने इसके लिए एक नया अध्यक्ष तथा कुछ निदेशक नामित किये थे और हाल के बीते दिनों इस बैंक में पर्याप्त सुधार हुआ था। कुछ ही सप्ताह पूर्व बैंक आफ कोचीन ने रिजर्व बैंक की मंजूरी पर अपनी कुछ नई शाखायें भी खोली थी।

अब, इस बैंक के लिए अधिस्थगन की घोषणा किये जाने से विशेषकर उन अल्प-संख्यक संस्थाओं को, जिन्होंने इस बैंक में अपना रुपया जमा कराया था, बड़ी भारी परेशानी हो रही है।

मिशन अस्पतालों जैसी अल्प-संख्यक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं ने अपना सारा रुपया इस बैंक में जमा कराया था और उन संस्थाओं को बैंक से रुपया निकालने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, जबकि इन संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है। तीन वर्ष पूर्व, जब इस बैंक की स्थिति शोचनीय थी, तब कोई भी इस बैंक के अधिस्थगन किये जाने, किसी अन्य बैंक के साथ मिला दिए जाने अथवा दिवालिया घोषित किए जाने की बात सोच सकता था किन्तु अब जबकि पिछले तीन वर्ष से रिजर्व बैंक इसके कार्यकलापों पर नियन्त्रण रख रहा है और इसकी जमापूंजी में वृद्धि हुई है, इस बैंक के लिए अचानक अधिस्थगन स्वीकृत किए जाने से इन संस्थाओं के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। 2500 रु० की राशि तो एक डाक्टर को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ऋणस्थगन को तुरन्त वापस लें और शीघ्र ही जमाकर्त्ताओं को राहत दें। इस सम्बन्ध में वे कृपया केरल के मुख्य मन्त्री से भी परामर्श कर लें। उन्होंने इससे पूर्व वित्त मन्त्री से अवश्य सम्पर्क स्थापित किया होगा। यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा।

यदि यह ऋण स्थगन की स्थिति तीन-चार महीने और बनी रही तो इन सब संस्थानों को क्षति पहुंचेगी। इन में कर्मचारियों की भारी सख्या है। हजारों रोगी भी कष्ट में हैं क्योंकि डाक्टरों को समय पर वेतन नहीं मिलता। अगर यही स्थिति बनी रही तो अस्पताल बन्द हो जायेंगे। जनता की ओर से मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे ऋणस्थगन को जल्द ही वापस लें और इसको किसी अन्य बैंक के साथ मिला दिया जाना चाहिए। आपको ऋण की अदायगी न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, आप को पहले वाले अध्यक्ष को बरखास्त कर देना चाहिए। मैं वर्तमान अध्यक्ष या निदेशकों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उन पर नियमानुसार अभियोग चलाया जा सकता है। मेरा अनुरोध तो केवल इतना है कि अस्पताल जैसी जमाकर्त्ता संस्थाओं को तुरन्त राहत दी जाये। वे बहुत कष्ट में हैं क्योंकि 2500 रु० कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए काफी नहीं हैं। उनको कम से कम पिछले दो या तीन वर्षों के आधार पर समस्त कर्मचारियों की एक मास की तनखाह बैंक से निकालने की इजाजत दी जाय। जैसे कि वे वेतन के भुगतान के लिए सदैव रुपये निकालते आ रहे हैं, उसी तरह उनको अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन निकालने की अनुमति दी जाय और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आदरणीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं। हमें जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करनी होती है। यदि हम चुप रहते या रिजर्व बैंक इस मामले में कुछ न करता तो जमाकर्त्ताओं के हितों को आघात पहुंच सकता था और उन के हितों की रक्षा नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य की सूचना के लिए तथा सदन के माध्यम से जमाकर्त्ताओं की सूचना हेतु मैं बैंक आफ कोचीन के बारे में कुछ तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं। हाल ही में जो निरीक्षण 30 जून, 1983 को किया गया था, बैंक में जमा राशि 4·70 करोड़ अर्थात् कुल जमा राशि का 6·4 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है। बैंक द्वारा दिए गये ऋण 23·61 करोड़ तक बढ़ गये, यदि इस का प्रतिशत बताया जाय तो यह कुल ऋणों का 32·20 प्रतिशत बनता था। इसके अतिरिक्त ऋण देने की शक्ति का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया और बड़ी मात्रा में अनधिकृत ऋण दिए गए। बैंक के पहले के चेयरमैन को उनके कृत-अकृत कार्यों के कारण रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1983 में हटा दिया गया था। इसके बाद, रिजर्व बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किया गया परन्तु ऐसा करने पर भी वे कोई सुधार न ला सके। रिजर्व बैंक के अनुसार यह संरक्षित रोकड़ और सांविधिक इक्विटी अनुपात को बनाये रखने में असफल रहा। इस का बोर्ड स्थिर ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और विभिन्न बैंकिंग कार्य के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था। अतः इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और सब बातों पर विचार करते हुए, और जमाकर्त्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह कदम उठाया गया है। आप ने जमाकर्त्ताओं को दिए जाने वाली 2500 रु० की राशि के बारे में एक बात कही। आप ने यह कहा कि इस राशि को बढ़ाया जाय क्योंकि कुछ जमाकर्त्ताओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है और वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वे वेतनों का भुगतान कर सकें। मैं अवश्य ही रिजर्व बैंक को सलाह दूंगा कि वे इन बातों पर विचार करे और जो कुछ भी इस बारे में सम्भव हो, करें। आज सवेरे ही मैंने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को परामर्श दिया है कि वे इस बात पर गंभीरता से विचार करें। यह बात पूरी तरह से विचाराधीन है।

जहां तक ऋणस्थगन की अवधि का सम्बन्ध है, बहुत से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर विस्तार से विचार करने जा रहा है। मैं अवश्य ही भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी या तो इसका विलय कर दिया जाय और कोई कार्यवाही की जाय। जो सुझाव आपने दिए हैं उन पर मैं अवश्य विचार करूंगा। रिजर्व बैंक के अधिकारी यहां ही हैं और मैं उनको दोबारा कहता हूं कि वे यथा सम्भव अति शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : मैं बैंक की नवीनतम स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। मन्त्री ने जी इस बारे में कुछ जिकर नहीं किया। 1983 के लगभग, स्थिति वास्तविक रूप से खराब थी परन्तु अब स्थिति सुधर गयी है। कुछ ही सप्ताह पूर्व, बैंक ने दो नयी शाखाएँ खोली हैं। यदि बैंक की स्थिति में सुधार नही हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नई शाखाएँ खोलने की अनुमति क्यों दी। जमा राशि बढ़ी है। यदि दो वर्ष पहले की बात होती तो मैं आदरणीय मन्त्री से शतप्रतिशत सहमत होता। स्थिति में अब सुधार हुआ है। इस स्थिति में ऋण-स्थगन अनावश्यक है और मेरा तर्क यह है कि ऋणस्थगन आदेश को तुरन्त वापस लिया जाय और जमाकर्त्ताओं, विशेष रूप से अस्पातालों को धन निकालने की अनुमति दी जाय ताकि वे कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान कर सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही कुल 500 कर्मचारियों के एक मास के वेतन के भुगतान के लिए शीघ्र विचार करें। यदि उनके वेतन का भुगतान नही किया जाता तो अस्पतालों को विवश होकर बन्द करना पड़ेगा और मरीजों को कष्ट उठाने पड़ेंगे।

विलय के प्रश्न के बारे में यह अच्छा रहेगा यदि एक केरल बैंक बनाया जाय क्योंकि अधिकतर कर्मचारी केरल से हैं और यदि इसका विलय नगर से बाहर की किसी जगह पर स्टेट बैंक के साथ कर दिया गया तो इन कर्मचारियों को बहुत कठिनाई हो सकती है। अतः विलय के बारे में कोई कार्यवाही करने से पूर्व हमारे मुख्य मन्त्री से कृपया परामर्श कर लिया जाये।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, तुलन-पत्र तैयार करने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। यदि यह तुलन-पत्र पूर्ण होने वाला है और इसको प्रकाशित होना है, तो इसमें घाटा ही मिलेगा। उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। यही कारण है कि ऋण स्थगन लागू किया गया है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अतः यदि हम जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा चाहते हैं तो निश्चित ही हमें ये कदम उठाने होंगे और यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव सामने रखा है और ऋण-स्थगन लागू किया गया है।

आपके अन्य सुझाव के बारे में यह बात मैं आपके ध्यान में पहले ही लाया हूं कि आपके सुझावों पर विचार किया गया है। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक को भी उन पर विचार करने के लिए पहलें ही सलाह दे दी है क्योंकि आपके सुझाव पर आधारित पहले भी एक अभ्यावेदन दिया गया था। इसलिए हमने यह देखने के लिए पहले से ही कुछ कारवाई की है ताकि जमाकर्त्ता के बीच कोई डर न हो।

उपाध्यक्ष महोदय—अब डा० अदियोडी।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंडाकल आप नहीं मैंने आप को बोलने की दो बार मंजूरी दी हैं। वह पर्याप्त है।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : वित्त मन्त्री के विवरण से मैं समझता हूं कि कोचीन बैंक के बारे में पूरे ब्यौरे रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुए हैं। कोचीन बैंक के बारे में कुछ तथ्य जो उपलब्ध हैं उनसे हमें पता चलता है कि नए अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल सभी ने संस्थान के काम में लापरवाही बरती थी। ऐसे कई बातें हैं जिनकी जांच की आवश्यकता हैं।

पूर्ववर्ती अध्यक्ष की नियुक्ति के तीन महीनों के भीतर निदेशक मण्डल ने इन्हें अपनी सभी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दीं, सभी शाखाओं में वे अपनी इच्छा से ऋण दे सकते थे। पूरे दक्षिण और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा दिल्ली महानगर में बैंक की शाखाएं फैला दी गई हैं। टेलीफोन तथा मौखिक अनुदेशों से सभी शाखा प्रबन्धकों को ऋण और अग्रिम देने के लिए कहा गया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि रिजर्व बैंक द्वारा निमत न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अर्थात् रिजर्व बैंक को ब्यौरे और रिपोर्टें प्रस्तुत करने के कार्य में बैंक असफल रहा।

1981 में कुछ अफसरों को बैंक के कार्य में जांच करने के लिए कहा गया था। चेयरमैन को कहा गया था कि वह बोर्ड को रिपोर्ट भेजे। लेकिन उन्होंने बोर्ड के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक का समय लगाया। रिजर्व बैंक के नामांकित निदेशकों सहित निदेशक मंण्डल बैंक द्वारा किये जा रहे कामों को चुपचाप दर्शक की तरह बैठे देख रहे थे। अतः इस मामले की जांच करने की बहुत आवश्यकता है। तथा उन लोगों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए जो चालबाजी में लगे हुए हैं—चाहे वे चेयरमैन निदेशक, प्रबन्धक या अफसर कोई भी हों।

अभी कल ही माननीय वित्त मन्त्री ने सदन में घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को साधन जुटाने तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ऋण जारी करने की शक्तियां दी गयी हैं। मान लो कि यदि राष्ट्रीयकृत तथा अन्य वाणिज्यक बैंकों में कोई साधारण व्यक्ति कुछ ग्राम सोना लेकर जाता है तो उसे ऋण या अग्रिम की राशि नहीं मिलेगी क्योंकि अग्रिम धनी लोगों को दिए जाते हैं। चेयरमैन प्रबन्धक को टेलीफोन पर ऋण या अग्रिम देन को कहता है। अतः इस तरह के कार्य को रोकना चाहिए और निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार द्वारा उठाई गई कार्यवाही अच्छी है। उदाहरण के लिए तीन चेयरमैनों को नौकरी से हटाना। पर कई शाखाओं में लूटपाट तथा दुराचारों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया था हालांकि ऐसी घटनाएँ प्रायः होती रहती है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सभी जमाकर्त्ताओं तथा लोगों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि उनकी जमा पूंजी रिजर्व बैंक और सरकार की देखरेख में सुरक्षित होगी, तब तक पूरी पद्धति असफल रहेगी और कई संभ्रांतियां होती हैं और इससे केवल मुद्रास्फीति तथा कुप्रबन्ध होगा। मैं उन उपायों के बारे में जानना चाहता हूँ जिन्हें पहले ही उठाया गया था। यदि इसको मिलाने की आवश्यकता है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसे केरल की प्रणाली पर आधारित करें। मैं इस पर आश्वासन देने का भी उनसे अनुरोध करता हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी : इस बैंक में जो अनियमितताएँ, त्रुटियाँ और कमियां पाई गई थीं उनको सदन के ध्यान में लाने के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है। स्पष्ट रूप से इसलिए अनियमितताएँ, अव्यवस्था तथा त्रुटियों का पता लगने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने उस पर गौर करके यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने एक निर्णय लिया है ; उन्होंने सिफारिश भी की है कि यह ऋण स्थगन का उपयुक्त मामला है और इसलिए ऋण-स्थगन किया जाना चाहिए। यहाँ माननीय सदस्यों तथा लोगों की यह दिलचस्पी है कि हमें, भारत सरकार को जमाकर्त्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार का यह देखने का कर्त्तव्य है या उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि उनके हितों को खतरे में न डाला जाए ; इसलिए यह कदम उठाया गया है हालांकि यह प्रबन्धकों या कुछ निदेशकों को रास नहीं आया। माननीय सदस्य ने अगली बात में यह कहा है कि इसके लिए कड़ा दण्ड और जांच होनी चाहिए तथा किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से जांच की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक को इन सभी पहलुओं पर विचार करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। जब हमने उनको उनके मिसमैनेजमेण्ट के ऊपर हटाया है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी प्रायमाफेसी गलती है। इसलिए कोई कार्यवाही अभी से शुरू हो जानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : क्रियाविधि यह है कि यह जमाकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा भी कर रहा है। केवल यही नहीं और भी बहुत कुछ करना है। हम जांच कर रहे हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने बताया है

कि यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा, और उन सभी लोगों को, जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं यह आश्वासन दे रहा हूं। जहां तक दक्षिण में आधारित बैंक के साथ इसे मिलाने के सुझाव का सम्बन्ध है—विशेषरूप से एक सुझाव आया है कि इसे स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के साथ मिला दिया जाये– इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा ; तथा भावनाओं को देखते हुए जिन्हें संसद में और संसद के बाहर व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से मैं भारतीय रिजर्व बैंक को इस पहलू पर विचार करने के लिए भी कहूँगा।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, वे बैंक आफ कोचीन के बारे में उठाए हैं। इसमें जो ध्यानकर्षण प्रस्ताव है वह मिराज स्टेट बैंक और लक्ष्मी कमर्शियल बैंक्स के सम्बन्ध में है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि मिराज स्टेट बैंक और लक्ष्मी कमर्शियल बैंक्स, इन दोनों की भी इस प्रकार की फायनेंश्यल पोजीशन है और इन बैंकों की फायनेंश्यल पोजीशन खराब होने के कारण इनके ऊपर मोरिटोरियम लगाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और इनके जो डिपाजिटर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उठाए हैं और आपने इस सम्बन्ध में क्या डायरेक्शन दी हैं तथा इनके जो अकाउण्ट्स हैं, वे पब्लिश किए गए हैं या नहीं किए गए हैं ? जब कि कोचीन बैंक के एनुअल अकाउण्ट्स इसलिए पब्लिश नहीं किए गए हैं क्योंकि उनके पब्लिश करने से डिपाजिटर्स को नुकसान होगा, हम खुद भी चाहते हैं कि ये पब्लिश नहीं किए जाएँ। इसलिए आप मिराज स्टेट बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस बैंक के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत करें।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक, बंगलौर की शिवाजी नगर शाखा के सम्बन्ध में आपके जवाब से भी स्पष्ट हो गया है कि उसमें 3·50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : उस मुद्दे को अभी नहीं लिया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बांट दिया गया है। और हम आज केवल बैंकों के ऋण स्थगन को ले रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : भविष्य में भी धोखेबाजी की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : ये जो आपने जवाब दिया है। उसके अन्दर ये जवाब भी आता है। इसलिए आपको इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। ये प्रश्न दो भागों में किया गया है और आपने दोनों भागों का जवाब दिया है और कालिंग अटेंशन में भी दोनों भाग सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैन, वह अभी केवल ऋण-स्थगन के पहलू का जवाब दे रहे हैं। लेकिन बैंक से सम्बन्धित का भी वह अन्यों के साथ उल्लेख कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो कोचीन बैंक की मोरिटोरियम की गई है, तो मैंने जिन दो बैंकों का जिक्र किया है, उनके बारे में भी मंत्री महोदय जानकारी प्रस्तुत करें।

श्री जनार्दन पुजारी : यहां, माननीय सदस्य ने बैंक की नवीनतम स्थिति के बारे में सूचना के लिए पूछा है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि तुलन पत्र को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। और इसे बैंक के जमाकर्त्ताओं के हित में होना चाहिये। प्रकाशित करने से बैंक को भी सहायता नहीं मिलती है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव के साथ पूरी तरह से सहमत हूं और इसलिए यदि तुलन पत्र प्रकाशित किया जाता है तो निश्चित रूप से जमाकर्त्ताओं के हित और प्रभावित होंगे तथा हाल ही में बैंक के निरीक्षण के अनुसार लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के बारे में नवीनतम स्थिति यह है कि बैंक के जमा खाते में 16·86 लाख रुपये की अर्थात् 6·7 प्रतिशत की कमी हुई थी। वर्ष 1984 के लिए बैंक के कार्य के परिणाम नकारात्मक रहे और 5 86 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया। पिछले दो वर्षों में भी अर्थात् 1982-83 में बैंक ने हानियां उठाई। इनको सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, पहली साख मूल्यांकन पहले मुहैया की गई सरकार की प्रतिभूति, लाभ और हानि लेखा के द्वारा लाभ में बदला गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने लाभ के मौजूदा मूल्य को जोड़ा और इस तरह उन्होंने 1982-83 के शुरू में लाभ देने का आश्वासन किया जिसकी उनकी ओर से आशा नहीं है। इस तरह के हिसाब के समायोजन की सामान्यतः बैंकिंग प्रणाली के साथ न तो पुष्टि होती है और न ही बैंकिंग प्रबन्ध के अनुसार ठीक लगती है। वर्ष 1984 के लिए बैंक के लेखाओं के बारे में इस तरह के समायोजन का क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा तथा बैंक ने वर्ष 1984 के लिए प्रकाशित लेखाओं में हानियां दिखाई होंगी। हाल ही में निरीक्षण की गई तारीख को बैंकों के पास 46·16 करोड़ रुपये का अग्रिम था जो कुल अग्रिम का 41·7 प्रतिशत है। जहां तक लक्ष्मी कामर्शियल बैंक का सम्बन्ध है उनकी स्थिति यह है।

माननीय सदस्य ने मिराज स्टेट बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थिति के बारे में भी पूछा है। 31 मार्च को अग्रिम की स्थिति 2·62 करोड़ रुपये है जो कि कुल अग्रिम का 39·1 प्रतिशत बनता है। बैंक के अग्रिम निवेश सूची का प्रबन्ध बहुत असन्तोषजनक था। लाभ में भी निरन्तर कमी हो रही है। पिछले वर्ष में 1 लाख रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 1984 की अनुमानित हानि लगभग 6 14 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने 1 लाख रुपए का लाभ किस प्रकार दिखाया था? उन्होंने इसे सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा दिखाया और फलस्वरूप तुलन-पत्र में लाभ दिखा रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मानकों के सम्बन्ध में हो रही अनियमितताओं और इन विभिन्न त्रुटियों के कारण भी भारत सरकार ने ऋण-स्थगन की यह कार्यवाही की है और इसे किसी अन्य बैंक के साथ जोड़ा जाएगा। इसे या तो मिलाया जाएगा या कोई अन्य मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल भारत सरकार और रिजर्व बैंक इसे किसी अन्य बैंक के साथ मिलाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : यह आवश्यक नहीं है कि बैंक का कौन संचालित करता है। यह रिजर्व बैंक या कोई अन्य एजेन्सी हो सकती है। जिसकी अधिक आवश्यकता है वह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा विनियम और नियमों के अनुसार इसका संचालन होना चाहिये और बैंकिंग व्यवस्था नीरोग होने की भी पुष्टि

होनी चाहिए। इस मामले में मैंने देखा है कि चेयरमैन ने कोचीन बैंक का कुप्रबंध किया था जिसका नाम माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है। अतः मैं इसका दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। 1983 के शुरू में चेयरमैन को हटा दिया गया था। जालसाजी पाई गई थी और रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को बैंक के कार्यों को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। इस प्रकार 1983 से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत काम कर रहा है। मैंने फिर यह पाया कि रिजर्व बैंक ने 1984 में बैंक के कार्यों की विस्तृत रूप से छानबीन की। एक जांच की गई थी और इस विस्तृत निरीक्षण के बाद उन्होंने बैंक को दो नई शाखाओं को खोलने की अनुमति दी। फिर, मैं समझता हूँ कि इसी निरीक्षण से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया कि कोचीन बैंक सहित इन बैंकों में ऋण-स्थगन होना चाहिये। अतः कोई भी इसे तर्क के रूप में यह कहकर समाप्त करेगा कि वे शाखाओं, को मंजूरी की तारीख के बाद और ऋण-स्थगन की तारीख से पहले बैंक में कुछ अन्य चालबाजी हुई होगी जबकि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में था। अन्यथा दो शाखाओं की मंजूरी की तारीख और ऋण-स्थगन के बीच कौन-सी नई स्थिति पैदा हो गई है जिसको मैं समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि नई शाखा की मंजूरी के लिए यह शर्त आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात से मनवाना चाहिए कि इस प्रकार की शाखा की मंजूरी जमाकर्त्ताओं के हित में है और शेयर अनुपात, जमा राशि अनुपात आदि के बारे में बैंकिंग विनिमय अधिनियम की शर्तों का पालन बैंक कर रहा है। अतः उन्हें 1984 में संतुष्ट हो जाना चाहिये था और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ऋण-स्थगन करने का निर्णय लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय लेने में इस बीच क्या हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय बैंक की नवीनतम स्थिति पर आधारित है तो मैं इस कदम को उठाने का उसका स्वागत करता हूँ लेकिन इसे उस समय किया गया जब रिजर्व बैंक, बैंक का नियन्त्रण कर रहा था। यह वह विषय है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका उत्तर दें। किसी भी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय पर भारत सरकार ने ऋण-स्थगन की सिफारिश की और ऋण-स्थगन घोषित किया गया। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इससे मैं संबंधित हूँ। मैंने पहले भी कहा कि यदि इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है या इसका नियंत्रण सीधा बोर्ड करता है तो मैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण किये जाने को प्राथमिकता दूंगा उसे जमाकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा करनी चाहिये। उन्होंने पहले से ही वायदा किया है लेकिन जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कौन से उपाय किये जा रहे हैं? यहाँ मैं दो या तीन बातें बताना चाहता हूं। मुझे एक उदाहरण उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। केरल राज्य के अरनाकुलम में बल्कि मैं कहूंगा कि दक्षिण भारत में लिजी अस्पताल सबसे अच्छा अस्पताल है। उनकी रोज की राशि को इकठ्ठा करके इस बैंक में जमा किया जा रहा है और डाक्टरों तथा चिकित्सीय और पैरा-चिकित्सीय कर्मचारियों तथा अन्यों को वेतन देने के लिए महीने के अन्त में वे इस राशि को निकालते हैं। अतः महीने के अन्त में उन्हें पैसा निकालना होता है और तभी वे वेतन बांट सकते हैं। जैसा श्री मुंडाकल ने कहा, केरीथास की भी इसी तरह की समस्या थी मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि कुछ संस्थान जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनकी राशि इन बैंकों में जमा होती है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्रत्येक महीने राशि निकालनी होती है। व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि के साथ उनकी जमा राशियों पर समान विचार नहीं किया जाता है। व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को किसी भी समय निकाला जा सकता है। यदि वे अपने पैसे को छः महीने या एक साल बाद भी निकाले तो उनको कोई हानि नहीं होगी लेकिन इन मामलों में जहाँ वेतन की

आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर महीने पैसा निकालना होता है उस पर मैं मंत्री जी से कुछ विशेष विचार करने के लिए आग्रह करता हूँ और उन्हें इस संबंध में विशेष अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि इन संस्थानों के कार्यों में बाधा न पड़े। इन संस्थानों के उचित कार्यों में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इन संस्थानों पर विशेष ध्यान देंगे जो लोगों की आवश्यकताओं को मुहैया कराता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में अन्य सदस्यों की ओर से ऐसी कोई मांग थी कि इस बैंक को एक विशेष बैंक के साथ मिला दिया जाना चाहिये। इस समय तीन बैंकों की समस्या है। वास्तव में मैंने अन्य बैंकों के बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किया है लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि इन सभी बैंकों को उपयुक्त बैंकों के साथ मिला दिया जाना चाहिये ताकि जमाकर्त्ताओं की भलाई के साथ-साथ इन बैंकों के कार्य में कोई रुकावट न आये। सरकार को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा विशेष निदेश जारी करने चाहिए ताकि एक रूप में या अन्य रूप में या उनके अपने प्रबंध के अन्तर्गत या भारतीय रिजर्व बैंक या कुछ अन्य बैंक के अन्तर्गत इन बैंकों को जमाकर्त्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि इन बैंकों की सुविधाएं लोगों के लिये बन्द न हो। इसे पहले भी किया गया था। लगभग 10 वर्ष पहले केरल में कुछ बैंकों में ऋण-स्थगन घोषित किया गया था। मुझे याद है कि उस समय इन सभी शाखाओं को स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के साथ मिलाकर उसमें शामिल कर लिया गया था। उसी तरह कोचीन बैंक को भी स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर जो कि सरकारी बैंक है के साथ मिलाया जा सकता है। इसी तरह अन्य बैंकों को जैसे लक्ष्मी कमर्शियल बैंक तथा मेरठ बैंक को उचित बैंकों के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि बैंक की पूरी सुविधाएं जो लोगों को आजकल उपलब्ध है वे उन्हें निरन्तर प्राप्त हो तथा बैंक की सुविधाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर भी आश्वासन चाहता हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या मौजूदा चीफ एक्ज्यूकेटिव की नियुक्ति और ऋण-स्थगन के बीच कुछ गलती हुई थी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 17-6-1983 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को इस बैंक का चेयरमैन की तथा चीफ एक्ज्यूकेटिव की नियुक्ति की थी। दुर्भाग्यवश भूतपूर्व चेयरमैन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसके परिणामस्वरूप उनके कार्य भार को संभालने में विलंब हुआ। उन्होंने सितम्बर 1954 को कार्यभार संभाला।

माननीय मंत्री जानना चाहते है कि क्या कोई धोखाधड़ी हुई थी और क्या इसके कारण इन उपायों को लिया गया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई कदम उठाए गए हैं क्योंकि कुछ कमियां, त्रुटियाँ तथा अनियमितताएं ध्यान में आई थी। इस प्रकार की बातों को दूर करने के लिये यह कदम भी उठाया गया। हालांकि उनकी नियुक्ति के बाद भी इस अल्प समय में वह किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाए थे। जब रिजर्व बैंक को पता चला कि जमाकर्त्ताओं और लोगों के हितों को प्रभावित किया गया है तो वहां कुप्रबंध हुआ और उसमें सुधार नहीं किया जा सका इसके परिणमास्वरूप उन्होंने यह कदम उठाए। रिजर्व बैंक इस बात का पता लगाने के लिए सभीं पहलुओं पर विचार कर रहा है कि क्या वहां कोई धोखाधड़ी या कुछ और हुआ था। यदि वे धोखाधड़ी या किन्हीं त्रुटियों के बारे में उन्हें कुछ पता चलता है तो जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किसी को माफ नहीं किया जायेगा और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

जहां तक जमाकर्त्ताओं बैंक से पैसा निकालने, वेतन का भुगतान तथा संस्थानों को भुगतान करने में जमाकर्त्ताओं की कठिनाइयों के बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों का संबंध है मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी ऋण स्थगन के आदेश दिए जाते हैं, तो अन्य मामलों में इसकी स्वीकृत राशि 250 रुपए थी। उसको इस बार बढ़ा कर 2500 रुपये कर दिया गया है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अभी तक के वक्ताओं के सुझाव नोट कर लिए गए हैं। रिजर्व बैंक, स्थिति पर विचार करते समय, उन पर विचार करेगा। मैं माननीय सदस्यों को एक बार और आश्वस्त कर दूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया इस पर सक्रिय तौर पर विचार कर रहा है कि इस संबंध में क्या कुछ किया जा सकता है। हम सब का कर्त्तव्य है कि इस बात को ध्यान में रखें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं अगर यह कदम नहीं उठाया गया होता तो जमाकर्त्ताओं के हितों पर प्रभाव पड़ता। इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा। अन्यथा जिन संस्थाओं को अब रियासत मिल रही है उन्हें और जमाकर्त्ताओं को बैंक से कुछ नहीं मिला होता। बैंकों की उक्त स्थिति के कारण ही हमने यह कदम उठाया है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि माननीय सदस्यों ने ऋण-स्थगन तथा विलय का स्वागत किया है। वे अनुरोध कर रहे हैं कि इसे हटाया जाए तथा यथा शीघ्र इसका विलय कुछ दक्षिण के बैंकों में कर दिया जाए।

माननीय सदस्यों की भावनाओं को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। हम देखेंगे कि किस सीमा तक न्याय तथा किस सीमा तक उपाय किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया इन सभी बातों पर विचार करेगा। मैं खुद भी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि लूंगा तथा ध्यान रखूंगा कि जमाकर्त्ताओं के हितों पर प्रभाव न पड़े। चाहे रिजर्व बैंक हो अथवा कोई और बैंक, बैंकिंग क्षेत्र जनता के पैसे का संरक्षक है।

1.00 म० प०

वे जनता की धनराशि के संरक्षक हैं तथा जनता वहां अपना पैसा विश्वास के कारण ही जमा करती है। जनता के, खासकर जमाकर्त्ताओं के इस विश्वास को हमें बनाए रखना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, हर व्यक्ति की मूल चिन्ता यही है कि जमाकर्त्ताओं की, बैंकिंग पब्लिक के हितों की रक्षा की जाए। हम ऋण-स्थगन की घोषणा का का स्वागत करते हैं क्योंकि मेरे विचार से दूसरा कोई विकल्प रह भी नहीं गया था। लेकिन ऋण-स्थगन से पहले जो कुछ हुआ होगा और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उससे मैं चिंतित हूं। संभवत: माननीय मंत्री महोदय पहले कहे जा चुकी बातों को फिर दोहराएं लेकिन मेरे विचार से संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को दोहराना जरूरी है क्योंकि इसका हजारों जमाकर्त्ताओं पर प्रभाव पड़ा है। वे लोग, इस चर्चा के परिणाम तथा सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, वैसे हमने आज यह निर्णय लिया है कि बैंक घोटालों के प्रश्न को ऋण स्थगत से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे विचार से हम बैंक घोटालों के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ऋण-स्थगन और घोटालों के मध्य एक विभाजन रेखा है। इस ऋण-स्थगन का क्या कारण है ? बैंक आफ कोचीन और लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के बारे में मेरी

जानकारी के अनुसार धोखेधड़ी के कारण ही ये दो बैंक इस स्थिति में पहुँचे हैं। फलस्वरूप सरकार को ऋण-स्थगन की घोषणा करनी पड़ी। बैंकों द्वारा धोखेधड़ी तो जारी थी अतः मैं जानना चाहूँगा कि सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही थी। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत समय से यह सब हो रहा था। माननीय सदस्य ने एक बात का पहले उल्लेख किया है कि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, अधिक प्रभावशाली पार्टियां, अमीर लोग इन बैंकों से सार्वाधिक लाभ की स्थिति में होते हैं। अदना आदमी, गरीब या जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इन बैंकों से अपनी जरूरत के लिए अग्रिम ऋण या अन्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। बैंक आफ कोचीन ने, जिसकी देश के विभिन्न भागों में 108 शाखाएं हैं, 1984 तक विभिन्न पार्टियों को, मेरा मतलब है वे जो बाद में इसका भुगतान नहीं कर रही हैं, 23.61 करोड़ रुपये का ऋण-दिया। इसका मतलब है कि इस ऋण को अप्राप्य ऋण समझा जाना चाहिए। यह ऋण इन बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिम राशियों का 52.2 प्रतिशत है। इस तरह, जो धन-राशि ऋण तथा अग्रिम राशि के रूप में दी गई थी उसकी आधी मात्रा अप्राप्य ऋण में परिवर्तित हो गई है। ये लोग कौन हैं ? ये कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें बैंकों को विशाल धनराशि लौटानी हैं। वास्तव में बैंक की कुल परिसम्पत्तियां उसकी कुल देनदारियों के कारण कम हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि बैंक आफ कोचीन की कुल परिसंपत्तियां तो 75.19 करोड़ रुपए हैं जबकि उसकी कुल देनदारियां 81.06 करोड़ रुपए है। ये दोषी व्यक्ति खासकर दक्षिण भारत में बड़ी वाणिज्यिक पार्टियां हैं। मुझे उनका नाम बताने की अनुमति दी जाए। वे व्यक्ति नहीं है बल्कि कम्पनियां तथा संयुक्त निकाय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कम्पनियों से तात्पर्य .....।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उन्हें बोलने दीजिए। अच्छा रहेगा। देश को इसके बारे में पता चलना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह तो केवल तथ्यों का विवरण मात्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे बदनामी हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर यह तथ्यों का विवरण न हो तो वे मुझे बता दें।

मुझे बताया गया है कि डेढ़ करोड़ रुपए कोचीन की विश्वानेरियत कम्पनी की ओर बकाया हैं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

प्रो० मधु दंडवते : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहरहाल मैं सबका उल्लेख नहीं करना चाहता। और भी बहुत सी कम्पनियां हैं :

एम्पायर एक्सपोर्ट एन्टर प्राइजिस।

एस० एल० थियेटर त्रिवेन्द्रम।

साऊथ इंडिया रबर ट्रेडरस, बंगलौर।

ओशन फिशरी, एर्नाकुलम।

ब्रिटिश इंजीनियरिंग ट्रेडिंग एण्ड कमर्शियल मैनेजमेंट, त्रिवेन्द्रम ।

रोमेला होटल, बंगलौर ।

एक लीला मेनन भी हैं । मालूम नहीं यह कम्पनी का नाम है या किसी महिला का ।

श्री भागवत झा आजाद : लीला मेनन एक महिला का नाम है । उनके नाम से वहां एक कम्पनी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालूम नहीं यह कम्पनी क्या काम करती है **(व्यवधान)** श्री आजाद इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं ही नहीं सभी व्यक्ति हंस रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, चाहे यह कम्पनी अथवा पूंजी या फिर निवेश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि इन बैंकों के कार्यकरण एवं क्रिया-कलापों पर रिजर्व बैंक अत्यधिक निगरानी रखता है । परन्तु ये वसूल न किये जा सकने वाले ऋण हानियां तथा इस प्रकार के कार्यों जिनमें देनदारियां परिसम्पत्तियों से ज्यादा हैं, ये सब एक दिन में पैदा नहीं हो सकतीं । यह एक प्रक्रिया है जो कि संभवत: काफी समय से चल रही है । अत: मैं जानना चाहता हूं वह कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक वास्तव में इन बैंकों के कार्यों पर निगाह रखती है । ऐसा बताया गया है कि उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है । मैं नहीं जानता कि ये अधिकारीगण क्या कार्य कर रहे थे । क्या कोचीन बैंक के निर्देशक मण्डल में रिजर्व बैंक का कोई सदस्य मनोनीत किया गया था ? मुझे नहीं मालूम । कृपया आप हमें बताइये क्या बोर्ड में कोई भी ऐसा सदस्य था जिसे रिजर्व बैंक ने मनोनीत किया हो ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब की गई थी ? उनमें से कितने व्यक्ति वहां थे—एक अथवा दो या इससे ज्यादा ? सम्पूर्ण अवधि के दौरान वे क्या कर रहे थे ? क्या वे सो रहे थे अथवा कोई सक्रिय दिलचस्पी ले रहे थे ? हम नहीं जानते । परन्तु सारे मामले के नतीजे से यही पता चलता है कि रिजर्व बैंक की निरीक्षण एवं सतर्कता प्रणाली अच्छी नहीं है । अगर इस तरह की बातों को जारी रखा जायेगा तो यही बात अन्य बैंकों के साथ भी होगी । यह हमारा सन्देह है । इस बात की क्या गारंटी है क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि इस तरह की बातें भविष्य में अन्य गैर-सरकारी बैंकों में नहीं होगी ? हम सिर्फ गैर-सरकारी बैंक ही ले रहे हैं—इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हम आज सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । परन्तु हाल ही में हमने पाया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी भारी धोखाधड़ी हुई है और बड़ी-बड़ी धोखा-धड़ी की घटनाएं हो रही हैं । रिजर्व बैंक सभी बैंकों का संरक्षक है और सभी बैंकों का बैंक है । क्या यह अपना कार्य भलीभांति कर रहा है ? मैं यही जानना चाहता हूं । ऐसा प्रतीत नहीं होता है । बैंकिंग प्रणाली से लोगों का विश्वास उठना नहीं चाहिए । अन्यथा देश की अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के मामले में मुझे बताया गया है कि इस समय इसका कोई चेयरमैन नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है अथवा नहीं । इस समय, इस बैंक का कोई चेयरमैन नहीं है । भूतपूर्व चेयरमैन—चाहे उसे हटाया गया हो या चला गया हो अथवा कुछ भी हुआ है—उसके स्थान पर नया चेयरमैन नहीं आया है । मुझे यही बताया गया है । अगर

वर्तमान में कोई चेयरमैन है तो मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि चेयरमैन की अनुपस्थिति में, बचे हुए निदेशकों में सबसे अधिक प्रभावी सज्जन हैं, जिनका नाम लेने में मैं झिझक रहा हूं**

क्या मैं उनका नाम बताऊं ?

श्री भागवत झा आजाद : क्यों नहीं ? महोदय, हमें ऐसे लोगों को जानना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री आजाद, वह आप ही के दल के व्यक्ति हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह हमारे दल से सम्बन्धित हैं। अगर उसने गलत कार्य किया है तो यह अवश्य ही कहना चाहिए कि उसने गलत कार्य किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसका नाम है** और रिजर्व बैंक के जनवरी 1985 के प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के अशोध्य ऋणों की राशि 35 करोड़ रुपये है। यह एक जाना-माना बैंक है। इसकी शाखाएं सभी राज्यों में हैं शायद भारत के सभी राज्यों में। हिन्दुस्तान मोनार्क, जिसका मालिक जैन है उसने दो करोड़ रुपये की राशि ले रखी है। एक और उद्यमी ग्रुप के द्वारा 5-6 करोड़ रुपया लिया हुआ है, जिसमें चौधरी एक्सपोर्टस्, आगरा टिनस् तथा मुठारी पाटरीस आदि-आदि हैं एक और उद्यमी ग्रुप के मालिक हैं कपूर परिवार तथा** वह स्वयं भी व्यापारी हैं। उसके भी अपने कुछ धन्धे हैं उसने भी 20 लाख रुपये का ऋण ले रखा है।

एक और बैंक है पंजाब और सिन्ध बैंक। यह भी जाना-माना है। इस बैंक की कार्य-विधियों की जांच करने से पता चला है कि पंजाब और सिंध बैंक तथा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के प्रबन्धकों में एक प्रकार का समझौता हुआ था। इस समझौते के परिणामस्वरूप पंजाब और सिंध बैंक के चेयरमैन की पत्नी व उनके पुत्र को लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा काफी बड़ी राशि के ऋण दिये गये तथा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के व्यक्तियों को पंजाब और सिंध बैंक ने अग्रिम राशि ऋण के रूप में दी और अब उन रुपयों की वसूली नहीं की जा सकती। वे सब अब अशोध्य ऋण, संदेहपूर्ण ऋण बन कर रह गये हैं।

1983 में निदेशक मण्डल में रिजर्व बैंक का मनोनीत व्यक्ति था। संभवत: अब वह नहीं है। उसे शायद हटा दिया गया है। उसका नाम है श्री सक्सेना। भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रतिवेदन जनवरी, 1985 में प्रकाश में आया। 1983 में रिजर्व बैंक का मनोनीत व्यक्ति निदेशक मण्डल में था। मैं जानना चाहता हूं वह क्या कर रहा था। ये सभी बातें उसी अवधि में हुई थीं। (**व्यवधान**) मुझे नहीं मालूम कि उसे अपने कर्त्तव्य में निष्फल होने के कारण हटाया गया था या फिर किसी अन्य कारण से हटाया गया था। यह माननीय मंत्री जी हमें बता सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बातें गलत हैं तो वे मुझे बता सकते हैं। परन्तु जब वह व्यक्ति सेवा में था तो क्या उसके आचरण के बारे में कोई जांच कार्य करवाया गया था। मैं नहीं जानता। मेरा मुद्दा यह है कि जो कुछ मैंने पहले कहा था कि ये सभी बातें रिजर्व बैंक के क्रिया-कलापों के बारे में अधिक नहीं बतातीं। वह इस तथ्य को बड़ी ईमानदारी से दिखा रहे हैं कि जमाकर्त्ताओं के हितों

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का संरक्षण करने के लिये रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने ऋण स्थगन की घोषणा करने का निश्चय किया है लेकिन जबकि इस तरह की बातें हो रही हैं देश में बहुत सी चीजों की तरह इन्हें भी बन्द करना पड़ा है या फिर रुग्ण घोषित किया गया है, कारखाने बन्द हैं, लोगों को हटा दिया गया है, इसके बाद सरकार ने कुछ करने का निर्णय लिया है। यह तो इसी तरह की बात है। सभी रुग्ण बैंक हैं।

आप इन्हें रुग्ण बैंक कह सकते हैं, इन्हें निजी मालिकों और प्रबन्धकों द्वारा रुग्ण बनाया गया है, और जब ये रुग्ण बन रहे थे, तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं राष्ट्र को यह बात बताना चाहता हूं ताकि भविष्य में इसी प्रकार की स्थिति की पैदा न हो और जो कुछ अब हो रहा है, मैं अन्य सदस्यों द्वारा किये गए इस अनुरोध का समर्थन करता हूं कि हमें ऋण स्थगन काल के दौरान भी, जमाकर्ता द्वारा जो रकम निकली जा सकती है, उस सीमा को बढ़ाकर 2500 रु० से अधिक कर देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में यह कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर सम्भव हो तो, हमें इस पर विचार करना चाहिए।

मुख्य प्रश्न एकीकरण का है। मुझे बताया गया है कि बैंक आफ कोचीन के पीछे कुछ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो कि सरकार पर इस बात के लिए जोर डाल रहे हैं कि एकीकरण न किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसका अन्य हल भी हो सकता है। वह अन्य हल क्या है ? इसे मालूम करना चाहिए। मैं नहीं जानता। उन्हें इसे विस्तार से बताना चाहिए। अन्य मान्य हल क्या है ? मैं समझता हूं कि अन्य कोई भी हल नहीं है। हल यही है कि इन बैंकों, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक आदि को किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एकीकरण कर दिया जाए। उन्हें इसी तरह काम करते रहने का कोई औचित्य नहीं है और मन्त्री महोदय के वक्तव्य में भी यह बात यहां कही गई है कि रिजर्व बैंक इस निश्चय पर पहुंचा है कि ये बैंक अब और अधिक समय के लिए स्वतन्त्र रूप से लाभकारी स्थिति में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। मैं इससे सहमत हूं। इसका मतलब है कि उन्हें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एकीकरण कर दिया जाए। सरकार को सभा में यह आश्वासन देना चाहिए। अन्य कोई रास्ता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि इस बैंक का उस बैंक से एकीकरण किया जाए। लेकिन एकीकरण की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब इस ऋण स्थगन काल में ऋण सीमा लागू की गई थी, तब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इन बैंकों का अन्य बैंकों के साथ एकीकरण किया जाएगा। अब जब उन्होंने किसी अन्य हल की बात की तो मुझे कुछ शंका सी होने लगी है। यह किसकी मांग है कि 'अन्य हल' निकाला जाए ? इस सभा में किसी ने यह मांग नहीं की है। क्या यह मांग उन लोगों ने की है जो कि इन बैंकों के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार हैं ? क्या वे ऐसी मांग कर रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यहां एकीकरण के बारे में स्पष्ट घोषणा करें और हमें बतायें कि जब ऋण-स्थगन काल समाप्त हो जाएगा तब एकीकरण किया जाएगा, और जमाकर्त्ताओं के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी, और रिजर्व बैंक को आदेश दिये जाएंगे कि वे और अधिक सतर्क और सचेष्ट रहे ताकि भविष्य में किसी बैंक की स्थिति इतनी खराब न हो सके और तभी उन्हें कहना चाहिए कि वे जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

श्री अनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने बट्टे खाते डाले गये ऋणों और सन्दिग्ध ऋणों के बारे में आंकड़े दिए हैं। मैंने यह नहीं कहा कि वे बट्टे खाते में डाले गये ऋण हैं या सन्दिग्ध ऋण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 'स्टिकी-एडवांस' (शुष्क-अग्रिम) और बट्टे खाते में डाले गये

ऋण और सन्दिग्ध-ऋणों में अन्तर होता है 'शुष्क-अग्रिम' वे होते हैं जोकि कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और बाद में उनकी वसूली की जा सकती है। अगर हम मुकदमा करें तो इनकी वसूली की जा सकती है, इसको वसूल करने के अन्य भी उपाय हैं। 'बट्टे खाते डाले गए और सन्दिग्ध' ऋण वे ऋण हैं जिन्हें कि ऐसा करार दे दिया गया है।

सांविधिक उपबन्धों के अनुसार तथा बैंकिंग अधिनियम के अनुसार, मैं व्यक्तिगत खातों में कितनी राशि है व अन्य बातों की जानकारी नहीं दे सकता। माननीय सदस्य भी जानते हैं। वह एक अनुभवी और जानकार सदस्य हैं। इस बारे में सांविधिक प्रतिबन्ध है, संसद द्वारा पारित किये जाने के बाद ही इस उपबन्ध को लागू किया गया था।

माननीय सदस्य ने बंगलौर और अन्य स्थानों के कुछ लोगों और उनके खातों को उल्लेख किया है। उन्होंने इनका** नाम भी लिया था। उन्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि वह एक अनुभवी सांसद हैं। हम हमेशा ही उनके वक्तव्यों का मान करते हैं लेकिन उन्होंने यह** के नाम तक ले लिये। यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि वे किसी बात को छिपाए। लेकिन दुर्भाग्य से किसी खाते के बारे में जानकारी देने पर प्रतिबन्ध है। इसलिए, मैं किसी व्यक्तिगत खाते के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हूं।

जहां तक धोखेबाजी का सम्बन्ध है, मैं ऋणस्थगन या धोखा सम्बन्धी अन्य बातों पर चर्चा करने के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन यह सभा का निर्णय है। इसीलिए इसे लिखा गया है। मैं नहीं जानता कि क्या हम इस पर चर्चा कर पायेंगे। लेकिन निश्चित ही में धोखों के बारे में जानकारी दूंगा और उन कारणों की जानकारी दूंगा जिनके कारण धोखे हुए।

उन्होंने समृद्ध लोगों को दिये जाने वाले ऋण और गरीब वर्ग और छोटे लोगों की दुर्दशा के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। जब हम कमजोर वर्ग को ऋण इत्यादि देने की बात करते हैं तो हम बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बातें करते हैं किन्तु जब हम बड़े लोगों को कुछ देते हैं तो अनेक कमियां और त्रुटियां रह जाती हैं। सेठिया का मामला था। उसके बारे में एक ध्यानाकर्षण दिया गया था। करोड़ों रुपयों का मामला था? उसमें क्या हुआ? उसके बारे में हम लोग सभा को अवगत करा चुके हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कमजोर वर्ग के लोगों को भी कुछ मिले! किन्तु दुर्भाग्यवश रवैया तो ऐसा है और मैं इसकी ओर गैर सरकारी बैंकों और दिल्ली के बाहर के बैंक को ध्यान दिला चुका हूं। मैं यह कह चुका हूं कि इन शाखाओं के खोले जाने पर बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। गैर-सरकारी बैंकों कि ये शाखायें की कमजोर वर्ग के लोगों की विशेषकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना जरूरतें नहीं पूरी कर रही हैं। कुछ शिकायतें हैं कि ये शाखाएं आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रही हैं और इनका कार्य निष्पादन ठीक नहीं है। मैंने यह बात भी कही थी और मैंने रिजर्व बैंक को सलाह दी थी कि उन गैर-सरकारी बैंकों को शाखाएं खोलने की इजाजत न दी जाये और ऐसा करते समय कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति किये गये कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में उनका मूल्यांकन किया जाय। दुर्भाग्यवश, इस देश में यही सब कुछ चल रहा है। विशेषकर जब कोई निर्धन व्यक्ति बैंक जाता है तो कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता और जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति जाता है तो सभी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। यही सब हो रहा है। गत तीन वर्ष से मैं यही

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया।

कहता आ रहा हूं कि निर्धन व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये। इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं इन्द्र जीत गुप्त का आभारी हूं। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं कि उनके लिये कुछ न कुछ करना होगा। कुछ सम्पन्न और प्रभावशाली वर्ग के लोगों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती किन्तु आज के ध्यानाकर्षण के बारे में मैं भी उसी बात का उल्लेख करूंगा। जब मैं उस विषय पर बोलूंगा तो निश्चित रूप से उस मुद्दे पर भी बोलूंगा। इसी एक मुद्दे पर मैं बोलूंगा।

मुद्दा यह है : रिजर्व बैंक ऐसा क्यों करता रहा है और क्या रिजर्व बैंक से कोई व्यक्ति भेजा गया है। यदि ऐसा है तो क्या रिजर्व बैंक से कोई निदेशक या कोई अन्य पदाधिकारी इस बैंक को भेजा गया है। अपने उत्तर में, मैंने भी यही कहा है कि यह सच है कि इन बैंकों में निदेशक भेजे गये हैं और वे लोग रिपोर्ट भेजते रहे हैं। आपको मालूम ही है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था। रिजर्व बैंक को भी इन जटिलताओं का पता होना चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि कोई दबाव होगा, वास्तव में दबाव है। मिलाये जाने के बारे में में भी दबाव है और ऋणस्थगन किये जाने के विरुद्ध भी दबाव है। कुछ लोग ऋण स्थगन किये जाने के पक्ष में नहीं हैं किन्तु पुनरावृत्ति के लिये ऐसा नहीं किया गया है अपितु हमारी परम्परा ही यही है कि हम लोग जमाकर्त्ताओं के हितों का ध्यान रखते हैं और बैंक उनके संरक्षक हैं। किन्तु गैर-सरकारी बैंकों के दैनिक कार्य-कलापों से रिजर्व बैंक दखल नहीं दे सकता है। बैंकों पर नियन्त्रण होना चाहिए और नियन्त्रण को कार्य रूप भी दिया जाना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ अधिक अपेक्षायें हैं। उनकी शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए और उनका प्रशासन सुदृढ़ होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उसे एक कदम आगे बढ़कर कमियों का पता लगाना चाहिए। मैं भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ और अधिक करने तथा और कदम उठाने के बारे में कह चुका हूं। जब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक हम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। हमें सुधार करना होगा। किन्तु इसके साथ ही, हम उन्हें भी दोष नहीं दे सकते। कमियों के बारे में रिजर्व बैंक को बताया गया था और सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक को इस बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस बैंक के ?

श्री जनार्दन पुजारी : लक्ष्मी कार्मशियल बैंक। हाल ही में उन्हें वहां से हटाकर बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व ही उन्हें हटा दिया गया और अब वहां कोई अध्यक्ष नहीं है। किन्तु इसी बीच यह ऋण स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। अत: कोई यह नहीं कह सकता कि भारत सरकार को इस मामले का पता नहीं था। यही कारण है कि गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद हमने यह कदम उठाया है और निश्चित रूप से हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो इस कुप्रबन्ध और अन्य बातों के लिये उत्तरदायी हैं।

श्री भागवत का आजाद : बड़े आदमी सारा धन खा जाते हैं और उसे अशोध्य ऋण बना देते हैं। इसीलिए गरीब आदमियों को वह ऋण नहीं मिल पाता है।

श्री जनार्दन पुजारी : हमें दृढ़ बनना पड़ेगा। अधिकांश मामलों में यही हो रहा है कुछ मामलों में—मुझे कहते दु:ख होता है—कि मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है और पर्याप्त प्रतिभूति के अभाव में ऋण दिया जा रहा है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति 300 रुपये का भी

ऋण मांगता है, तो बैंक के कर्मचारी उनसे यह प्रमाणपत्र मांगते हैं कि कोई राशि देय नहीं है और 300 रु० के ऋण के लिए उसे कई बैंकों तक जाना पड़ता है। उसे एक बैंक से दूसरे बैंक तक दौड़ाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वह आश्वासन होना चाहिए और बैंक कर्मचारियों में निष्ठा का भाव होना चाहिये। प्रबन्ध पक्ष में भी निष्ठा होनी चाहिए। उन्हें व्यवहारिक भी होना चाहिये।

रिजर्व बैंक से अधिकारियों को कार्यक्षेत्र (फील्ड) में भेजा जाना चाहिए। उन्हें वहां व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। मेरा अभिप्राय यह है कि रिजर्व बैंक के लोगों को दफ्तर की चार दिवारी तक ही सीमित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। उन्हें गांव के लोगों तथा गरीब वर्ग के इलाकों में जाना चाहिये। वहां उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। वातानुकूलित कमरों में बैठकर या विदेशों में जाकर अगर वे नीतियां बनायेंगे, मेरे विचार में इससे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम विरोध पक्ष के नेता का समर्थन करते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जो विचार व्यक्त किए गये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। निश्चित ही मैं उनके सुझावों पर विचार करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे आरोप पर गौर करें कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के बहुत से खाते और दास्तावेज उन सज्जन के घर पर पहुंचा दिए गये हैं जिनका नाम मैं फिर से लेना नहीं चाहता। दास्तावेज वहां से हटाए जा रहे है और उनमें से कुछ को तो नष्ट किया जा रहा है। कृपया इस पर गौर करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला मद लेंगे—नियम 377 के अधीन मामले।

1.30 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के मुरैना जिला और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों का समेकित विकास करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : चम्बल नदी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की अम्बा तहसील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह तहसील के बीच बहती है और घाटी डकैती, अपहरण और फिरौती जैसे घृणित अपराधों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के जिला भिंड तथा तहसील खेरागढ़ और आगरा जिले का फतेहाबाद जो मुरैना तथा बाह के साथ हैं भी उपरोक्त समस्या से

बुरी तरह से प्रभावित हैं। इन अपराधों का मुख्य कारण यह है कि चम्बल नदी के दोनों ओर का यह क्षेत्र बहुत उपेक्षित और अलग-थलग होने के कारण पिछड़ा हुआ है जहां सभ्यता अभी तक नहीं आई है और वहां के अपराधियों को शान्तिप्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिक नहीं बनाया गया है। यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक केन्द्रीय सरकार के सहयोग से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े हुए उस सम्पूर्ण क्षेत्र का समेकित एवं सघन विकास नहीं किया जाता और इसे सरकारी तौर पर एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता। इसकी गहरी घाटियों को समतल और कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि कटाव को रोकने के कार्य करने होंगे, और जरूरतमन्द लोगों को भूखंड आबंटित करके, कृषि के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, सड़कों और लघु तथा भारी उद्योगों का जाल बिछाना होगा, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, सूअर-पालन, और मुर्गी-पालन व्यवसायों का विकास करना होगा, प्राथमिक, जूनियर और हाई स्कूल तथा कालिज खोलने होंगे, और अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों आदि की व्यवस्था करनी होगी। इस क्षेत्र के चारों तरफ के विकास कार्य की गति को बढ़ाने सम्बन्धी सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य चम्बल नदी के ऊपर पिनाहाट और केन्जरा के बीच तथा बटेश्वर तथा उपरोक्त अपराध क्षेत्र में यमुना नदी पर भी पुल बनाये जाने चाहिए। जैसा ज्ञात हुआ है कि एक समेकित योजना इस डकैती ग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जा रही है। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसी योजना को अन्तिम रूप दें तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(दो) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों की तरह ही जनप्रतिनिधित्व वाली इकाइयों को भी छोटा व व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। देश के कई भागों में संसदीय व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत व दुर्गम हैं। उनका विस्तृत आकार व दुर्गमता निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचकों से निकट का सम्बन्ध बनाये रखने में बाधा उत्पन्न करती है।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड आदि में विधान सभा क्षेत्रों का आकार छोटा रखा गया है। जनसंख्या को आधार नहीं माना गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा विधान-सभा क्षेत्रों के निर्धारण व परिसीमन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों व समान भौगोलिक बनावट वाले हिमाचल प्रदेश आदि के प्रति भिन्न माप-दंड अपनाया गया है। इसके कारण इन क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है।

मेरा निवेदन है कि निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विधान-सभा क्षेत्रों का पुनर्निधारण कर यहां भी हिमाचल प्रदेश आदि की भांति छोटे विधान-सभा क्षेत्र बनाये जायें व उत्तर प्रदेश की विधान-सभा की वर्तमान संख्या में वृद्धि की जाये।

(तीन) केरल के तीव्र गति से औद्योगिकीकरण के लिए राज्य में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० कुंजम्बु (अडूर) : देश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग को प्रोत्साहन देने की सरकार की

नीति है। इस वर्ष का बजट तथा इसके बाद सरकार द्वारा घोषित नीति यह साफ संकेत करती है कि इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का फायदा यह है कि यह रोजगार देने वाला तथा प्रदूषण से मुक्त है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां नाम-मात्र का भी औद्योगीकरण नहीं हुआ है। इस राज्य में केन्द्र सरकार ने केवल 2·3 प्रतिशत निवेश किया है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। केरल में 23 लाख बेरोजगार हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य में तेजी से औद्योगीकरण करना आवश्यक है। इस कार्य में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों की शृंखला इस राज्य में स्थापित की जाये तो काफी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जायेगा तथा राज्य के शेष भागों के स्तर तक पहुंच सकेगा। अतः केन्द्र सरकार को केरल में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर करनी चाहिए।

(चार) टांडा ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में स्थित अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील टांडा में 440 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। जिसमें एक यूनिट वर्ष 1982 में चालू हो जाने का लक्ष्य निर्धारित था, परन्तु कतिपय कारणों से निश्चित अवधि में यह यूनिट चालू नहीं की जा सकी।

उक्त परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में सम्बन्धित मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि इसकी एक यूनिट वर्ष 1984 में चालू हो जायेगी, परन्तु उक्त अवधि भी समाप्त हो गयी। कुछ सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिल रही है कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट हेतु आबंटित धनराशि में कटौती करके अन्यत्र भेजा जा रहा है। जिससे उक्त प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण कार्य बन्द हो जाने की पूरी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत अनुमानित धनराशि में करीब दुगने की वृद्धि होती जा रही है।

आबंटित धनराशि में कटौती किए जाने से स्थानीय जनता में भी व्यापक असंतोष है। जनहित में उक्त प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिए मैं भारत सरकार से जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में टांडा थर्मल प्रोजेक्ट फैजाबाद की स्वीकृत धनराशि में किसी किस्म की कटौती न की जाये और उक्त प्रोजेक्ट का कार्य अति शीघ्र पूर्ण कराया जाये जिससे विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो सके और इससे हमारा प्रदेश लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि प्रोजेक्ट में प्रभावित किसान परिवारों एवं स्थानीय बेरोजगारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सेवा में लिया जाये जिससे उनमें व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके।

(पांच) साम्प्रदायिकता और संकीर्ण क्षेत्रीयता की भावना पर अमल करने वाले राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हुसेन दलवाई (रत्नगिरि) : देश के विभिन्न भागों में कार्यशील प्रतिक्रियावादी तथा उग्रवादी शक्तियां देश को सक्रिय रूप से अस्थिरता के मार्ग पर ले जा रही हैं। इससे हमारे देश की एकता तथा अखण्डता को खतरा हो रहा है। अगर इन प्रतिक्रियावादी तथा उग्रवादी शक्तियों पर समय पर काबू नहीं किया गया तो यह देश के विकास कार्यों की प्रगति रुक जायेगी।

हमारा एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र का किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या ने धर्म और राजनीति के मिश्रण में छिपे खतरे को उजागर कर दिया है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतन्त्रता प्रदान करने की गारंटी देता है। साथ ही यह राष्ट्र को किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों, जो धर्म से जुड़ी हुई हों, को नियंत्रित तथा रोकने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब तक हमें साम्प्रदायिक और भाषायी झगड़ों के कारण जो मूल्य चुकाना पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही उचित समय है कि भारत सरकार क्षेत्रीयता की भावना पर अमल करने वाले सभी राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाये ताकि इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके।

(छः) "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार" को निकट भविष्य में बंद होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि भाषाई संवाद समिति "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार" बन्द कर दी जायेंगी। ये दोनों समितियां हिन्दी में सम्वाद देती हैं। निःसंदेह दोनों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यदि ये दोनों सम्वाद समितियां बन्द हो जाती हैं तो भारत में कोई भाषाई सम्वाद समिति कभी नहीं बन पायेगी। यह सर्वज्ञात है कि पत्रकारिता का मूलाधार इस तरह की सम्वाद समितियां ही हैं।

उपरोक्त दोनों सम्वाद समितियों में से "समाचार भारती" में तो मध्य प्रदेश सरकार एवं हरियाणा सरकार के आधारभूत पूंजी अंश हैं। "हिन्दुस्तान समाचार" एक सहकारी संस्था है, वस्तुतः इन दोनों सम्वाद समितियों का एकीकरण करके एक ही संवाद समिति बना दी जानी चाहिए। दोनों ही सम्वाद समितियों के सभी सहयोगी कर्मचारियों को इस एकीकृत सम्वाद समिति से समायोजित कर लिया जाना बहुत आवश्यक एवं सामयिक मांग है। एकीकृत सम्वाद समिति को सरकार तो सहायता दे ही।

अभी तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का इस दिशा में अग्रसर नहीं होना आश्चर्य एवं चिन्ता का विषय है। इस तरह की संवाद सेवाओं को मात्र समाचार पत्रों की दया पर छोड़ना ठीक नहीं है। समाचार पत्रों के मालिक भला ऐसी सम्वाद सेवाओं में पूंजी क्यों लगायेंगे ? जिस तरह सरकार अन्य क्षेत्रों में मूल ढांचा खड़ा करने को आगे आती है, हिन्दी पत्रकारिता की संवाद सेवा का मूल ढांचा खड़ा करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को तत्काल आगे आना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय सूचना मंत्री जी का ध्यान इस ओर अब तक तो गया ही होगा। इन दोनों सम्वाद सेवाओं का बन्द होना हिन्दी पत्रकारिता पर सीधा कुठाराघात होगा।

सरकार का दायित्व है कि हिन्दी की इन मरणासन्न सम्वाद समितियों को जीवित और स्वस्थ रखे, अन्यथा हिन्दी पत्रकारिता मात्र अनुवाद सेवा बन कर रह जायेगी ।

मैं सरकार से तुरन्त कार्यवाही और हस्पक्षेप की मांग करता हू ।

(सात) आध्यात्मिक विषयों के लिए पृथक् सरकारी विभाग की आवश्यकता

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मैं भारत की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विरासत, जिससे सभी सहमत होंगे, आध्यात्मिक विरासत के परीक्षण की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । आजकल साधू और अध्यात्मवाद केसरिया वस्त्र धारण किए हुए भिक्षुओं के रूप में ही दिखाई देते हैं किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने ही भारतीय दार्शनिक प्रणाली का निरूपण किया, उन्होंने विश्व को न केवल वेद और उपनिषद् दिये अपितु बीजगणित का प्रथम पाठ और शून्य की प्रथम धारणा दी ।

आज हजारों लोग जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में अथवा योग और भारतीय मनन पद्धति को सीखने के लिए भारत आते हैं । इससे हमें प्रति वर्ष कम से कम 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।

हमारी सरकार की नीति धर्म-निरपेक्ष है किन्तु धर्म और अध्यात्मवाद दो भिन्न-भिन्न बातें हैं । भारत की आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करना सामान्यत: समाज और विशेष रूप से सरकार का कार्य है । वास्तविक आध्यात्मिक संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ सरकार को अध्यात्मवादियों के लिए एक प्रामाणिक नीति बनानी चाहिए । अत: शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में आध्यात्मिक कार्य के लिए पृथक् विभाग होना चाहिए । ऐसा करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत सारे विश्व में अपनी भौतिक समृद्धि की बजाय अपने आध्यात्मवाद के लिए अधिक जाना जाता है । भारत की प्राचीन संस्कृति की विरासत का परिरक्षण केवल तभी हो सकता है जब सरकार के पृथक् विभाग द्वारा सरकार की दृढ़ नीति को लागू किया जाए ।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रेल सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता

श्री एस०एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : यह आश्चर्य की बात है कि सप्ताह में दो दिन चलने वाली ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस जो कि तटीय नगरों से होती हुई वाल्टेयर तक जाती थी, उसे बन्द कर दिया गया है। दक्षिण और लिंक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा जाने वाला वाल्टेयर डिब्बा (आधा तीन टायर स्लीपर और आधा प्रथम श्रेणी) भी हटा दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की जनता की रेल सेवा सम्बन्धी कुछ मांगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय तत्काल किये जाने की आवश्यकता है :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस नई दिल्ली से सिकन्दराबाद के बीच सप्ताह में चार दिन चलती है। आधी गाड़ी सप्ताह में दो बार विजयवाड़ा से होकर विशाखापत्तनम तक चलनी चाहिए ।

(ख) पहले तीन टायर वाले डिब्बे की सुविधा ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गोदावरी एक्सप्रेस में विजयवाड़ा से होकर वाल्टेयर तक उपलब्ध थी । इसे इस बीच बन्द किया जा चुका है । कृपया यह सुविधा बहाल की जानी चाहिए तथा ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस/गोदावरी एक्सप्रेस में प्रतिदिन दो सवारी डिब्बे—एक द्वितीय श्रेणी तीन टायर और दूसरा प्रथम श्रेणी—विजयवाड़ा से होकर वाल्टेयर तक आरम्भ करके इस सुविधा में और सुधार किया जाना चाहिए ।

(ग) आजकल दक्षिण एक्सप्रेस में 16 डिब्बे हैं। इनमें से 10 हैदराबाद तक तथा शेष मद्रास तक जाते हैं। यदि यह संख्या बढ़ाकर 22 कर दी जाये तथा अतिरिक्त 6 डिब्बे (चार द्वितीय श्रेणी और दो प्रथम श्रेणी) विजयवाड़ा से होकर वाल्टेयर तक जाने लगें तो अतिरिक्त रेलगाड़ी आरम्भ किए बिना वाल्टेयर तक की रेल सुविधा में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है।

(घ) तिरुमाला-तिरुपति एक्सप्रेस, जो विजयवाड़ा से चलती है अब ककिनाडा—वाल्टेयर से लगभग 70 मील दूर—तक बढ़ाई जा रही है। यह आवश्यक है कि तिरुमाला एक्सप्रेस न केवल ककिनाडा वरन् वाल्टेयर, जो आन्ध्र प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण नगर है, तक बढ़ाई जाये।

मैं आग्रह करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के यात्रियों के हित में शीघ्र उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिये।

(नौ) उत्तर प्रदेश स्थित एटा को दिल्ली और कलकत्ता के साथ सीधी रेल सेवा द्वारा जोड़ने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : इस समय दिल्ली से एटा अथवा एटा-इलाहाबाद-लखनऊ-कलकत्ता के बीच कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। एटा से टुण्डला जंकशन के बीच बरास्ता बरहन एक स्थानीय गाड़ी चलती है।

एटा एक जिला मुख्यालय है और वहां पर व्यापार और कारोबार की काफी सम्भावना है। अतः देश की प्रगति की मुख्य धारा में लाने के लिये इसे उपयुक्त रेल सेवा से जोड़ना आवश्यक है।

2-5-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4924 के उत्तर के अनुसार बरहन से एटा तक की शाखा लाइन घाटे में चल रही है और 1983-84 के दौरान इस लाइन पर 60·58 लाख रुपये का घाटा हुआ। लाइन के घाटे में चलने का मुख्य कारण यह है कि न तो दिल्ली और एटा के बीच सीधी गाड़ी की सुविधा है और न ही रेल सेवाओं को बढ़ाया गया है।

अतः मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि :

(एक) दिल्ली से एटा और एटा से दिल्ली एक सीधी रेल सेवा आरम्भ की जाए।

(दो) ए०जी०एम० सेवा अलीगढ़ से दिल्ली के बीच चलती है इसे बढ़ाकर एटा से ही आरम्भ किया जाना चाहिए तथा दिल्ली से वापसी के समय भी इसे एटा पर ही समाप्त किया जाना चाहिए।

(तीन) एटा से इलाहाबाद अथवा लखनऊ तक यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए टुण्डला तक बढ़ाई गई ए०जी०एम० सेवा के साथ कम से कम दो रेल डिब्बे जोड़े जाने चाहियें।

एटा और फर्रूखाबाद के बीच भी कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है और यह सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इस मार्ग पर घुपरी, जैथरा, अलीगंज, नवाबगंज आदि बड़े नगर हैं जो बड़ी मण्डियां भी हैं।

एटा को फर्रूखाबाद से रेल सेवा द्वारा जोड़ने की संभावना पर विचार करने के लिये सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया जाता है।

महोदय, यदि इन सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा तो इससे आर्थिक रूप से लाभ होगा और रेलवे के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी।

आपके और इस माननीय सदन के माध्यम से मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र के विकास और आर्थिक विकास के व्यापक हित में इन सुझावों पर विचार करें।

1·45 म० प०

वित्त विधेयक, 1985—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद 9 को लेते हैं। प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं वित्त विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री ने 16 मार्च, 1985 को यह बजट पेश किया था। इसके बाद स्थिति में भारी परिवर्तन हुए हैं।

1·46 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

महोदय, पीठासीन अधिकारी के परिवर्तन होने पर मुझे अपनी बात बदलने की जरूरत नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि वित्त मन्त्री ने बजट पेश करने के बाद बहुत से पूर्वानुमान लगाये थे। उन्होंने वास्तव में अपने बजट के बारे में बहुत सी पूर्व धारणायें बनाई थीं। बजट के प्रस्तुत करने के बाद गुजरे इन कुछ सप्ताहों में आप देखेंगे कि उनकी कुछ धारणायें पूरी तरह से झूठी सिद्ध हुई हैं। इससे पूर्व मैं आपके माध्यम से इस सदन के ध्यान में वित्त मंत्री द्वारा की गई भारी अनौचित्य की बात लाना चाहता हूं। इस सदन का मार्गदर्शन सभी वित्तीय मामलों में न केवल सांविधिक नियमों द्वारा अपितु सभा के कुछ मानदंडों, परिपाटियों और परम्पराओं से होता है। स्वतन्त्रता के बाद पहली लोक सभा की अवधि से प्रस्तुत किये गये बजटों का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि लोक सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बार सदन में बजट प्रस्तुत होने के बाद वित्त विधेयक पर विचार से पूर्व कोई अतिरिक्त शुल्क घोषित किया गया हो। इस बार एक विशेष बात हुई है। बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देने के लिये जब वित्त मंत्री महोदय खड़े हुए तो उन्होंने कुछ शुल्क घटा दिये और कुछ शुल्क खत्म कर दिये। यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन उन्होंने सिगरेटों पर अतिरिक्त शुल्क शुरू किया अर्थात् प्रति सिगरेट एक पैसा। मैं इस मामले के गुणा व गुणों पर विचार नही करूंगा। लेकिन इस सदन की यह परिपाटी और परम्परा रही है कि लेवी की राशियों में कोई वृद्धि किये जाने पर एक नया बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। इससे बजट में संशोधन करना पड़ता है और 1947 से लेकर अब तक इन सभी वर्षों में वित्त विधेयक के विचारार्थ भाषण के अवसर पर ही ऐसे अतिरिक्त शुल्क लगाये गये हैं। पहली बार हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है और भारी अनौचित्य हुआ है और मैं तथा सदन वित्त मन्त्री से आशा करते हैं कि वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय वह इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने भारी अनौचित्य किया है।

जहां तक प्रस्तुत किये गये बजट का सम्बन्ध है इससे कौनसी लाबी लाभान्वित हुई है और किस लाबी को भार वहन करना पड़ेगा ? देखते हैं कि किन तत्वों ने बजट का स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में प्रमुख भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) स्वागत करने वालों में दूसरे थे। इसके प्रवक्ता श्री नानी पालखीवाला, तीसरा 'वाल स्ट्रीट जर्नल' और चौथा 'फोरम आफ फ्री इंटरप्राइज' था। इसके बाद उद्योगपति, आयकर दाता और यथास्थिति बनाये रखने वाले अर्थशास्त्री हैं। ये सभी लोग अत्यन्त खुश होंगे क्योंकि शनमुखम चेट्टी द्वारा 1947 में प्रस्तुत किये गये पहले बजट की अवधि से लेकर अब तक मेरे विचार से यह समृद्ध वर्ग का समर्थन करने वाला पहला ऐसा बजट है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः यह संयोगवश नहीं है कि समाज के समृद्ध वर्गों के सभी प्रतिनिधियों ने उत्साह से इस बजट का स्वागत किया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रस्तुत बजट में किन लोगों और वर्गों को लाभ मिलेगा। इससे कौन लाभान्वित हुए हैं ? ऐसे कौन से तत्व हैं जो वास्तव में बजट के हाथों पीड़ित हुए हैं और और ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें यह भार और कष्ट वहन करने पड़ेंगे अर्थात् अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई ?

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से छूट की सीमा 20 करोड़ रुपये थी। उद्योगपतियों और एकाधिकारियों को आशा थी कि यह सीमा अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाएगी परन्तु उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री के बजट में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से छूट की सीमा 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई जो कि पहले की छूट सीमा का पांच गुणा है।

जहां तक धन कर का सम्बन्ध है, छूट सीमा 1·5 लाख रुपये थी। इसे बढ़ाकर 2·5 लाख रुपये कर दिया गया है। सम्पदा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। आम आदमी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे समृद्ध वर्ग और उस वर्ग को जिसके पास सम्पत्ति है लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पदा शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। निस्सन्देह, कुछ बेहतर आर्थिक स्थिति वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आयकर में छूट की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर देना अच्छा लगा, उनमें से कुछ ने कहा यह सीमा 20,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती थी। परन्तु आयकर से छूट की सीमा में यह वृद्धि भ्रामक है और आप देखेंगे कि जब अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ेगा और जीवन निर्वाह महंगा हो जाएगा तो यह भ्रम स्वयं टूट जाएगा। यह प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

सरकारी रिकार्ड से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 3460 लाख नौकरी पेशा लोग हैं और उन पर निर्भर लोगों की संख्या को लें तो यह और भी अधिक हो जाएगी। यदि हम सम्पूर्ण बजट ढांचे को देखें तो हम पाएंगे कि 3460 लाख नौकरी-पेशा लोगों में से 99 प्रतिशत लोगों को इस बजट से कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्हें केवल सीमा में की गई वृद्धि का लाभ मिलेगा।

पचास प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। प्रत्यक्ष करों को उदार बनाने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः आप देखेंगे कि जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ेगी प्रत्यक्ष करों में उदारता से लाभान्वित समृद्ध वर्ग और लाभान्वित होगा और जहां तक मुद्रास्फीति के दबाव, इसके प्रभाव और मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, इसका सबसे बुरा असर गरीबी की रेखा से नीचे

रहने वाले लोगों, आम लोगों और उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें आयकर नहीं देना पड़ता, साथ ही कर दाताओं पर भी बुरा असर पड़ेगा।

हमें इसके बारे में तब बताया गया जब बजट पेश किया गया जब सामान्य चर्चा हुई तो यह तथ्य सामने आया कि इस बजट में 3,349 करोड़ रुपये का घाटे की वित्त व्यवस्था दिखायी गयी है। वित्त मंत्री ने क्या स्पष्टीकरण दिया ? उन्होंने कहा इसमें सन्देह नहीं कि 1947 से 1980 तक और उसके बाद दिखाए गए घाटों में 3,349 करोड़ रुपये का यह घाटा सबसे ज्यादा है—उन्होंने इस सम्पूर्ण बजट प्रक्रिया को मानसून पर आधारित माना और तर्क दिया कि हमें बहुत अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन अच्छा होगा और औद्योगिक विकास भी अच्छा होने की संभावना है। फलस्वरूप जब विकास की गति देश के विकास के अनुरूप होगी तब हम देखेंगे कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति का चाहे जितना दबाव पड़ेगा वह विकास की गति से बराबर हो जाएगा, वह बेहतर मानसून से प्रभावित होगा। अतः मैं इस बजट प्रक्रिया को मानसून पर आधारित मानता हूं, यह वास्तव में एक जुआ है। वह कैसे आशा करते हैं कि लगातार तीन वर्ष यानि वित्तीय वर्षों में अच्छी वर्षा होगी ? केवल ईश्वर जानता है या केवल वित्त मंत्री जानते हैं। वह इस सम्बन्ध में कोई युक्ति-संगत स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। परन्तु जहां तक सांख्यिकी पहलू का सम्बन्ध है आमतौर पर यह देखा गया है कि लगातार तीन वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्षों में अच्छी वर्षा नहीं हुई है, आरामपूर्ण नहीं रहे हैं, बेहतर कृषि उत्पादन नहीं हुआ है।

कुछ सप्ताह पहले ही हमने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में चर्चा की थी और मुझे प्रसन्नता है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारी आशा के विपरीत मूल्य बढ़ रहे हैं। वे आशानुकूल ही बढ़ रहे हैं। वे वित्त मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त झूठी आशा के विपरीत बढ़ रहे हैं। विरोधी दल के सदस्यों तथा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों को आशा थी कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि अवश्य होगी और हमारी आशा के अनुरूप ही मूल्य बढ़ गये हैं। परिणामस्वरूप पूरा ढांचा ही बदला जायेगा।

जहां तक घाटे का सम्बन्ध है, मैं केवल मनगढंत बातें नहीं कह रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि 1977-78 के बजट से लेकर 1985-86 के बजट तक मूल बजट में जो घाटा दर्शाया गया था और बाद में जो घाटा दर्शाया गया, क्या वही प्राक्कलित संशोधित बजट नहीं था ? यदि आप वास्तविक आंकड़े एकत्र करें तो पता चलेगा कि घाटा कहीं अधिक है। किन्तु मैं केवल दो आंकड़ों की तुलना करूंगा।

1977-78 के मूल बजट में कुल 1,382 करोड़ रुपये का घाटा था और संशोधित बजट में उसी वर्ष 2,700 करोड़ रुपये का घाटा था। 1980-81 में 1,417 करोड़ रुपये का घाटा था और संशोधित प्राक्कलन में 1810 करोड़ रुपयों का घाटा था।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : वास्तव में घाटा और भी अधिक है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं श्री माधव रेड्डी के विचार से सहमत हूँ। मैं केवल संशोधित प्राक्कलनों की बात कह रहा हूँ, वास्तविक आंकड़े तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं।

1981-82 में मूल प्राक्कलन 1,539 करोड़ रुपये का घाटा था और संशोधित प्राक्कलनों में 1,700 करोड़ रुपये का घाटा था। 1982-83 में मूल प्राक्कलन 1,365 करोड़ रुपये का था और संशोधित प्राक्कलन 1,935 करोड़ रुपयों का था। 1983-84 में मूल प्राक्कलन 1 515

करोड़ रुपये का था और संशोधित प्राक्कलन 1,695 करोड़ रुपयों का, 1984-85 के मूल प्राक्कलन में 1,762 करोड़ रुपये का घाटा था और महोदय, संशोधित प्राक्कलन में जिसके आंकड़े अभी आने हैं 3,985 करोड़ रुपये का घाटा है। तीन हजार नौ सौ अस्सी करोड़ रुपये और अब 1985-86 में प्रायोजित घाटा 3,349 करोड़ रुपये का है। इसके संशोधित प्राक्कलन कुछ समय बाद प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : 5,000 करोड़ रुपये।

प्रो० मधु दंडवते : वास्तव में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि कुल घाटा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि घाटे की राशि 6,000 करोड़ रुपये हो जाए।

श्री सी० माधव रेड्डी : हो सकता है 8,000 करोड़ रुपया हो जाए।

प्रो० मधु दंडवते : यदि घाटे की यही योजना बनी रही तो आप देश को केवल यह कह कर मूर्ख बना सकते हैं कि मानसून आयेगी—मानसून का दांव—अच्छी मानसून होगी आदि ? कभी वे कहते हैं वह इन्दिरा हम लोगों को बचा लेगी और कभी कहते हैं कि वह इन्द्र हमें बचा लेगा। स्थिति अच्छी नहीं है। जब घाटा बढ़कर 5,000 करोड़ अथवा 6,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा, तब मुद्रास्फीति का दबाव सहन नहीं हो पायेगा। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप आम व्यक्ति का जीवन-यापन कठिन और महंगा हो जायेगा।

अर्थव्यवस्था का एक और भी पक्ष है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। केवल यही बात नहीं है कि मुद्रास्फीति का जो दबाव उचित ढंग से समाहित नहीं किया जा रहा है, उसे घाटे की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है अपितु उसका एक और भी पक्ष है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह यह है कि उससे काला धन बढ़ेगा। मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिये। हमें यह बात बताई जा चुकी है और हमें यह पता भी है कि काले धन पर नेशनल इंस्टीटयूट आफ पब्लिक फाइनेंस (राष्ट्रीय वित्त संस्थान) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। सर्वप्रथम, मैं यह मांग करता हूं कि काले धन पर दियेग ये प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाए और उस पर चर्चा की जाए। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए।

एक भूतपूर्व वित्त मन्त्री स्वर्गीय श्री वाई० बी० चाहवाण ने, जब वह इस देश के वित्त मंत्री थे, इस बात को इसी सभा में स्वीकार करते हुए कहा था कि "मैं यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि देश में काले धन की अर्थव्यवस्था सामानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है।" वित्त मन्त्री ने यह बात स्वीकार की है। इसी समानांतर अर्थव्यवस्था से देश की सरकारी अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में पुनः वृद्धि होगी।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस मुद्रास्फीति के दबाव के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था न केवल पांच करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी अपितु यह घाटा और भी बढ़ सकता है और मुद्रास्फीति के इस बढ़ते हुए दबाव से देश में और अधिक काला धन पैदा होगा।

2·00 म० प०

मैं नहीं जानता कि वास्तव में काला धन कितनी मात्रा में है जब कभी मैंने इस विषय में तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे हैं हमें यही उत्तर मिलते हैं कि हम इस बात का सही पता

या अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि काला धन कितना है। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। यदि सरकार इसे सभापटल पर रखती है तो मुझे विश्वास है कि इस संस्थान ने इस बात का तो अवश्य ही अध्ययन किया होगा कि देश में काला धन कितना है। मुझे इस बात का पता नहीं कि इसने कौन सा विशेष तरीका अपनाया है। इसने देश में काले धन का अनुमान लगाने के लिए 'कालडोर' की विधि अपनायी है या कोई और विधि अपनायी है। उदाहरण के लिए वांचू समिति ने कालडोर विधि का उपयोग किया और यह कुछ अनुमान लगा सकी। परन्तु ये आंकड़े भी पुराने पड़ गए, क्योंकि आखिरकार किसी विशेष वर्ष के लिए इसने लगाए जाने योग्य कर तथा भुगतान किए गए कर से यह पता लगाने का प्रयास किया कि काला धन वास्तव में कितना होगा। काले धन को 2 : 3 में तेजी से बढ़ते हुए मान करके इसने खार्च की अनुमति दी जिसमें कि काला धन अंतर्ग्रस्त था और इसके बाद इसने भविष्य में अनुमान लगा करके यह बताया कि यदि राष्ट्रीय आय में कुछ मात्रा में वृद्धि होगी तो उसी अनुपात में काले धन में वृद्धि होगी। इसी कारण इसने भविष्य में काले धन का अनुमान लगाया। परन्तु मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें काला धन वास्तव में कितना दर्शाया गया है। मैं बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े दे करके देश में तहलका नहीं मचाना चाहता। परन्तु हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाचार-पत्रों में जो विशेष समाचार प्रकाशित हुआ है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित कुछ लोग—मुझे यह बताया जाता है कि वह एक गैर-सरकारी समिति थी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक अनुमान लगाया है और समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि देश में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 50 प्रतिशत काला धन है। मेरे विचार में यह कुछ बढ़ा चढ़ाकर कही गयी बात प्रतीत होती है। मैं नहीं समझता—यह तो बड़ी भयावह स्थिति है—काला धन सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 50 प्रतिशत होने की संभावना है। हमें आश्वस्त किया जाए कि इतना काला धन होने की बात सही नहीं है। परन्तु सही स्थिति ही बतायी जानी चाहिए।

इसमें कोई विशेष भ्रान्ति है। कुछ रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार हैं और वांचू समिति के प्रतिवेदन में यह एक तर्क दिया गया था कि यदि प्रत्यक्ष कराधान में सीधे कमी कर दी जाएगी तो कर भुगतान की स्थिति में सुधार होगा। यदि आप विभिन्न बजटों के अनुभव पर विचार करें तो मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इस बात से हमें संतुष्ट करें कि क्या यह सच है कि वांचू समिति के निष्कर्ष के विपरीत तथ्यों की अनुभव से पुष्टि नहीं की जाती। जब कभी प्रत्यक्ष कर में कमी की गयी है, प्रत्यक्ष कराधान में कमी के अनुरूप काले धन में भी कमी हुई—यह है अतीत की अनुभव नहीं रहा है। मैंने कुछ मोटे अनुमानों का अध्ययन करने की कोशिश की है और मैंने उनकी तुलना उन करों के साथ करने की कोशिश की है जिनमें कमी की गयी है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि वास्तव में प्रत्यक्ष कराधान में कमी करने से उसके अनुरूप कर की अदायगी नहीं होती है। अब वास्तव में तथ्य यही है। इसी तथ्य के आधार पर हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी वर्ग के लोगों को अधिक रियायतें दी जाती हैं तो धन कर में कमी हो जाती है, पूंजी लाभ कर में कमी हो जाती है और एम० आर० टी० पी० सीमा बढ़ जाती है। उस स्थिति में उसके अनुरूप कर अपवंचन कम होगा। अतः मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है।

इसी सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री को एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं। हमारी समूची आर्थिक समस्या, हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी दबाव विकास दर—इन सभी का देश में

व्यय पद्धति से निकट का सम्बन्ध है। देश में समकारी व्यय तथा गैर-सरकारों व्यय तथा देश में प्रचलित मुद्रा इस बात को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि देश में मूल्य स्तर क्या होगा। अतः यह अत्यावश्यक है कि न केवल आय अर्जन पर ही कारगर नियंत्रण हो अपितु सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यय पर भी कारगर नियंत्रण हो। अतः मैं पुनः यह सुझाव दूंगा कि इस देश में एक व्यय आयोग की नियुक्ति की जाए। यदि व्यय आयोग की नियुक्ति की जायेगी तो मेरे विचार में उससे दो प्रयोजन पूरे होंगे। एक तो यह है कि आयोग यह बता सकता है कि वास्तव में काले धन के स्रोत क्या है क्योंकि एक बार व्यय के क्षेत्र का पता लग जाने पर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कुछ व्यक्ति दिखावटी जीवन बिताते हैं और कुछ संस्थाएँ प्रकट किये गये अपने तथाकथित साधनों से अधिक व्यय करती हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त खोज-बीन से उन्हें पता चल सकेगा कि ऐसे कौन से संस्थान और कौन से व्यक्ति हैं जो काला धन पैदा करने के स्रोत हैं। अतः व्यय आयोग एक तरफ तो देश काले धन के स्रोतों का पता बतायेगा और दूसरी ओर उन्हें यह मालूम हो सकेगा कि देश में कितना फालतू व्यय किया जाता है। गैर-विकासात्मक व्यय कितना होता है। यह एक मानी हुई बात है कि देश में गैर-विकासात्मक व्यय जितना अधिक होगा, अनुत्पादक व्यय भी उतना ही अधिक होगा मुद्रास्फीति भी उतनी ही बढ़ेगी और देश में चीजों के मूल्यों में भी बहुत वृद्धि होगी। अतः मेरे विचार से इन चीजों को कम करने के लिए व्यय आयोग बहुत सहायक होगा। बजट का मूल्यांकन करने के लिए वित्त सम्बन्धी स्थिति का पता करने के लिए सबसे अच्छी कसौटी यही होगी कि हम देखें सरकार की प्राथमिकताएँ क्या हैं। वास्तव में व्यक्ति का प्रयास होता है कि आर्थिक और वित्तीय प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाये। क्या उन्होंने आबंटन कर दिया है। मैं बजट सम्बन्धी सभी पत्रों का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ पत्र हैं जिनसे सोचने की दिशा का पता चलता है। धन के आबंटन में क्या प्राथमिकताएँ हैं। आप कृषि सम्बन्धी वित्तीय संस्थानों को देखें। वर्ष 1984-85 के पुनरीक्षित बजट में 297 करोड़ रुपये रखे गये और 1985-86 के बजट में वित्त मन्त्री जी ने 1585 करोड़ रु०·····

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री और वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं निवेदन करूं कि तुलन बजट अनुमानों में होती है। पुनरीक्षित बजट बाद में आएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उससे तो स्थिति और भी बदतर नजर आयेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप शिक्षित बेरोजगारों के स्वनियोजन की योजना को लें। पुनरीक्षित अनुमान था 149 करोड़ रुपये और अब यह 65 करोड़ रुपये है। यदि मैं इनका मूल आंकड़ों से मिलान करूं तो स्थिति और खराब होगी। अतः मैंने यह सोचकर पुनरीक्षित अनुमान लिए हैं कि उन्होंने काफी विचार के बाद उन्हें पुनरीक्षित किया होगा। मैं वित्त मन्त्री जी से पूरी तरह इस बात पर सहमत नहीं हूं कि दृष्टिकोण का पता करने के लिए हमें मूल अनुमानों और नये मूल अनुमानों के आंकड़ों को मिलाना जरूरी है। वास्तव में यदि आप कहें तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। शायद मेरे पास कागज हैं। पर उनसे तो स्थिति और भी बुरी होगी।

अब आप औद्योगिक वित्तीय संस्थानों के बारे में देखें। वर्ष 1984-85 में पुनरीक्षित बजट में 107 करोड़ रु० रखे गए, 1985-86 के बजट में इसे कम करके 100 करोड़ रु० कर दिया गया। उपभोक्ता उद्योग को लें तो 1984-85 में यह 193 करोड़ रुपए था जो 1985-86 के बजट में 148 करोड़ रुपये रह गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वनियोजन योजना में ये आंकड़े 149 करोड़ रु० और 65 करोड़ रुपये हैं। मैं याद करके बता रहा हूं यदि कुछ

गलत नहीं हो तो वह बता सकते हैं। यदि मैं गलत नहीं कह रहा तो इसी योजना में मूल बजट में 25 करोड़ रु० रखे गये थे लेकिन पता नहीं किन कारणों से पुनरीक्षित बजट में इसे 149 करोड़ रु० कर दिया गया है। अब चुनाव हो चुके हैं तो उन्हें घटा कर 65 करोड़ रुपए तक लाया गया है। देश के औद्योगिक विकास के लिए रेलें और बन्दरगाहें बुनियादी आंतरिक ढांचा है और उनके लिए क्या राशि और परिव्यय की व्यवस्था है? रेलवे में पुनरीक्षित अनुमान 798 करोड़ रु० था—जो 800 करोड़ रु० के करीब ही है, उसे 1985-86 में कम करके 700 करोड़ रु० किया गया है। बन्दरगाहों के लिए 1984-85 के पुनरीक्षित बजट में 76 करोड़ रु० थे जो 1985-86 के बजट में 46 करोड़ रुपये तक रह गए हैं। यह तो अनिवार्य क्षेत्रों की बात हुई। मैंने कुछ देर पहले यह कहा था कि एम० आर० टी० पी० के मामले में छूट की राशि 20 करोड़ रु० से बढ़ा कर 100 करोड़ रु० तक पहुंच गई है और जब टैरिफ में दी जाने वाली छूट की सीमा को 40 लाख रु० तक बढ़ाने की बात थी तो कुछ नहीं किया गया। अतः उपभोक्ता तथा अन्यों की बात छोड़िए छोटे उद्योगों के प्रति भी उतनी सहानुभूति नहीं है जितनी कि एकाधिकार गृहों के प्रति दिखाई जाती है।

वित्त मन्त्री जी मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से आया हूं, और मेरा संबंध पुस्तकों से है, और उस सामग्री से है जो छात्रों को दी जाती है। उनसे विनम्र अनुरोध है और आशा है वह ध्यान देंगे। इस बजट में उस छूट को वापस ले लिया गया है जो आय-कर अधिनियम की धारा 80 घ (2) के अन्तर्गत प्रकाशन कार्य के विकास और प्रगति के लिए दी जाती है। यह ऐसे समय किया गया है जबकि सभी सहायक सामग्री की कीमतों में वृद्धि, ग्रंथालयों के लिए खरीद सम्बन्धी अनुदान न दिया जाना, डाक और भाड़े की दरों में वृद्धि और खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अन्तर्गत सभी प्रकार की पुस्तकों के आयात आदि से प्रकाशन व्यापार को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके सामने आज ये दिक्कतें है। यदि वह चाहते हैं कि स्कूल और विश्व-विद्यालय की प्रतिभा में सुधार हो, यदि वह चाहते हैं कि ज्ञान के क्षितिज को और आगे फैलाया जाए तो प्रकाशन कार्यालयों को अधिकाधिक अवसर देने चाहिए ताकि सामान्य पाठक लाभ उठाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। इसलिए मैं उन्हें ठोस सुझाव देना चाहता हूं कि पहली वाली रियायत जिसे वापस लिया है उसे फिर से शुरू की जाए। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक वित्तीय कठिनाइयां होंगी बल्कि वास्तव में यह शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में और किताबों के प्रकाशन के क्षेत्र में स्वास्थ्य वातावरण तैयार होगा तथा इससे उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो किताबों में विद्यमान ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं।

जहां तक गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों का संबंध है आई०आर०डी०पी०, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० जैसे मुख्य गरीबी निवारक कार्यक्रमों को वास्तविक आबंटन नहीं दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उन लोगों को जो सदन के दोनों तरफ बजट में भाग लेते हैं और बोलते हैं विशेषकर सत्ता दल के सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्र विशेषरूप से बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश से आए हैं, जोरदार आग्रह करते हैं कि गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को ऊपर उठाया जाना चाहिए और अधिक आबंटन किया जाना चाहिए ताकि इस सुखद योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए। इन योजनाओं को समझने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और यदि वे प्रभावी ढंग के अधिक आबंटन के साथ कार्यान्वित की जाती है तो मुझे विश्वास है कि ये योजनाएं सफल होंगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल एक मिनट। मैं इस तथ्य की ओर प्रो० दंडवते का का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैंने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि चुनावों के कारण कई राज्य सरकारें अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सकीं और उनके कुछ मामलों में हमने 50 प्रतिशत योगदान किया है तथा यह अंश उसमें नहीं है। जैसे ही वे गरीबी निवारक कार्यक्रम को अपनी योजनाओं में अन्तिम रूप देंगे, हम अपने आबंटन में वृद्धि कर देंगे। इसका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे इस घोषणा से बहुत खुशी हुई है। वास्तव में मैं इसे नहीं जानता था। मैं अज्ञान के अपने मूल अधिकार का प्रयोग करता हूँ कि आपने पहले क्या कहा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है। इन प्रशासनिक विवषताओं के कारण वह विशेष कमी बनी हुई थी। एक बार वे योजनाओं को अन्तिम रूप दे दे और यदि वे योजनाओं के साथ न्याय करे तो मुझे विश्वास है कि ये योजनाएं विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को समूल उन्मूलन करने के लिए दूर तक कोशिक करते रहेंगे। मुझे आशा है कि इसे किया जाएगा।

अब मैं राष्ट्रीय उद्देश्य की आत्मनिर्भरता के सन्दर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। यदि यह देश महात्मा गांधी के किसी योगदान के लिए नाज करता है तो वह देश की आर्थिक व्यवस्था का मनन करना है जो आत्मनिर्भरता की संकल्पना है। इसका महत्व उसी तरह का है जिस तरह की पंडित जी की गुट-निरपेक्षता की संकल्पना थी। देश में अर्थ-व्यस्वथा और राजनैतिक मनन करने के लिए महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भरता की संकल्पना, अर्थ-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण तथा राजननैतिक शक्ति का महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। और सौभाग्यवश इस देश में आत्मनिर्भरता की संकल्पना राष्ट्रीय आम राय बन गई है तथा सभी दल चाहे वे विपक्ष है या सत्तारूढ़ दल, सभी ने आत्मनिर्भरता की इस संकल्पना को निःसंकोच स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए कुछ नीति वक्तव्य तथा बजट के सामान्य संदर्भ आत्मनिर्भरता की संकल्पना की हानि और इसे खतरे में डालना है।

मैंने इलेक्ट्रानिक नीति वक्तव्य को पूरी तरह से सावधानीपूर्वक देखा है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रानिक नीति वक्तव्य तथा आयात-निर्यात नीति वक्तव्य जिसे एक अलग विवरण द्वारा वित्त मंत्री जी ने पहले से ही बनाया था उसे सदन के पटल पर पढ़ा गया था, यदि आप इन दोनों को मिलाएं और उस पर बजट नीति के संचित प्रभाव को जानने की कोशिश करें तो आप पाएँगे कि आत्मनिर्भरता की स्थिति निराशपूर्ण होगी। महोदय, ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान संकाय का छात्र रहा हो, उसने वैज्ञानिक तकनीक का प्रौद्योगिकी तथा जीवन के किसी क्षेत्र में प्रयोग का विरोध नहीं किया है। मैं देश में तकनीक का वैज्ञानिक आधार चाहता हूँ, मैं देश का आधुनिकीकरण चाहता हूँ मैं देश में तकनीक का आधुनिकीकरण चाहता हूँ लेकिन मैं मानव के मूल्य पर मशीनों का विकास नहीं चाहता। भारत में महात्मा गांधी जी की यह संकल्पना थी। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रानिक नीति वक्तव्य में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हमारे क्षेत्रों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप की सहायता से और आयात-निर्यात नीति में कुछ कमियां हैं। यदि वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आयात-निर्यात नीति वक्तव्य पर अलग से चर्चा की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वास्तव में, मैंने इसके लिए नियम 193 के अन्तर्गत पहले ही एक नोटिस दिया था। मैं इस विशेष वक्तव्य के आशयों के ब्यौरे चाहता हूँ जिसको ध्यान में लिया जाना है। यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारणा अच्छी है लेकिन वहां कुछ कमी है जिसके परिणामस्वरूप कुछ उद्यमियों को कतिपय आशयों द्वारा

उनको यह कहते हुए कि कुछ वस्तुओं की भराई के लिए और कुछ उत्पाद जिसका निर्यात करना है, लाभ उठा सकेंगे। कुछ धोखाधड़ी के लिए व्यापक क्षेत्र होगा और मुझे लगता है कि आयात-निर्यात नीति वक्तव्य तथा इलेक्ट्रानिक वक्तव्य के सामंजस्य होने से हमें एक नए युग में ले जायेगा जहां बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां प्रारम्भिक स्थिति पर हैं। तब हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए प्रवेश द्वार खोल देंगे और इससे देश की आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाएगी।

मैं विधेयक में से उल्लेख करना चाहता हूं कि 1970-71 में हम आत्म निर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के खर्चे में ऋण केवल 3% था और कृपया ध्यान दें कि 1985-86 में सरकार का 10% तक व्यय ऋण पर आधारित था। इन दोनों के बीच बहुत अन्तर है। शायद हम आत्मनिर्भरता को छोड़ रहे हैं और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए प्रवेश द्वार खोल रहे हैं। वहां एकमात्र कम्प्यूटर व्यवस्था होगी। मैं कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कम्प्यूटर व्यवस्था शुरू किए जाने का विरोध नहीं करता हूं जहां श्रमिकों को नहीं निकाला गया है। लेकिन हमें इन लोगों ने बताया है कि जो तकनीक आयात करते हैं कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इसे लागू किया जायेगा। इससे श्रमिकों को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मैं सदन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अनियमित गति से काम के द्वारा श्रमिकों की छटनी होगी और रोजगार क्षमता ही नष्ट नहीं होगी बल्कि आवश्यक तकनीक भी समाप्त होगी। यह क्या हो रहा है? जो लोग सेवानिवृत हो रहे हैं। जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं होते तब तक उन्हें कम्प्यूटर द्वारा हटाया नहीं जाएगा लेकिन एक बार वे सेवानिवृत हो गए तो नये कर्मचारियों के लिये जो उन विशेष पदों पर वास्तविक रूप से नियुक्त हैं वे कहेंगे कि क्योंकि अब कम्प्यूटर हैं इसलिए और अधिक नियुक्तियों को भरने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भावी रोजगार क्षमता नष्ट करने की शुरूआत की जा रही है। मैं इसके विरुद्ध चेतावनी देना चाहता हूं। मैं कम्प्यूटर और इसके चयन के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जब आप कम्प्यूटर के चयन के समय की उपयोग की बात करते हो तो इस तथ्य को कृपया देखें कि कम्प्यूटर से बेरोजगारी होने की संभावना है। पश्चिम की दुनियां में यह हो रहा है, जर्मनी में यह हो रहा है, अमरीका में यह हो रहा है। हमें इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि देश में भावी रोजगार की क्षमता की कीमत पर कम्प्यूटर नहीं लगाये जाने चाहिए।

महोदय मैं बजट की दार्शनिक प्रणाली के बारे में चेतावनी के द्वारा अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। बजट का दर्शन क्या है? साधारण शब्दों में यदि मुझे बजट के दर्शन के वर्णन करने के लिए कहा जाए तो वह इस प्रकार होगी कम से कम लोगों को अधिक से अधिक लाभ। यह इसका दर्शन है। बजट का आधार 'रीगनोमिक्स' है। रीगन अमरीका में क्या करने कोशिश कर रहे हैं? इसी तरह की तकनीकी की भी यहां कोशिश की जा रही है और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री प्रेस सम्मेलन में उनको शामिल करते समय बम्बई में 'रीगनोमिक्स' कहा था। हम 'रीगनोमिक्स' स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन विश्व की बड़ी पत्रिकाओं में रीगन और हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर छापी गई तो यह कहा गया कि रीगन और हमारे प्रधानमंत्री के बीच भी निकटता है।

महोदय, महात्मा गांधी निचले स्तर तक के विकास पर दबाव डालना चाहते थे और उससे विकास बढ़ेगा। श्री राजीव गांधी की सम्भ्रांत सरकार के भावी विकास संबंधी वाला कार्य है? समय अधिक लेने के लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त कहूंगा। मेरे विचार

से श्री राजीव गांधी के भावी विकास वित्त मंत्री जी ने जैसा बताया है कि यह अन्य वर्ग, अमीर लोगों और समाज के सभ्रांत लोगों का विकास है। निम्न स्तर पर दुर्बलतम वर्गों को क्या लाभ मिलेगा ? जो कुछ ऊपर से नीचे तक होता है और जो कुछ निम्न स्तर तक पहुँचता है वह निम्न स्तर पर लोगों के लिए लाभ और विकास होगा। यह गांधी का विचार नहीं है। दुर्भाग्यवश यह गांधीजी के विचारों से उल्टा है। मार्क्स ने कहा, "मैंने हेगल को उलटा पुलटा रखा है" आज शायद राजीव गांधीजी कहते होंगे, "मैंने इस बजट के द्वारा महात्मा गान्धी को उलटा पुलटा रखा है। इसलिए जहां तक वित्त मंत्री जी का संबंध है शायद इस बजट के बाद उनका नारा यह है कि "महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। राजीव गांधी जिन्दाबाद।"

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर दोनों तरफ के सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं दोनों के विचार सुन रहा था और मैं प्रोफेसर साहब के भाषण को भी अच्छी तरह से सुन रहा था।

यह अवश्य है कि हम जो बजट शुरू से लेकर अंत तक बना रहे हैं, वह लगातार घाटे के बजट आ रहे हैं और घाटे का बजट दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह तीन हजार 394 करोड़ रुपये का घाटे का बजट है। यह घाटे का जो बजट आता है यह महंगाई को बढ़ावा देता है। कितनी भी हम कोशिश करें, घाटे का बजट और ज्यादा होगा। बोरिंग्स करेंगे तो हमारी मंहगाई को बढ़ावा मिलेगा।

आज की माडर्न इकानमी में यह भी देखना पड़ता है कि हमने विकास की गति को भी बढ़ाना है, अपने प्लान को भी हमें छोटा नहीं करना है, उसको बराबर बढ़ाना है और प्रगति और विकास करना है, परन्तु इस प्लान को बढ़ाने और विकसित करने के लिए हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अब जो मंहगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, उस मंहगाई को जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी जो बजट प्रस्तुत होने के बाद जो महंगाई बढ़ी है और जिस पर कि हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने भी सहमति प्रकट की है और सदस्यों ने कॉलिंग अटेंशन के जरिये से भी ध्यान आकर्षित कराया है। इसलिए यह जो महंगाई बढ़ रही है, उससे ऐसी स्थिति न पैदा हो जायें कि अभी जो मंहगाई 4-5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, कहीं 10 प्रतिशत से आगे न बढ़ जाये।...(**व्यवधान**)

इस सम्बन्ध में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह हमारा जो बजट प्रस्तुत हुआ, उससे अवश्य ही लाभ हुआ है और जो रीच सैक्शन है, जो अमीर हैं, उनको ज्यादा लाभ हुआ है। और वह लाभ जो हुआ है, उस लाभ के लिए अगर हम उनको लाभ भी पहुँचा दें और लाभ पहुँचाने के बाद उनकी एक्टीविटिज जो हैं अभी इनकम टैक्स की दर 90 प्रतिशत थी, उसको अब 65 प्रतिशत कर दिया और 50 प्रतिशत करने जा रहे हैं। अब उनकी टैक्स इवेजन की मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है कि वह टैक्स कम किया है, तब हम समझते हैं कि यह लाभ भी पहुँचा है और मनोवृत्ति में जो परिवर्तन आता है तो यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इन्कम टैक्स के बारे में पहले हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोवीजन्स थे कि रेड करने के बाद यदि किसी पर एरियर्स निकलते थे, तो वह उनको अदा कर दिया करता था और उसको

पनिशमेंट नहीं देते थे और उनको अरैस्ट नहीं करते थे। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते थे। लेकिन अब हमने ऐसे प्रोवीजन्स बनाए हैं, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, यदि हम उन पर स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंटेशन करें, तब तो हमारी उपलब्धता होगी। पीनल प्रोवीजन्स को जब तक स्ट्रांगली कम्पलीमेट नहीं करेंगे, तब तक टैक्स इवेजन की प्रवृत्ति जारी रहेगी। इसलिए इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

मुख्य बात यह है कि इस बजट की वैस्टर्न कन्ट्रीज ने भी प्रशंसा की है। श्री पालकीवाला भी इस बजट की प्रसंशनीय बातों पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी से हमें देखना है कि वेस्टर्न कन्ट्रीज क्यों प्रसंसा कर रही हैं, पालकीवाला जी क्यों प्रशंसा कर रहा है। यह देखने के लिए बहुत ही काशियस रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत बजट से जो परिणाम निकलेंगे, उसी से निश्चय होगा कि बजट सफल हुआ है या असफल हुआ है। परिणामों के आधार पर ही हम आंकलन कर सकते हैं अन्यथा नहीं कर सकते हैं।

एक बात मैं एक क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन बहुत है। जहां तक गाडगिल फार्मूले का सवाल है इससे सिर्फ डवलेप्ड स्टेट्स को ज्यादा फायदा पहुंचता है और अण्डर-डवेलप्ड स्टेट्स को गाडगिल फार्मूले से फायदा नहीं पहुंचता है। यह चीज नेशनल डवलपमेंट काउन्सिल में तय की जाती है और वहां पर इन लोगों की शक्ति ज्यादा है। पोपुलेशन के साथ-साथ हमने जो राज्य ज्यादा साधन जुटाएगा उसको ज्यादा महत्त्व दिया है। लेकिन जिन राज्यों के पास ज्यादा साधन नहीं है, उनकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में बहुत बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। मेरे खुद का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केरल प्रान्त से दुगना है, क्षेत्रफल के हिसाब से। पंजाब प्रान्त के बराबर है और हरियाणा प्रान्त से···

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : इसके बाद मेरा नम्बर आता है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जब आप गाडगिल फार्मूले को एडाप्ट कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस बात को इसलिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे यहां सड़कें बनेंगी तो उनका खर्चा दूसरे स्थानों से दुगना आएगा। वहां पर पीने का पानी भी बहुत गहराई पर है। एक गांव से दूसरे गांव तक पीने का पानी ले जाने के लिए वहां लोगों को दस-दस, बीस-बीस किलीमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। हिल्ली एरियाज के डवेलपमेंट के लिए आपने स्पेशल एसिस्टेंस दी है। स्पेशल एसिस्टेंस का बड़ा भारी इम्पैक्ट पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अन्दर इस प्रोग्राम के जरिए छठी पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। सेंट्रल ग्रान्ट के अन्दर 90 प्रतिशत सैन्ट्रल एसिस्टेंस है और दस परसेंट लोन है।

मैं डैजर्ट एरिया के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया था, प्लानिंग कमीशन के सामने भी पैरवी की थी और जब मिड-टर्म एप्रेजल पर बहस हुई थी

उस समय भी निवेदन किया था। हेजर्ट एरियाज की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से भी खराब है। अकाल पड़ता है तो सबसे ज्यादा वहां पड़ता है, पीने के पानी का संकट होता है तो सबसे ज्यादा वहां होता है, हर तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मीन्ज आफ कम्यूनिकेशन, रोड्स, एजूकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज इत्यादि सब तरह की सुविधाओं से वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां पर आगे बढ़ने का काफी स्कोप है। राजस्थान कैनाल, जो अब इन्दिरा गांधी कैनाल पुकारी जाती है, 1957 में शुरू की गई थी। उस पर हम 450 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन सकी है। राजस्थान सरकार उसको अपने साधनों से नहीं बना सकती है, उसके लिए केन्द्र से पूरी मदद चाहिए। हमारे यहां पानी की जो प्राबलम है वह इस कैनाल से हल हो सकती है और इस पर तीन हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। यदि आप उस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो आपको तुरन्त इस में मदद करनी चाहिये।

आपने हमारे यहां सैण्ड-डयून्ज स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम, फारेस्टरी के प्रोग्राम चलाये हैं जो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। वहां पेड़-पौधे और बढ़िया घास पैदा हुई है। इसलिए वहां स्कोप बहुत ज्यादा है। वह सीमावर्ती क्षेत्र है—उसका विकास हिल-एरियाज डवलपमेंट प्रोग्राम के पैटर्न पर होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त विधेयक का मैं समर्थन करता हू।

जब बजट पेश किया गया तो यह आशंका की गई थी कि नए वित्त मंत्री एक नया रास्ता अपनाने जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि सरकार ने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया है। वह सरकारी क्षेत्र के महत्त्व को कम कर रही है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दे रही है और समाज के समृद्ध लोगों को अधिक लाभ दे रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चूंकि यह मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है। मैं इसलिए इस पर एक सूचना देना चाहता हूं। निगमित क्षेत्र में से हम 251 करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष कर छूट के बारे में इसका जिक्र किया जा रहा है, 4000 करोड़ रुपए में से केवल 200 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा जैसा कि मैंने कहा, कि विपक्ष के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है और अपनी आशंका व्यक्त की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि ये आशंकाएं निराधार हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यदि हम वित्त मंत्री जी के दूसरे भाषण को देखें और कराधान स्थानों के जिनका उन्होंने प्रस्ताव किया है तथा वे रियायतें तो उन्होंने दी है उसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने लोगों की सदभावना में विश्वास व्यक्त किया है और वह सोचते हैं कि यदि कराधान की दर कम कर दी जाए तो उनकी कल्पना यह है कि कराधान का अच्छी तरह से पालन किया जाएगा। वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि

कराधान की दरों में कमी की जानी चाहिए। कराधान नियम (संशोधन) विधेयक विचाराधीन था और एक संयुक्त चयन समिति थी तथा जो साक्ष्य चयन समिति के सामने आए थे उन्होंने समिति से यह आग्रह करने की सिफारिश की कि कराधान की सीमांत दर में कमी की जानी चाहिए। मुझे याद है कि इसकी सिफारिश की गई थी तथा इसको 66% तक कम किया गया था। जहां तक निगमित क्षेत्र का संबंध है इस बार वित्त मंत्री ने कराधान की सीमांत दरों को 50% तक घटा दिया है। लेकिन उसी समय उन्होंने कुछ रियायतें वापिस ले ली हैं। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में आऊंगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वे लोग जो देश में आशंकित वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें ये देखकर सन्तुष्ट होना चाहिए कि हमारे दल ने बहुत साफ-साफ शब्दों में समाजवाद की वचनबद्धता को दोहराया है। हमने इसे बहुत पहले स्वीकार किया है और यह अब भी हमारा निरन्तर लक्ष्य रहेगा। वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का प्रतिरूप हमारी सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं की पुष्टि करती है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि उन्होंने केवल समाज के संभ्रान्त लोगों का समर्थन किया तथा उन्होंने वंचित समाज के लोगों की अपेक्षा की थी।

हमें सम्पूर्ण प्रस्ताव पर उचित महत्व के साथ जांच करनी चाहिए। रियायतों के साथ आपके सम्पूर्ण वित्तीय पैकज को देखना चाहिए कि विधेयक गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया है। उन्होंने निर्धनों की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपायों का भी सुझाव दिया है। ये उपाय इस प्रकार हैं : (i) व्यापक फसल बीमा योजना। आपको याद होगा कि 1952 से प्रत्येक क्षेत्र में यह आग्रह किया जा रहा था कि फसल बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी इसमें आगे आए और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। (ii) कम्पनी के बन्द होने की अवस्था में मजदूरों के भुगतान को सरकारी और बैंक की राशि से भी पहले भुगतान करना। (iii) सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों के लिए जहां निर्धन परिवारों के कमाने वाले सदस्यों, भूमिहीन मजदूर, छोटे और सीमांत किसान तथा परम्परागत क्राफ्टमैन जो अन्य किसी बीमा योजना में शामिल नहीं है की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह एक नवीकरण है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे दुःख है कि दूसरी तरफ से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। (iv) गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को जारी रखना। मेरे दोस्त श्री दंडवते ने कहा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए जो आबंटन पिछले वर्ष किया गया था उतना ही अभी किया गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा जब उनको आवश्यकता होगी तो राज्य 50% की व्यवस्था करेगा। मैं आशा करता हू कि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त राशि नियत की जायेगी क्योंकि कीमतों के बढ़ने के कारण जितना आबंटन हमने आज किया है उसका निश्चित रूप से कम मूल्य लगाया जायेगा। आपने योजना के परिव्यय के बारे में पहले ही कहा है कि योजना परिव्यय में 12,5000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। लेकिन वास्तव में वित्त मंत्री जी ने कीमत बढ़ने के कारण कहा था कि परिव्यय कम है और वास्तव में हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। इसी तरह गरीबी हटाओ कार्यक्रम में विचार करते समय मेरा वित्त मंत्री जी से यह आग्रह होगा कि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त राशि और उससे अधिक की व्यवस्था को इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए—हमारे पिछले अनुभव को देखते हुए प्रशासन को कारगार बनाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों के लाभ इन लोगों को प्राप्त हो जिनके लिए ये बने हैं और उनके लाभ बिचौलियों को न मिलने पाए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : हालांकि मैंने अभी शुरू किया है फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में जाऊंगा तथा केवल विषयों का ही उल्लेख करूंगा।

महोदय, घाटे के बजट जिसको बजट में दिखाया गया है के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारा पिछला अनुभव बताता है कि घाटे की स्थिति आगे बढ़ती ही जाती है। जैसा कि नागरिक पूर्ति मंत्री ने इसे स्वीकार किया है कि कीमतें अधिक बढ़ रही हैं और एक महीने में ही मूल्यों में 2·4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रश्न के इस पहलू पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आग्रह करता हूं ताकि मुद्रास्फीति के इस दबाव को नियंत्रित करें अन्यथा समाज के कमजोर वर्गों पर इसका सामान्य रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसके बाद मैं महंगाई भत्ते के लिए दिए गए आंकड़ों के बारे में कहना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वे ठीक नहीं हैं। महोदय, महंगाई भत्ते के लिए पिछले बजट में की गई व्यवस्था को देखते हुए 9 किस्तें दी गई थीं और कुल 715 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष केवल 300 करोड़ रुपये की राशि रखी है। चौथे वेतन आयोग ने पहले ही कुछ सिफारिशें की हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 327 करोड़ रुपये देने थे तथा हाल ही में 1 जनवरी से महंगाई भत्ते की एक अन्य किस्त की मंजूरी हो गई है जिससे 90 करोड़ रुपये का अन्य खर्चा होगा। अतः इस व्यवस्था से भी यह राशि बहुत कम साबित होगी जिसकी अन्त में आवश्यकता होगी।

महोदय, मैं प्रो० दंडवते के उस सुझाव के पक्ष में हूं जहां उन्होंने कहा था कि सरकार को अपने खर्चे के बारे में एक खर्च आयोग या कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने की आवश्यकता है जो सरकार के खर्च का अध्ययन कर सके। क्योंकि आप पायेंगे कि गैर-योजनाओं में प्रतिदिन खर्चे बढ़ रहे हैं तथा जब तक हम इसे नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम नहीं उठायेंगे तब तक कीमतें और आगे बढ़ेंगी। यदि हम अनुत्पादक खर्च को नहीं रोकेंगे तो उसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं वे आंकड़े देना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि पिछले एक दशक के दौरान सरकारी कर्मचारियों में किस प्रकार वृद्धि हो रही है।

मैं बजट के आंकड़ों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से ये आंकड़े सही नहीं हैं। उन्हें बहुत कम आंका गया है। उदाहरण के लिए मैं दो-तीन आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए संशोधित आंकड़ों के मामले को ही लीजिए उनसे आपको लगेगा कि बजट तकनीक स्पष्ट है और अयथार्थ है।

अपने तर्क के समर्थन में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। (1) खाद्यान्न पर राज सहायता की राशि 850 करोड़ रुपये से बढ़कर 1100 करोड़ रु० की गयी है। (2) घरेलू उर्वरकों पर राज-सहायता की राशि 930 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये की गई है। (3) आयातित उर्वरक पर राज सहायता की राशि 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 630 करोड़ की गयी। (4) ऋणों पर ब्याज के भुगतान की राशि 5600 करोड़ रुपये से बढ़कर 5990 करोड़ की रुपये हो गई है। कुल गैर-योजना व्यय 26,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 29,740 करोड़ रुपया हो गया अर्थात् 3,674 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इससे इन आंकड़ों के आधार पर किए गए सारे अनुमान तथा हिसाब गड़बड़ा गया है। आपके बजट भाषण में जो आंकड़े दिए जाते

हैं उनमें काफी वृद्धि कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप आपकी योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह अधिक सावधानी से बजट तैयार किया करें।

मुझे खुशी है कि सरकार ने हमारी वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अपने बजट प्रस्तावों को योजना के अनुरूप बनाने की वित्त मंत्री की इच्छा से वांछित स्थिरता निश्चय ही आएगी।

मैं निगम करों के बारे में पहले उल्लेख कर चुका हूं। वित्त मंत्री जी ने निगम कराधान की दर घटा दी है तथा करों से छूट समाप्त कर दी गई है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनका शेयर होल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि कम्पनियों के प्रबन्धकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

करों के ढांचे को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए साहसी कदमों के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनसे यह अनुरोध और करना चाहूंगा कि कर-कानून को और सरल बनाया जाए, ताकि उनका बेहतर अनुपालन हो। मुझे विश्वास है कि (कर की दरों में कमी करके) करदाताओं से जो आशा की गई है उसे पूरा किया जायेगा और वे इसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेंगे।

मैं वित्त मंत्री के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि सार्वजनिक उपक्रमों को संसाधन जुटाने के लिए बांड जारी करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि इन उपक्रमों की खिचाई भी की जानी चाहिए। उनके कार्य, प्रबन्ध तथा व्यय की छानबीन की जानी चाहिए। मैं श्री दिनेश सिंह तथा प्रो० मधु दंडवते के इस कथन से सहमत हूं कि इन निकायों के गैर-उत्पादक तथा गैर-योजना व्यय की जांच करने के लिए भी एक उच्च स्तरीय निकाय या व्यय आयोग होना चाहिए। अगर माननीय वित्त मंत्री के पास एक वातानुकूलित कार होगी तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों के पास दर्जनों ऐसी कारें हो जायेंगी। वे भी उसी ठाठ-बाट से रह रहे हैं जैसे निजी उद्योगपति रहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास कोई वातानुकूलित कार नहीं है। मंत्रियों पर यह रोक लगी हुई है कि वे वातानुकूलित कार नहीं रख सकते।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आप खरीद सकते हैं। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि वह भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगायेंगे। जनता ने इस अच्छी घोषणा का स्वागत किया है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस काले धन पर रोक लगाएं।

महोदय, मैं अन्त में यही कहूंगा कि वित्त मंत्री ने बहुत साहसपूर्ण कदम उठाया है। सदन को उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए, ताकि जिन उपायों का जिन्होंने प्रस्ताव किया है उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाए और वह अर्थ-व्यवस्था को सही दिशा दे सकें तथा पंडित जवाहर नेहरू द्वारा बहुत पहले निर्धारित लक्ष्य की ओर देश को ले जा सकें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय सभापति जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे युवा प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पहला आम बजट पेश किया है। यह आम बजट बहुत ही अध्ययन के बाद पेश किया गया है और बहुत अच्छा बजट है, मैं उन्हें इस बात पर बधाई देना चाहता हूं।

मैं आंकड़ों में जाकर और उन्होंने जो बहुत कुछ रियायतें दी हैं, उनके ऊपर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं हमारे जो विरोधी सदस्य हैं, उन्होंने एक बात महंगाई के बारे में कही है, महंगाइ बढ़ी है, किन्तु यह महंगाई सिर्फ बजट के कारण बढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे युवा प्रधान मंत्री इस देश को तेजी से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और जब विकास होता है, तेजी से देश उन्नति करता है, तो थोड़ी महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे देश का विकास होकर रहेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। देश के विकास के लिए हमें जन-सहयोग और शासकीय मशीनरी का पूरा-पूरा सहयोग चाहिए ताकि विकास के कार्यों में पूरा-पूरा समन्वय स्थापित हो सके।

मैं, एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं आज जो भी शासन में पहुंच जाता है, चाहे वह कोई भी हो, वह ऐसा समझता है कि वह शासक है और बाकी जनता के ऊपर शासन करते हैं। आज जो इस प्रकार की भावना लोगों में आ गई है, इस भावना का परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रवृत्ति को सबसे पहले बदलने की जरूरत है क्योंकि सर्वप्रथम हम इस देश के नागरिक हैं और आपस में भाई-भाई हैं। इसलिए जनता के साथ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होना चाहिए।

महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने इस देश में स्वराज्य प्राप्त किया था। इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की और अब यह भार हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कंधों पर आया है और महात्मा गांधी की जो एक अच्छे राज्य की कल्पना थी वह अब युवा नेता और देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में पूरी होने जा रही है।

मैं, दमोह, पन्ना और बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाकों से चुनकर आता हूं जहां कि अधिकांश इलाका पिछड़ा है न सड़कें हैं, न स्कूल के लिए भवन हैं और न कोई और साधन हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रत्येक मैम्बर आफ पार्लियामेण्ट के लिए प्रान्तीय शासन की मार्फत कुछ धन ईयर मार्क होना चाहिए। जैसे कम से कम 5 लाख रुपया प्रति वर्ष उस क्षेत्र के मेम्बर आफ पार्लियामेण्ट के सुझाव पर प्रान्तीय शासन को वहां खर्च करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप बहुत मुश्किल का काम बता रहे हैं।

श्री डाल चन्द्र जैन : वे बहुत छोटी चीज चाहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग चाहते हैं। बच्चों को बैठने के लिए चटाई चाहते है, छोटे-छोटे रोड और नाले चाहते हैं। हमारे देश के गरीब नागरिकों की अधिकांश आबादी वहां पर रहती है, इसलिए इस तरह के काम वहां होने चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

मेरा ख्याल है कि इस सदन के सारे सदस्य इस राय से सहमत होंगे कि यहां कोई बात कहते हैं तो कहा जाता है कि प्रान्तीय शासन का काम है। प्रान्तीय शासन पहले एम० एल० ए० की सुनेगा, बाद में एम० पी० की सुनेगा। इसलिए हमारे सांसद महोदय अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहें क्या जवाब दें कि उन्होंने वहां की जनता के लिए क्या किया है ? हमारे बहुत से सांसद इसलिए अपने क्षेत्र में जाने से डरते हैं। देश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास समान रूप से होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : खाली अमेठी में ही नहीं होना चाहिए।

श्री डाल चन्द्र जैन : नाट सो।

कुछ क्षेत्रों के विकास की गति तेज होती है, वह सब हमें जानते हैं कि वह कौन से क्षेत्र है। हमारे सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने पिछले दिनों सदन में कहा था कि 70 फीसदी आबादी को टेलीविजन की सुविधा मिल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 प्रतिशत जनता ने क्या गुनाह किया है कि उनको वह सुविधा अभी तक प्राप्त नहीं है ? अगर उनका कोई गुनाह नहीं है तो उनको भी अविलम्ब वह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम एक बात में तो पूरा काम हो जाए और कहा जा सके कि पूरे देश को एक सुविधा मिल रही है।

श्री नारायण चौबे : पीने के पानी के लिए बोलो।

श्री डाल चन्द्र जैन : डायरेक्ट टैक्सों में जो रियायत दी है। उसके बाद टैक्स देने वालों का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपनी आमदनी और सम्पत्ति का सही ब्यौरा दें। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान कुछ और बातों की तरफ भी ले जाना चाहता हूं।

अनिवार्य आडिट लिमिट 40 लाख रुपये रखी गई है, उसकी लिमिट कम से कम एक करोड़ रुपये होनी चाहिए। हमारे देश में आडिटर्स की बहुत कमी है, उससे आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो बी० (काम) टैक्स प्रैक्टीशनर्स हैं उनको भी आडिट करने की सुविधा दी जाये और उनकी छानबीन की जाये और जिस तरह से हमारे वैल्यूअर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

इन्कम टैक्स में 18 हजार रुपये तक की छूट दी गई है, अगर इसे 20,000 रुपये तक किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

से० ए० के सैक्शन 68 की लिमिट में छोटे मैन्युफैक्चर्स को जो पहले रियायतें थीं, उसी तरह की लिमिट होनी चाहिए। उनकी लिमिट काट देने से जो सुविधाएं अब उनको मिल रही हैं, वह आगे प्राप्त नहीं होंगी।

चैरीटेबल ट्रस्ट्स को बैंकों में अपना धन रखना अनिवार्य होता है लेकिन उन्हें वहां ब्याज 10 प्रतिशत ही मिलता है जब कि गवर्नमेंन्ट अंडरटेकिंग्ज में 15 परसेंट ब्याज मिलता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए बैंकों से कुछ अधिक ब्याज देने का प्रावधान होना चाहिए।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में जिस तरह से कंपनीज एवं फर्मों से पिछली बार सहयोग लिया जाता था, उसी तरह से उसे फिर से चालू किया जाए तो उससे हमारे ग्रामों का विकास हो सकेगा।

बैंकों से जो छोटे या बड़े ऋण दिये जाते हैं वह बहुत कम वापिस होते हैं। उससे बैंकों को पेमेंट करने में कभी-कभी काफी कठिनाई होती है। जो लोग बैंकों में चैक लेकर जाते हैं, उनको पूरा पेमेंट नहीं मिलता।

मैं सागर की स्थिति बताना चाहता हूं। सागर में 15 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं लेकिन उनको रेंगिटेंस न आने से कठिनाई हो रही है। जो लोग चैक लेकर जाते हैं, उनको पेमेंट नहीं होता है। इसका एक कारण यह है कि रिजर्व बैंक की शाखा मध्य प्रदेश में नहीं है, उसकी शाखा नागपुर में है। मैं आग्रह करूंगा कि रिजर्व बैंक की एक शाखा मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए।

3·00 म०प०

जो कि अभी महाराष्ट्र नागपुर से कंट्रोल होता है।

सरकारी विभागों में जो सहयोग और समन्वय नहीं होता वह होना चाहिए और आपसी विचार-विमर्श के बाद काम शुरू हो। उससे हमारा विकास का कार्य बहुत जल्दी हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खास इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

3·01 म०प०

[श्री शरद दिघे पिठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : दो महीने भी नहीं बीते हैं जब माननीय वित्त मंत्री ने 1985-86 का बजट पेश किया था तथा सरकार की नई विचार धारा, आर्थिक तथा वित्तीय नीति को विस्तार से स्पष्ट किया था। इसके कारण अनेक स्तरों पर उत्तेजना भी उत्पन्न हुई है। वित्त विधेयक का उद्देश्य संविधिक पुस्तक में कुछ विशिष्ट कराधान की व्यवस्था करना अन्य उपाय शामिल करना है जो उपरोक्त विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए तैयार किए गए हैं।

इस समय मैं उन उपायों की विस्तार से चर्चा न करके केवल छूट का उल्लेख करूंगा जिनकी उन्होंने कल घोषणा की है। खासकर मैं उन छूटों का स्वागत करूंगा जो उन्होंने लघु उद्योगों को दी हैं। लेकिन इससे बजट का मूल स्वरूप नहीं बदला है। मेरी कामना है कि वे छूटों पर गम्भीरता से विचार करें। मुझे आशा है कि एक-दो और बातों पर जैसे लिखाई तथा छपाई के कागजों पर की गई करों में वृद्धि पर भी विचार करें। हमारी राय में यह कर उचित नहीं हैं क्योंकि यह शिक्षा, तथा ज्ञान पर लगने वाला कर है। इससे स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों तथा शैक्षणिक ज्ञान से सम्बन्धित पत्रिकाओं पर भी पड़ेगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह लिखाई तथा छपाई के कागजों पर लगाए कर को कम करने या वापस लेने पर गम्भीरता से विचार करें।

एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार दावा कर रही है कि वह पिछड़े इलाकों में, देश में औद्योगिक दृष्टि से अल्पविकसित खासकर "उद्योग रहित जिलों" में उद्योग स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। पंजाब से संबंधित एक उदाहरण मेरे सामने आया है क्योंकि हम जानते हैं कि

इस समय वहां क्या स्थिति है। वहां संगरूर राज्य वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। जहां तक मुझे मालूम है वहां केवल एक औद्योगिक यूनिट है जो संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। इस छोटी सी यूनिट का नाम पंजाब मेज प्रोडक्ट है। यहां लगभग 200-300 कामगार काम करते हैं। लेकिन ये संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। यह फैक्टरी पिछले दो सालों से बंद है। कामगार बेरोजगार हो गए हैं। उत्पादन कार्य बंद हो गया है। इस फैक्टरी को खुलवाने के लिए कामगार पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से पंजाब के चक्कर लगा रहे हैं ताकि वे संबंधित मंत्रियों से मिल सकें। यद्यपि इस काम की सीधी जिम्मेदारी वित्त मंत्री पर नहीं आती, लेकिन मुझे आशा है वह पंजाब की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए अपने सहयोगियो का ध्यान उक्त समस्या की ओर आकर्षित करेंगे। इस फैक्टरी में बहुत से कर्मचारी सिख समुदाय के हैं—मैं इसी कारण से नहीं कह रहा। मेरा यह मतलब नहीं है। नए उद्योग स्थापित करने की बात तो छोड़िए, सरकार को चाहिए कि वह इस तरह की फैक्टरियों को बंद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

16 मार्च के बाद सबसे बड़ी घटना क्या घटी है? उन्हें भी मालूम है और मुझे भी तथा उनके सहयोगी राव वीरेन्द्र सिंह जी भी हाल ही में सदन में यह बात स्वीकार कर चुके हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे मालूम है आप क्या कहने जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं क्या कर सकता हूं। आपने इस बारे में कहा था। आपके सहयोगी खाद्य मंत्री ने सदन में स्वीकार किया था कि बजट पेश किए जाने से कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह अनुचित है। यह उन्होंने कहा है मैंने नहीं। अपने बजट भाषण के दौरान मैंने कहा था कि कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि उस सबसे अधिक होगी जिसका नए कर तथा शुल्क अप्रत्यक्षकर तथा शुल्क लगा औचित्य सिद्ध किया गया है। मैंने कहा था कि कीमतें उससे भी आगे और बढ़ेंगी। आप कीमतों की इस वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसके लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है। यह काम करने वाला व्ययसायी वर्ग सरकार द्वारा लगाए जाने वाले किसी नियंत्रण से काबू में आने वाला नहीं है। आपके अनुरोधों की उन्हें परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप रोज उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपना काम तो करें लेकिन जनता के साथ न्याय करें आदि आदि। लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? राव वीरेन्द्र सिंह जी ने सदन में हाल ही में स्वीकार किया है कि अगर नए करों तथा शुल्कों का हिसाब लगाया जाए तो मालूम पड़ेगा कि उन्हें लगाना उचित नहीं है। मेरे विचार से उन्होंने कहा था कि थोक मूल्यों में अब तक हुई 3·2 प्रतिशत की वृद्धि बजट द्वारा लगाए गए करों के कारण नहीं हुई है बल्कि अन्य कारणों से हुई है। हो सकता है आंशिक तौर पर अन्य कारणों से हुई हो। वैसे इस बारे में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा वैसे नहीं खींची जा सकती कि डीजल, पेट्रोल, रेल-भाड़े और किराए आदि के बढ़ाने के कारण परिवहन लागत में किस सीमा तक वृद्धि होती है। इसका असर बाजार में माल पहुंचने की लागत पर पड़ता है। कुछ थोड़े से समय तक इसका प्रभाव न पड़े लेकिन दीर्घ अवधि में इसका असर जरूर पड़ेगा। मानवीय कारण इसके लिए कितने जिम्मेवार हैं? देश की आम हालत, जनता में व्याप्त भय तथा बजट के स्वरूप का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी जारी है। ऐसे ऐसे बेईमान व्यापारी तथा व्यवसायी हैं जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या किया गया? हम सरकार की यह धमकी रोज सुनते हैं कि वह मुनाफाखोरी को इजाजत नहीं देगी। मेरे विचार से वित्त मंत्री जी ने स्वयं हाल ही में यह कहा था कि काला बाजारी करने वाले तथा मुनाफाखोरों को बहुत जल्दी मालूम नहीं कहां···डाल दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : जेल में।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्होंने जेल में डालने के लिए कहा था ?

एक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनमें से कोई भी यहां नहीं है अतः मुझे यह नहीं बताना होगा कि मैंने क्या कहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सब जारी है और लोग इसके बारे में अलग-अलग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कीमतें बढ़ी हैं और काफी बढ़ रही हैं। कीमतों में वृद्धि उससे भी अधिक हुई है जितनी आपके द्वारा लगाए गए करों, विश्व बैंक आदि से प्रशिक्षण प्राप्त अन्य आर्थिक मंत्रालयों के विद्वान प्रवक्ताओं ने उचित ठहराया है। वे जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि कीमतों में यह वृद्धि बहुत कम होगी। लेकिन जैसा कि पहले हुआ है उनकी सभी भविष्य वाणियां गलत सिद्ध हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट की समस्त योजना—जिसका मैं रत्ती भर भी समर्थन नहीं करता—मिथ्या सिद्ध होगी अगर कीमतों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया। अगर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो मुद्रा-स्फीति का यह दानव सब कुछ निगल जाएगा। बजट के सभी उपाय विफल हो जायेंगे। कीमतें अगर इसी दर से बढ़ती रहीं तो साल के अंत तक मुद्रा-स्फीति की दर क्या हो जाएगी ? कीमतें अगर नियंत्रित नहीं की गईं तो मुद्रा-स्फीति दुगनी गति से बढ़ेगी। वैसे तो सिद्धांत यह है कि करों, प्रत्यक्ष करों में कमी किए जाने पर न केवल निगमित क्षेत्र—जिसकी चर्चा बाद में करेंगे—बल्कि आम आदमी को भी काफी फायदा होता है और यह कीमत-वृद्धि रोकने के लिए अवरोधक का काम करता है।

लेकिन मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ मुद्रा-स्फीति हुई है। "बहरहाल कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन मैं उपभोक्ता को और पैसा दे रहा हूँ। उसे करों के रूप में इतना अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उसके पास पैसा बचेगा" लेकिन अब हो क्या रहा है ? राव वीरेन्द्र सिंह जी ने थोक मूल्यों का उल्लेख किया है। थोक बाजार में अगर जाएं—हम थोक बाजार में नहीं जाते – तो हम सामान्य फुटकर सामान बेचने वाली दुकानों से सामान खरीदते हैं—वहां आप देश के किसी भी आदमी, कर्मचारी, मध्यवर्गीय उपभोक्ता, श्रमजीवी व्यक्ति से पूछें कि फुटकर बाजार की क्या स्थिति है, कीमतों में कैसे वृद्धि हो रही है। कोई भी स्पष्ट नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। गरीब आदमी के पास जो अतिरिक्त पैसा बचा था उसका क्या होगा ? ऐसा नहीं है कि करदाता को राहत नहीं मिली है। उन्हें राहत मिली है। निम्न आय वर्गीय से लेकर उच्च आय वर्गीय सभी व्यक्तियों को राहत मिली है कुल मिलाकर 70 करोड़ में से उनकी संख्या केवल 40 करोड़ है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि जहां तक आम उपभोक्ता मध्यम वर्ग के व्यक्ति का सवाल है प्रत्यक्ष करों में कमी करके उसे जो फायदा पहुंचाया गया है वह कीमतों में वृद्धि के कारण बराबर हो गया है। और उसकी स्थिति पहले से भी बदतर होगी। अधिक विचलित करने वाली बात नहीं हुई है क्योंकि सामान्यतः बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं होता। आशा है सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और कीमत-वृद्धि को रोकने के लिए जो कुछ उपाय या कदम उठाएगी जानकारी हमें देगी।

माननीय वित्त मंत्री को शायद याद होगा कि एक और बात का मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था। उन्होंने अपने बजट भाषण या प्रस्तावों में कहा था कि वे केन्द्रीय सरकारी

कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए वर्ष 1985-86 के लिए 300 करोड़ मंजूर किए हैं। यह अपने आप में स्वीकारोक्ति थी कि कीमतें बढ़ेगी क्योंकि जब जीवन-निर्वाह सूचकांक एक सीमा तक पहुँच जाता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते की अदायगी की जाती है। लेकिन उन्होंने केवल 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि यह पूर्णतया अनुपातिक नहीं है और ना ही पर्याप्त है। पिछले साल उन्होंने अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान, उन्होंने प्रावधान ही नहीं किया था बल्कि उन्हें देने पड़े थे, किया था और इस साल उन्होंने केवल 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किस आधार पर ? इन दो सालों में क्या हुआ है ? केन्द्रीय वेतन आयोग ने उक्त कर्मचारियों को 10% अन्तरिम राहत (अधिकतम 50 रुपए) देने का निर्णय लिया। मेरे विचार से महंगाई भत्ते की एक और किश्त बकाया हो गई है। उक्त के लिए की जाने वाली अदायगी उस 300 करोड़ रुपए की रकम से अधिक हो गई है जो उन्होंने सारे साल के लिए दिए हैं। अतः मेरा मुद्दा यह है, मैं दोहराना नहीं चाहता, कि इन निराशाजनक अवास्तविक आंकड़ों के द्वारा वह सदन को यह जताना चाहते हैं कि साल के अंत में केवल 3600 करोड़ रुपये का घाटा होगा। यह सरासर असंगत है। 3660 करोड़ रुपये की यह संख्या सरासर बे तुकी है। इसका मतलब है कि और अधिक घाटा होगा और उसका उत्तरोत्तर कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय, उस घाटे के भागी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालूम नहीं। यह अन्य बातों तथा हम जो करेंगे उस पर निर्भर करता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर, हम ऋण नहीं लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे ऐसी आशा नहीं है। महोदय, आशा है आप मुझे दिल्ली में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसका उल्लेख करने पर माफ करेंगे। मैंने ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने बजट की आलोचना की है। उसकी आप पर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। आप का कहना है कि हम सरकार पर यह गलत आरोप लगा रहे हैं कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश के नेताओं द्वारा प्रतिपादित पारम्परिक आदर्शों, सिद्धांतों तथा आर्थिक उद्देश्यों को त्याग दिया है। हम समझते हैं। उपरोक्त सभी बातें सही थीं। यह अलग बात है कि उन्हें उपयुक्त ढंग से लागू किया है अथवा नहीं। मैंने कहा था कि आप उन सबको छोड़ रहे हैं। आप बदल रहे हैं तथा विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। तालकटोरा गार्डन में हुई चमत्कारिक सफेदी पर सभी टिप्पणी कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : फुटबाल के लिए सफेदी की गई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले खुले आम तथा बजट बैठक मुख्य भाषण में बजट के पक्ष में कुछ प्रतिपादित किया जाता है और उनके बाद पर्दे के पीछे कुछ और किया जाता है। हमें मालूम नहीं कि क्या किया जाता है। लेकिन चंद लोग ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है और वे ही लोग आलोचना आदि करना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे के अन्दर-अन्दर एक और संकल्प—एक संशोधित संकल्प—सामने आता है जिसका उद्देश्य दोबारा सभी तरह के भय को दूर

करना होता है "नहीं हम अभी भी दृढ़ता से पुराने पथ का अनुगमन कर रहे हैं। यह कौन कहता कि हम विपथगामी हो रहे हैं" ? जो लोग पहले बजट की बहुत जोर-शोर से प्रशंसा कर रहे थे उन्होंने ही अब इसके कारण क्रुद्ध होना शुरू कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री रीगन ने भी इसकी प्रशंसा की थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं श्री रीगन का पहले भी उल्लेख कर चुका हूं। चलिए एक समाचार पत्र को लें। मैंने उस समाचार पत्र को चुना है जो टाटा के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे भी पालकीवाला एंड कम्पनी तथा रूसी मोदी सभी लोग टाटा वंश से ही संबंधित हैं। स्टेस्टमैन कहता है 'अब वे कितने गुस्सा हैं।'

मैं उद्धत कर रहा हूं "वह कहते हैं कि जनवादी वाग्मितापूर्ण उपायों के आवरण में आर्थिक तर्क का स्वर डूब गया है।"

पहले आप उनके अनुरूप थे। सार्वजनिक क्षेत्र के पीछे नहीं भाग रहे थे। समाजवाद के बारे में नहीं बोल रहे थे। क्योंकि इन्हीं सभी बातों के कारण आप यहां हैं और उन्हें संतुष्ट करना है अतः आपने जनप्रिय उपाय किए। जनता ने देखा कि देश का नया नेतृत्व जो कुछ पहले कह रहा था अब वह उससे हटकर बोल रहा है।

आपने देखा वें कितने स्पष्ट हैं। आप यह नहीं कह सकते कि बड़े व्यापारी स्पष्ट नहीं हैं। वे शिकायत कर रहे हैं कि आप बेवजहा अपने रास्ते से हट गए हैं। स्पष्ट करने के लिए मैं उद्धृत कर रहा हूं "सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए न ही निजी क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीबी हटाना मुख्य उद्देश्य है। बहुराष्ट्रीय निगमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को बहुत प्रभावशाली भूमिका नहीं दी जानी चाहिए" आदि-आदि। स्टेट्समैन के अनुसार आप मात खा गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बजट में भी इसकी प्रभावपूर्ण भूमिका की चर्चा की गई थी। जैसा कि वह कह रहा है दृष्टिकोण या नीति में बदलाव आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं उठता। चाहे कैसी भी व्याख्या की जाए हमारी नीति वही है।

प्रो० मधु दंडवते ; मैं आपको बताऊंगा आपकी नीति क्या है ? सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वजनिक समर्थन देने का तथा निजी क्षेत्र को निजी समर्थन देने का।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहरहाल इन कुछ सप्ताहों के दौरान एक घटना घटी जो इस कशमकश पर स्पष्ट प्रकाश डालती है। आप देखिए कि बम्बई हाई से, हजीरा से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में लगाई जाने वाली उर्वरक संयंत्रों तक ले जाई गई पाईपलाइन परियोजना है। इससे पता चलता है कि सरकार सार्वजनिक तौर पर जो कुछ कहती है वह उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले कामों से मेल नहीं खाता।

इससे यह भी पता चलता है कि जो आधारभूत आलोचना हम करते आए हैं वह सत्य होती जा रही है। यह तो सरकार की अपनी वचनबद्धता थी कि इस नए गैस पाइपलाइन का सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाएगा और उस कार्य के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की

स्थापना की गयी थी और अचानक ही वह वचनबद्धता विमुख और विपरीत कर दी गयी और अब विश्व निविदायें मांगी गयी हैं और इस सम्बन्ध में एकमात्र तर्क यह दिया गया है कि ऐसी जटिल और बहुत अधिक दबाव वाली पाइपलाइन के लिए एक ही एजेंसी होनी चाहिये बहुत ज्यादा एजेंसियां नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे परामर्शदाता और उप-ठेकेदार और निर्माणकर्त्ता जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, हमारे अपने भारतीय परामर्शदाता, निर्माणकर्त्ता और उपठेकेदार जिनको इस पाइपलाइन के निर्माण और इसे चालू करने में सम्बद्ध होना था अब उनको इस क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा क्योंकि जो भी विदेशी व्यक्ति विश्व निविदा के आधार पर लाया जाएगा, वह स्वभावतः ही विदेशी परामर्शदाताओं को काम देने के बारे में प्राथमिकता देगा। (व्यवधान) मेरा मुद्दा यह कि यह वास्तव में एक बड़ी परियोजना है और शायद सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी है, और आप के पास धन का अभाव है। कृपया इस बात को देखिए कि यदि इस परियोजना को दूसरे तरीके से लिया जाय तो धन की कितनी बचत हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि गैस निकलने के स्थान से उर्वरक संयन्त्र 1700 कि० मी० दूर स्थित हैं। जो क्षेत्र आपने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए चुने हैं मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु गैस को पाइपलाइन द्वारा 1700 कि० मी० तक ले जाना बहुत अधिक महंगा पड़ेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी और यह अधिक जोखिममयी होगी। परन्तु आपने तो ऐसा करने का निर्णय ले लिया है और फिर आपको उर्वरक संयंत्रों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवर्तकों का पता लगाना है। उनमें श्री के० के० बिड़ला अनुगृहीत हुए हैं। परन्तु यह एक बड़े व्यय वाला काम है। इन उर्वरक संयन्त्रों में से एक ही के लिए आप को 800 रुपये की आवश्यकता है। अतः इसमें विलम्ब होगा क्योंकि आपकी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपयुक्त प्रवर्तकों को प्राप्त करने में देर लगेगी और इस देरी का अर्थ यह है कि फिलहाल आप आयात कर रहे हैं और आयातित उर्वरक का बिल बढ़ता जा रहा है और यह अधिक आंकड़े हैं जो लगभग 2500 करोड़ रु० के हैं जिसको हम बचा सकते थे।

3·23 अ०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब वस्तुतः हर व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है और खुले तौर पर लिख रहा है कि कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कुछ प्रतिनिधि ठेका प्राप्त करने के बारे में दबाव डाल रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विश्व निविदा के मामले में दबाव कैसे डाला जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निविदा के लिए नहीं। आरम्भ में तो निविदा का बिलकुल प्रश्न ही नहीं था। यह भारतीय गैस प्राधिकरण और इंजिनीयर्स इंडिया लिमिटेड को मिलने वाला था। अब उसको समाप्त किया जा रहा है। यही मेरी शिकायत है। यदि आप एक ही एजेंसी में उत्सुक हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ने सोवियत विशेषज्ञों से क्यों कभी सलाह नहीं ली जिन्होंने विश्व में सबसे बड़ी पायपलाइन का निर्माण किया है। सबसे बड़ी, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा जटिल गैस पाइपलाइन जो कि साइबेरिया से पश्चिमी यूरोप में फ्रांस और जर्मनी और ऐसे सभी देशों को गैस की आपूर्ति करती है। राजनैतिक रूप से वे मित्र देश नहीं, राजनैतिक रूप से घोर शत्रु हैं परन्तु जो कुछ उनके लिए उपयुक्त है वह हमारे लिए यहां कैसे अनुपयुक्त है। यदि

पश्चिम जर्मनी और फ्रांस जैसे आधुनिकतम और उन्नत देशों के लोग, सोवियत गैस पाइप-लाइन जो साइबेरिया से हजारों मीलों की दूरी से उन देशों में आती है, सन्तुष्ट किए जा सकते हैं तो क्या आप ने कभी कम से कम उनकी दक्ष सलाह लेने की बात पर विचार किया है, हालांकि आप उन से काम नहीं कराना चाहते । आप का ही भारत-सोवियत आयोग है और दो सप्ताह पहले ही एक बैठक हुई थी । क्या आपने उनसे सलाह लेने की सम्भावना पर विचार किया है जिनका गैस पाइपलाइन के निर्माण और चालन के श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा की जाती है। इसके विपरीत अन्य कुछ के लिए विश्व निविदाओं के पीछे दौड़ रहे हैं । मैं नहीं जानता लेकिन कुछ का कहना है कि इटली की फर्म हैं, कोई कहता है कि कोई अन्य फर्म है। मैं नहीं जानता कि आप अन्त में किसे देने जा रहे हैं (**व्यवधान**) लेकिन उस विचारधारा से यह बात कहां तक अनुरूप है जो आप ने तालकटोरा स्टेडियम में संशोधित प्रस्ताव में व्यक्त की थी ? यह बात उसके साथ बिलकुल मेल नहीं खाती । यह दलगत प्रश्न नहीं है । मंत्री महोदय कृपया समझने का प्रयत्न करें । देश का प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है क्योंकि यही एक देश है जो संसाधनों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहा है । हम विकास चाहते हैं, मैं इस बात में आप से सहमत हूं । लेकिन इसको कैसे किया जाना है । यदि आप आत्मनिर्भरता और देशीय संसाधनों के विकास का मार्ग त्याग देंगे.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं केवल तीन मिन्ट और चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने 25 मिनट ले लिए हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं क्या कर सकता हूं ? यह मेरा और आपका दुर्भाग्य है । ठीक है । मैं एक या दो बातें और कहूंगा ।

मैं इस बात को पुन: दोहरा रहा हूं कि रेलवे के लिए आबंटन वही 1650 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष था । इसमें कोई परिवर्तन नहीं है । लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव में परिवर्तन है । इसका कारण यह है कि 1650 करोड़ रु० का मूल्य पिछले वर्ष के 1650 करोड़ रु० के मूल्य से वास्तविक रूप से कम है । लेकिन आप कोयला वालों को कह रहे हैं कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि करें । आप चाहते हैं कि इस्पात संयंत्रों से इस्पात का उत्पादन अधिक हो । आप देश में खाद्यान्न और अधिक स्थानों पर पहुंचाना चाहते हैं । इस पर आप रेलवे के आबंटन में कमी करना चाहते हैं जिसका परिणाम यह हुआ है, कि आप आए दिन सुनते हैं रेलवे वैगन, जिनके द्वारा यह सारा माल ले जाया जाता है की तेजी से कटौती होती जा रही है। इस वर्ष कुल 5,000 वैगन मांगे गए हैं जबकि आवश्यकता 24,000 वैगनों की है । पिछले वर्ष भी 42,000 वैगन मांगे गए थे । इस वर्ष 5,000 वैगन घटा दिए गये हैं । यहां तक कि रेल मंत्रालय भी इस बात से दु:खी है कि वे अपना काम कैसे करेंगे । वे इसे नहीं कर सकते । इस तथ्य के अतिरिक्त कि वैगन बनाने वाली कई बड़ी फैक्ट्रियां वास्तव में ठप्प हो जाएंगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, उस दिन श्री वसन्त साठे ने कहा, जो कि एक किस्म की शिकायत ही है कि 700 लाख टन कोयला खानों के मुहानों पर पड़ा है और उसे वहां से वैगनों की कमी के कारण नहीं हटाया जा सकता । तब यह किस प्रकार की योजना है ? अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसमें अब या कुछ महीनों बाद संशोधन करें । परन्तु रेलवे के लिए विशेषरूप से वैगनों के लिए किए गए आबंटन

में संशोधन करें। अन्यथा, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि आपकी सारी बजट योजना पूर्णतया गड़बड़ा जाएगी और अव्यवस्थित हो जायेगी।

अन्त में मैं दो बात कहना चाहता हूं। निस्सन्देह मैं सरकारी क्षेत्र द्वारा सरकारी बांड जारी करने के आपके विचार का स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा विचार है। यदि ब्याज दर आकर्षक होगी तो मुझे आशा है, इससे संसाधनों में वृद्धि होगी। परन्तु एक जिस दूसरी बात पर अर्थात् निर्यात से होने वाली आय पर आप निर्भर हो रहे हैं, इतनी आशाजनक नहीं लगती क्योंकि अमरीका से बैठक से लौटने के बाद आप स्वयं यह बात स्वीकार कर चुके हैं। यह उन लोगों का दृष्टिकोण है जिनका कोई फायदा नहीं है। वे हमारी सहायता नहीं करेंगे। हमें और अधिक वस्तुओं का निर्यात करना है। परन्तु आपको इन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार नहीं मिलेंगे। अत: हमें अन्य स्रोतों पर ध्यान देना होगा।

यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी यह बात अत्यन्त विवादास्पद है और इसके कहने से अत्यधिक विवाद उठ खड़ा होगा और आपको भी संभवत यह पसन्द नहीं आएगी, फिर भी मैं अन्त में इसे उठाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप देहात के धनी वर्गों, समृद्ध वर्गों से स्रोत जुटाने के बारे में सोच रहे हैं ? मैं केवल यही जानना चाहता हूं। या उन्हें हमेशा करों से मुक्त रखा जाएगा ? मैं छोटे, सीमान्त या मध्यम दर्जे के किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस समृद्ध वर्ग की बात कर रहा हूं जो एक वर्ष में आयकर देने वालों से अधिक कमा लेते हैं। उन पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए ? छूट सीमा से बाहर के व्यक्तियों से आयकर लिया जाता है। परन्तु ऐसे कई धनी किसान हैं जो इससे भी अधिक कमाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे स्पष्ट कीजिए।

एक माननीय सदस्य : क्या आप ऐसे किसी समृद्ध किसान को जानते हैं जिस पर आपके विचार में कर लगाया जाना चाहिए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कामरेड, सुनो। यह विवाद मेरी पार्टी में भी उठा था। (**व्यवधान**) यह अच्छी बात है या बुरी·····

अध्यक्ष महोदय : इस पर अब कोई वाद-विवाद नहीं होगा। मेरे विचार में यह उच्चतम सीमा के बाद है। वह यही कहना चाहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह आपको बैठकर बनानी होगी। सारे देश में स्थिति एक जैसी नहीं है। देश में सिंचित क्षेत्र हैं और शुष्क क्षेत्र भी हैं। मैं इससे सहमत हूं। कोई जोर जबरदस्ती का कानून नहीं चलेगा। परन्तु मैं इस सिद्धान्त पर बल दे रहा हूं कि क्या आप समृद्ध ग्रामीण लोगों पर कर लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं या नहीं। परिभाषा चाहे जो भी, उस पर तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। यदि आप उन पर कर नहीं लगाना चाहते तो आप अन्य किन स्रोतों से धन जुटाएंगे। आप वर्ष के अन्त में हैं। एक अन्य वर्ष का समाप्ति के बाद हम एक अत्यन्त कठिन स्थिति में होंगे। आप विदेशों से कर्ज नहीं ले रहे हैं। आप यह कह चुके हैं। उसके लिए मैं आपका

आभारी हूँ। आप अपने वचन पर अडिग रहना। मैं नहीं चाहता कि आप विदेशों से कर्ज लेते रहें।

(व्यवधान)

अन्य कर्ज आप ले सकते हैं। वाणिज्यिक कर्ज उपलब्ध हैं। मुझे आशा है आप उसके लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हमारा गला पूर्णतया कट जाएगा। हम अभी पुराने ऋण का ब्याज नहीं दे सके। आपके मित्र फिडेल कास्त्रो जिनसे आप मिले थे और जिन्होंने आपको अपने देश की सैर कराई थी, इस संबंध में हाल ही में कुछ कहा है। मैं नहीं जानता कि आपने मैक्सिको की एक पत्रिका को दिए गए उनके अन्तिम साक्षात्कार को पढ़ा है या नही जिसमें उन्होंने लातिनी अमरीकी देशों के कर संकट का विश्लेषण किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूल ऋण ..

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे उसकी एक प्रति वाशिंगटन में होटल के कमरे में मिली थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरीकी इस बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं क्योंकि उनका सुझाव है कि ऋण की मूल राशि को खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसे वापस तो कभी किया नहीं जा सकता। वास्तव में उन्हें कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है "आप ऋण का ब्याज भी नहीं चुका सकते हैं मूल ऋण की तो बात ही नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछले दिनों कोलम्बिया में था। यह ऐसी बात है जो वे नहीं कह सकते। वास्तविक रूप से यह संभव नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे वापस नहीं कर सकते हैं तो बहुत से अमरीकी बैंक अपने द्वार बन्द कर देंगे। यह एक ही तरफ की बात नहीं है। यदि ये ऋणी देश अपना कर्जा नहीं लौटाते हैं तो अमरीका में ऐसे बहुत बैंक हैं जो बन्द हो जायेंगे। यदि इन ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाए तो यह अच्छा है। यदि हम गुट-निरपेक्ष समुदाय के नेता के रूप में उनके लिए लड़े तो यह उपयुक्त है। कम से कम निर्धन देशों के ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। कुछ नई बातों को सोचिए। कुछ नई पहल शुरू करने के लिए सोचें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विकासशील देशों के लिए हमने यह रुख अपनाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अधिक प्रचार कीजिए। हमने इस बारे में कहीं नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : किसी दिन मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बोलने का अवसर लूँगा। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको खेतों में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको वहां एक फर्म का प्रभारी बनाना चाहता हूँ जो आकार में सबसे बड़ा फार्म है और तब आप जो कुछ इसमें से प्राप्त कर सकते हो उसके अनुसार काम करो तब मैं आपसे पूछूँगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता यहाँ उपस्थित हैं। आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

आज सुबह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मे कुछ चर्चा हुई थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा उसके गुण या दोष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। यह संबंधित माननीय मंत्री को कहना

है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ । लेकिन मुझे एक बात कही गई है कि वाद-विवाद में एक नाम** का उल्लेख किया गया था। हालांकि वह शुरू में संकोच कर रहे थे·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जानना चाहता हूँ। वह स्वीकृत नियम के विरुद्ध है और मैं महसूस करता हूँ कि उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। जो कुछ नियम के विरुद्ध है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूँगा और जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। मैं रिकार्ड देखूँगा। मैं देखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अध्यक्ष महोदय से तीन बार पूछा था "क्या मुझे नाम बताना चाहिए या नहीं" उन्होंने कहा, 'जी हाँ, आप बता सकते हैं।" क्योंकि यह दूसरे सदन की उनकी सदस्यता की हैसियत से नहीं था बल्कि बैंक के चेयरमैन की हैसियत से था।

श्री एच० के० एज० भगत : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : आप इस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकल सकते हैं लेकिन उस सदस्य को नहीं निकाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि (राजकोट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक, 1985 के बारे अपने विचार पेश करना चाहती हूँ :—

श्रीमन् भारत कृषि प्रधान देश है। देश में हरित क्रान्ति लाने के लिए सिचाई के लिए आज प्रत्येक खेत पर आयल-इंजिन लगाये गए हैं। भारत के कई गाँवों में बिजली पहुँचाने का भगीरथ कार्य आज भी हमें करना बाकी है। लेकिन साथ ही साथ देश में आज बिजली की भी भारी कमी है। इस हालत में, हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए, खेतों की सिचाई के लिए आयल इंजिनों का प्रयोग ही एक मात्र उपाय है। इसी वजह से सरकार ने 10 हार्स पावर तक के आयल-इंजिनों को उत्पाद कर से छूट दी है। परिणामस्वरूप हमारे कृषि विकास में कुछ वृद्धि हुई है।

सरकार द्वारा यह छूट टेरिफ आइटेम 29 के अंतर्गत दी गई है। लेकिन हैरानी तो इस बात से होती है कि 10 हार्स पावर तक के आयल इंजिनों के पुर्जों को सदन के सामने रखे गये इस वित्त विधेयक में टेरिफ आइटेम 68 के अंतर्गत उत्पाद करके लिए शामिल किया गया है। सरकार की इस नीति से आयल इंजिनों को सस्ती लागत पर तैयार करने का उद्देश्य मारा जायेगा। अब इंजिन किसानों को महंगा मिलेगा, जिससे किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जायेगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप सिंचाई की सुविधा में कमी आयेगी तथा हो सकता है कि कृषि के उत्पादन में भी गिरावट आये ।

श्रीमन्, मुझे अधिक हैरानी तो तब होती है, जबकि कोई आयल इंजिन का बड़ा निर्माता अपने निजी उपयोग के लिए इंजन के चाहे जितते पुर्जे बना सकता है, उस पर कोई उत्पाद कर लागू नहीं होगा । लेकिन आयल इंजन के पुर्जे बनाने वाले छोटे-छोटे निर्माता, जो अपने छोटे-छोटे कारखाने चला रहे है, जो धन की कमी के कारण थोड़ी सी पूंजी लगा पाये हैं, ये लोग अपने छोटे-छोटे कारखानों में इंजन के पुर्जे बनाकर आयल इंजनों के बड़े निर्माताओं को सप्लाई करेंगे, तो उन पुर्जों पर उत्पाद कर लग जायेगा । नतीजा यह होगा कि छोटे निर्माताओं द्वारा बनाये गये पुर्जे महंगे होंगे । फिर उनके पुर्जे कौन लेगा ? श्रीमान् अगर यह हाल जारी रहा, तो मुझे आशंका है कि उनका उद्योग ही बंद हो जायेगा तथा उन कारखानों में काम करने वाले लाखों मजदूर अपनी मजदूरी गंवाकर और गरीब हो जायेंगे ।

इस परिस्थिति से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि 10 हार्स पावर तक के आयल इंजिनों के कल-पुर्जों को भी उत्पाद कर से पूरी छूट दी जाये । मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र राजकोट नगर में ही इस तरह के इंजिनों के कल-पुर्जे बनाने वाले करीब 3000 से ज्यादा कारखाने हैं । ये सब इस मुसीबत में फंस जायेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कल सदन में वित्त विधेयक में टेरिफ आइटेम 68 के अंतर्गत कुछ छूटें दी हैं । मैं उसका स्वागत करती हूँ । लेकिन वे छूटें काफी नहीं हैं । करों में छूट की सीमा कम से कम रुपया 300 लाख करना आवश्यक है । जिससे छोटे निर्माताओं को भी जो अशिक्षित हैं, जिनके पास प्रबंध करने वाले कर्मचारी नहीं हैं तथा जिनके पास वित्तीय सुविधा भी नहीं है, उन लोगों को चुंगी लाइसेंसिंग कंट्रोल राहत मिल सके ।

श्रीमन्, मैं आशा करती हूँ कि वित्त मंत्री महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया इसलिए आप तथा सदन के माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करके अपने भाषण को समाप्त करती हूँ ।

3·38 म० प०

[श्री शरद डिघे पीठासीन हुए]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस फाइनेन्स बिल का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पेश किया जिसके द्वारा हमारे जो ख्वाब हैं, सपने हैं, इस देश की जनता के बारे में, उन्हें हम पूरा कर पायेंगे ।

कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस मुल्क की रक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष

कुल बजट का 15 प्रतिशत डिफेन्स विभाग को दिया है जब कि पिछले वर्ष यह राशि 17 प्रतिशत थी ।

आज भारत के आसपास, हमारे पड़ोसी देश खासकर चीन और पाकिस्तान ने जो तैयारी की है और जो ट्रांसफर आफ टेक्नोलाजी इन देशों में हो रही है जो हथियार हमारे पास हैं चाहे हमको रूस से मिले हों या अमेरिका से, उनकी पूरी जानकारी हमारे विरोधी, पड़ोसी देशों के पास है और उनकी भारी फौजी तैयारी और स्ट्रेटेजिक एन्वायरनमेंट (Strategic Environment) में एक उभार तबदीली आई है ।

जो हथियार हमें दिये गये थे, चाहे रूस के द्वारा या अमेरिका द्वारा जो ट्रांसवर आॅफ टैक्नालाजी बहुत तेजी से हो रहा है उससे चीन और पाकिस्तान को हमारे वेपन सिस्टम की सारी अन्दरूनी बातें मालूम हो चुकी हैं ।

इराक और ईरान युद्ध में इराक के पास रूसी हथियार हैं और ईरान के पास चीनी हथियार हैं । चीन की जो टैक्नालजी है वह उसके पास है ही, लेकिन इसके अलावा ईरान द्वारा रूसी हथियारों की बहुत बड़ी संख्या इराक की फौजों से कैप्चर की गई हैं, पकड़ी गई और रूसी टैक्नालाजी चीन तक पहुँच चुकी है । वह पूरी की पूरी चीन के पास मौजूद हैं । यह मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट में और वहां हाऊस आॅफ रिप्रेजैन्टेटिव में भी इस बात को कहा गया है और अमेरिका के अन्दर इस बात की लेकर चिंता व्यक्त की गई है ।

हमारे बजट में जो राशि आपने रखी है, उस राशि से आपकी डिफेंस फोर्सिज में एक नए वैपन सिस्टम को इंडक्ट हम नहीं कर पायेंगे और नहीं हम इसे माडर्नाइजेशन की ओर ले जा पायेंगे ।

डिफेंस विभाग की राशि हम स्टोर और उससे सम्बन्धित सुविधाओं पर खर्च करेंगे और अन्य बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पायेंगे । मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी इसको देखें और इस पर खास तवज्जह दें ताकि मुल्क की सरहदों की रक्षा हम कर सकें ।

महोदय, जहाँ हमने बहुत सी बातें की हैं, हमने बहुत से वायदे भी किए हैं, बहुत से काम किये हैं, सुविधायें दी हैं, वहां इस क्षेत्र में हमारे इस देश में ऐसे बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं जहां आज भी हम वहां की जनता को बुनियादी सुविधायें जीवित रहने की नहीं दे पाये हैं । मैं अपने क्षेत्र सतना का जिक्र करूंगा । जो कि सौभाग्य से हमारे वित्त मंत्री जी के क्षेत्र के पास में ही है । सतना वह क्षेत्र है जिसके अन्दर चित्रकोट जैसे नगर मौजूद हैं । वह चित्रकोट जिसने भगवान राम को अपने दामन में पनह दी थी, जहाँ भगवान राम ने केवल अपने बनवास का समय ही नहीं गुजारा था बल्कि वहां पर रहकर रावण का और रावणवाद का सर्वनाश करके तैयारी की थी, आज आप देखें कि सारे चित्रकोट में हजारों टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन उनको विशेष सुविधायें सुलभ नहीं हैं उनको सुविधायें पूरी मिल सकें, इसको आप देखें ।

महोदय, जहाँ यू० पी० और मध्य प्रदेश के बार्डर में डाकू हैं और लोगों को तंग करते हैं । मैं चाहूंगा कि डाकू समस्या को समाप्त करने के लिए आप विशेष तवज्जह दें ।

एक और नगर है जिसका नाम मैहर है, जहां शारदा माता का स्थान है, जहां लाखों लोग देश के कोने-कोने से आते हैं । यह वह नगर है जहां आज भी वहां की फिज्जाओं में उस्ताद

अलाउद्दीन की संगीत की तानों के स्वर हमको सुनायी दे पाते हैं, लेकिन आप देखें कि कितनी चिंताजनक और दुख की बात है कि इस नगर में टूरिस्ट लोगों को और वहां की जनता को सिविक सुख सुविधायें उपलब्ध नहीं। पीने का पानी भी वहां की जनता को मयस्सर नहीं है, बेरोजगारी की भी समस्या है। पानी न मिलने से हजारों जानवर मरते हैं। हम उन गरीब लोगों की कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। ऐसे इलाकों के लिए विशेष रूप से सम्बन्धित राज्य शासन को निर्देश और हिदायत दें जिससे इस पूरे इलाके में फैली हुई भारी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके और गरीब लोगों को पूरी सुख सुविधायें मुहैय्या हो सकें।

महोदय, यह वह क्षेत्र है जहां पर मजदूरों को आज भी 4-5 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है। इन मजदूरों को आज के युग में भी जिन्दा रहने के लिए पूरा अवसर प्रदान नहीं कर पाते। यहां बहुत भारी संख्या पढ़े-लिखे बेरोजगारों की है। और उन बेरोजगारों को हम 4-5 रु० की मजदूरी भी नहीं दे पाते हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर ध्यान दें। जहां तक बोरिंग मशीनों का संबंध हैं, ये मशीनें भी जिन लोगों का प्रभाव है, वहीं तक सीमित हैं। बाकी उनका हम विशेष उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इयर-मार्क करें, उन प्राब्लम विलेजिज में, जहां पीने के पानी की समस्या है, आदमियों को नहीं मवेशियों को भी पीने का पानी नहीं मिलता है, वहां पर बिना भेदभाव के व्यवस्था करें। पीने के पानी का आपको फौरन बन्दोबस्त करना चाहिए।

सभापति जी, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र सतना की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पर सिर्फ सीमेंट की दो तीन इन्डस्ट्रीज हैं, बिरला जी और टाटा जी की जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। वहां किस प्रकार इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, वहां लोगों के को नौकरी न देकर बाहर से लोगों को लाकर नौकरी दी जाती है। पड़ौसी राज्यों से लोगों को लाकर नौकरी दे दी जाती है। इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां की गरीब जनता को हम सुविधायें प्रदान नहीं कर पाए हैं, इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। इससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और लोग अपने सपने को साकार कर पायेंगे।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, ताकि मैं कुछ अपने विचार प्रकट कर सकूं। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं और क्या न कहूं, लेकिन मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू न करूं।

श्री गौरी शंकर राजहंस : मैं दुविधा में हूं, इसलिए कि जब बजट पर डिसकशन हो रहा था, तो मैंने कहा था—आजादी के बाद इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि आजादी के बाद इतना अच्छा बजट नहीं हुआ और जो नई-नई योजनायें माननीय वित्त मन्त्री जी ने गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए, किसानों को दी, खेतिहर मजदूरों को दी, वे पहले कभी नहीं थी, लेकिन उस समय भी हमने आशंका प्रकट की थी कि 3,349

करोड़ रुपए का घाटा इस देश में कहीं मंहगाई न ला दे। यह भी आशंका मैंने प्रकट की थी कि यह घाटा बढ़ कर कहीं 6-7 हजार करोड़ रुपए पर न पहुंच जाए। छः सप्ताह में डैफिसिट फाइनेंसिंग से इतनी मंहगाई नहीं हो सकती है, जितनी मंहगाई आज हो गई है। श्रीमन, मुझे गलत न समझा जाए, मैं समालोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं पहले ही बदनाम हो गया हूं कि मैं खरी बात करता हूं, मंहगाई बाजारों में ज्यादा हो गई है। जो चीज पहले दस रुपए में मिलती थी, आज वह 15 रुपए में मिलने लगी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह मंहगाई हमको कहां ले जाकर रुकेगी। मैं खुद बाजार जाता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्लेन क्लोथ में सिक्योरिटी लेंले और शाम को बाजार में चले जायें और देखें कि महंगाई किस कद्र बढ़ गई है।

राजा दिनेश सिंह जी ने कल कहा—वह अपनी कांस्टीचूएन्सी में गये थे, वहां लोगों ने उनसे कहा कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या इसीलिए हमने आपको वोट दिया था ? मैं भी हाल में अपनी कांस्टीचूएन्सी में गया था। लोगों ने मुझ से कहा—आपने बड़े-बड़े वायदे हम से किये थे, क्या यह महंगाई उसी का परिणाम है ? लोगों को यह आशंका है कि यह महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। यह कोई छोटी नहीं है। आप इतिहास को देखें—महंगाई सुरक्षा से भी ज्यादा आवश्यक चीज है। आप चीन के इतिहास को देखें, चीन इसी में डूब गया, च्यांगकाई शेक की सरकार इसी में डूब गई लोग बोरो में नोट भर कर ले जाते थे और चाय पीते थे।

मैं पार्लियामेन्ट हाउस के स्टेट बैंक की शाखा में तीन दिन गया—छोटे नोट लेने के लिए, लेकिन मुझे नोट नहीं मिले। मैंने उनसे कहा कि इस मामले को हाउस में उठाऊंगा। उन्होंने कहा—बड़े शौक से उठाइये। आज कहीं भी छोटे नोट नहीं मिल रहें हैं। एक रुपए का, दो रुपए का नोट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पांच रुपए का नोट मुश्किल से मिल रहा है। ये नोट कहां गए—यह बड़ी शान्ति से सोचने की बात है। यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र सरकार को बदनाम करने का, सरकार को परेशान करने का, इस देश में चल रहा है और हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने कुछ टैक्स बढ़ाये हैं, जिसके कारण महंगाई हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं—महंगाई टैक्स के कारण नहीं आई है महंगाई आई है—प्राफिटीयर्स और ब्लैकमाकेटियर्स के कारण.....

डा० वसा सामन्त (बम्बई-दक्षिण मध्य) : क्या करना चाहिए ?

डा० गौरीशंकर राजहंस : मैं बतलाता हूं। प्रैक्टिकल बात बतलाऊंगा। दो दिन पहले मैं आम खरीदने के लिए बाजार गया। मैंने देखा कि एक महिला अपनी बड़ी गाड़ी में आई और उसने फल वाले से कहा, यह फल दे दो, वह फल दे दो। उसके बाद उसने पर्स में से 100-100 रुपए के कुछ नोट निकाले। कितने निकाले मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने वे नोट फल वाले को दे दिए और बाकी पैसा लेने की कोशिश नहीं की और चल दी।

किसी भी शादी-ब्याह में आप जाइए, आप देखेंगे कि गहनों और जेवरों से लदी हुई महिलायें आती है। मैं पूछता हूं—क्या उनके घर वालों ने ईमानदारी से वह पैसा अर्जित किया है ? आज देश में फिक्स्ड-इन्कम ग्रुप का आदमी इसी लिए पिस रहा है कि इस देश में ब्लैक-मनी आ गई है और उसको रेस्पैक्टेबिलटी मिल गई है। लोग यह समझते है कि सरकार कुछ नहीं

कर पायेगी कुछ नहीं कर रही है। मैं 8-10 अखबार रोज पढ़ता हूं, मैं पूछता हूं कितने रेड्स हुए हैं ? बड़ी निराशा होती है, पहले तो कुछ रेड्स होते भी थे, लेकिन अब तो शायद ही कहीं कोई होता हो।

मैं आपको बिहार के बारे में बतलाता हूं। एक-एक इन्जीनियर अपनी लड़की की शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च करता है। आप पता लगा लीजिए, मैं झूठ नहीं कहता हूं। वह यह रुपया कहां से लाता है ? क्या यह ईमानदारी का रुपया है। उसके सामने एक शिक्षक, एक प्रोफेसर, एक एम० पी० और एक स्कूल टीचर कहां से पैसा लायेगा, कैसे अपनी लड़की की शादी कर सकेगा। मैं आप को एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी में गया था कहीं पर एक सड़क बन रही थी। दो-चार कार्यकर्त्ताओं को साथ ले कर मैं वहां गया। वहां पर असिस्टेंट इन्जीनियर ने धीरे से एक कार्यकर्त्ता से पूछा—मैं वहां की लोकल लैंग्वेज मैथिली में कहता हूं, उसके बाद ट्रांस्लेट कर दूंगा। 'ये हो एल/4 म छथिन कि ?''क्या ये भी एल/4 में शामिल हैं ? उस कार्यकर्त्ता ने उसको कहा कि चुप रहो। वह शायद समझ नहीं पाया और उसने फिर वही सवाल पूछा। कार्यकर्त्ता ने फिर उसको चुप रहने के लिए कहा। इससे मुझे शंका हुई कि इसके पीछे जरूर कुछ रहस्य है। मैंने उस कार्यकर्त्ता से बड़े प्यार से कहा कि मैंने उसकी बात को सुन लिया है, यह एल/4 का क्या मतलब है। उसने फिर कहा कि कुछ नहीं है, आपको इससे क्या मतलब हैं। तब मैंने उसको कहा कि मैं कहीं कहने नहीं जा रहा हूं, बतलाओ कि यह क्या है ? तब उसने बतलाया कि "लूट-डिवाइडेड-बाई-फोर"। जो पैसा सड़क या पुल बनाने के लिए आता है उसकी चार व्यक्तियों में लूट होती है। एल-वाई/4 में इंजीनियर, कांट्रेक्टर, बयारोक्रेट और हमारे जैसे पालिटिशियन चाहे वे किसी पार्टी के हों आते हैं। मेरे बारे में उसने कहा—"नहीं।"

श्रीमन् जिसके लिए इतना धन खर्च किया जा रहा है वह उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए काम नहीं हो रहा है। यह बड़ी गंभीर बात है, यह सीरियस सिचुएशन है। जब तक आप ब्लैकमनी जेनरेट करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्ती से कदम नहीं उठायेंगे तब तक आप इस देश से ब्लैक मनी को खत्म नहीं कर सकेंगे। आप उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए।

आपको इस बारे में कुछ उदार भी बनना होगा। तीन-चार वर्ष हुए, इस देश में एक बियरर बोण्ड की स्कीम चली थी। जब वह स्कीम चली थी तो उसके बाद बहुत कुछ मंहगाई रुक गई थी। श्रीमन् उन बोण्ड्स के द्वारा कुछ पैसा सरकार के पास आया था। आप फिर ऐसी कोई स्कीम निकालिये और बोण्ड लाइये। इसमें कोई शर्मिन्दगी की बात नहीं है। आप कहिए कि जो भी इस तरह के बोण्ड लेगा उसके दस-बीस हजार रुपए व्हाईट कर दिए जायेंगे, बाकी के सरकार के होंगे।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि लगभग तीन-चार साल पहले सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिनके पास अनधिकृत रेडियो या ट्रांजिस्टर हैं, अगर वे उनके अपने लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उनसे यह नहीं पूछा जाएगा कि वे उनको कहां से लाए हैं, देश में ही खरीदे गए हैं या विदेश से लाए गए हैं। उस बहाने से ही सरकार के पास लाइसेंस के रूप में बहुत-सा पैसा आ गया था।

श्रीमन् मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अन्दर एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र हो रहा है। अगर कहीं आपका मानसून धोखा दे गया तो यह महंगाई कहां जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई साल पहले यहां कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े

प्रोफेसर काल्दार साहब आए थे। उन्होंने यह रिकमण्ड किया था अगर इस देश में ब्लैक मनी को रोकना है तो इन तड़क-भड़क वाले खर्चों पर आप रोक लगाइए। उन्होंने कहा था कि आप एक्सपेंडीचर टैक्स लगाइए। जितने भी दिखावे या तड़क-भड़क वाले खर्चे हैं उनको टेक्स कीजिए अगर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो दूसरों को भी संतोष होगा कि गलत तरीकें से जो कमाई करेगा उस पर टैक्स लगेगा। आप इस तरह की बातें कीजिए।

श्रीमन् यह देश गरीबों का है। आपको गरीबों के लिए काम करना है। मैं तो प्रोफेसर रहा हूं, देश में भी और विदेश में भी आप जिस तरह के चाहें आंकड़े दे कर भाषण दे सकता हूं और सिद्ध कर सकता हूं कि महंगाई नहीं बढ़ी है जबकि हमारे लोग कहते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप व्यावहारिक बनिए। अगर हमने ब्लैक मार्किटियर्स और प्राफिटियर्स के खिलाफ कदम नहीं उठाए तो यह महंगाई नहीं रुकेगी और वे लोग इस देश को खा जायेंगे। इस बात को आसानी से टाला नहीं जाना चाहिये।

हम लोग यहां गरीबों के रिप्रेजेन्टेटिव होकर आये हैं और हमें गरीबों की ही बात यहां करनी है। आज महंगाई से लोग चिन्तित हैं। इस चीज को कोई समालोचना नहीं समझा जाना चाहिए। इसीलिए मैंने यह सब कुछ निवेदन किया है।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, विभिन्न मुख्य मुद्दों पर आने से पहले मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आय कर के द्वारा बम्बई से 1000 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि उत्पादन शुल्क तथा सम्पत्ति कर के द्वारा प्राप्त कर रही है। अत प्रति वर्ष यह लगभग 2500 या 3000 करोड़ रुपए तक इकट्ठी होती है। केन्द्रीय सरकार की बम्बई से इतनी बड़ी राजस्व के साधन से आप घाटे का बजट पूरा कर सकते हैं। बम्बई सोने की मुर्गी है और यह देश तथा केन्द्र के लिए अधिक उपयोगी है।

4.00 म० प०

इसलिए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि उद्योगपति इसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं या केन्द्रीय सरकार उसे अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। कम से कम इसकी आशंका है और प्रत्येक व्यक्ति इसको महसूस करता है। 1958-61 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए प्रदर्शन किए गए थे जो पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था। बम्बई में यह आशंका है कि बम्बई को संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि यह केन्द्र को अच्छा राजस्व दे रहा है। यह पिछले कुछ महीनों से हो रहा है और इसने बम्बई निगम के चुनावों में बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इसलिए महोदय केन्द्र के लिए वह समय आ गया है जब कि वह आगे आए और यह घोषणा करे कि इसको नहीं किया जाएगा तथा बम्बई को संघ शासित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। कम से कम महाराष्ट्र के लोगों के आश्वासन के लिए केन्द्र को इसकी घोषणा करनी है। इस से लोग बहुत गम्भीर रूप से चिंतित हैं क्योंकि केन्द्र 3000 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहा है तथा इस दिशा में पहले भी दो बार प्रयास किए जा चुके हैं। इसलिए मैं केन्द्र से आशा करता हूं कि वह आगे आए और यह कहे कि बम्बई को महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में छोड़ दिया जाएगा।

दूसरी बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं। केन्द्र बम्बई से 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर रहा है। हम सभी यह महसूस करते हैं कि बम्बई बहुत समृद्ध और खुशहाली का शहर है। लेकिन यह केवल कुछ लोगों के लिए है। यदि आप वी टी या हवाई अड्डा में उतरते हैं तो यह कफ परेड या मालाबार हिला या बड़ी बहुमंजिलें इमारतों की तरह नहीं है जो कि बम्बई की तरह वास्तविक स्थिति बताते हैं। 60 या 70 प्रतिशत से अधिक के लोग वहां गरीबी का जीवन बिता रहे हैं। महाराष्ट्र के गरीब लोग बम्बई के बीच में रहते हैं और तीन लाख से अधिक गरीब परिवारों के मकान गिरने वाले हैं। प्रतिवर्ष 25 लोग मर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। वे कहते हैं कि वे केन्द्र सरकार से राजस्व चाहते हैं तथा केन्द्रीय सरकार कहती है कि वह राज्य का विषय है और वे कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के इन लोगों में यह आशंका हो गई है कि उन्हें बम्बई छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके मकान गिर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता बम्बई छोड़ रही है और केन्द्र या राज्य या कांग्रेस सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। दो दिन पहले यह घोषणा की गई है कि मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि बम्बई को 60 करोड़ रुपए दिए जायेंगे। यह समाचार पत्रों की खबर है और यदि मैं गलती पर हूं तो मंत्री जी मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं इस तथ्य की प्रशंसा करता हूं कि आप बम्बई को 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए में से आप इन्हें 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लेकिन कृपया महाराष्ट्र सरकार को विशेष अनुदेश दें कि इस राशि को मध्य बम्बई के लिए उपयोग किया जायेगा जहां महाराष्ट्र के गरीब लोग तथा अन्य जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। ये मेरी प्रारम्भिक टिप्पणियां हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार ने मालिकों को बहुत सी कर रियायतें, एम० आर० टी० पी० रियायतें, लाइसेंस को समाप्त करने की प्रणाली, निर्यात प्रणाली आदि जैसे बहुत सी रियायतें दी हैं। आपने मालिकों को बहुत-सी रियायतें दी हैं। लेकिन आपने श्रमिकों और गरीब लोगों को क्या दिया है ? आपने उनको चींटी के बराबर केवल न्यूनतम रियायतें दी हैं जबकि मालिकों की दी गई रितायतें बड़े पहाड़ों की तरह हैं।

इस देश की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ है? सरकार से आधारभूत संरचना सुविधाओं सहित कारखाने 90 प्रतिशत तक मदद लेती है। क्या इन नियोजकों या मिल स्वामियों द्वारा इस पैसे का उचित उपयोग किया जाता है ? सरकार ने कुछ आकड़े दिए हैं लेकिन मेरे आंकड़े यह बताते हैं कि देश में 80,000 से भी अधिक एकक बीमार हैं और उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक को बीमार बना दिया गया हैं। आजकल ये प्रकृति बन गई है कि सभी रियायतें ली जाती हैं और बाद में बीमार बना देते हैं। वित्त मन्त्री महोदय व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुत सी रियायतें दे रहे हैं। लेकिन उनके अनुभव पर आधारित क्या वह महसूस करते हैं कि वे सरकार को कर का भुगतान ठीक ढंग से करते हैं ? क्या वे मजदूरों से अच्छा बर्ताव करते हैं ? क्या वे इस देश की अर्थ व्यवस्था का एक भाग बनेंगे ? अपने अनुभव पर मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा। इसको विस्तार में बताने का समय नहीं है लेकिन मैंने इसका उस समय उल्लेख किया था जब श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं बोला था। वे कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं और उनकी बिजली की सप्लाई को काटा जा रहा है तथा 80,000 रुग्ण उद्योग बेकार पड़े हैं और इस तरह दो करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। इससे और आगे सरकार के 3000 करोड़ रुपये को ब्लाक कर दिया गया है। यह सरकारी पैसे को ब्लाक करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन पिछले कई वर्षों में उन्होंने कितना दुर्विनियोग किया है। बम्बई में कपड़ा मिलों

के लिए आप प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दे रहे हो। लेकिन वे आपको किसी प्रकार का कोई कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां हेरा-फेरी के लेखे बनाए गए हैं। भविष्य में उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए सरकार किस तरह से योजना में राजस्व दे रही है ? उद्योगपतियों को आप जो कुछ राशि दे रहे हो उस पर कुछ यह पाबन्दी होनी चाहिए कि वे इस राशि का किस प्रकार उपयोग करते हैं। यदि किसी के पास काला धन है तो इसे एक दण्डनीय तथा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। जब तक इस तरह के 3 या 4 व्यक्तियों की जेल में बन्द नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि मीठी बातों से या चर्चा से आप अर्थ-व्यवस्था में सही सुधार कर सकते हैं।

इसके बाद बेरोजगारी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस समय देश में 4½ करोड़ लोग बेरोजगार हैं। योजना आयोग ने कहा है कि छठी योजना के दौरान उद्योगों में विकास हुआ है। हमें आशंका है कि 3·10 करोड़ तक के रोजगार लक्ष्य में कमी आई है। आपके रोजगार कार्यालयों में उनके पास जो पंजीकरण की संख्या है वह 2·5 करोड़ है। इस समय 4·5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आपके स्वचालित यंत्र, कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य चीजों से यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं। प्रति यूनिट रोजगार में गिरावट आ रही है। प्रति यूनिट पूंजी और प्रति श्रमिक राशि का व्यवसाय बढ़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश में यह गंभीर असंतोषजनक कारण बन रहा है। गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसका कारण विकट बेरोजगारी है।

इस बजट में विकास के लिए जो कुछ आर्थिक योजनाओं को बताया गया है। बेरोजगारी पहले से ही 4·5 करोड़ हो गई है वह बढ़ रही है क्योंकि जो ऋण आप दे रहे हैं उसके लिए नियोजकों पर कोई यह पाबन्दी नहीं है कि उन्हें रोजगार में एक विशेष समानुपात करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर समस्या बन रही है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में केवल पृथकतावाद, प्रांतवाद और साम्प्रदायिकता के बारे में बात की जाती है। बेरोजगारी बढ़ने के बारे में किसी को चिन्ता नहीं है। इस बारे में आपकी भावी योजनाएं कुछ नहीं बताती हैं।

गरीबी दूर करने की योजनाएं बनाई गई हैं। हमारे 44% या 42% लोग गरीब हैं। स्वतन्त्रता के बाद से यह संख्या वही है। संसद में हाल के आंकड़ों को देते समय आप इससे सहमत हुए हैं। लेकिन मैं जो कुछ कहता हूं वह यह है कि आपकी रोजगार गारंटी योजनाएं तथा अन्य योजनाएं काम नहीं कर रही हैं और उन्होंने काम नहीं किया है। गरीबों के कुछ पैसे देने या छोटी चीजें देना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने इस सदन में बार-बार कहा है कि इस देश की जनसंख्या का 18% खेतिहर मजदूर है। चाय, चीनी और कॉफी बागानों में मालिक बहुत अधिक कमा रहे हैं। निर्माण कार्य मे लगे मजदूर, बीड़ी उद्योग में लगे मजदूर और दुकानों में लगे मजदूरों के लिए एक दिन की 25 या 30 रु० न्यूनतम मजदूरी लागू क्यों नहीं की जाती ? आप न्यूनतम वेतन अधिनियम और पैबन्दी अधिनियम कड़ाई से पालन करने के लिये सुनिश्चित क्यों नहीं करते ? मैं समझता हूं कि सरकार इसे आसानी से कर सकती है। और यदि यह किया जाता है तो आप इस देश में 50% तक की गरीबी को आसानी से दूर कर सकते हैं।

देश में काला धन है। मैं समझता हूं कि प्रो० मधु दंडवते ने इस बारे में चर्चा की थी। मेरे पास कुछ ऐसे आकड़े हैं जिसे वांचू समिति या अन्य समितियों ने दिए हैं। सरकार इन आंकड़ों को सदन में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आशंका है कि आपने जो कुछ मानक

निर्धारित किए हैं। यह आंकड़े 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गये हैं। दातार समिति, वांचू समिति और रंगनेकर तथा गुप्ता जैसे कुछ विशेषज्ञों ने इस समस्या का अध्ययन किया है। मैंने उनका अध्ययन किया है। सरकार इन तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमारी जी० एन० पी० का लगभग 50% काला धन के रूप में हो गया है। यदि यह अर्थव्यवस्था है जिसका आप इस देश में विकास कर रहे हैं तो आप काले धन पर नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं जो कि समानान्तर अर्थव्यवस्था का कार्य कर रहा है। आपने इस सदन में जो कुछ सच्चाई व्यक्त की है, इस देश में हो रही अन्य बातों तथा कीमतों के बदले से मैं नहीं समझता कि हम कुछ प्राप्त करेंगे। यदि आप भारत की अन्य देशों के साथ तुलना करें—उनमें से कुछ के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं—आप देखेंगे कि अमरीका में यह केवल 20% है, कनाडा में 15%, इटली में 10% और रूस तथा जापान में केवल 5% है। लेकिन हमारे देश में, हमारे जी०एन०पी० का 50% काला धन है। मैं समझता हूं कि यह गंभीर मामला है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

आप बोनस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। हम इसके लिए पिछले 20 वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह छोटी सी बात है जिसे काफी लम्बे समय के बाद किया गया है। लेकिन बोनस अधिनियम के अन्तर्गत मैं हिसाब-किताब के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में यह वक्तव्य फिर दे रहा हूं अर्थात् कोई मालिक सही कुल लाभ नहीं बताता है। उनसे वह आय कर, मूल्य ह्रास, सुरक्षित निधि और शेयरधारी की राशि काट लेगा। इसके बाद जो कुछ थोड़ी राशि रह जाती है वह मजदूरों को दी जाती है। बोनस अधिनियम का यह फार्मूला है। इसे 750 से 1600 रु० तक बढ़ाने के बाद भी आप बोनस अधिनियम का फार्मूला उसी तरह से अपना रहे हैं। मालिक कहता है कि वितरण के लिए 5 लाख रुपए हैं। इसे 750 रु० से बांटने के स्थान पर आप इसे 1600 रु० से बांटते हैं। अतः पहले 20% देने के स्थान पर मालिक अब कहेगा कि वह 11% का भुगतान करेगा। अतः इस तरह इसे वास्तव में वह व्यक्ति बताता है। इसलिए बोनस अधिनियम के फार्मूले में आप परिवर्तन करें। उस बारे में विधेयक को पहले ही पेश किया गया है। हम कुछ संशोधन कर रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह उन पर विचार करे। अब बोनस अधिनियम, 1965 के अनुसार उन मजदूरों को बोनस दिया जाता है जिनकी अधिकतम आय 1600 रुपए से ऊपर न हो। उस समय इसका 750 रुपए का भुगतान होता था। अब आपने इसकी सीमा को 750 से 1600 रु० तक बढ़ाई है। अब यदि किसी व्यक्ति को 1601 रु० वेतन मिलता है तो इसे बोनस नहीं मिलेगा। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि आय की सीमा 1600 रुपए से बढ़ाकर 3000 रु० तक की जाए। वास्तविक रूप से इसको 4800 रु० बनाने की आवश्यकता है लेकिन मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। परन्तु आप उन आंकड़ों को उतना ही रख रहे हो—न्यूनतम या अधिकतम आप एक फीला रहे हो। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री जी यदि वह वास्तव में इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो वह इन कुछ मुद्दों को देखेंगे।

जब तक सरकारी उपक्रमों का संबंध है महंगाई भत्ता देने के लिये 1·3 सूत्र था। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में इसे 1·65 करने की घोषणा की। कुछ एकक 1·3 पर भुगतान कर रहे हैं। वे नये एकक हैं। लेकिन भारत पेट्रोलियम जैसे एकक -- यह पुराना एकक है—जो 100 वर्षों से कार्य कर रहा है, करोड़ों रुपये का लाभ कमा रहा है।

मजगांव गोदी में लगभग 15,000 मजदूर काम कर रहे हैं। गत 30 वर्षों से उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इन सभी सरकारी उपक्रमों में या अधिकतर सरकारी उपक्रमों में बोनस 1.65 से अधिक दिया जा रहा है। निस्संदेह कुछ उपक्रम 1.3 देते हैं, कुछ 1.5 देते हैं, यह वेतन के अनुसार अलग-अलग है। कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए यह बढ़ रहा है। जब माननीय मंत्री ने सभा में घोषणा की थी तब मैंने उनसे यह पूछा था कि क्या वह उसे घटाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने हाल ही में इसे शुरू किया है, अत: मैं इसे 1.65 कर देने का अनुरोध करता हूँ। किन्तु भारत पेट्रोलियम, मजगांव गोदी जैसे संगठनों में जहां वर्तमान महंगाई भत्ता 1.65 से अधिक है, सरकार को उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दिया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को लाभ पहुँचेगा।

बम्बई में, 60 से 70 प्रतिशत लोग मध्य बंबई में पुरानी इमारतों में रहते हैं, सभापति महोदय भी वहीं के हैं। आप जानते हैं प्रतिवर्ष 30 व्यक्ति मर जाते हैं और बीमा होने के कारण महाराष्ट्र सरकार को बहुत सा धन देना पड़ता है। पुरानी इमारतें ढह जाती हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जाती है। अत: इस बार राजस्व को ऐसे निर्धन लोगों के लिए खर्च किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत अधिक असंतोष है। मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री मेरे सुझावों पर विचारक रेंगे।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमान्, आज हमारे देश में एक ओर जहां आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, तो यह कह सकते हैं कि काफी अच्छी है और विकास की गति भी संतोषजनक है, पूंजी लगाने के लिए मैं समझता हूँ आज से अच्छा वातावरण पहले कभी नहीं रहा है। सेविंग के मामले में जो रेशो 22-23 प्रतिशत का है, वह विकासशील देशों में सबसे अच्छा हमारे देश में है। विदेशी मुद्रा के मामले में भी आज हम बहुत मजबूत हैं। विदेशी मुद्रा का जो असंतुलन तेल बाहर से मंगाने पर व्यय के कारण होता है, उस पर भी अब कम व्यय हो रहा है क्योंकि पहले की बजाय हम अपने देश में तेल के उत्पादन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन सभापति जी, इतनी अच्छी तस्वीर में कुछ काले धब्बे हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूँ।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कालेधन की जो वृद्धि देश में हो रही है, उसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज आर्थिक व्यवस्था बराबर मँहगी हो रही है, उसको देखना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर का देश में जो महत्त्व है, वह स्वयं हमारे वित्त मंत्री जी ने महसूस किया है और उसके रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए बाण्ड जारी करने की योजना प्रस्तुत की है। श्रीमन्, यह सही है कि प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में जहां तक मुनाफा कमाने की बात है, उसमें अन्तर अवश्य रहेगा।

प्राइवेट सैक्टर वाला मुनाफे के आधार पर अपने आपको चलता है। पब्लिक सैक्टर को सामाजिक आवश्यकताओं और हमारी अर्थ-व्यवस्था, सबको सामने रखकर अपने आपको चलाना पड़ता है। इतना जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे पब्लिक सैक्टर को जो आज परिस्थिति है, उसे अगर हम निराशाजनक कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 20,000 करोड़ रुपया जिस

पब्लिक सैक्टर में लगा हुआ है, उसमें केवल 8 प्रतिशत रिटर्न हमें मिलता है जब कि गैर-सरकारी कंपनियों में 6 प्रतिशत रिटर्न मिलता है। आज अगर पब्लिक सैक्टर में गैर-सरकारी कंपनी के बराबर रिटर्न मिलना शुरू हो जाये तो एक वर्ष में उससे 1800 करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त हो सकेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जो परिस्थिति आज पब्लिक सैक्टर के साथ है, उसका पुनरावलोकन होना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिल सके।

इस देश के सामने मेरी समझ से दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक आबादी की है। मैं नहीं जानता कि हमारे वित्त मंत्री की परिवार नियोजन के सिलसिले में व्यक्तिगत क्या स्थिति है, लेकिन इस आबादी की बात को कहने में कुछ कंजूसी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपनाई है। पूरे बजट भाषण में उन्होंने कहीं भी आबादी का कोई जिक्र नहीं किया। इसी प्रकार आर्थिक समीक्षा में भी केवल एक पैराग्राफ दिया है। जबकि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में अगर हमने आबादी की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पाया तो हमारे देश की स्थिति विस्फोटक हो जाने वाली है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या हमारे देश की रोजगार की है। आर्थिक समीक्षा में इस बात को माना गया है कि अगर हम अपने औद्योगिक उत्पाद की दर को नहीं बढ़ा पाये तो हम बेरोजगारी की समस्या पर काबू नहीं कर पायेंगे। जितने भी उद्योग खुलते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, आज टेंडेंसी यह है कि गांव के लोग भी अगर छोटी इंडस्ट्री भी खोलेंगे तो वह शहर में जाकर खोलना चाहते हैं। जब तक हम देहातों में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर नहीं देते, छोटे स्थानों पर छोटे उद्योग नहीं खोलते तब तक हम इस समस्या पर काबू नहीं कर पायेंगे।

हम सब्सीडी देते हैं, हमने स्वरोजगार योजना चालू की है लेकिन उसके आंकड़े देख लीजिये, अधिकांश केसों में उत्पादन धन्धे नहीं अपनाए गए हैं। क्या यह सब्सीडी हम देहाती क्षेत्र में छोटे उद्योगों पर खर्च नहीं कर सकते ?

एक महत्त्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज बड़ी चर्चा है, हम शिक्षा को पुनर्गठित करना चाहते हैं। इस देश की आजादी से पहले इस देश के लोगों ने यह चाहा था और सोचा था कि देश के आजाद होने के बाद हम शिक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। 38 वर्ष तब इस देश के समझदार नागरिक यह सोचते रहे हैं कि कब तक इस बात की घोषणा होगी कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में इस तरह परिवर्तन करना चाहते हैं ?

यह पहला अवसर है कि हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की बात कही है। लेकिन यह बात खतरे से खाली नहीं है जब तक सही ढंग से उस पर पूरी तरह से विचार करके सही नीति नहीं अपनायेंगे, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, फायदा नहीं होगा।

कहते हैं जितना गुड़ डालो, उतना मीठा होता है। अपने देश में हमने करोड़ों रुपये प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च किया है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि उन करोड़ों रुपये का हमें मिठास नहीं मिला है, रिटर्न नहीं मिला है। वह रुपया कुछ जेबों में गया है, कुछ इस प्रकार की संस्थाओं में गया है जिन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उस रुपये का दुरुपयोग किया है। इसी

तरह नान-फार्मल एजूकेशन की योजना का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन उसका भी हमें रिटर्न नहीं मिला है।

इस प्रकार से हमारे देश की आज जितनी खराबियां हैं, समस्याएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि आजादी के बाद की जो पीढ़ी है, उसको हमने वह सब कुछ नहीं दिया है जिससे वह सही ढंग से इस देश की समस्याओं का पूरी तरह से मूल्यांकन कर सके।

हमने उनको यह नहीं बताया है कि हमारे देश में लोगों ने किस प्रकार से कुर्बानियां की हैं, किस प्रकार से देश को आजादी मिली। हमने यह नहीं बताया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम क्या थे ? जो देश हमारे देश के साथ आजाद हुए थे उनकी विकास की गति में और हमारी विकास की गति में कितना अन्तर है ? यह सब हमें उन्हें बताना पड़ेगा। मैं इस संबंध में यह भी कहूंगा कि रूस और अमेरिका जब आजाद हुए थे, उन्हें जब आजादी मिली थी, उनसे भी ज्यादा हमने विकास किया है। यह सब बातें हमें एजुकेशन में बच्चों को बतानी होगी तभी हम उन समस्याओं से पार हो सकेंगे।

आज पूरे देश में आरक्षण का बड़ा बावेला है। मैं आपका ध्यान इस आरक्षण की ओर खींचना चाहता हूं, जिसमें इस देश में दो तरह की नागरिकता कर दी है। एक पहले नम्बर के नागरिक और दूसरे नम्बर के नागरिक। जिन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वह आज दूसरे नम्बर के नागरिक हैं और जिन के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं वह पहले नम्बर के नागरिक हैं। आज पूरे देश की राजनीति में इस देश की चाहे सामाजिक या राजनीतिक ताकत हो, चाहे इंडस्ट्री हो या प्रशासन हो उस सब पर उन लोगों का कब्जा है जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो सुधार की बात है, वह इसलिए नहीं होती है क्योंकि जिन लोगों को सुधार करना है, जिन लोगों को अच्छे नागरिक बनना है, उनको इसकी चिंता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली पर जहां विचार हो रहा है यह एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देनी है कि सभी पब्लिक स्कूलों को शासन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, एक सी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए।

अब मैं यूनियन कार्बाइड की बात कहना चाहूंगा। वहां के जो पीड़ित लोग हैं, उनको मदद अवश्य मिल रही है, उनके मुआवजे की कार्यवाही अमेरिका के कोर्ट में चल रही है, लेकिन इलाज की जहां बात हो, या मुआवजे की बात है, इसका व्यवस्थित ढंग से जो प्रयास होना चाहिए आज भी नहीं हो रहा है। भोपाल में जितने लोग पीड़ित हैं, आज भी 25 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के केसिज नहीं बन पाये हैं, जो प्रशासन है, जो अफसर हैं आज भी उनमें से अधिकांश यूनियन कार्बाइड से ऑबलाइज हैं। वह यह नहीं चाहते कि यूनियन कार्बाइड को अधिक मुआवजा देना पड़े, इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार इस पर गौर करे, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके इस बात का ध्यान रखे। बरसात का मौसम आने वाला है। आज भी 15-20 हजार लोग ऐसे हैं जिनकी काम करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 50 हजार खानदान ऐसे हैं जिनके पास आज भी रोजगार नहीं है। इस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए।

खर्च में कमी करने की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही। यह बात निश्चित है कि जनता में सरकार के प्रति आस्था बढ़े, सम्मान बढ़े। यह बात उनकी समझ में आए कि सरकार सही ढंग से खर्च कर रही है। निश्चित ही सरकार को इस पर गौर करना पड़ेगा। जो सरकारी

खर्च है, उसको नहीं न कहीं कम करें। देश का आम आदमी यह बात समझ सके कि सरकार फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कटिबद्ध है। अगर हम मानसिक रूप से आम जनता को इस बात के लिए तैयार नहीं करते तो एक तरफ महंगाई और दूसरे तरफ उनकी यह धारणा कि सरकार बेतहाशा खर्च करती है, इस देश के लिए और हमारी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।

इस देश में जो प्रगति हो रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह पूरा देश समझ सके और देश के अधिकांश लोग जो देहातों में रहते हैं, वह भी उसको समझ सके, इसके लिए यह जरूरी है कि अधिकांश सभी जगहों में टी० वी० पहुंचे, लेकिन पंचायतों को कम से कम फ्री में पंचायत में टी० वी० देना चाहिए ताकि हर गांव के लोग यह देख सकें कि हम किस तरीके से आगे जा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, बजट को पेश हुए लगभग दो महीने हो रहे हैं। इस बीच माननीय वित्त मंत्री जी को बजट के उपलक्ष्य में बोकेज एंड ब्रिक-बैट्स मिलें हैं।

श्री विश्व प्रताप सिंह : आप क्या देंगे ?

श्री जैनुल बशर : मैं तो हमेशा बोकेज देता रहा हूं। कहां से उनको बोकेज मिला है और कहां से उनको ब्रिक-बैट्स मिला है, यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते होंगे।

सभापति जी, मैंने बजट के जनरल डिसकशन कर हिस्सा लिया था। उस वक्त मैंने आशंका व्यक्त की थी कि यह बजट लैफ्ट आफ दि सैन्टर से राइट आफ दि सैन्टर की तरफ जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी हाल में हमारी अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें इस प्रकार की सारी आशंकाओं को दूर कर दिया गया है और साफ तौर से समाजवादी नीतियों को देश की आर्थिक मुख्य धारा को गरीबों के साथ जोड़ने में फिर से विश्वास प्रकट किया है। कांग्रेस शुरू से गरीबों के साथ अपनी आर्थिक नीतियों की मुख्य धाराओं को जोड़ती रही है। लोगों का लीवन स्तर ऊंचा उठाना, खासकर उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनको ऊपर उटाने का काम कांग्रेस हमेशा करती रही है और इस बार भी कांग्रेस ने इसमें विश्वास प्रकट किया है। इससे बहुत सी आशंकायें जो इस बजट को लेकर पैदा हो रही थीं उनको दूर हो जाना चाहिए। सभापति जी, मैं कुछ बातों की तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं काले धन की बात कहना चाहता हूं क्योंकि इसको दूर करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी बहुत सजग हैं। उनके मंत्रालय ने इस मामले में दो-तीन महीनों में बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लोगों को पकड़ना और छापे मारने से लोगों के अन्दर कुछ भय और डर पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सभापति जी, काला धन दो जगह से आता है। एक तो जो हमारी आय के साधन हैं—टैक्सेशन, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स ड्यूटी, डायरैक्ट टैक्सेज, इनडायरैक्ट टैक्सेज – इस टैक्सेज को बचाकर काला धन पैदा होता है। स्मगलिंग से पैदा होता है और उसके बाद जो भी हमको बचा-कुचा हिस्सा मिलता है, जो भी आमदनी होती है, जब हम उसको खर्च करते हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में खर्च करते हैं, एन० आई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० इत्यादि योजनाओं में खर्च करते हैं, तो वहां भी उस पैसे की चोरी होती है। आमदनी के स्रोत पर भी उस पैसे की चोरी होती है। मैं तो समझता हूं कि इस समय

50 प्रतिशत लिकेज है, इससे ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। इन योजनाओं के खर्च होने में 50 प्रतिशत की लिकेज हो रही है। यह जो करोड़ों रुपयों का कालाधन है, अगर आप किसी योजना पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उसमें से 500 करोड़ रुपया इम्प्लीमेन्टेशन के लिये जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या दूसरी एजेन्सीज हैं, उनके यहां चला जाता है, टैप करने का आपके पास क्या कार्यक्रम है, इस पैसे को उनके पास जाने से आप कैसे रोकेंगे ? टैक्स के स्रोत पर जो पैसा जा रहा है उसके लिये तो आप कदम उठा रहे हैं, मैं उन कदमों का स्वागत करता हूं, आपने अच्छे कदम उठाये हैं और आप से ऐसी आशा भी थी, लेकिन जो पैसा इम्प्लीमैन्टेशन स्टेज पर खर्च हो रहा है और उसमें से जो ब्लैकमनी जैनरेट हो रही है, उसको रोकने का आपके पास क्या कार्यक्रम है ?

कालेधन का कीमतों पर असर पड़ता है। चाहे कन्ज्यूमर वस्तुयें हों, बिल्डिंग मैटीरियल हो या दूसरी चीजें हों, इस पैसे के कारण सभी चीजों की मांग बढ़ रही है, किसी भी कीमत पर लोग खरीदने के लिये तैयार हैं, जाहिर है इससे वस्तुयें मंहगी होंगी, उनके दाम बढ़ेंगे और जैनुइन कन्ज्यूमर है, जिसको वाकई उस चीज की जरूरत है उसको वह चीज बहुत मंहगी मिलेगी। हमारा प्राइस इण्डैक्स ऊपर जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ ब्लैक मनी है, दोनों तरफ का काला धन तेजी से मंहगाई को ला रहा है। एक मामूली से मामूली कर्मचारी जिसकी आमदनी एक हजार रुपये माहवार है, उसके अलावा 10-15 और 20 हजार रुपये माहवार अलग से कमा रहा है। इसको आप कैसे रोकेंगे---इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात—सरकार हमेशा यह आश्वासन देती आ रही है कि सरकारी खर्च में कमी की जायेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह खर्च कम नही हो रहा है, बल्लिक बढ़ता जा रहा है। हर फील्ड में सरकारी खर्च बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनका टेलीफोन का खर्च रोजाना बढ़ रहा है, अखबारों में रोजाना इसके बारे में खबरें आ रही हैं।

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : मैम्बरों का भी बढ़ रहा है।

श्री जैनुल बशर : मैम्बरों को तो देना पड़ता है। अगर नहीं देता है तो उसका टेलीफोन कट जाता है, लेकिन मंत्रियों का टेलीफोन का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, यात्रा का खर्चा, हर तरह का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है, पहले जब कभी कोई मंत्री आते थे तो हम उन्हें रिसीव करने के लिये स्टेशन जाते थे, वह हमेशा रेलगाड़ी से आते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से शायद ही कोई केन्द्रीय मंत्री रेल से जाता हो, यहां तक कि रेल मंत्री भी रेल से नहीं जाते, तब दूसरा कौन जायेगा, सब हवाई जहाज से जाते हैं। अभी हाल में अखबारों में पढ़ा था···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : शिपिंग मिनिस्टर को किससे भेजेंगे ?

श्री जैनुल बशर : उनको अण्डेमान, निकोबार लक्ष्य द्वीप शिप से जाना चाहिये। कम से कम इससे उनको मालूम तो होगा कि शिप से जाने वालों को क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मैं एक्सपेण्डिचर के बारे में निवेदन कर रहा था—राज्य सरकारों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। एक मुख्य मंत्री का 600 रुपये प्रति घन्टे का टेलीफोन का बिल आता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं···

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : कौन हैं, नाम बतलाइये।

श्री जैनुल बशर : मैं नहीं बतलाउंगा, आप मालूम कीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : वह टेलीफोन का रिपोअर चार्जेज है।

श्री जैनुल बशर : चाहे सैन्ट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो या पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हों—सबकी यही हालत है। ये लोग पांच सितारा होटलों में ठहरते हैं, गेस्ट हाउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां तकरीबन सभी राज्यों के गेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश निवास, यू० पी० भवन, बिहार भवन, लेकिन मंत्री लोग वहां न रह कर पांच सितारा होटलों में ठहरते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : सम्राट होटल।

श्री जैनुल बशर : नाम क्यों लेते हैं। यह जो खर्चा बढ़ रहा है, अनप्रोडक्टिव खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्पेण्डिंग बढ़ रही है इसको रोकने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है ? इसको रोकना है। इसको रोकने का आपका क्या कार्यक्रम है, इसको आप कैसे रोकेंगे ? आप लोग बराबर सवालों के जबाव देते वक्त यह कहते रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट का खर्चा, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का खर्चा कम कर रहे हैं। यह खर्चा आप कैसे कम करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ?

एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। ये जो हमारे पावर्टी को दूर करने के एन० आर० ई० पी० और एन० आर० डी० पी० जैसे कार्यक्रम हैं, पूरे देश में सभी लोगों ने इनका स्वागत किया है और इन कार्यक्रमों ने काफी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, इसमें दो राय नहीं हैं। इनसे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां हैं। फिर भी इन गड़बड़ियों के बावजूद इन कार्यक्रमों में गरीबों का लाभ हुआ है, काफी अच्छा काम हुआ है।

4.36 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनके कारण जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था वे फिर गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। कीमतों के बढ़ने से लोग फिर पावर्टी लाईन से नीचे आ रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन एन० आर० ई० पी० और एन० आर० डी० पी० के अन्तर्गत जो काम हो रहे हैं उनमें आप लोगों की मजदूरी बढ़ा दीजिए, मिनिमम वेजिज आप बढ़ा दीजिए और इस बात को भी आप सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें कि यह मजदूरी उनको सीधे मिले, बीच में कोई मजदूरी काट न ले। बीच में कोई ठेकेदार या कोई और मजदूरी काटने वाला न हो। मजदूरी सीधे काम करने वाले तक पहुंचे। तब जाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम आपके पूरी तरह से सफल होंगे और जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं या आने वाले हैं, उनको तब जा करके लाभ मिलेंगे।

हमारे देश में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बाद बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया था। उस समय किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती थी। लेकिन आज जो सेल्फ एम्पलाएमेंट या दूसरे कार्यक्रमों के लिए जो कि बेरोजगारों के लिए हैं और जिनके लिए आप बैंकों के द्वारा मदद कर रहे हैं उनके लिए आजकल बैंकों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। बिना पैसा लिए, आपके बैंक किसी को रुपया नहीं देते। जिन लोगों को कर्जा देने के लिए आपकी गवर्नमेंट एजेन्सीज स्पोन्सर्ड करती हैं उनके नाम भी आपके बैंक वाले खारिज कर देते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट

किसी के नाम भेजती है कि आप उनको पैसा दे दीजिए तो उनको भी पैसा नहीं मिलता । या तो आप स्टेट गवर्नमेंट की अथोरिटी को माने या उनको अथोराइज न करें। आजकल क्या होता है कि कर्जा लेने वाले लोग पहले ब्लाकों के दफ्तरों में भाग दौड़ करते हैं, फिर किसी और दफ्तर में भाग दौड़ करते हैं और उसके बाद बैंकों में भाग-दौड़ करते हैं । इन सारी भाग-दौड़ों के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता । माननीय वित्त मंत्री जी कोई ऐसा तरीका निकालिए कि लोग इन दफ्तरों की भाग-दौड़ से बचें। आपके बैंकों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें बराबर मिल रही हैं ये न मिले ।

बैंकों की जो ब्रांचिज खुल रही हैं वे ऐसी जगह पर खुलती हैं जहां पर कि कम्युनिकेशन के साधन हों, जहां पर सड़कें बनी हों । अगर कहीं सड़क नहीं हैं तो क्या वहां ब्रांचिज नहीं खुलेगी ? मैं अपने यहां की एक मिसाल देना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने आपको पत्र भी लिखा है। हमारे यहां दाऊदपुर में एक शाखा खुलनी चाहिए थी । बहुत बड़ी जगह है और बैंक ने स्पांसर किया होगा तभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उसकी मंजूरी दी, लेकिन अब वह बैंक शहर के पास, सात किलो-मीटर दूर जाकर खोला गया है । मैंने पत्र लिखा, जब मुझे खबर मिली कि बैंक वहां से हटाया जा रहा है तो मैंने पत्र लिखा, पत्र लिखने के एक महीने बाद वह शाखा खुली है और उस पत्र का कोई जबाव मेरे पास नहीं आया है, कोई उत्तर नहीं आया है । कहते हैं कि वहां पर पक्की सीमेंट की जुड़ी हुई ईंटों की बिल्डिंग नहीं है, तो सीमेंट से जुड़ी ईंटों की बिल्डिंग 90 परसेंट रूरल ब्रांचों में नहीं है, कहीं भी आप जाकर देखिए, नहीं है । कहते हैं कि सड़क नहीं है पक्की, पिच रोड़ नहीं है, तो पिच रोड़ नहीं है तो इसमें उस क्षेत्र वालों का क्या कुसूर है, गांव वालों का क्या कुसूर है, इलाके वालों का क्या कुसूर है ? कुसूर हमारा आपका है कि हमने सड़क वहां नहीं बनाई है । यह भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या यहां बैंक जाते हुए शर्माते हैं या जाना नहीं चाहते वहां पर ? इसकी एक बजट यह भी है कि आप शहरों के लड़कों को ही बैंक में रख रहे हैं, गांव वालों को उसमें जगह नहीं दे रहे हैं । आप कहेंगे कि ओपन रिक्रूटमेंट है, जो चाहे आ सकता है, लेकिन इसके लिए गांव वालों के पास समान अवसर कहां हैं ? अंग्रेजी का यहां बोलबाला है, गांव का लड़का कैसे अंग्रेजी बोलेगा इंटरव्यू में । जब वह बैंक में नहीं आएगा तो बैंक गांव में जाएगा ही नहीं ।

तो आप जिस तरह से भी इसको मुनासिब समझें वित्त मंत्री जी, उसी तरह से इसको हल करने की कोशिश करें । मैं तो आपको हमेशा बैक्वट देता रहा हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आखिर में ब्रिकबैट दे दिया ।

श्री जैनुल बशर : मैंने आपके बजट की आलोचना जरूर की है, लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि आर्थिक नीतियों के अच्छे मैनेजमेंट के कारण अच्छे मैनेजर आप हैं । अच्छे मैनेजमेंट के कारण, जैसा आप कहते हैं कि आखिर में आकर इसका अच्छा लाभ होगा, इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० पी० जे० कुरियन ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : श्रीमन्, मैं सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं । यह समाचार मिला है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के श्रीलंका स्थित सम्वाददाता को श्रीलंका के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बारे में कुछ भी अता-पता नहीं है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सुबह भी यह मामला किसी माननीय सदस्य ने उठाया···

श्री सुरेश कुरुप : क्या आप विदेश मंत्री को वक्तव्य देने के लिए निदेश देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है। प्रो० कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : श्रीमन्, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था की समस्या तक वित्त मंत्री की पहुंच का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध किया हुआ है। अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियन्त्रणों से मुक्त करने और उचित मात्रा में वृद्धि प्राप्त करने के लिए उसे सही दिशा देने हेतु उन्होंने अनेक कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ, अनेक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने के उनके साहसी कदम को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। अब हमारे उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मारा-मारा नहीं फिरना पड़ेगा। मेरा पक्का विश्वास है कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा उद्योग लगाने के लिए अधिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह सही दिशा में उठाया गया उपयुक्त कदम है।

इसके बाद, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की अधिकतक सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करना भी स्वागत योग्य कदम है। इसकी सभा में आलोचना की गयी थी। मैं उन आलोचकों से पूछना चाहूंगा कि जब 20 करोड़ रुपए की सीमा रखी गयी थी तब रुपए का मूल्य क्या था। प्रो० मधु दंडवते ने भी कहा कि उन कम्पनियों को भी इतनी राशि की अपेक्षा नहीं है। मैं नहीं जानता कि जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी उन्होंने कैसे इसकी आलोचना की है। हमारे देश में अधिक पूंजी निवेश करने के लिए यह एक सही कदम है। और यदि हम रुपए के मूल्य में हुई कमी पर गौर करें तो यह राशि कोई बड़ी राशि नहीं है।

व्यक्तिगत कराधान को युक्ति संगत बनाने के लिए भी उन्होंने उपयुक्त कदम उठाए हैं। जनता और समाज के सभी वर्गों के लोगों को रियायतें दी गयी हैं। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। किन्तु इस बारे में मैं निम्नतम अर्थात् प्रथम खंड के आय-कर दाताओं के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रथम खंड के आय-कर दाताओं के लिए मूल कर शुरू में 20 प्रतिशत था और अधिभार 12.5 प्रतिशत था। यह 22.5 प्रतिशत बैठता है। किन्तु अब इस खंड के लिए मूल कर 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः उनको रियायत मूल कर में नहीं मिलनी है वरन् छूट की सीमा, जिसे 3000 रु० बढ़ाया गया है और इसे 15,000 से 18,000 रु० कर दिया गया है, में रियायत मिलती है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पहलू पर भी ध्यान दें। जब अन्य सभी श्रेणियों के कर दाताओं--उच्च आय वर्गों—को उच्चतर छूट-सीमा और अधिभार की समाप्ति का लाभ पहुंचा है तो निम्न आय वर्ग अर्थात प्रथम खंड में आने वाले कर दाताओं को केवल उच्चतर छूट-सीमा का ही लाभ मिला है। उन्हें अधिभार की समाप्ति का लाभ नहीं मिला है। अतः मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें और प्रथम खंड के लोगों को कुछ और रियायतें दें। मेरा सुझाव है कि छूट की सीमा 18,000 रु० से बढ़ाकर कोई उच्चतर राशि, यदि सम्भव हो तो 20,000 रु० अथवा 24,000 रु० की जा सकती है। यह रुपए के मूल्य के अनुसार है। 15,000 रुपए की छूट की सीमा 1981 में निर्धारित की गई थी। वह 15,000 रुपए अब न्यूनाधिक

20,000 रुपए के बराबर है। अतः धन के घटते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए हमें यह सीमा बढ़ाकर 24,000 रुपए कर देनी चाहिए।

आप सदन में पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि कर विधियों को और सरल बनाया जाएगा। वास्तव में हमारे कर नियम बहुत जटिल हैं और मैं तो कहूंगा कि वर्ष में होने वाले संशोधनों के कारण वे बहुत जटिल हो गए हैं। कर-नियम इतने अधिक जटिल, गूढ़ और पेचीदे हो गए हैं कि मेरा सुझाव है कि यथाशीघ्र समुचित संशोधन किया जाना चाहिए और इन्हें इतना सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि कर दाता इन्हें स्वयं पढ़ सकें और चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा विशेषज्ञ की सहायता लिए बिना अपने लेखे और हिसाब-किताब स्वयं रख सके।

आपने निगमित क्षेत्र को कई रियायतें दी हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे संदेह है कि जिस उद्देश्य से रियायतें दी जा रही हैं इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपने पहले ही कहा है कि यद्यपि कराधान की दर कम कर दी गई है, पहले दी गई कर में छूट नहीं दी जाएगी। निगमित क्षेत्रों को आप पहले जो करों में छूट देते थे उसे आप पहले ही समाप्त कर चुके हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने व्यापार में जिस तरह की नीति अपनाई है, मैं नहीं समझता उससे राजकोष को कोई सहायता मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट कम्पनियों की आदत है कि वे लाभ होने के बावजूद घाटा दिखाती हैं। यद्यपि वास्तव में उन्हें लाभ होता है, वे घाटा ही दिखाते हैं। हो सकता है कि वे अपनी बचत का पुनः प्रयोग करके और व्यापार में उस धन का निवेश करने के लिए उसे लेखे में न दिखाएं। यदि फिर भी उन्हें और बचत होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे इसका निवेश आम आदमी के लिए आवश्यक उपभोक्ता मदों के लिए करें। हो सकता है कि वे इसका निवेश विलासिता की मदों में करने को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि ये मदें अधिक धन अर्जन करने वाली हैं और उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है। अतः किसी तंत्र के अभाव में, जिससे आप यह पता लगा सकें कि वास्तव में कंपनी को लाभ हुआ है या हानि, मुझे संदेह है कि आपने निगमित क्षेत्र को जो रियायतें दी है, उनका वांछित परिणाम मिलेगा। समुचित नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि पूंजी निवेश के बाद हुई बचत का उत्पादकता क्षेत्र में पुनः प्रयोग किया जा सके।

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री कृष्णन, जो कोलम्बो में पी० टी० आई० के संवाददाता हैं, को गिरफ्तार कर नजरबन्द किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। पहले ही एक सदस्य यह मामला उठा चुके हैं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : श्रीलंका में संवाददाता सुरक्षित नहीं हैं। यद्यपि उन्हें 24 घंटे से अधिक समय के लिए नजरबन्द किया गया है, सरकार ने उस संबंध में वक्तव्य दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कुछ क्षेत्रों से यह आलोचना हो रही है कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का सुझाव पूंजीवादी वर्ग/धनी वर्ग की ओर है न कि समाजवाद/निर्धन वर्ग की ओर। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं आप मंत्री महोदय द्वारा श्रमिकों को दी गई रियायतों पर नजर डालिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रमिकों की बकाया राशि को सुरक्षित राशि माना गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। केवल इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि यह बजट श्रमिक विरोधी नहीं है अपितु यह उनके लिए सहायक है।

महोदय सभी ने बोनस की सीमा को 750 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए किए जाने का स्वागत किया है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 1600 रुपए की अधिकतम सीमा वर्षों पहले निर्धारित की गई थी। जिस कर्मचारी की आय 1600 रुपए से अधिक है उसे बिलकुल बोनस नहीं मिल रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि आपको उन लोगों को भी बोनस देना चाहिए जिनकी आय 1600 रुपए से अधिक है।

महोदय, इलेक्ट्रानिक उद्योग को, दी गई कुछ रियायतें एक अच्छा सा कदम है, विशेषकर टेलिविजन उद्योगो को उत्पाद-शुल्क में दी गई छूट। इससे देश में टेलिविजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल इलेक्ट्रानिक विकास से ही लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अतः इलेक्ट्रानिक उद्योग को दी गई ये रियायतें बहुत स्वागत योग्य हैं। आने वाले वर्षों में इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे हमारे समाज के गरीब लोगों को लाभ होगा।

महोदय, आपने गरीबी-हटाने संबंधी उपायों के लिए 1300 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, यह आलोचना की जाती रही कि विगत वर्षों में निर्धन और भी निर्धन तथा अमीर ज्यादा अमीर हो गए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन में से उद्धृत करना चाहूंगा। यह अध्ययन अखबारों में भी छापा गया था। इस अध्ययन के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण आबादी जो सन् 1966-67 में 56.6 प्रतिशत थी वह सन् 1977-78 में कम होकर 39.1 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने भी अध्ययन करवाया है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति खपत 1970-77 के मुकाबले 1981-82 में 127.97 प्रतिशत बढ़ी है। निर्धनतम व्यक्तियों के घरों में, जोकि प्रतिदर्श अध्ययन का 1/10 भाग बैठते हैं, 10 वर्षों में खपत क्षमता में 127.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे समझ में नहीं आता। हमारे विरोधी पक्ष के मित्र यह सब बात क्यों नहीं पढ़ते जोकि अखबारों में छपी हैं।

कुछ आलोचनाएं यह भी की गई हैं कि बजट प्रस्तावों से मूल्यों में वृद्धि होगी और मूल्य वृद्धि आम आदमी के लिए असहनीय होगी आदि। 16 मार्च से, जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था, 20 अप्रैल तक कुल मूल्यों में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बजट प्रस्तावों का प्रभाव 0.53 प्रतिशत है। प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि से 0.56 प्रतिशत का असर पड़ा है। अतः यह कुल मिलाकर 1.1 प्रतिशत है। शेष अन्य कारणों से है। परन्तु यह बड़ी ही दिलचस्प बात है कि पिछले 7 वर्षों में यानि कि 1979-80 से 1984-85 में हमेशा ही मार्च से अगस्त के महीनों में मूल्यों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 1981-82 में शुरू के छः महीनों में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि थी। परन्तु वर्ष की समाप्ति पर यह वृद्धि 2.4 प्रतिशत हो गई। अतः शुरू के छः महीनों में वृद्धि काफी ज्यादा हुई है और इसके बाद प्रत्येक महीनों में वृद्धि कम होती गई है। अतः चालू वर्ष में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि को आने वाले वर्षों में आसानी से खपाया जा सकता है।

इतना कहने के पश्चात अब मैं केरल की कुछ समस्याओं को बताऊंगा। इस बारे में मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। आठवें वित्त आयोग ने केरल के साथ न्याय नहीं किया है। केरल को छठी पंच-वर्षीय योजना में 290 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। परन्तु अभी भी हमारे राज्य को लाभ अर्जित करने वाला राज्य समझा जाता है। अतः वित्त आयोग ने निर्णय दिया है कि इसे राजस्व अर्जित करने वाला राज्य समझा जाए जबकि केरल को 290 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

5.00 म० प०

महोदय, सातवीं योजना के अन्त तक हमारे राज्य का घाटा 1100 करोड़ रुपए के आस-पास हो सकता है। मैं नहीं जानता किस प्रकार वित्त आयोग ने यह निर्णय लिया है कि केरल लाभ अर्जित करने वाला राज्य है। उन्होंने उन आयों को सम्मिलित कर लिया है जो वास्तव में हमें हो नहीं रही हैं। उदाहरण के लिए, हमारा परिवहन निगम प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है। उन्होंने इसे मुनाफा कमाने वाली संस्था बताया है। इसके अलावा वानिकी से प्राप्त आय को भी वास्तविक रूप में नहीं लिया गया है क्योंकि विभिन्न वन संरक्षण अधिनियमों की वजह से हमें वनों से कोई आमदनी नहीं हो रही है जो कि पहले हुआ करती थी। अत: महोदय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वित्त आयोग के फैसले पर मेरे द्वारा दी गई नई जानकारियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की जाए तथा केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया आवेदन जो केरल को पिछड़ा राज्य मानने के बारे में दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखा जाए ताकि राज्य के लिए ज्यादा धन का आबंटन किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री एम० महालिंगम** (नागापट्टिनम्) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के लिए वित्त विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

हमारे देश में 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारी बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने, बेरोजगारी की समस्या को निपटाने के लिए हमें कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि सिर्फ कृषि मात्र से ही इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। परन्तु मुझे यह जानकर दुख होता है कि कृषि के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

31 मार्च, 1984 को कृषि की तरफ से बैंक ऋण बकाया की राशि सिर्फ 6133 करोड़ रुपए थी और इसी तारीख को औद्योगिक क्षेत्र से बैंक ऋणों की बकाया राशि 25,000 करोड़ रुपए थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कृषि के प्रति अन्याय किया गया है। जिस पर हमारी 70 प्रतिशत आबादी निर्भर रहती है और जिससे रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, आश्चर्यजनक बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों को 100 प्रतिशत ऋण फिर दे दिये गये हैं जबकि इसमें हमारी सिर्फ 10 प्रतिशत आबादी लगी हुई है। इससे रोजगार के अवसरों पर और अधिक पाबन्दी लगती है। इस सौतेले व्यवहार के बावजूद भी हमारे राज्य ने पिछले वर्ष खाद्यान का अभूतपूर्व उत्पादन किया, यानि कि 1510 लाख टन उत्पादन हुआ है जो एक रिकार्ड है।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे किसानों को आवश्यक ऋण सुविधाएं एवं कृषि निवेश जैसे खाद, कीटनाशक इत्यादि नहीं मिलते हैं। 31 मार्च, 1984 की तारीख तक हमारे देश के 281 जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 8213 शाखाएं थी। देश के 170 जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक भी शाखा नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा न खोलने के निर्देश दिए हैं। इन हालात में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि देश के सभी जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली जाएं ताकि किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। तमिलनाडु में केवल दो जनपदों में ही 116

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मेरी मांग यह है कि तमिलनाडु के सभी जनपदों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली जानी चाहिए।

हमारे देश में 95000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं। इन समितियों का नवीनीकरण करने सम्बन्धी एक योजना गत 20 वर्षों से लागू की जा रही है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत केवल 3000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में बदल दिया गया है। अगर प्रगति इस धीमी गति से हो रही है तो हम यह कैसे दावा कर सकते हैं कि हम इस देश के कृषकों की उन्नति के प्रति कटिबद्ध हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक गांव अपनाने की एक योजना है जिससे उस गांव का समग्र रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके। हमारे देश में 5 लाख 60 हजार गांव हैं। अभी तक बैंकों ने 1,40,000 गांव अपनाए हैं। 51 लाख खाते खोले गए हैं तथा 1557 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि अभी तक दी जा चुकी है। मैं इस प्रयास का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि देश के सभी गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए ताकि हमारे देश के गांव भी शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ 21वीं सदी में प्रवेश करें।

हमारे देश में 73 प्रतिशत कृषि भूमि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। कृषि एवम् ग्रामीण विकास के हमारे माननीय राज्य मंत्री ने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में, जो कल हुई थीं, कहा है कि कई पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित करने के बाद भी देश की सारी कृषि भूमि की सिंचाई व्यवस्था नहीं हो सकी है। यह मैं इस बात को महत्व देने के लिए कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा उन कृषकों को, जो बारानी भूमि पर खेती करते हैं, अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इस तथ्य से वह विदित हैं कि हमारे खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का 42 प्रतिशत भाग बारानी खेती से प्राप्त होता है। बीस सूत्री कार्यक्रम में बारानी खेती पर अधिक बल दिया गया है। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि, विशेषकर बारानी खेती को उचित महत्व नहीं दिया गया है जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन मे बताया गया है। बारानी खेती करने हेतु सहायता देने के लिए अनुसंधान योजनाएं शुरू की गई हैं। 5.6 लाख गांवों में से केवल 2760 गांवों में माइक्रो वाटर शैड की योजना को लागू किया गया है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि माइक्रो वाटर शैड बारानी खेती की प्राथमिक आवश्यकता है। मैं सुझाव देता हूं कि माइक्रो-वाटर शैड देश के सभी गांवों में बनाए जाने चाहिएं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मैं इस मौके पर यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे प्रिय मुख्य मंत्री, डा० एम० जी० रामचन्द्रन के लिए किसानों के हित सबसे पहले हैं। उन्होंने किसानों को मुफ्त विद्युत देने के आदेश दिए हैं। स्वभावत: ही इससे तमिलनाडु राज्य की वित्त स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार किसानों को मुफ्त विद्युत पूर्ति करने के बराबर की धनराशि अनुदान के रूप में दे।

महोदय, अमरीका में केवल 15 प्रतिशत लोग ही कृषि में कार्यरत हैं; फिर भी अमरीका सारे संसार को खाद्यान्न सप्लाई करता है। छोटे से देश जापान के पास खेती के लिए कोई जगह नहीं है। जापान के कुशल लोगों ने समुद्र पर कृत्रिम भूमि बनाई है और वे उस भूमि पर खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। वे घरों की छतों पर खेती करते हैं और सब्जियों की अपनी आवश्यकता को उससे पूरा करते हैं। छोटा सा देश इजरायल रेगिस्तान में खाद्यान्न उत्पन्न करने में सफल हो गया है। हमारा

एक कृषि प्रधान देश है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे गांवों को नष्ट किया जाता है तो देश का ही नाश हो जायेगा। देश में कृषि के विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना हमारे माननीय वित्त मंत्री का प्राथमिक फर्ज है और मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे।

इस वर्ष का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ 0.7% तक बढ़ा है; यह वह है जो माननीय वित्त मंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में बताया था। केवल चार दिन पहले इस सदन में अपने खाद्य और नागरिक पूर्ति के माननीय मंत्री ने यह माना है कि थोक मूल्य सूचकांक 2.3 प्रतिशत बढ़ गया है। हमें नहीं मालूम किसकी धारणा ठीक है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने 0.7 प्रतिशत नहीं कहा; मैंने कहा था कि थोक मूल्य सूचकांक 2.4 प्रतिशत तक बढ़ा है।

श्री एम० महालिंगम : धन्यवाद, महोदय। सामान्य बजट तथा रेल बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। यह केवल आर्थिक विशेषज्ञों का ही अनुमान नहीं है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव कर रहे हैं। हम यह कहकर नहीं टाल सकते कि यह मौसमी वृद्धि है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि इन जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, कानून के हवाले करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो सेना का भी प्रयोग करना चाहिए। जब तक हमेशा के लिए हम इन मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी वाली राष्ट्रविरोधी शक्तियों को समाप्त नहीं करते तब तक हम मूल्यवृद्धि को नहीं रोक पायेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे गतिशील वित्त मंत्री इस कार्य पर गौर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है और हमारे पास इस मद के लिए केवल एक घण्टा बाकी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे केवल पांच मिनट ही बोलें। पांच मिनट के बाद मैं घंटी बजाऊंगा और सदस्य एक मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त कर दें। इसका मतलब है आपके पास केवल छः मिनट का समय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसके बाद बोलते रहेंगे तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर देना चाहता हूं। अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर मिले इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : मैं इस चर्चा में, वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए भाग ले रहा हूं। मेरे मन में वित्त मंत्री के लिए काफी श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने एक नई नीति अपनाई है और वे अपनी आलोचना या इस प्रभाव से विचलित नहीं हुए कि उन्होंने कम्पनियों या अन्य व्यवसायिक फर्मों आदि को करों में भारी छूट दी है। सामान्यतः यह धारणा है कि अगर करों का बोझ अधिक होगा, तो ये ज्यादा लोकतंत्री होगा और गरीब लोगों के हितों में होगा। लेकिन वास्तव में, केवल करों की मात्रा से ही गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। वर्तमान बजट में उत्पादन को अधिक महत्व दिया गया है। जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, चाहे किसी भी तरीके से, तब तक देश के भले की बात करना व्यर्थ है।

उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि मानव पर ध्यान केन्द्रित किया जाए; यानि कि उन्हें अधिक निपुण बनाया जाए, अधिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जब वे शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके निकले, तो वे सरकारी नौकरी के पीछे न घूमते रहें, बल्कि उनमें इतना आत्मविश्वास और

आवश्यक निपुणता हो कि वे उत्पादक एकक स्थापित कर सकें। इसके लिए अधिक राशि आबंटन की जानी चाहिए। शैक्षिक प्रणाली में शीघ्र क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए अधिक से अधिक राशि आबंटित की जाए। जब तक यह नहीं होता, तब तक इन बातों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा कि विभिन्न मंत्रालयों को कितनी राशि आबंटित की गई है, राजस्व कम है या कर कम हैं या खर्च अधिक है आदि। जैसे ही कोई छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करके निकलता है, अगर वह समाज के लिए लाभदायक हो सकता है, चाहे उसका ट्रेड कोई भी हो, तभी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तब कर की जितनी भी मात्रा होगी, वह राष्ट्र के लिए लाभदायक होगी।

इसके अतिरिक्त वितरण पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जब तक वितरण प्रणाली सही रहेगी, मूल्य नियंत्रण रहेगा, अगर ऐसा नहीं है तो कितने ही उपाय किए जाएं उनका लाभ नहीं होगा। इस संदर्भ में, मुझे तसल्ली है कि मंत्री महोदय ने विभिन्न क्षेत्रों का स्वरूप बेहतर बना है और कर-अपवंचन के लिए कदम उठाए हैं। इससे राजस्व में वृद्धि होगी और प्रणाली में चुस्ती आएगी। मूल्य-नियंत्रण तभी सम्भव है जब उत्पादकों द्वारा उनके माल के लिए उचित मूल्य की गारंटी दी जाएगी। श्रम के महत्व को विशिष्टता दी जानी चाहिए। जब तक लोगों का सफेद-पोश नौकरियों के प्रति आकर्षण बना रहेगा, मैं नहीं समझता कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आ सकता है। यह तभी सम्भव है जब हम असंगठित क्षेत्र, विशेषकर खेतों में कार्य करने वाले मजदूर, कृषि में कार्यरत किसान या अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार प्रोत्साहन, मजूरी अदा करें। जब ऐसा होगा, जब अधिक लोग ऐसा सोचेंगे, तभी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है ? मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है—और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।

मैं मंत्री जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कुछ मदों के संबंध में लाइसेंस-प्रणाली समाप्त कर दी है, एम० आर० टी० पी० अधिनियम को उदार बनाया है, गरीबों को दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि और बोनस सीमा में वृद्धि की है। इन उपायों को लागू करने के साथ ही, अगर दफ्तर से बाहर कार्य करने वाले लोग निम्न-आय वर्ग की बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों पर अधिक ध्यान दें तो इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि 18,000 रु० की सीमा पर्याप्त नहीं है, इस राशि को आज रुपए के मूल्य के अनुसार, बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री द्वारा श्री राजीव गांधी के मार्गदर्शन में जो साहसी कदम उठाए हैं, उनका समर्थन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी, देश के लिए आवश्यक, प्रभावी उपायों को भी लागू करेंगे।

श्री आनन्द सिंह (गोंडा) : मैं संक्षेप में ही कहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आप घंटी बजाकर वित्त मंत्री को परेशान नहीं करेंगे।

सर्वप्रथम मैं प्रत्यक्ष करों के बारे में अपने सुझाव दूंगा। इन प्रस्तावों को युक्ति संगत बनाने का प्रत्यन अवश्य किया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष करों को अधिक तर्कसंगत, सहज बनाने और सरकार के हाथों में एक निश्चित साधन देने के लिए बहुत कार्य करना शेष है। इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाने के लिए पिछले 20 वर्षों में कई समितियां स्थापित की गयी। उन्होंने इस पर कार्य किया। इस पर काफी समय लगाया गया है, काफी धन भी व्यय हुआ है और इस सन्दर्भ में

प्रतिवेदनों का कभी अध्ययन नहीं किया गया और ये वित्त मंत्रालय में उन पर बगैर कार्यवाही किए पड़ी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि इन प्रतिवेदनों को झाड़ पोंछकर अलग से बाहरी आवरण चढ़ाकर उनका अध्ययन किया जाए, ताकि नया व्यापक कानून बनाया जा सके क्योंकि वर्तमान स्थिति में, केन्द्रीय बोर्ड के वर्तमान कर योजना एकक के पास यह कार्य करने का समय नहीं है और इसको करने के लिए कर्मचारी भी नहीं हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

यह विभाग जो काम कर रहा है वह यह है कि एक परन्तुक कहीं से और दूसरा खंड कहीं से लेकर उनका अलग-अलग अध्ययन करता है, सम्पूर्ण प्रभाव को देखे बिना इसको लागू करता है ऐसा करने से कानूनों का जंगल सा बन गया है। कुछ समय पहले प्रो० कुरियन ने कहा है कि हमारे पास कानूनों, उप-धाराओं, परन्तुकों, व्याख्यात्मक टिप्पणियों आदि का बाहुल्य है। अब स्थिति यह है कि देश का सबसे योग्य व्यक्ति भी कर सम्बन्धी कानूनों को नही समझ सकता और उनको किसी और पर निर्भर करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि मेरे साथी जो यहां बैठे हैं और जिन्हें आय कर देना पड़ता है, इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। मुझे सन्देह है कि वे जो करते हैं उसे वे पूरी तरह जानते हैं। परिणामस्वरूप पेशेवार लोगों के मजे हो रहे हैं ये इतने अस्पष्ट हैं कि इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। यह बात नहीं कि लोग कर देना ही नहीं चाहते, प्रश्न तो जाल में फंसने का आ जाता है अज्ञानता का भय रहता ही है। अतः यह बात नहीं कि लेखा कर देना ही नहीं चाहते परन्तु वे स्वयं जाल में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनको जाल में फांस लिया जाएगा।

ये लाभकारी होने की बजाय हानि कर होते जा रहे हैं। इसलिए नए सिरे से अलग समिति इस कानून को बनाने के लिए बनाई जाए और इसके लिए एक व्यापक कानून होना चाहिए।

मैं संक्षिप्त निर्धारण योजना का स्वागत करता हूं। दो स्रोतों से कर इक्ट्ठा होता है। एक तो, जैसा आप कहते हैं स्वैच्छिक निर्धारण पूर्व योजना, जिसमें व्यक्ति स्वयं घोषित करता है कि उसे कितने कर का भुगतान करना है, और दूसरा यह कि आप अधिकारियों को यह सारा कार्य करने के लिए बुलाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और कर निर्धारण करते हैं। लेकिन जो वास्तव हो रहा वह यह है कि आपके कुल प्रत्यक्ष करों का 95% स्वैच्छिक निर्धारण पूर्व योजना से आता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 95 प्रतिशत के लिए विभाग को कुछ नहीं करना पड़ता। अब सारा विभाग अपनी मांगों, अपीलों, कर-निर्धारण अपीलों, जुर्माने की व्यवस्था से कुल कर-निर्धारण के केवल 5 प्रतिशत का ही कार्य करता है और यदि आप स्थापना खर्च को निकाल दें तो 5 प्रतिशत भी नहीं बनेगा। यह बहुत कम होता। अब समय आ गया है जबकि हमें इस निपुण बड़ी प्रशिक्षित कुशल जनशक्ति को कर-निर्धारण और कानूनी कार्यवाही करने जिसमें कोई परिणाम नहीं निकलता जैसी कार्यवाही करने की बजाय काम के लिए वापस ले लेना चाहिए। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि जैसा बहुत से देशों में होता है, कि जैसे ही कोई व्यक्ति विवरणी भेजता है और कार्यालय में प्रस्तुत करता है उसे उसी रूप में विभाग द्वारा स्वीकृत समझना चाहिए और अधिकारी को समय-समय पर प्रत्येक कर दाता की जांच करनी चाहिए हर समय नहीं क्योंकि इससे काफी समय की बचत होगी। हम सभी जानते हैं कि 1981-82 के आय कर के सारे मामले अभी तक निपटाए नहीं जा रहे हैं हालांकि अब 1985 का वर्ष चल रहा है। और अभी भी जिन लोगों ने 1983-84 का अपना कर निर्धारण करा लिया हैं वे अच्छे ही रहे हैं। इससे बहुत सा समय बचेगा। निस्सन्देह इसका अर्थ यह है कि जांच के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाएगा और इसका अर्थ हैं कि कर पत्रों के फार्म को

बदलना पड़ेगा । परन्तु इससे निस्सन्देह उन लोगों का बहुत सा समय बचेगा तथा वे दण्ड से भी बच जायेंगे जो अकारण ही कर दे रहे हैं । मुझे विस्तार में नहीं जाना है । अन्यथा, प्रति पांच वर्ष में जब कभी भी जांच की जाएगी, तो इसका अर्थ कोई फालतू प्रक्रिया नहीं होगी बल्कि इसका अर्थ कर-दाता की विवरणी को देखकर तथा वास्तव में जांच करके उसका कर निर्धारण करना होगा या आयकर अधिकारी यह कहें, "इस सम्बन्ध में मुझे आपका कर बढ़ाना है, आखिरकार गहराई में जाने से आपको उच्च न्यायालयों से राहत मिलेगी ।" परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि इससे करदाता कठिनाई से बच सके ।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह है लघु उद्योगों को उत्पादन कर के माध्यम से प्रोत्साहन मिलना चाहिए । अब हमने उन्हें 7.5 लाख तक छूट दी है । यह छूट अधिक लाभप्रद नहीं है । इसकी अपनी कमियां हैं । यह प्रत्येक उद्यमी को इस सीमा में रहने के लिए प्रेरित करता है । वह इस सीमा से बाहर नहीं आना चाहता । अगर वह बढ़ोतरी करता है तो वह केवल अपने भाई के लिए एक छोटा एकक स्थापित करके या अपनी मां के लिए उसी वस्तु का उत्पादन करने वाला छोटा एकक स्थापित करके बढ़ता है । वह स्वयं नहीं बढ़ता है । वह 'मशरूम' की भांति एक अनियमित एकक की तरह बढ़ता है जो नई प्रौद्योगिकी अथवा उच्च कुशल श्रम के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए वह वहीं पर पड़ा रहता है । मेरा सुझाव है कि इन एककों के लिए 7.5 लाख तक की कर-राहत नहीं दी जानी चाहिए । ऐसे बहुत से एकक हैं जो 7.5 लाख तक भी अर्थक्षम नहीं है । पांच वर्ष पहले यह सीमा 5 लाख थी । उस समय निवेश लागत आज जो है, अर्थात् 7.5 लाख, की तुलना में बहुत कम थी, उसका पैसा ठीक प्रकार से उद्योग में नहीं लगा था; वह अर्थक्षम रहने के लिए अधिक उत्पादन करता है; इस छूट को प्राप्त करने के लिए कम उत्पादन दर्शाता है जिससे काला धन उत्पादन होता है । उन्हें दूसरी शक्ल में भी राहत दी जा सकती है, जैसे कि मशीनरी तथा संयंत्रों में राजसहायता दी । वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराया जा सकता है; उन्हें कम दर पर आयकर देने की अनुमति दी जा सकती है और इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और इससे उत्पादन लागत में कमी आयेगी । और यद्यपि वे उत्पाद शुल्क देने, वे बड़े एककों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । चूंकि आप इस कार्य को करने के लिए दृढ़ हैं तथा इसके बारे में मुझे काफी गंभीरता नजर आती हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्मदत्त ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं तीन-चार बातें कहना चाहता हूं, अधिक समय नहीं है । पांच साल में जितने बजट पेश किए जाएंगे, उनके सामने एक ही समस्या रहेगी कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना का कैसे वित्त-पोषण करें, कैसे फाइनांस करें । पब्लिक सेक्टर के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए का प्रावीजन करना है, अब पता ऐसा चला है कि उसमें करीब 30 हजार करोड़ रुपए कम पड़ता है । मैं बहुत नम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है, इसको आप बिल्कुल । लाख 80 हजार करोड़ रुपए पर ही रखिए । इसके लिए साधन ढूंढने में देश के वित्त मंत्री सक्षम हैं । इसके लिए आपने बांड्स की बात की है । पब्लिक सेक्टर में बांड्स इशू करने की बात की है, प्रावधान किया है, लेकिन सवाल केवल बांड्स का नहीं है ।

मैं थोड़ा सा कन्वेंशन से हट कर बात करना चाहता हूं। यह हम सब मानते हैं कि हमारे यहां ब्लैक मनी है। हमारे सहयोगी श्री जैनुल बशर साहब ने दो बातें बताईं कि खर्च और आमदनी के वक्त भी ब्लैक मनी पैदा होता है। क्यों नहीं दस साल में आप हिम्मत के साथ इस ब्लैक मनी को किसी प्रोडक्टिव यूज में लाने की कोई योजना बनाते हैं। इस तीस हजार करोड़ के घाटे को दस-पन्द्रह हजार कम किया जा सकता है। दूसरा एक तरीका स्माल सेविंग्स का है। हमने देखा है कि स्माल सेविन्गस करने से काफी फायदा होता है और अच्छे नतीजे मिलते हैं। लेकिन उसके तरीके को सिम्पलीफाई करने की जरूरत है ताकि लोगों को विश्वास हो कि उनको ठीक और समय से पैसा मिल जाएगा तथा वे आसानी से जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी रिसोर्सेज की अभी कमी है वह एडीशनल रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन से दूर की जा सकती है। वह हम सब करते हैं। पावर और ट्रान्सपोर्ट सैक्टर में हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारा जो तमाम पावर सैक्टर है इसके लिए रेल, पावर, कोल और हैवी इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री को बहुत सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। थर्मल पावर हाउसेज के जैनरिक डिफैक्ट्स को दूर करने के लिए और उनकी मरम्मत की व्यवस्था के लिए आपने वित्तीय प्रावधान किया है। लेकिन हमने ठीक समय पर सही क्वान्टीटी और क्वालिटी के कोयले की व्यवस्था नहीं की तो यह इरोजन होता चला जायेगा। जब तक पावर का सैक्टर ठीक नहीं होता है तब तक इण्डस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं फिर नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले पांच सालों में पैट्रोलियम का कोई बहुत बड़ा स्रोत मिलने वाला नहीं है इसलिए पैट्रोलियम की बजाय अलकोहल यूज करने के लिए सोचिए। अलकोहल के लिए आप कहते हैं कि शीरे की कमी है। मैं, इण्डस्ट्रीयल अलकोहल की बात कर रहा हूं न कि पोटेबल अलकोहल की। चीनी मिलों के शीरे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो खाण्डसारी की मिलें हैं उनमें बड़ा भारी शीरे का स्रोत है। उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके ऊपर कंट्रोल करके उपयोग करना चाहिए। उसको पैट्रोल की बजाय केमिकल इण्डस्ट्री के लिए भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए। एक नम्र निवेदन और करना चाहता हूं। प्राइस राइस की बात यहां पर लोगों ने की है। प्राइस राइस को रोकने के लिए हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। खासतौर से उन इलाकों में जहां पर सामान नहीं पहुंच पाता है। वहां पर हमको अभी से इंतजाम करना चाहिए ताकि बरसात के मौसम में और जो प्राइस् राइस के सितम्बर और अक्तूबर महीने होते हैं, उसका प्रबन्ध हो सके। पहाड़, रेगिस्तान और जहां पर फ्लड आता है वहां पर प्रबन्ध करना चाहिए ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए प्राइस राइस पर कंट्रोल कर सकें। सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं उत्पादन बढ़ाना और लोगों को रोजगार देना। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वित्तीय, भौतिक, फिजीकल और फाइनेंशियल नियोजन कर रहे हैं वहां मैन पावर प्लानिंग भी कीजिए। मेरा अपना यह अनुभव है कि बहुत कोशिश करके हम कोई उद्योग लगाते हैं। लेकिन उद्योग लगाना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि लोगों को नौकरी नहीं दे पाते इसलिए नहीं दे पाते कि जैसे लोग चाहिए वे हमको मिलते नहीं हैं। यह निर्णय लीजिए कि यहां पर उद्योग लगाना है वहां पर किस समय पर और किस तरह का आदमी चाहिए। उस तरह के स्थानीय आदमियों को ट्रेन्ड कीजिए इसलिए मैन पावर प्लानिंग की बहुत जरूरत है। बैंकों के बारे में बशर साहब ने बहुत ज्यादा बातें कहीं। उत्तर प्रदेश का मुझे अनुभव है इसलिए कहना चाहूंगा कि रीजनल रूरल बैंक्स की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि बहुत कम खर्चे पर कच्चे मकानों में भी चल सकते हैं। यह काम गांवों में कामर्शियल बैंक्स नहीं कर सकेंगे। आखिरी निवेदन यह है कि जो बैकवर्ड स्टेट

हैं उनमें क्रेडिट डिपाजिट रेशो बहुत कम है। बहुत बड़ा साधन पंचवर्षीय योजना के लिए वहां से प्राप्त कर सकते हैं अगर क्रेडिट रिसोर्सिज ठीक हो जाए। इसको ठीक करने के लिए हर जिले में रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना करनी चाहिए। उससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और छोटी-छोटी आवश्यकताएं भी पूरी होगी और सातवीं योजना का उद्देश्य भी पूरा कर सकेंगे। स्माल सैक्टर को जो आपने कंसेशन दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एग्रीकल्चर सैक्टर को कंसेशन देते वक्त एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश उत्तर में एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स की गाजियाबाद, शामली, बड़ौत, इलाहाबाद और कानपुर में बहुत इण्डस्ट्रीज हैं। जो कन्सेशन ट्रैक्टर को दिया है वह ट्रैक्टर-ट्राली को क्यों नहीं देते। उससे ट्रैक्टर-ट्राली के जो एक्सेल व्हील्स और ड्रम्स बनते हैं वह न जाने प्रदेश और केन्द्र सरकार की निगाह से कैसे बच जाते हैं। यह छोटा उद्योग बहुत सफर कर रहा है। इसकी ओर ध्यान दीजिए। बाकी चीजें मैं लिखित रूप में भेजूंगा क्योंकि बहुत सी कठिनाइयां हैं। इन शब्दों के साथ आपके साहस का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसे आप कायम रखेंगे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, पहली बात मैं आपके माध्यम से खजाने के मिनिस्टर से कहूंगा कि जहां तक आपकी पालिसी का ताल्लुक है, आप चाहते हैं कि यह लैफ्ट टू द सेण्टर हो, इसके लिए आपकी कोशिश है और मैं चाहूंगा कि हम कम्पलीट लैफ्ट की तरफ जाएं क्योंकि हिन्दुस्तान की जितनी गुरबत, पसमांदगी और जो मुश्किलात और जिन एक्सप्लायटर्स से हमारा वास्ता है, जो माफिया यहां पर इस मुल्क में छा रहा है, टाटा, बिड़ला, डालमियां, जिनके पास सन् 47 में चन्द सौ करोड़ रुपए थे, वे सारे साधन बढ़कर आज हजारों करोड़ की जायदादें हो गई। इस तरीके से मुल्क में जो वातावरण बन रहा है, वह पूरा मुल्क तकसीम हो गया है और हैव और हैव नाट्स में अगर आप तलाश करेंगे तो सरकार की पालिसियों में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हिन्दुस्तान में आज एक पैरेलल इकनौमी है, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए नेक नीति से। इसलिए मैं कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी सोश्यलिज्म की कमिटमेण्ट है, तो उसको पूरा करने के लिए सर्जरी की जरूरत है। जो कैंसर्स ग्रोथ इस मुल्क में हो चुकी है, उसका इलाज इन छोटी बातों से नहीं हो सकता है। कुछ इधर काटकर कुछ उधर रखकर नहीं होगा बल्कि पूरा आपरेशन आपको करना होगा, तभी इसका इलाज होगा।

अभी आप बाण्ड्स की कुछ बात कर रहे थे और अभी आपने प्रायर्टी बेसिस पर टेलीकम्युनिकेशन को लिया है और पावर सैक्टर में आप चाहते हैं कि बाण्ड्स की मदद से रुपया इकट्ठा करें। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको रुपए की जरूरत पड़ती है, उस वक्त इस बात को देखे बिना कि कैपीटलिस्ट्स, ब्लैक मनी और माफिया, जिनके पास करोड़ों रुपया गलत जराये से आ चुका है, उन लोगों से यह रुपया हासिल करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और उनको कंसेशंस दे देते हैं और यह आज की बात नहीं है, पिछले 35 वर्ष में यह हमने बार-बार देखा है, आप इस किस्म से बाण्ड्स सर्कुलेट करते हैं, जिसका फायदा उन लोगों को होता है, जिनको आप कहते हैं कि वैल्थ टैक्स नहीं देंगे और इससे कब्ल भी बार-बार यह हुआ है। इसलिए मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं मिस्टर डिप्टी स्पीकर, आपके माध्यम से सरकार को कि इस प्रकार के कंसेशंस देने से उनका हौसला बढ़ रहा है, जिनके पास ब्लैक मनी है, जिनके पास काफी साधन हैं।

मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं अपनी रियासत, जम्मू काश्मीर स्टेट की तरफ जाना चाहता

हूं और मुख्तसरन मैं अपनी मुश्किलात आपको दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं आनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जहां तक चैकिंग का सिलसिला है, मैं रियासते कश्मीर की बात करूंगा नैशनलाइज्ड बैंक होने के बाद, उनसे कर्जा नहीं मिल रहा है। मेरा ताल्लुक आर्टिजन के साथ रहा है, मैं वहां भी उनकी नुमाइन्दगी करतारहा हूं और यहां भी उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, उनको इन नैशनलाइज्ड बैंकों से दस या बीस हजार रुपए कर्जे के रूप में हासिल करना मुश्किल हैं दिए जाएं। हमारे जो शालबाफ हैं, कालीनबाफ हैं, वुड कार्विंग और पेपरमेसी के लोग हैं, जिनकी वजह से आज सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम है, हिन्दुस्तान की शोहरत है और इन लोगों की वजह से करोड़ों रुपया इस मुल्क को फारेन एक्सचेंज के रूप में मिलता है यूरोप और बाकी मुल्कों से, साउथ रसिया से भी अब हमारे पास आर्डर्स आ रहे हैं, इन दस्तकारों की शिरकत से मुल्क ने करोड़ों रुपया कमाया है, उन लोगों को आज मुश्किलात से दो-चार होना पड़ रहा है। आपकी नैशनलाइज्ड बैंकों से उनको कर्जा नहीं मिल रहा है। अगर हम दस या बीस हजार रुपए के लिए सिफारिश करें, मिन्नत समाजत करें तो उसमें से कुछ परसेण्टेज काटकर उनको दिया जाता है। इस तरह से आपके नैशनलाइज्ड बैंक्स में करप्शन हो रहा है। काशमीर रियासत के हैण्डीक्राफ्ट का जहां तक ताल्लुक है, वह सिर्फ हमारी पूंजी नहीं है, बल्कि सारे मुल्क की पूंजी है। अब जब बैंक की बात चली है, तो मैं आपके नैशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में यह बताता चाहता हूं मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि आपके इन बैंकों में जो एम्प्लायमेण्ट हो रही है, उसमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे माफ कीजिए, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, लेकिन मैं बताए बिना नहीं रह सकता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यह कहूंगा कि की इम्प्लायमेण्ट के मामले में जम्मू काशमीर के मुसलमानों के लिए किसी भी बैंक में ज्यादा आपार्चुनिटी नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके बहुत नुक्सानात हैं, इससे एक गैप पैदा हो रहा है और नेशनल इंटेग्रेशन की बात में भी नुकसान हो रहा है। आप उसका उपाय करें, उसका हल तलाश करें और जो गलत किस्म के अफसरान वहां पर बाहर से आकर इस किस्म की बात करते हैं, उससे कितना नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है और जम्मू-काश्मीर और पूरे मुल्कि के ताल्लुकात में जो भेदभाव पैदा हो रहा है, उसको आपको नोटिस लेना चाहिए था।

अब मैं टूरिज्य की बात करता हूं। टूरिज्य एक बड़ा पोटेंशियल है जम्मू-काश्मीर में। यह कुदरत की मेहरबानी है कि यह हमारे वहां बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे ताजमहल हिन्दुस्तान की कारीगरी का नमूना है, रियासते जम्मू-काश्मीर में जम्मू के पहाड़ी इलाके, वादिए काश्मीर और लद्दाख इतने खूबसूरत हैं कि जितने भी टूरिस्ट वहां बुलाए जाएं, जितना भी फायदा उठाया जाये, वह कम है।

टूरिज्य के मामले में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारे कई ऐसे टूरिस्ट्स मुकामात हैं, उसमें सोनमर्ग भी एक है। मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी की बात करता हूं, जहां से लद्दाख को रास्ता जाता है। हमारे बहुत सारे लोग लद्दाख जाना जाहते हैं, यूरोप में भी क्रेज पैदा हो रही है, वह लोग भी लद्दाख के शौकीन हैं। लेकिन लद्दाख और वैली के बीच में सोनमर्ग एक पड़ाव पड़ता है जो कि गुलमर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आज तक उसके लिए कोई बेहतरी नहीं हुई है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाये।

अब मैं जंगलात की तरफ मुतवज्जह होना चाहता हूं। डिस्ट्रक्शन आफ दी फारेस्ट बहुत खतरनाक बात हो रही है जिससे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल और यू० पी० ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में

नुक्सान हो रहा है। फारेस्ट के मामले में मैं चाहूंगा कि आप स्टेट्स को जंगलात काटने से रोके जो कि जंगलात को तबाह करने के दर में हैं। इस तरह से स्टेट्स को फायदा हो सकता है। शुल्क की इकोलोजी बचाना हम सब का फर्ज बन जाता है।

श्री अब्दुल रशीद काबली (सरी नगर) : मिस्टर डिपटी स्पीकर साहब सर पहली बात में आप के मादहीम से खजाने के मिनिस्टर से कहूंगा कि जहां तक आप की पालिसी का तअल्लुक है आप चाहते हैं कि यह लेफ्ट टूरी सेंटर हो उस के लिए आप की कोशिश है और मैं चाहूंगा कि हम कमपलीट लेफ्ट की तरफ न जाएं क्योंकि हिन्दोस्तान की जितनी गरीबी पस मांदगी और जो मुश्किलात और जन एक्सप्लाइटर्स से हमारा वास्ता है जो मापिया यहां पर उस मुल्क में छा रहा है। टाटा बिरला डालमिया जिन के पास सन ४७ में चन्द सो करोड़ रुपये थे वह सारे साधन बढ़ा कर आज हजारों करोड़ की जायदाद के मालिक हो गए। इस तरीके से मुल्क में जो दौलत का दरन बन रहा है वह तकसीम हो गया है और हीवा और हीवो नाट्स में अगर आप तलाश करेंगे तो सरकार की पालिसियों से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़े गा क्योंकि हिन्दोस्तान में आज एक पीरलल इकनामी है जिस का मुकाबला करना आसान नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए नेक नीयती से। इस लिए मैं कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिकवेस्ट करूंगा कि अगर आप की सोशलिज्म की कमिटमेंट है तो इस को पूरा करने के लिए सरजरी की जरूरत है। जो कैंसर्स ग्रोथ इस मुल्क में हो चुकी है इस का इलाज इन छोटी बातों से नहीं हो सकता है। कुछ इधर काट कर कुछ इधर रख कर नहीं होगा बल्कि पूरा आपरेशन आप को करना होगा तभी इस का इलाज होगा।

अभी आप बांडस की कुछ बात कर रहे थे और अभी आप ने प्राइवेट बिजनस पर टैक्स कमेंसेशन को लिया है और पावर सैक्टर में आप चाहते हैं कि बांडस की मदद से रुपया इकट्ठा करें।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी आप को रुपये की जरूरत पड़ती है उस वक्त इस बात को देखे बिना कि ब्लैक मनी और मापिया जिन के हलाल जरायों से आ चुका है। उन लोगों से यह रुपया हासिल करने के

لئے آپ تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو کنسیشنس دے دیتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پچھلے ۳۵ ورش یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے آپ اس قسم کے بانڈس سلیکٹ کرتے ہیں جس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس نہیں دیں گے اس سے قبل بھی بار بار یہ ہوا ہے۔ اس لئے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں مسٹر ڈپٹی

اسپیکر آپ کے مادھیم سے سرکار کو اس پرکار کے کنسیشنس دینے سے ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے جن کے پاس بلیک منی ہے جن کے پاس کافی سادھن ہے۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر سر میں اپنی ریاست جموں کشمیر اسٹیٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور مختصراً میں اپنی مشکلات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کے مادھیم سے میں آنریبل منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بینکنگ کا سلسلہ ہے میں ریاست کشمیر کی بات کروں گا نیشنلائزر بینک ہونے کے بعد ان سے قرضہ نہیں مل رہا ہے۔ میرا تعلق آرٹیزن کے ساتھ رہا ہے، میں وہاں بھی ان کی نمائندگی کرتا رہا ہوں۔ اور یہاں بھی ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ان کو ان نیشنلائزڈ بینکوں سے دس یا بیس ہزار روپئے قرضے کے روپ میں حاصل کرنا مشکل ہے۔ ہمارے جو شالباف ہیں قالین باف ہیں۔ وڈ کاورنگ اور پیپر میشی کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ساری دنیا میں ہندوستان کا نام ہے ہندوستان کی شہرت ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے کروڑوں روپیہ اس ملک کو فارین ایکسچینج کے روپ میں ملتا ہے۔ یورپ اور باقی ملکوں سے ساوتھ رشیا سے بھی اب ہمارے پاس آرڈرس آرہے ہیں۔ ان دستکاروں کی شرکت سے ملک نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے۔ ان لوگوں کو آج مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ نیشنلائزڈ بینکوں سے ان کو قرضہ نہیں مل رہا ہے اگر ہم دس یا بیس ہزار روپئے کے لئے شفارش کریں، منت سماجت کریں تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج کاٹ کر ان کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کے نیشنلائزڈ بینکس میں کرپشن ہو رہا ہے۔ کشمیر ریاست کے ہینڈی کرافٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اب

جب بینک کی بات چلی ہے تو میں آپ کے نیشنلائزڈ بینکس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے ان بینکوں میں جو ایمپلائمنٹ ایمپلائمنٹ ہو رہی ہے اس میں ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے میں گستاخی کر رہا ہوں لیکن میں بتائے بنا نہیں رہ سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایمپلائمنٹ کے معاملہ میں جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لئے کسی بھی بینک میں زیادہ اپار چونٹی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہیں اس سے ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اس کا اپائے کریں۔ اس کا حل تلاش کریں اور جو غلط قسم کے افسران وہاں پر باہر سے آکر اس قسم کی بات کرتے ہیں اس سے کتنا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے اور جموں کشمیر اور پورے ملک کے تعلقات میں جو بھید بھاؤ ہو رہا ہے اس کا آپ کو نوٹس لینا چاہئے۔

اب میں ٹورزم کی بات کرتا ہوں۔ ٹورزم ایک بڑا پوٹینشیل ہے جموں کشمیر میں۔ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے یہاں بڑی انڈسٹری ہے۔ جیسے تاج محل ہندوستان کی کاریگری کا نمونہ ہے ریاست جموں کشمیر میں جموں کے پہاڑی علاقے وادی کشمیر اور لداخ اتنے خوبصورت ہیں کہ جتنے بھی ٹورسٹ وہاں بلائے جائیں جتنا بھی فائدہ اٹھایا جائے وہ کم ہے۔

ٹورزم کے معاملے میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے ٹورسٹس مقامات ہیں اس میں سون مرگ بھی ایک ہے۔ میں اپنی کانسٹی چوئینسی کی بات کرتا ہوں یہاں سے لداخ کو راستہ جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ لداخ جانا چاہتے ہیں۔ یورپ میں بھی کریز پیدا ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بھی لداخ کے شوقین ہیں لیکن لداخ اور ویلی کے بیچ میں سون مرگ ایک پڑاؤ پڑتا ہے جو کہ گلمرگ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے لیکن آج تک اس کے لئے کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے۔ میں گذارش کروں گا کہ اس طرف دھیان دیا جائے۔

اب میں جنگلات کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔ ڈسٹرکشن آف دی فاریسٹ بہت خطرناک بات ہو رہی ہے جس سے جموں کشمیر ہماچل اور یوپی ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں نقصان ہو رہا ہے۔ فاریسٹ کے معاملے میں میں چاہوں گا کہ آپ اسٹیٹس کو جنگلات کاٹنے سے روکیں جو کہ جنگلات کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ اس طرح سے اسٹیٹس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملک کی اکوجی بچانا ہم سب کا فرض بن

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, पेशतर कि मैं इस फाइनेन्स बिल पर बोलूं, मैं अर्ज करूंगा कि मुझे थोड़ा-सा वक्त ज्यादा चाहिए। यह मेरी कांस्टीटुएन्सी की बदकिस्मती है कि कोई भी आए इस एवान में, वह कभी पूरा टर्म नहीं दे पाता है। अब बजट सैशन तो खात्मे पर आ गया है, आज फाइनेन्स बिल डिस्कस होने जा रहा है, मैं चन्द बातें फाइनेन्स के बारे में कहना चाहता हूं।

सबसे पेश्चतर मैं फाइनेन्स मिनिस्टर का बहुत ही मश्कूर हूं कि उन्होंने लद्दाख रीजन को 1989 तक इनकम टैक्स से साफ कर दिया है। इसकी हम बहुत पहले भी डिमांड करते आये हैं, अब आपने हमारी डिमांड पूरी कर दी है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : नई डिमांड कीजिए।

श्री पी० नामग्याल : जहां तक आपने टैक्स रिलीफ दिए हैं सैलरीड पर्सन्स के लिए, उसका मैं वैलकम करता हूं लेकिन असली टैक्स तो हम बिजनेस तबके से ही कमा लेते हैं। उनसे आपको पूरे तरीके से टैक्स रिएलाइज करना चाहिए। सरकारी मुलाजिम तो इससे बच ही नहीं सकते। ना वह इवेड कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिक्स्ड इनकम है, सैलरीड पर्सन्स का सोर्स पर ही टैक्स डिडक्शन हो जाता है। जो आपने टैक्स में कमी की है, उसका में वैलकम करता हूं।

दूसरी बात नटशैल में जल्दी-जल्दी कहता हूं।

जो गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं, ट्राइबल और पहाड़ी इलाकों में पोस्टींग है, उनका कैम्पेन्सेट्री एलाऊंस बढ़ाने की जरूरत है। शहरों में अगर कीमतें 5 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती हैं तो हमारे एरियाज में 15 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। उन लोगों पर इसका बहुत असर पड़ता है। बर्फ पड़ने की वजह से 6-7 महीने तो रास्ता ही बंद रहता है। सिवाय जहाज के वहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वहां लड़की भी काफी महंगी है। लकड़ी जलाए बगैर वहां रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी कीमतों को कम करना होगा। इसका नतीजा यह होता है कि जितने भी अच्छे अफसर हैं वह वहां नहीं जाना चाहते। जिन लोगों को सजा दी जाती है, उनकी ही वहां पोस्टींग कर दी जाती हैं। नतीजा यह होता है कि आपका जो काम है वह चल नहीं पाता। जो आपके आर्गेनाइजेशन हैं, जैसे पी० एंड टी०, आल इंडिया रेडियो, दूसरी सर्विस हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सिज हैं, तो मेरी गुजारिश है कि उनका कैम्पेंसेट्री एलाऊं ... जो है इसको आप बढ़ाएं। उनका सर्विसटेनयोर 2 साल का है चाहे सिविल या सर्विस परसोनल हो, साथ में मेरी मांग है कि ऐसे एरियाज में इन लोगों को इनकम टैक्स

भी आप माफ कर दें क्योंकि लोकल का तो आपने माफ कर ही दिया है, लेकिन वह बहुत थोड़े हैं, इसलिए अच्छा हो कि आप बाकी सब के लिए इनकम टैक्स माफ कर दें।

आपने रिक्रूटमेंट का जो बैन रखा है, उसका बुरा असर पड़ रहा है, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में तो इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहां पर एक तो कोई जाने वाला मिलता नहीं है, फिर ऐसा बैन लगने से और बुरा असर पड़ता है। जो थोड़ी बहुत लोकल तालीम हासिल करते हैं उनको तो कम से कम आप मौका दें। स्माल सेविंग का जहां तक सवाल है, आपको स्माल सेविंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जो स्माल सेविंग है, उसमें मेरा सुझाव है कि वह स्कूल लैवल पर शुरू करना चाहिए। उनको हायर परसेंट इंट्रस्ट देना चाहिए ताकि बच्चों में बचत करने की आदत पड़ जाए। आप स्कूल लैवल पर इंटरस्ट ज्यादा दें, उनके बाद कालेज लैवल पर कम करें। इसके लिए बच्चों में यह भावना पैदा करनी होगी और इंसैंटिव भी देने होंगे। इसके लिए इनाम भी रखे जा सकते हैं, जिससे यह मुफीद हो सकता है।

अब मैं आपकी इजाजत से 1-2 बातें कहना चाहता हूं। इस इक्तान में बहुत सारी बातें कही गई हैं जैसे मेरी कांस्टोंच्यूयेंसी और वहां के इलेक्शन के बारे में कि वहां पर रीगिंग हो गई, बूथ कैपचरिंग हो गई।...(व्यवधान) आप लोगों ने हमेशा चैलेंज किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इसका वित्त विधेयक से कोई संबंध नहीं है। महोदय, कृपया हस्तक्षेप करें। (व्यवधान) ! कृपया इसको कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह किसी और समय पर कर सकते हैं। आप इस मामले को किसी और समय उठा सकते हैं। बस। अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : *इलैक्शन कमीशन ने मेरी कान्स्टीचूयेंसी में रूल आफ थम्ब की इस्तेमाल* यूज किया है...

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने उनसे इसका इस समय उल्लेख न करने का अनुरोध किया है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वह असंगत बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : डेमोक्रेसी खतरे में है। मेरी कान्स्टीचूयेंसी बार्डर पर है, इसलिए दो होस्टल एनीमीज चाइना और पाकिस्तान दोनों को आज तक हमने फेस किया है। आज तक हमने डैमोक्रेसी की फाउन्डेशन को मजबूत किया है।**···हमने पाकिस्तान का नारा नहीं दिया है, इन लोगों की तरह हमने इस्लाम का नारा नहीं दिया है। हमने पोलिटिकल इकौनोमिक इशूज पर लड़ाई लड़ी है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, भारत सरकार चीन और पाकिस्तान से मित्रता करने की कोशिश कर रही है परन्तु यह उन्हें शत्रु देश और दुश्मनों की संज्ञा दे रहे हैं। हमने पहले ही उनके साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए बातचीत शुरू की हुई है। अतः यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस हिस्से को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : 64 पोलिंग स्टेशन लेह में हैं और 18 पोलिंग स्टेशन करगिल में हैं, जिसके रिजल्ट को फ्रीज करके रखा गया है। आपको यह जानना चाहिए, स्मालैस्ट पोलिंग स्टेशन पर चार वोटर रहते हैं, जो कि चाइना के बार्डर पर है और कहते कि 100 प्रतिशत पोलिंग हुआ है। मैं पूछता हूं—क्यों नहीं हो सकता है ? जब वहां पर चार ही वोटर हैं।···(**व्यवधान**)··· 65 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जहां पर 100 से कम इलैक्ट्रोरेट्स हैं। वर्किंग सीजन है, तो 100 प्रतिशत वोट पड़ सकता है।···(**व्यवधान**)···मुझे मालूम है कि यह फोरम नहीं है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, वह इसके लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। नहीं। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना भाषण इस वाद-विवाद तक ही सीमित रखने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : अभी रशीदकाबुली जी ने काश्मीर में टूरिस्ट की बात कही। वहां पर बन्द करके रखोगे और एजीटेशन करोगे, तो वहां टूरिस्ट कैसे जाएगा। मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हो।**···नहीं चलेगी।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

شری پی۔ نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے پیشنر کہ میں اس فائننس بل پر بولوں میں عرض کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ چاہئے۔ یہ کانسٹی چوئینسی کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی آئے اس ایوان میں وہ کبھی پورا ٹرم نہیں دے پاتا ہے۔ اب بجٹ سیشن تو خاتمے پر آگیا ہے آج فائننس بل ڈسکس ہونے جارہا ہے۔ میں چند باتیں فائننس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔

سب سے پیشتر میں فائننس منسٹر کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انھوں نے لداخ رنجن کو ۱۹۸۹ تک انکم ٹیکس سے معاف کردیا ہے۔ اس کی ہم بہت پہلے بھی ڈمانڈ کرنے آئے ہیں اب آپ نے ہماری ڈمانڈ پوری کررہی ہے۔

شری عبدالرشید کابلی : نئی ڈمانڈ کیجئے۔

شری پی۔ نام گیال : جہاں تک آپ نے ٹیکس ریلیف دیئے ہیں سیلریڈ پرسنس کے لئے اس کا میں ویلکم کرتا ہوں لیکن اصلی ٹیکس تو ہم بزنس طبقے سے ہی کمالیتے ہیں۔ ان سے آپ کو پورے طریقے سے ٹیکس ریٹائز کرنا چاہئے۔ سرکار ملازم تو اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ نہ وہ اویڈ کرسکتے ہیں کیونکہ ان کی فکسڈ انکم ہے۔ سیلریڈ پرسنز کا سورس پر ہی ٹیکس ڈڈکشن ہوجاتا ہے۔ جو آپ نے ٹیکس میں کمی کی ہے اس کا میں ویلکم کرتا ہوں۔

دوسری بات نٹ شیل میں جلدی جلدی کہتا ہوں۔ جو گورنمینٹ سروس کے لوگ ٹرائبل اور پہاڑی علاقوں میں جن کی پوسٹنگ ہے ان کا کیمنیٹری ایلاؤنس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شہروں میں اگر قیمتیں ۵ پرتی شت کے حساب سے بڑھتی ہیں تو ہمارے ایریاز میں ۱۵ پرتی شت بڑھ جاتا ہے۔ ان لوگوں پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے برف پڑنے کی وجہ سے ۷۔۶ مہینے تو راستہ ہی بند رہتا ہے۔ سوائے جہاز کے وہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ وہاں لکڑی بھی کافی مہنگی ہے۔ لکڑی جلائے بغیر وہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ان کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھے افسر ہیں وہ وہاں نہیں جانا چاہتے۔ جن لوگوں کو سزا دی جاتی ہے ان کی ہی وہاں پوسٹنگ کردی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ چل نہیں پاتا۔ جو

آپ کے آرگنائزیشن ہے جسے ہی اینڈ ٹی آل انڈیا ریڈیو دوسری سروس ہیں ہیرا
ملٹری فورسز ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ان کا ایلاؤنس جو ہے اس کو آپ
بڑھائیں۔ ان کا سروس ٹینیور ۲ سال کا ہے چاہے سول یا سروس پرسنل ہوں ساتھ
میں میری مانگ ہے کہ ایسے ایریاز میں ان لوگوں کو انکم ٹیکس بھی معاف کر دیں کیونکہ
لوکل کا تو آپ نے معاف کر ہی دیا ہے لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لئے اچھا ہو کہ
آپ باقی سب کے لئے انکم ٹیکس معاف کر دیں۔

آپ نے رکروٹمینٹ کا جو بین رکھا ہے اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ خاص طور سے
پہاڑی علاقوں میں تو اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ وہاں پر ایک تو کوئی جانے والا ملتا
نہیں ہے۔ پھر ایسا بین لگنے سے اور بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو تھوڑی بہت لوکل تعلیم حاصل
کرتے ہیں ان کو تو کم سے کم آپ موقع دیں۔

سیونگ کا جہاں تک سوال ہے آپ کو سمال سیونگ پر زیادہ زور دینا چاہئے
جو اسمال سیونگ ہے اس میں میرا سجھاؤ ہے کہ وہ اسکول لیول پر شروع کرنا چاہئے
ان کو ہائر پرسینٹ انٹریسٹ دینا چاہئے تاکہ بچوں میں بچت کرنے کی عادت پڑ
جائے۔ آپ اسکول لیول پر انٹریسٹ زیادہ دیں اس کے بعد کالج لیول پر کم کریں
اس کے لئے بچوں میں یہ اکرنی ہوگی اور انسینٹیو بھی دینے ہونگے
اس کے لئے انعام بھی رکھے جا سکتے ہیں جس سے یہ مفید ہو سکتا ہے۔

اب میں آپ کی اجازت سے ۲-۱ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس ایوان
میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں جیسے میری کانسٹی چوئینسی اور وہاں کے الیکشن
کے بارے میں کہ وہاں پر رگنگ ہوگئی۔ بوتھ کیپچرنگ ہوگئی۔ ۔ ۔ ۔ (انٹرپشن) ۔
آپ لوگوں نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے۔

SHRI ABDUL RASHID KABULI : This has nothing to do with the Finance Bill Sir, kindly intervene. (*Interruption*).

Please expung this. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : You can made it at some other time. You can raise it at some otther time. That is all. Not now.

شری بی ۔ نام گیال : الیکشن کمیشن نے میری کانسٹی چوئینسی میں رول کا استعمال کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔

SHRI ABDUL RASHID KABULI : Sir, it should be taken off the record.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. I have requested him not to mention it now.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : He is speaking irrelevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That I will consider.

(*Interruptions*)*

شری بی ۔ نام گیال : ڈیموکریسی خطرے میں ہے ۔ میری کانسٹی چوئینسی بارڈر پر ہے ۔ اس لئے دو ہوسٹل ایٹیمز چائنا اور پاکستان دونوں کو آج تک ہم نے فیس کیا ہے ۔ آج تک ہم نے ڈیموکریسی کی فاونڈیشن کو مضبوط کیا ہے ۔ ہم نے پاکستان کا نعرہ نہیں دیا ہے ۔ ان لوگوں کی طرح ہم نے اسلام کا نعرہ نہیں دیا ہے ۔ ہم نے پولیٹیکل اکنامک ایشوز پر لڑائی لڑی ہے ۔

SHRI ABDUL RASHID KABULI : Sir, the Government of India is trying to be friend China and Pakistan. But he is mentioning them as hostile countries and enemies. We have already started parleys with them for normalising relations. So, it does not took nice. Therefore, this portion should not go on record.

شری بی ۔ نام گیال : ۶۴ پولنگ اسٹیشن لیہ میں ہے اور ۱۸ پولنگ اسٹیشن کرگل میں ہیں جس کے رزلٹ کو فریز کر کے رکھا گیا ہے ۔ آپ کو یہ جاننا چاہئے اسمالیسٹ پولنگ اسٹیشن پر چار ووٹر رہتے ہیں جو کہ چائنا بارڈر پر ہے اور کہتے ہیں کہ ۱۰۰ پرسنٹ پولنگ ہوا ہے ۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے ۔ جب وہاں پر چار ووٹر ہیں ۔ ۔ ۔ (انٹرپشنز) ۔ ۔ ۔ ۶۵ پولنگ اسٹیشن

**Expunged as ordered by the Chair.

ایسے ہیں جہاں پر ۱۰۰ سے کم الیکٹوریٹس ہیں۔ ورکنگ سیزن ہے تو ۱۰۰ پرتی شت ووٹ پڑ سکتا ہے۔۔۔۔(انٹر رپشنز)۔۔۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فورم ہے۔ ۔۔۔۔(انٹر رپشنز)۔۔۔۔

SHIR V. SOBHANDREESWARA RAO : Sir, he could give a separte notice for this. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen to me. Please resume your seat. No. I will request the hon. Member to try to restrict his speech to the debate.

شری پی۔ نام گیال : ابھی رشید کابلی جی نے کشمیر میں ٹورسٹ کی بات کہی۔ وہاں پر بند کر کے رکھو گے اور ایجیٹیشن کرو گے تو وہاں تورسٹ کیسے جائے گا۔ مگرمچھ کی طرح آنسو بہا رہے ہو۔ نہیں چلے گی۔

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल : मैं जानता हूं यह इसके लिए उपयुक्त समय तथा स्थान नहीं है। मुझे ज्ञात है कि आपने यह मामला उठाया है। यही कारण है कि मुझे उत्तर देना पड़ रहा है। राष्ट्र को ज्ञात होना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते रहे हैं। अभी तक हम सीमाओं की रक्षा करते रहे हैं। हमने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है। हमारे लोग पूर्णतया सावधान हैं कि हमें इस तरफ मत डालना है या उस तरफ। यह आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको हार देखनी पड़ी है और मुझे कार्यवाही में बात को ठीक करने का हर अधिकार प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पी० नामग्याल : हम सच्चे भारतीय हैं।**...

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वे कहते हैं,...**...यह कैसे हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया है। मैंने आपको बैठने के लिए कहा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे बैठने का अनुरोध करता हूं। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : उन्होंने कहा है कि वह सच्चे भारतीय हैं तथा ** आप इस वाक्य को कार्यवाही-वृत्तान्त से अवश्य निकाले।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखने के पश्चात् उस पर विचार करूंगा ।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और यह अच्छा है । परन्तु उन्हें यह देखना होगा कि मूल्य-वृद्धि न हो । उन्हें इसे रोकना होगा । यह मेरा अनुरोध है ।

[हिन्दी]

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (हम्मीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त मंत्रालय को सम्भालते ही जिस प्रकार का बजट राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है उससे हर क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिला है । यह सत्य है कि हमारा देश बिना उद्योग और व्यापार के संसार के उन्नतशील देशों के साथ नहीं चल पा रहा है, इस दृष्टि से माननीय वित्त मंत्री जी ने उद्योगों को जो बढ़ावा दिया है वह बहुत उत्साहपूर्ण कदम है । इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आयेंगे और एक दिन हम भी विकासशील देशों के मुकाबले संसार में खड़े हो सकेंगे । इस वित्त विधेयक में इसी नीति को पूरी तरह से अपनाया गया है और व्यापार तथा उद्योगों को हर तरह से मदद देने की कोशिश की गई है ।

हमारे वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते हुए करों में कुछ छूट की घोषणा की है । यह बात सही है कि ये कर सुविधायें उन उद्योगों पर जनता के लिए लगीं जिनकी आबादी शायद एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि देश की 99 प्रतिशत आबादी इस तरह की छूट से वंचित है । यह छूट केवल इन एक प्रतिशत लोगों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है । हमारे यहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो तेजी आई है, यह बात सही है और जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा है, इस बजट के पेश करने से तेजी नहीं आई है, कुछ तेजी तो पहले से थी, लेकिन ज्यादातर तेजी काले धन के कारण है, ब्लैक-मार्केटियर्स के कारण है । आज हमारे विरोधी दलों के लोग और दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं कि महंगाई इन्हीं उद्योगपतियों के कारण है जिनको सरकार ने यह छूट दी है । इस तरह के प्रचार को रोकने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—यदि वे उचित समझें तो इस तरह की छूट को वापस ले लें क्योंकि इससे शासन की प्रतिष्ठा गिरती है । हम लोग जहां कहीं भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हम से पूछते हैं कि सरकार इन लोगो को बहुत ज्यादा प्रश्रय क्यों दे रही है और हम लोग उनके इन प्रश्नो का जवाब नहीं दे पा रहे हैं । हम जानते हैं कि यह सब झूठा प्रचार हो रहा है और मेरी राय भी यही है कि यह जो किया गया है व्यापार और उद्योगों को तरक्की देने के लिए किया गया है, फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आप इस छूट को न दें तो अच्छा है । आज जो 36 अरब का घाटा होने वाला है, इन आवश्यक वस्तुओं के करों के माफ करने से थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन प्रश्न घाटे को बढ़ाने या कम करने का नहीं है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बतलाना चाहता हूं—कारपोरेट सैक्टर में हम कम्पनियों से 251 करोड़ रुपया ले रहे हैं, उसमें छूट नहीं है, लेकिन जहां तक डायरैक्ट टैक्सेज का सवाल है उसमें कुछ छूट दी गई है, 4000 करोड़ रुपये की वसूली में 200 करोड़ रुपए की छूट है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह : मान्यवर, मेरी सिर्फ यही मंशा है कि जो झूठा प्रचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए घाटे में थोड़ा घाटा और सह लें, जैसे वह पूरा होगा वैसे ही यह भी पूरा

हो जाएगा । आज जो जीवन की आवश्यक वस्तुयें हैं उन पर जो कर बढ़ा है वह बहुत ज्यादा नहीं है उसको हटाने से जो घाटा बढ़ेगा उसको मुनासिब समझें तो दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है ।

कई हमारे माननीय सदस्यों ने, कई बातों पर प्रकाश डाला कि यह जो महंगाई है यह सिर्फ बिचौलियों या जो ब्लेक मार्किटियर्स हैं उनकी वजह से है । यह बात सही भी है ।

श्रीमन् यह बात भी सही है कि हमारी सरकार ने बहुत-सी स्कीमें गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाने के लिए बनाई है । उनसे गरीबी हटी है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों का प्रतिशत भी घटा है । लेकिन जितनी स्कीमें आपने बेरोजगारों के लिए बैंकों द्वारा मदद करने के लिए बनाई हैं, जैसा कि हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है, वे स्कीमें सरकारी अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के लिए वरदान हो गई हैं और उनसे कोई लाभ बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है ।

हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और वे मेरे क्षेत्र हमीरपुर को भी जानते हैं । उत्तर प्रदेश में शायद बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बुन्देलखण्ड में हमीरपुर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । वहां इलाहाबाद बैंक का जो मैनेजर है उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें भेजी गई हैं कि वह 20 परसेंट से कम नहीं लेता है । (व्यवधान)

श्रीमन् हमारे वित्त मंत्री जी बांदा से थे । अगर अब वे हमीरपुर को पसंद कर लें और वहां से आ जाएं तो शायद बांदा की तरफ हमीरपुर का भी विकास हो जाए । आजकल असंतुलित विकास हो रहा है । वहां ही विकास कार्यों पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है जो पहले ही विकसित हैं । इस तरह से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वे पिछड़ते हुए ही चले जाते हैं ।

इन सब बातों को कह कर मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कुछ और सदस्यों को बोलना है । उनको समय देने के लिए अगर आप सभी सहमत हों तो मेरा सुझाव है कि सभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाए.....

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, नहीं । कल ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमारे पास समय नहीं है । कल के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य हमारे पास है । अतः मैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट बोले । अगर प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट का समय लेगा तो हम आधे घंटे में चर्चा समाप्त कर सकते हैं ।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : समय कब तक बढ़ाया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े छः बजे के आसपास तक । मेरा सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध है और वे सिर्फ पांच-पांच मिनट ही बोलें । तभी हम लगभग आधे घंटे में समाप्त कर पायेंगे ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। कल मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें आज बोलने की अनुमति दे सकता हूं; हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : आधे घंटे का समय बढ़ाया जाना ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस पर सहमति है। श्री चिरंजीलाल शर्मा।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : शुरू में, मैं इस दुविधा में हूं तथा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या मैं अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद दूं या कि अपने दल का धन्यवाद करूं जिसने कृपा करके मेरा नाम आज के वक्ताओं की सूची में सम्मिलित किया है और वह भी केवल पांच मिनट के वास्ते। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोला। मैं रेल बजट पर नहीं बोला। मैं सामान्य बजट पर नहीं बोला। कल ही मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था। आज सूची में मेरा नाम 13वें नवम्बर पर था। खैर, मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं कुछ मुद्दे रखूंगा क्योंकि मेरे पास केवल पांच मिनट का समय है। मैं नहीं जानता कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह कह सकूंगा अथवा नहीं।

6.00 म०प०

एक घंटा पहले श्री जैनुल बशर बैंकों के कार्य निष्पादन पर बोल रहे थे। बीस सूत्री कार्यक्रम ने गरीबों तथा निचले स्तर के लोगों का, किसानों, श्रमिकों, हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति बदलने में काफी मदद की है। इस कार्यक्रम और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए बैंकों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्त मंत्रालय ने प्रावधान रखा है। धन की कोई कमी नहीं है। परन्तु क्या यह गरीब व्यक्ति तक ठीक से पहुंच रहा है? मैं निश्चित तौर पर जानता हूं और पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कार्यक्रम को लागू करने की सरकारी नीति को और विशेषकर जबकि कर्ज बांटने हो, पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। इसके लिए बैंक दोषी हैं। मान लो 5000 रुपये का ऋण मंजूर होता है तो कम-से-कम 500 रुपये कर्ज लेने वाले के कम हो जाते हैं। मैं इस बात पर पहले भी बोलता रहा हूं। यह कहा गया था--हमें ठोस शिकायत दीजिए। मैंने पत्र लिखे और आमतौर पर मुझे यह उत्तर मिलता है : शर्मा जी, मुझे आपका पत्र मिल गया है। मैं मामले की छानबीन करके आपको बाद में लिखूंगा। वह 'बाद' कभी नहीं आता। जांच करने वाले अधिकारी कौन हैं, किसे इन शिकायतों की जांच करनी होगी? जब एक गरीब आदमी ऋण लेने के लिए बैंकों के दरवाजे खटखटाता है तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला अधिकारी, उद्योग अधिकारी या एजेंसियां जो सिफारिश करने के लिए सक्षम हैं इन मामलों की सिफारिश करतीं हैं परन्तु फिर भी गरीब आदमी के लिए यह भाग-दौड़ बेकार सिद्ध होती है। सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को 25000 रुपये का अग्रिम ऋण देने का निर्णय लिया था और यह एक और मामला है जहां सरकारी नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से पूर्ण विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस पहलू पर ध्यान दें।

किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना रखते हुए सदन में आरोप नहीं लगाये जा रहे हैं। यह तो पूरी गंभीरता के साथ किया जाता है। अतः अगर सरकार काम करना चाहती है, अगर सरकार

अपनी नीतियों को लागू करना चाहती है, तो उसे यह देखना होगा कि ये बैंक अपनी स्थिति का अनुचित लाभ न उठायें । यह एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं ।

भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है । जब हम उपायुक्तों के पास इस मामले को जांच करने के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह बैंकों का काम है और वे उनके अधीन नहीं है । चूंकि समय कम है, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा । एक और बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है गेहूं की खरीद । मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूं । परन्तु वही बात दूसरे राज्यों पर भी लागू होती है । किसानों के प्रति भगवान की उदासीनता—सारी वर्षा ऋतु के दौरान एक बूंद पानी भी नहीं बरसा—इसके बावजूद हमारे यहां गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई है । बड़ी मात्रा में गेहूं मंडियों में लाया जा रहा है और संबंधित एजेंसियां चाहे वह भारतीय खाद्य निगम है या अन्य कोई विपणन बोर्ड उसे कई दिन तक नहीं खरीदती है । और अगर कहीं खरीद भी लिया तो मेरे पास एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों शिकायतें मेरे पास आयी हैं कि उन्हें मूल्य भुगतान शीघ्रता से नहीं किया जाता है बल्कि खरीद के 15 दिनों बाद इसकी कीमत दी जाती है । माननीय वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस शिकायत पर गौर करके इसे दूर करें क्योंकि किसान लोग हमारे पास आते हैं और हम मंडियों में जाते हैं या हम गांवों में जाते हैं और वे कहते हैं; सरकार हमारा गेहूं ले जाती हैं । हमें पैसा नहीं मिलता । हमें मंडियों में कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ता है ।

इसके बाद महोदय, मैं वित्त मंत्री को फसल बीमा योजना को पहली बार लागू करने के लिए बधाई देता हूं । हम इसका स्वप्न देख रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र ही आने वाले समय में यह वास्तविकता में बदल जायेगा ।

अब, मैं रेलों के बारे में बात करूंगा । मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखें हैं और आमतौर पर मुझे उत्तर मिलता है : शर्मा जी, मुझे खेद है । हमारे पास धन नहीं है । महोदय, हरियाणा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रोहतक से भिवानी तक की एक रेल लाइन के अतिरिक्त कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछायी गई है । हम चाहते हैं कि झज्जर जैसे क्षेत्रों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये ।

अब मैं उत्तर रेलवे में करनाल और कुरुक्षेत्र में उपरि-सड़क पुलों के बारे में बात करूंगा । ये परियोजनाएं, जो दो वर्ष से भी पहले स्वीकृत की गई थी धन की बजह से अधूरी पड़ी हैं ।

विश्व बैंक द्वारा शेरशाहसूरी मार्ग (जी० टी० रोड) को मुरथल से करनाल तक चार लेन वाली सड़क बनाने के लिए 53 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । इसका निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए । मैंने पी० डब्ल्यू० डी० अधिकारियों से पूछा था क्योंकि इस कार्य को उनके द्वारा किया जाना है । यह विभाग मेरे पास पांच वर्षों तक रहा जब मैं हरियाणा में था । जब मैंने उनसे पूछा कि काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कि निविदायें मंगाई जानी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए । मैंने अगले वक्ता का नाम पुकारा है ।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : एक कहावत बता देना चाहता हूं : 'वख्त कोता किस्सा तूलानी'...

[अनुवाद]

महोदय, बहुत कुछ कहना बाकी है। यदि आप मुझे पांच मिनट का समय और दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : ठीक है, फिर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था दोनों विकासशील है। निश्चय ही, कर लगाए बिना सरकार चलाना बहुत कठिन है किंतु हमें कर किन पर लगाना चाहिए ? प्रश्न यह है। यदि इन कराधान प्रस्तावों का निर्धनों पर कोई असर नहीं पड़ा होता तो मैंने निश्चय ही विपक्षी सदस्य होने के बावजूद इस बजट का स्वागत किया होता।

महोदय, सत्तारूढ़ दल के लगभग सभी सदस्यों ने बजट प्रस्तावों का आम जनता पर और विशेषकर निर्धनों पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र किया है। कुछ समय पूर्व मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर में किए गए सर्वेक्षण का जिक्र सदन में किया था। मैंने एक-दो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का सर्वेक्षण किया था और उनके बजट में 100 रुपए प्रति माह की वृद्धि हुई है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। मैं समाज के साधन संपन्न वर्गों के बारे में भी चिंतित नहीं हूं। जब एक सदस्य ने यह कहा कि इससे कोई वृद्धि नहीं हुई है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह स्पष्ट है कि वृद्धि हुई है और आपके बजट के अतिरिक्त रेलवे बजट से, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, और दुग्धशालाओं ने अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है। अतः महोदय, वास्तव में इसका गरीब लोगों पर असर पड़ा है। यदि इसका निर्धन वर्गों पर असर नहीं हुआ होता, तो मैंने भी इसका स्वागत किया होता। जब आपने बजट प्रस्तुत किया था तो मेरा विश्वास था कि इससे मुद्रास्फीति नहीं होगी किन्तु पहले ही से यहां मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जब कभी मुद्रास्फीति होती है और निर्वाह-खर्च बढ़ता है केन्द्र सरकार अतिरिक्त महंगाई भत्ता जारी कर देती है लेकिन राज्यों में क्या किया जाता है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पिछले वर्ष, कर्नाटक राज्य में, हमने अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन हमें लगभग 72 करोड़ रुपए वितरित करने पड़े। इसका कारण यह था कि केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी थी इसलिए हमें भी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। राज्य सरकारों की आय के साधन क्या हैं ? उनके संसाधन बहुत सीमित हैं। मेरा वित्त मंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि जब आप अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देते हैं तो आपको राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेना चाहिए। आपको उनसे परामर्श करना चाहिए और उसके बाद इस बारे में निर्णय करना चाहिए। इस संबंध में आपको एक समान नीति बनानी चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के अन्तरण के बारे में है। कई माननीय सदस्य इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं। वित्त आयोग ने उन राज्यों के साथ अन्याय किया है जिन्हें अधिक राजस्व मिलता है। यह अन्याय केवल वर्तमान वित्त आयोग ने ही नहीं किया अपितु पहले के वित्त आयोग द्वारा भी ऐसा किया गया है। धन का अन्तरण राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए, केवल खाना पूरी नही होनी चाहिए, जैसा कि किया जा रहा है। संघ सरकार की

कार्यवाही अनैतिक और असंवैधानिक है क्योंकि इसने वित्त आयोग की सिफारिशों को 1 मई, 1985 से कार्यान्वित कर राज्यों को उन संसाधनों के 1/5वें भाग से वंचित कर दिया है। कर्नाटक और केरल राज्य ऐसे हैं जिन्हें ओवरड्राफ्ट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं इस सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं वह राज्यों में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में हैं। आंध्र प्रदेश के मेरे मित्र अपने राज्य की अकाल की स्थिति की शिकायत कर रहे थे। केन्द्र सरकार को अकालग्रस्त राज्यों को उदारता से वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, यह राज्य अकाल सहायता के रूप में पहले ही 115 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। कर्नाटक राज्य ने केन्द्र सरकार से 250 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल 42 करोड़ रुपए दिए है। अतः उनके द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता उन्हें दी ही जानी चाहिए।

अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री को यह सुझाव दूंगा कि वह कर प्रशासन विभाग में सुधार लाएं। घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। श्री शर्मा जी ने भी इसका जिक्र किया था। आपको प्रशासन में सुधार करना चाहिए। हम एक साथ बैठकर यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मेरे पास जो सुझाव हैं मैं बताऊंगा। मैं पिछले 16 वर्ष तक विधान सभा का सदस्य रहा हूं और आय-कर दाता भी हूं। लेकिन मैं आय-कर विवरणीय स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि वे बहुत जटिल हैं। चार्टर्ड-एकाउंटेंट की सहायता के बिना आय विवरणी नहीं भेज सकते। अतः इन बातों को सरल बनाया जाना चाहिए। आम आदमी को छोड़िए शिक्षित व्यक्ति भी फार्म स्वयं नहीं भर सकता और न ही इन कर-नियमों को समझ सकता है। इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अगले सत्र में कर सम्बन्धी कानून को सरल बनाने के बारे में संशोधन लाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा): सभापति महोदय, मैं इस फायनेंस बिल का समर्थन करता हूं और खासकर इस बिल में जो फसल बीमा योजना लागू की गई है, उसका स्वागत करता हूं। 1985-86 के इस बजट में कुछ टैक्स लगने से, देश की जनता ने इसको प्रो-रिच बजट कहा है। मैं यह समझता हूं कि इसका मोटे तौर पर कारण यह है कि इसमें बड़े वर्ग के आदमियों के लिए ज्यादा रियायतें दी गई हैं और गरीब तथा पिछड़े वर्ग को भी इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं और जितनी भी ये रियायतें दी गई हैं, ये सब तेजी से और असाधारण रूप से जो कीमतें बढ़ी हैं, वे सब उससे बराबर हो जाती हैं।

बजट का ज्यादा असर पेट्रोलियम पदार्थों पर ड्यूटी बढ़ाने से हुआ है। इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रयोग छोटे व मध्यम क्लास के लोगों में बहुत ही सीमित ढंग से होता है और जो कुछ भी इसका मिस-यूज होता है वह सरकारी दफ्तरों, सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों में ज्यादा होता है। इसलिए अगर इस ड्यूटी को बढ़ाने का यह आशय है कि इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पर रोक लगेगी या कम होगा, तो मैं समझता हूं कि यह बात कतई सही नहीं हो पाएगी। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मिसयूज ज्यादातर सरकारी दफ्तरों, सरकारी कारखानों और गैर-सरकारी कम्पनियों में होता है। जितना पेट्रोल पहले लगता था, जितना डीजल पहले लगता था,

उतना ही अब लगता रहेगा। आपने 30 हजार रुपए की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को इस बजट से 680 रुपए का सालाना फायदा पहुंचाया है। स्कूटर फ्यूल, गैस व अन्य सामान की कीमतें बढ़ने से यह फायदा न केवल बराबर हो गया है, बल्कि उसका खर्चा और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए यह आवश्यक था कि टैक्स की लिमिट 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार आपको करनी चाहिए थी।

कल आपने अपने स्टेटमैंट में फरमाया कि 1 लाख तक के वालेन्टरी रिटर्न के एसेसमैंट को मिनिमम फार्मेलिटीज के साथ पूरा कर दिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी अफसर को अगर आपने इतनासा भी इख्तियार दे दिया तो मिनिमम फार्मेलिटीज इतना बेग वर्ड है कि वह 25 बार उसकी पेशी करा लेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वालेन्टरी रिटर्न को बिलकुल वैसे का वैसा ही मान लिया जाए जब तक उसकी शिकायत न हो। इससे क्या होगा कि सरकारी मशीनरी, इनकम टैक्स डिपार्टमैंट का जो वक्त एसेसमैंट में बीतता है वह जांच करने में लगेगा। अगर किसी के बारे में शिकायत होगी कि वह झूठा है तो उसकी जांच वह आसानी से कर सकेगा। इनकम टैक्स वालों का ज्यादा वक्त जांच में नहीं जाएगा। एक लाख रुपए तक की रिर्टन को बिना किसी फार्मेलिटी के ज्यों का त्यों एक्सैप्ट करने का प्रावधान आप अवश्य करें।

एक लाख की कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम पर आपको टैक्स लगाना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि इस आड़ में बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने सैकड़ों बीघा जमीन ले रखी है जो पड़त पड़ी है, जिस पर कृषि का कोई कार्य नहीं हो रहा है और उस पर वह लाखों करोड़ों की आय बताकर अपनी ब्लेक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं और उस व्हाइट का भी वह इन्वैस्टमैंट नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं ?

जिस प्रकार से आपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को 3 साल के लिए कर दिया है, मैं उसका पुरजोर स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकारी बजट को भी आप 3 साल का करके देखिए। इससे बड़े उद्योगों में, व्यवसाय में, दैनिक जीवन में हर आदमी को स्थायी तौर पर अपनी आर्थिक नीति बनाने में मदद मिलेगी।

इनकम टैक्स रिडक्शन एट सोर्स आन इन्टरेस्ट लिमिट जो आपने 1,000 रुपये रखी है, उसको आप कृपया 2,500 रुपये तक बढ़ायें, इससे व्यक्तिगत बजट और नियोजन का बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा।

नान-रैजीडेंट्स आज भी अरबों करोड़ों रुपया आपके नेशनलाइज्ड बैंक में जमा कराने के लिए तैयार हैं लेकिन न जाने क्या कारण है कि ख्वामाख्वाह आर० बी० आई० ने एस० बी० आई० पर रोक लगा रखी है कि वह बैंक गारन्टी न दे ? अगर कोई अपना पैसा जमा कराता है तो बैंक गारन्टी देने में आपत्ति क्या है ? इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और नियोजन का रास्ता बन्द हो रहा है।

पब्लिक सैक्टर में आज 60 करोड़ रुपए का इन्वैस्टमैंट है अगर इसका 5 परसैंट भी रिटर्न मिल जाए तो 3 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमें मिल सकता है। इसका प्रबन्ध सुधारने में जबर्दस्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पावर और कम्युनिकेशन को प्राइवेट सैक्टर में दे दिया जाए और इस पर अविलम्ब विचार किया जाना चाहिए।

औद्योगिक उत्पादन की दर को बढ़ाकर 8 परसैंट प्रतिवर्ष हमें ले जाना होगा। इसलिए औद्योगिक नीति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाइये और औद्योगिक नीति को उदार बनाइये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कीमतों पर काबू पाने के लिए खुदरा छोटी से छोटी चीज जो बाजार में बिकती है, उसके छोटे-पैकट बन्द कीजिए और उस पर रिटेल प्राइस जरूर लिखिए ताकि ग्रामीण आदमी और कम समझदार आदमी कहीं ठगा न जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाकर आप कीमतों पर काबू पा सकते हैं, आज कीमतें आसमान छूती जा रही हैं।

अन्त में वित्त मन्त्री को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे दिए गए सुझावों को आप जरूर मद्देनजर रखेंगे।

श्री भरतसिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारी वित्त मंत्री महोदय, प्रधान जी के आदेश से एक ऐसा बिल लाये हैं फाइनेन्स का जिससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी और समाजवाद के लिये यह अच्छा साबित होगा।

मैं वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इस साल फसल बीमा शुरू किया, उसमें किसानों को बहुत मदद मिलेगी। वैसे दिल्ली में रूरल डेवलपमेंट कारपोरेशन काफी दिनों से बना है, परन्तु वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके लागू हो जाने से देहात का और ज्यादा फायदा हो सकता है और विकास और तरक्की हो सकती है।

आजकल आप जानते हैं कि बिजली के बिना कई काम देहात में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज बिजली के बगैर ट्यूब-वैल नहीं चलता, बिजली के बगैर फसल नहीं उठती, इसलिये बिजली को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।

एक थर्मल पावर हाऊस बदरपुर में लगा है, वहां बिजली बहुत कम बनती है; लेकिन देहात में जब हवा चलती है तो उसका कोयला उड़कर रसोई तक पहुंचता है, छतों पर इकट्ठा हो जाता है, इसलिये आप कारपोरेशन के महकमे को दिल्ली में दे दें तो अच्छी तरह से वह बिजली ज्यादा करेंगे। इसी तरह इन्द्रप्रस्थ में काफी ज्यादा बिजली बनती है, वहां हम ज्यादा बिजली बना सकते हैं।

आज जमीन को एक्वायर करके मुआवजा बहुत कम मिलता है। इसमें कुछ ज्यादा मुआवजा बढ़ायें जिससे किसानों को उस जमीन की पूरी कीमत मिल जाये। इसके अलावा जो रिहाइशी प्लाट देते हैं वह बहुत से किसानों को नहीं मिलते और बहुतों को मिल भी जाते हैं। देहात में अनपढ़ किसान हैं, वह कहते हैं कि हमें प्लाट नहीं मिला, हमें प्लाट दिया जाये, इस पर अधिकारी लोग कहते हैं दुबारा दरख्वास्त क्यों दी, इसलिये ढाई तीन सौ प्लाट दिल्ली के देहात में किसानों को मिल जाने चाहियें।

अनाज और सब्जी की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी सरकार ने जोर लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन से बैंक नेशनलाइज हुए हैं, काफी तरह के लोन दिये, जिससे अनाज और सब्जी की पैदावार बढ़ी। आज हमारे दिल्ली देहात में बहुत अच्छी उपज की जमीन है और

वह 14 गांवों के बीच से निकलती है, जिसमें सिंचाई और पैदावार बिल्कुल कम हो जायेंगी, या खत्म ही हो जायेगी। 800 फुट चौड़ी वहां ड्रेन निकाल रहे हैं जिससे सिंचाई नहीं की जा सकती है, किसान अपने खेत में नहीं जा सकता है। 40 फुट गहरी आप उसको खोद रहे हैं, इससे बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी, इसलिये सप्लीमेंटरी ड्रेन में जो करोड़ों रुपये खर्च होंगे, उसको और दूसरे डेवलपमेंट में लगाया जाये, जिससे कि उन किसानों का हर तरह से फायदा हो और खेती की उपज भी बढ़ सके।

आज बेरोजगारी का काफी मसला चल रहा है। जो लड़का 10वीं कक्षा पास करता है, या कालेज से ग्रेजुएट होकर निकलता है, वह सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी ही ढूंढ़ता है। वह उधर ध्यान नहीं करता है कि हमें ऐसा रोजगार करना चाहिए जिससे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिये हर स्कूल में जहां जितने भी लड़के आयें चाहे 8वीं कक्षा पढ़े या 10वीं पढ़े, उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसको स्कूल से निकलने के बाद अपना कारोबार करना चाहिए। आज सरकार की तरफ से मदद तो मिलती है, लेकिन बहुत कम ऐसे रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिवाय पढ़ाई के और कुछ सिखाया ही नहीं जाता। जिस तरह दिल्ली में डी० आर० डी० ए० का महकमा दिल्ली में है, उसमें थ्री व्हिलर स्कूटर देते हैं, भैंस के लिए लोन देते हैं, इसलिए उसमें भी ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाये, जिससे बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिल सके। खादी ग्रामोद्योग का 60 लाख रुपया दिल्ली में इन्हीं काम करने वालों के लिये, चाहे चमड़े का जूता बनाता हो, चाहे लकड़ी का काम करता हो, चाहे लोहार का काम करता हो, दिया जाता है। इसलिये जो लड़के ट्रेनिंग लेते हों, उनकी हर तरह से बेरोजगारी हल करनी चाहिए।

आज पुनर्वास कालोनियों में स्कूलों की बिल्डिंगें नहीं हैं, सफाई का काम नहीं हो रहा है, जितनी भी पुनर्वास कालोनियां हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाये, जिससे उनकी सारी तकलीफें, स्कूल की बिल्डिंगों की; सफाई की और पार्क की, दूर हो सकें।

आजकल आप जानते हैं कि इतनी गन्दगी फैली है कि जगह-जगह गंदे नाले हैं, जगह-जगह मच्छरों की इतनी भरमार है कि किसान जो दिन को काम करता है, वह रात को सो नहीं पाता है। बहुत बीमार पड़ गए हैं। मलेरिया को रोकने के लिए आपको सोचना चाहिए। मच्छर को मारने की दवाइयों को छिड़कने का इन्तजाम आपको करना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह से अपनी सेहत ठीक रख सकें।

हर गांव में चकबन्दी हुई है। इन कन्सोलिडेशन में जो जमीनें मिली हैं, उनमें किसानों को, भूमिहीनों को पावर मंजूर नहीं करते हैं। सन् 1985 से पहले मंजूर थी, जो लोग छोटे-छोटे धन्धे करते थे, जिन्होंने छोटे-छोटे कारखाने लगा रखे थे, पावर न मिलने की वजह से सब बन्द पड़े हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि डेसू की ओर पावर दिए जाने का आपको प्रबन्ध करना चाहिए। हर गांव में सरकार की तरफ से मदद दी गई है। लेकिन वह एक हैक्टेयर में दी है, मैं चाहता हूं कि दो हैक्टेयर के बीच के किसान को इसमें लिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़े।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा बिल है। इसमें गरीब लोगों की मदद के लिए काफी सहायता दी गई है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के इतिहास को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जनता में यही आवाज है कि हर तरह से हमारे नए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को सब का ख्याल है। हर तरह वे भारत की तरक्की करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि पंडित जवाहर लाल

नेहरू जब प्रधान मंत्री बने थे, तो उन्होंने बहुत लम्बा सोचा था कि भाखड़ा डैम का निर्माण होगा तो काफी पैदावार बढ़ेगी । खेती की पैदावार बढ़ेगी । पहले हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी, अब 80 करोड़ के लगभग हो गई है, पहले हम अनाज बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब हमारे यहां अनाज की पैदावार हो रही है । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है और जब वह उसको मंडी में ले जाता है, तो किसान को उचित भाव नहीं मिलता है । सरकार ने गेहूं का भाव 157 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किया है, लेकिन किसान को मंडी में 149 रु० प्रति क्विंटल मिल रहा है । मैं चाहता हूं एफ० सी० आई० के सैन्टर ज्यादा से ज्यादा मंडियों में होने चाहिए, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल सके । एग्रीकल्चर परचेज मार्केटिंग कमेटी में इतना रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन जब किसान की फसल में कीड़ा लग जाता है या मंडियों में अनाज ले जाने के लिए सड़क का इन्तजाम नहीं होता है, तो इस दिशा में इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहिए ।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत राहत दी हैं । खाद पर उन्होंने सब्सिडी दी है, जिससे किसानों में बहुत उत्साह पैदा हुआ है । बहुत सी बातों की ओर सदन के माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन मैं चन्द बातों की ओर, जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हमारे यहां सबसे अधिक पैदा आलू और सेब की है और दूसरी सब्जियां पैदा होती हैं । लेकिन इनकी मार्केटिंग का ठीक इन्तजाम नहीं है । इससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है । कम से कम आजादपुर मार्केट में किसानों को ठीक भाव मिलने चाहिए । लेकिन वहां होता यह है कि बीच के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रौफिट कमाते हैं और किसानों को उनकी उपज का ठीक भाव नहीं मिलता है । इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक टैक्स का सवाल है, बड़े-बड़े बिजनेसमैन सरकार के टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं । वह पैसा अभी तक आपका वसूल नहीं हुआ है । इसलिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाकर जल्दी से जल्दी पैसा वसूल करने की ओर ध्यान देना चाहिए । जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी टैक्स की चोरी करने पर सजा मिल सके । आपने फसल बीमा योजना शुरू की है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की फसल ज्यादा होती है, इसलिए आपको वहां ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाने चाहिए । क्योंकि हमारे किसान अब सेब दिल्ली भेजते हैं तो तबाह हो जाते हैं, उनको अधिक से अधिक भाड़ा देना पड़ता है । मैं यह भी चाहता हूं कि चाहे यू० पी० का पहाड़ी क्षेत्र हो या हिमाचल का पहाड़ी क्षेत्र हो, जो भी राज्य एपल-स्टेट के नाम से जाना जाता है वहां पर फल और सब्जियों के लिये बीमा योजना तुरन्त लागू की जानी चाहिये ।

हमारे यहां बड़े-बड़े दरिया हैं जिनमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है । जब अधिक बारिश होती है तो उनसे जो मिट्टी बह कर आती है उससे पंजाब और हरियाणा में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके रोकने के लिए चैक डैम के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके ।

पहाड़ी क्षेत्र में पन-बिजली योजनायें बनाने के लिए अधिक मात्रा में पैसा दिया जाना चाहिये ताकि बिजली की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके।

हमारे यहां उद्योग बहुत कम तादाद में लगे हैं और जितने लगे हैं वे सब सीमा-क्षेत्र में लगे हैं। यू० पी० में अगर कोई कारखाना लगना है तो कोटद्वार के नीचे लगता है, पिथौरागढ़ में कोई कारखाना नहीं लगाया जाता है। इसी तरह हिमाचल में कोई कारखाना लगता है तो पंजाब और यू० पी० के बार्डर पर लगता है लेकिन बीच में कहीं कोई कारखाना नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा आप तमाम क्षेत्रों की आर्थिक दशा को सुधारना चाहते हैं तो जो हमारे बीच के क्षेत्र हैं जहां कोई कारखाना नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है, जहां असली पहाड़ी लोग बसते हैं, वहां पर नये कारखाने खोलने की ज्यादा कोशिश करें।

हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को कोई सरकारी कर्मचारी यहां से जाना नहीं चाहता है। जैसा अभी नामग्याल जी ने कहा—अगर किसी को जाना पड़ता है तो ऐसे जाता है जैसे उसको सजा दी गई हो या पनिशमेन्ट दी जा रही हो। पहाड़ों में जा कर वे काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को वहां भेजा जाय उनको पहाड़ी क्षेत्र का भत्ता दिया जाय, इससे उनको सन्तोष होगा और साथ ही वे अपनी गुजर कर सकेंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में बैंक ज्यादा से ज्यादा खोले जाने चाहिए। हम देखते हैं कि जहां शहर होते हैं वहां बैंक की शाखायें खुल जाती हैं लेकिन जहां उनकी जरूरत है वहां नहीं खुलते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बैंक की शाखायें खोलने की व्यवस्था करें।

मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं—जो कर्मचारी यहां से जाते हैं उनको हिल एलाउन्स नहीं मिलता है, जबकि यह हिमाचल से सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को हिल एलाउन्स देती हैं उसी तरह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए।

आप ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इसके लिये मैं आपको खास तौर से कम्प्लीमेन्ट करता हूं। और इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कन्सेशन्ज दिये हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, खास कर उन्होंने जो पब्लिक सैक्टर में बिजली और संचार के सिलसिले में घोषणा की है उसका स्वागत करता हूं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 हजार मैगावाट बिजली के उत्पादन करने का लक्ष्य था। जब बीच में प्लानिंग कमीशन ने पूर्व-मूल्यांकन किया तो संसाधनों की कमी के कारण उसको साढ़े चौदह हजार मैगावाट करना पड़ा। श्रीमन्, बिजली के बगैर कोई विकास नहीं हो सकता, इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी को उनकी घोषणा के लिये फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

लैंड रिफार्म्ज के बारे में देश में बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है। हमारे समाजवादी कार्यक्रम का यह पुराना अंग है, लेकिन किसी भी राज्य ने इसको अभी तक पूरा नहीं किया। अभी तक सीलिंग में जो भूमि ग्राम पंचायतों में निकली थी वह भी पूरी नहीं बट सकी है। जब आप उत्तर

प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो आपने इसके लिए बड़े कठोर कानून बनाये थे। तब भी उनका पालन नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाए जिससे कि उनके बारे में मुकद्मेबाजी न चल पाए।

इस बजट को मंहगाई के लिए बहुत दोषी ठहराया गया। यह बात सही है कि जिन परिस्थितियों में यह बजट लाया गया उनसे कुछ इधर-उधर मंहगाई हुई होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंता कि हमारा जो 1956 का इंडस्ट्रियल प्रस्ताव था जिसको कि पंडित जी के समय में यहां लाया गया था उसके विपरीत यह बजट नहीं है। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है और उसी के अनुरूप और समय के तकाजे के अनुसार इस बजट में व्यावहारिक रुख अपनाया गया है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी ए० आई० सी० सी० में बड़े विस्तार के साथ सारी बातों को स्पष्ट किया। लेकिन हमारे विरोध पक्ष के लोग जनमानस को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मत्री जी ने इस बजट के बारे में जो कुछ कहा उससे हमें संतोष है। मैं चाहता हूं कि उन सब बातों को ब्लाक स्तर तक देश में प्रचारित किया जाए और छपवा कर वहा भेजा जाए जिससे कि लोगों में फैलाई जा रही गलत धारणा कि यह दक्षिणपंथी बजट है, यह सोशलिस्ट बजट नहीं है, दूर हो। हमारा जो मिक्सड इकोनोमी का लक्ष्य है और बेरोजगारी को दूर करने का उद्देश्य है वे सारी बातें हमें गांव-गांव तक जनमानस में क्लीयर कर देनी चाहिए।

हमने सन् 1980 में फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट पास किया था। उसके बाद से हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों में सड़कों के निर्माण, बांधों के निर्माण और बिजली ले जाने के काम ठप्प हो गये हैं। इस एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने पहाड़ी, ट्राइबल, ड्राट प्रोन, फ्लड एरिया, डेजर्ट एरिया, कोस्टल स्लाईन एरियाज को आईडेन्टिफाई किया है। हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री जी ने डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के लिए एक 12 सूत्री कार्यक्रम सभी प्रदेशों को भेजा था। आप सभी राज्यों को यहां से निदेश भेजें कि उस 12 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार वे कड़ाई से काम करें।

इस मंहगाई के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैंने पिछले सात साल के आंकड़े देखे हैं। मंहगाई का एक फेक्टर सीजनल है। दूसरा फेक्टर जो बजट से एक-दो परसेंट कीमतें बढ़ी हैं उसको हमारे वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। लेकिन देश में ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं जिनका कि कोई आधार नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मंहगाई बढ़ी है वह दो-तीन महीनों में आहिस्ता-आहिस्ता गिरावट की ओर आयेगी। हमारी जो महानगरियां बम्बई और दिल्ली हैं इनमें अगर चीजें आ जाती हैं तो भाव गिर जाते हैं, अगर चीजें कम आती हैं तो भाव बढ़ जाते हैं। मैंने स्वयं वेजीटेबल मार्केट में जा कर देखा है कि सब्जियों के जो दाम बढ़े थे अब वे नीचे आने लगे हैं क्योंकि जिन चीजों का उत्पादन बढ़ता है और बाजार में आने लगती हैं तो चीजें काफी सस्ती हो जाती हैं। मेरा विश्वास है कि मंहगाई भ्रम फैला कर जो हमारे विरोधी दल के लोग लाभ उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा पायेंगे क्योंकि यह बजट निश्चित तौर पर एक संतुलित बजट है। अगर इस बजट का ठीक से क्रियान्वयन हुआ तो निश्चित तौर से हमें अपनी सातवीं योजना के लिए एक अच्छा आधार प्राप्त हो जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री जी आप इस बात को भी देखें और कोई ऐसी मशीनरी बनावें कि जो

पैसा आप राज्यों को दें उसका दुरुपयोग न होने पावे । खास तौर पर ओवरड्राफ्ट की बात है जो कि मैंने पिछली बार भी कही थी कि जो राज्य अनुशासित नहीं हैं उनको अनुशासित किया जाए। हमारा उत्तर प्रदेश 1982-83 में भयंकर सूखे और ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को सात सौ करोड़ रुपया इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए दिया था लेकिन उत्तर प्रदेश को उसमें से कुछ नहीं मिला और उसे अपने ही संसाधनों से उस आपदा का सामना करना पड़ा था। अगर आप राज्यों के ओवरड्राफ्टों को कर्ज में कंवर्ट नहीं करेंगे तो आपको सातवी योजना के लिए संसाधन प्राप्त नहीं होंगे और आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सेन्ट्रल सबसिडी न होने के कारण, सेंट्रल उद्योग न होने के कारण ऐसा हो रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन राज्यों की ओर ध्यान देते हुए, उनको बैकवर्डनेस का ध्यान रखते हुए आप निश्चित रूप से काम करेंगे, इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री रामनगीना मिश्र (सलमपुर) : मान्यवर मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आखिरी वक्त में हमको भी कुछ कहने का अवसर आपने दिया। यहां पर बहुत से विद्वान अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं शुद्ध देहात का रहने वाला हूं, इसलिए देहात की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं देहात में गया था। मैं समाजवादी रहा हूं और हमारी सरकार भी समाजवादी है और समाजवादी हमारा बजट भी है। हमसे गांव के लोगों ने पूछा कि मिट्टी का तेल कैसे मंहगा हो गया। हम लोग गांव में रहते हैं और वहां पर बिजली नहीं है। हम लोग जिस चिराग को जलाते हैं, उसको ढिबरी कहते हैं, लालटेन जलाते हैं, उसमें भी मिट्टी का तेल डलता है। गांव वाले हमको कहते हैं कि यह कैसा आपका बजट है हमको मिट्टी का तेल नहीं रहा है, हमारे घर में उजाला नहीं है, बिजली की बात तो छोड़ दीजिए। तो गांव में जो गरीब बसता है, उसको बिजली की जरूरत नहीं है और न ही उसको बिजली मिलने वाली है, रात के वक्त चिराग जलाने के लिए जो मिट्टी का तेल है, वह किस समाजवादी बजट के तहत मंहगा हो गया है।

दूसरी बात मैं नमक के बारे में कहना चाहता हूं, जिस आंदोलन को गांधीजी ने चलाया "नमक आंदोलन", मान्यवर, क्या मैं समझाऊं गांव वालों को, यहां कोई मुझे समझा दे तो मैं उनको समझाऊं, वे कहते हैं कि नमक जो गरीब खाता है वह भी उसको डेढ़ रुपया और दो रुपया किलो खरीदना पड़ रहा है। क्या यही हमारा समाजवादी बजट है। गांव का रहने वाला किसान मिट्टी का तेल न पाए, सबसे मंहगा उसको नमक मिले, इन दो चीजों को देखकर मुझे विश्वास नहीं होता और लगता है कि कहीं हमारी पालिसी गलत तो नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसे योग्य प्रशासक के हाथ में हुकूमत की बागडोर है और यह बजट भी समाजवादी है, तो क्या गांव वाले आशा करें कि उनको सस्ता नमक और ढिबरी जलाने के लिए मिट्टी का तेल सही कीमत पर मिल सकेगा।

मान्यवर, मैंने यह सुना है कि समाजवादी बजट में सर्वसाधारण को विशेष सुविधा मिलती है। हमारे यहां क्या सुविधा मिली है? करोड़ों रुपया हम बड़े-बड़े लोगों को 8 परसेंट या 10 परसेंट पर लोन के रूप में देते हैं और गांव में रहने वाले किसान को जानते हैं कितने परसेंट पर लोन मिलता है – 19 परसेंट के हिसाब से। कैपिटलिस्ट्स को करोड़ों रुपया 8, 10 परसेंट पर लोन मिलता है और खाद खरीदने के लिए 19 परसेंट पर, कितनी गलत बात है। इसके अलावा क्या होता है, अगर दो साल में लोन वापिस नहीं किया गया है तो किसान को सीखचों में बंद कर दिया

जाता है और इतना ही नहीं, 19 परसेंट के बाद 5-7 परसेंट और लगेगा, 25 परसेंट तक वसूल होता है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गांव का किसान कहां से लोन पाता है? उसको लोन मिलने के दो ही साधन हैं, कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से और दूसरा गन्ना सोसायटी के माध्यम से उसको खाद खरीदने के लिए लोन मिलता है। आप पता करके देख लीजिए और पता कर लीजिए कि उनका इंटरेस्ट कितना है। अखबार में मोटे-मोटे शब्दों में निकलता है कि फलां तारीख तक रुपया जमा नहीं किया गया तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस समाजवादी बजट में किसी मिल मालिक के खिलाफ ऐसा किया गया है, आज तक उसकी मिल को नीलाम किया गया। कभी ऐसा हुआ है कि अगर वह सरकारी बकाया नहीं देता है तो उसकी मिल को नीलाम कर दिया जाएगा, आश्चर्य होता है। मिसाल के तौर पर अरबों रुपया उत्तर प्रदेश में किसानों का मिल-मालिकों पर बकाया था, उसका इंट्रेस्ट तो दूर रहा, [illegible] मैंने काफी मेहनत-मशक्कत के बाद मिले हैं, उसके लिए मैं आपको कोटिश: धन्यवाद देता हूं। उस [illegible] काया से क्या होता है कि उसका घर नीलाम हो जाता है और उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। क्या उस करोड़ों रुपए का इंट्रेस्ट किसानों को नहीं मिलना चाहिए। उसने गन्ना बेचा, अपना सब कुछ दिया, साल-डेढ़ साल के बाद उसको मूल्य मिल रहा है, वह भी ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो हमको उसका इंट्रेस्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए। किसान का अरबों रुपया मिल-मालिक के पास रहता है, लेकिन उसका ब्याज नहीं दिया जाता और किसान को पैसा समय पर न मिलने से उस पर ऐसे-ऐसे जुल्म होते हैं, उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। मैं तो अपने मन की व्यव व्यथा कह रहा हूं।...(**व्यवधान**) हमारे मंत्री जी योग्य प्रशासक हैं और विशेषज्ञ भी हैं। यह जानकर खुशी हुई कि पान मसाले पर से टैक्स माफ कर दिया। उसी तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका ही नहीं समूचे दल का देश में यश फैलेगा अगर आप नमक और मिट्टी के तेल के दाम कम कर दें।...(**व्यवधान**)

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : आपको यह सूचना होगी कि नमक पर कोई टैक्स नहीं लगता।

श्री राम नगीना मिश्र : लेकिन किस वजह से मंहगा है। आप राजा हैं और मालिक हैं। जिसके नाम पर देश आजाद हुआ है; उस किसान को आज नमक सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है।

(**व्यवधान**)

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : कितना बढ़ा है।

श्री राम नगीना मिश्र : डेढ़-दो रुपए मिल रहा है। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की चीनी मिलें हैं। अपने विभाग के लोगों से लिखवा लीजिए, अगर यही रवैया रहा तो उत्तर भारत की सारी चीनी मिलें बैठ जायेंगी चाहे वह प्राईवेट या पबलिक सैक्टर में हों। कोई भी चीनी मिल ऐसी नहीं है जिस पर 10-12 करोड़ रुपया बकाया न हो। कानपुर शुगर वर्क्स की हालत यह है कि 14 करोड़ सरकारी लोन बकाया है। इसमें 48 परसेंट हुकूमत का शेयर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि चार परसेंट शेयर और लेकर के उस फैक्टरी को ले लीजिए नहीं तो केवल लोहा रह जायेगा और सब कुछ बिक जायेगा। हमारा इलाका सूखे से तबाह रहता है। कम से कम एक ऐसा आयोग होना चाहिए जिससे गोरखपुर और देवरिया का तो उत्तर प्रदेश की नदियों से भला हो सके। हमारे मंत्री जी प्रतिनिधि भी हैं और जानकार भी हैं। ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे गोरखपुर और देवरिया के लोग सूखे से बच सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कल उत्तर देंगे। अब श्री एच० के० एल० भगत।

6.48 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित कल सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.49 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 मई, 1985/20 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक लिये स्थगित हुई।

दी इण्डियन प्रेस दिल्ली